International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

नवीन सामाजिक शोध

संस्थापक प्रधान संपादक
स्व. डॉ. जी. सी. सक्सेना

प्रधान संपादक
राजेन्द्र सक्सेना

प्रबंध सक्सेना
अभिजीत सक्सेना

संपादक
श्रीमति सविता सक्सेना

उप संपादक
डॉ. संजय अग्रवाल (चिकित्सक)
डॉ. संतोष धुर्वे (समाजशास्त्री)
डॉ. विजय दुबे (वाणिज्य) ग्वा.

वरिष्ठ शोध अधिकारी
डॉ. ममता गावशिन्दे

शोध अधिकारी
डॉ. अनुपमा सुरेश
डॉ. ममता दुबे (ग्वा.)

सलाहकार मंडल
राजेश सक्सेना

वर्ष -10 अंक - 1 (कुल अंक 109) मार्च 2018

R.N.I. M.P.HIN/2009/29572 **ISSN-0975-4431**

संपादकीय कार्यालय: 25, रूप नगर कॉलोनी, जे.के. रोड़
भोपाल-462 023 (म.प्र.) दूरभाष : 09300279796, 09425704990

E-mail : naveensamajikshodh@yahoo.com
website : www.naveensamajikshodh.com

विदेशों में क्षेत्रीय कार्यालय : (विदेशी विषय विशेषज्ञ संपादक)

1. **डॉ. राम भारद्वाज** चिकित्सक
पो. बॉ. नं. 161, पोस्टल कोड नं. 119, सहम सुल्तानेट ऑफ ओमान

2. **प्रो. डॉ. सुधाकर कोटा** अर्थशास्त्री
प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एण्ड मार्केटिंग, स्काईलाईन युनिवर्सिटी, शारजाह, यूएई

3. **कविता शुक्ला** असिस्टेंट प्रोफेसर,
111, शेख रशीद बिल्डिंग, शेख जायेद रोड़, यूएई, दुबई

4. **डॉ. प्रिंस डेविड** दंत चिकित्सक
11, ऐलब्रेस्ट एवेन्यू, माउंट रास्किल, ओकलेण्ड 1041, न्यूजीलेण्ड

5. **श्री सजग चतुर्वेदी**
स्टेनफोर्ड, यूनिवर्सिटी, थाईलैण्ड

6. **श्रीमति ऋति चतुर्वेदी,** कनाडा

7. **श्रीमति प्रतिभा,** कनाडा

8. **डॉ. उमेश रस्तोगी,** लंदन

सहयोग राशि : देश में : साधारण अंक 100/- वार्षिक : 1000/-
आजीवन सदस्यता : 10000/-
विदेशों में : साधारण अंक : 18 डॉलर, वार्षिक : 180 डॉलर
सारे भुगतान (मनीआर्डर/चेक/ड्राफ्ट) नवीन सामाजिक शोध के नाम से लिये जायेंगे।
चेक पे भुगतान करने पर रू. 30/- अतिरिक्त भेजें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक : राजेन्द्र सक्सेना द्वारा राजा प्रिंटिंग प्रेस ,प्लाट नं.2 लाला लाजपत रॉय कालोनी,बागदिल कुशाद्वारा भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित एवं 25, रूप नगर कॉलोनीजे.के. रोड़, भोपाल-462 023 (म.प्र.)। से प्रकाशित। संपादक - श्रीमति सविता सक्सेना।

सभी लेखों में लेखकों के अपने मौलिक विचार है। संपादक अथवा संपादक मंडल का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। हमारा संपादक मंडल पूर्णत अवैतनिक एवं अध्यावसायिक है। विवाद की स्थिति में सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

नवीन सामाजिक शोध

इस अंक में .....

1. महिलाओं की परिवर्तनीय.....डॉ. (श्रीमती) नीरू शर्मा - 6
2. ट्रांसजेंडर समुदाय– सशक्तिकरण.....डॉ. (श्रीमति) नीरू शर्मा-11
3. WORKING CAPITAL ANALYSIS.....Dr. Pravin Choudhary-15
4. AN ANALYSIS OF WORKING CAPITAL.....Ab Waheed Khanday-28
5. Behavior of women in decision .....Ajaz Ahmad Bhat-40
6. जहॉक़दर चुग़ताई के.....डॉ.कु.मुबश्शिरह-53
7. Research papers on gender.....Dr. ShwetaShukla-60
8. भारत में सूक्ष्म वित्त की.....डॉ. मीना कीर-67
9. Multilingualism In Ancient.....Dr. Neelima Mehta-71
10. Road Transportation .....भागवती रघुवंशी-75
11. **खेल जगत में भारतीय**.....इन्द्रा वर्मन-84
12. स्कूल छोड़ते बच्चों की .....राममणी दुबेदी-91
13. राष्ट्र निर्माण और विकास.....इन्द्रा वर्मन -95
14. बलिदानी, शहीद और राष्ट्रनिर्माता.....रंजीता टेकाम-104
15. भारत में सूक्ष्म वित्त की .....डॉ.दिनेश श्रीवास्तव -112
16. प्रेमचंद की कहानियो.....फरह ज़िया-116
17. समकालीन कविता में .....डॉ. कंचना सक्सेना-121
18. राश्ट्रीय एकता–अखण्डता और.....डॉ.सुरेखा रेग -128
19. Impact of Tight Fitted Clothe.....Dr. Smita Jain.-134
20. एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच .....नीलिमा चटर्जी- 138
21. Relevance of Gandhian Trusteeship.....Dr.Rajeev Verma,- 144
22. पंचायत प्रणाली में ग्राम राज और.....डी.एन यादव- 149
23. बजट 2018–19 किसका.....मनोज कुमार सिन्हा- 157
24. स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं .....डी.एस पवार- 164
25. पादप व जंतु कोशिका.....डॉ.अनुराधा दुबे - 171
26. Paradox and Challenges in.....Anupama Rawat- 177
27. THE IMAGE OF MAHATMA.....ILA RANI SHRIVASTAV- 196
28. प्राकृतिक आपदाओं बाढ़, चक्रवात, कृषि .....डॉ.संतोष धुर्वे- 210
29. "Chaucer" redirects here For other.....Shalini Tiwari-219
30. साइबर क्राईम और.....डॉ.ममता दुबे- 228
31. माहिलाऐ और सामाजिक न्याय.....डॉ.एस.एस.यादव- 232
32. Socio Economic Challenges in the path of.....Dr.Manoj Kumar Sinba- 238
33. डिजिटल मार्केटिंग और.....Mrs.Pratibha Deharia- 245

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

सलाहकार मंडल

- **प्रो. डॉ. आई.एस. चौहान** पूर्व कुलपति, बरकतउल्लाह एवं

  भोज विश्वविद्यालय भोपाल–म.प्र.। फोन: 0755–2424777

- **प्रो. डॉ. विनोद पी. सक्सेना**, पूर्व कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय

  ग्वालियर म.प्र.। फोन 0755–2628055

- **प्रो. डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव**

  पूर्व कुलपति डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर–म.प्र.

- **प्रो. डॉ. राजपाल सिंह** सदस्य सलाहकार यूजीसी (उच्च शिक्षा)

  भारत सरकार मो. 9425028689

- ,**डॉ.आर.एम श्रीवास्तव** पूर्व प्रार्चय, मोतीलाल विज्ञान महा विद्धालय

  भोपाल मध्यप्रदेश मानव मो.9826286410

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

संपादक मंडल

- **प्रो. संजय एस. अग्रवाल**, विभागाध्यक्ष, पीपुल्स मेडीकल कालेज
- **प्रो. अलका डेविड**, विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान शा. सरोजनी नायडू कालेज
- **प्रो. अरविंद चौहान**, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल
- **प्रो. आर. शंकर**, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र भारतीदर्शन विश्वविद्यालय, तिरुचरापल्ली-तमिलनाडु (620024)
- **प्रो. परवेज अहमद अब्बासी**, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, बी.एन.एस.जी. विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात।
- **प्रो. डॉ. कामिनी जैन**, प्राचार्य शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिपरिया।
- **प्रो. आभा चौहान**, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग जम्बु एण्ड कश्मीर .।
- **डॉ. वंदना बक्शी**, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड भोपाल।
- **डॉ. दिनेश परमार**, अनुवांशिकी विभाग, ब.वि. भोपाल।
- **डॉ. आरती श्रीवास्तव**, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग शासकीय कॉलेज नरसरुल्लागंज।
- **डॉ. जितेन्द्र कुमार**, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी आफ कामर्स एंड मैनेजमेंट जी.जी.डी.एस.डी. (पीजी) कालेज पलवल।
- **डॉ. अनुपमा सुरेश**, सहा. प्राध्यापक, भेल कॉलेज, भोपाल।
- **डॉ. कायनात तंवर**, विक्रम युनिवर्सिटी, उज्जैन।
- **डॉ. विपिन व्यास**, व्याख्याता, लिमनोलॉजी ब.वि. भोपाल।
- **श्री अजय बिसारिया**, व्याख्याता, हिन्दी विभाग, अ.मु.वि. अलीगढ़-उ.प्र.।
- **डॉ. विश्वनाथ मिश्रा**, पूर्व प्राचार्य (समाजशास्त्र) कालीचरन पी.जी. कालेज, लखनऊ।
- **इंजि. रोहन गुप्ता**, एम-2/5 बी.डी.ए. कालोनी, लालघाटी, भोपाल।
- **रेनु चोइधरानी** सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय
- **फरह ज़िया,**हिंदी विभाग,अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

संपादकीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने रेडियो कार्यक्रम %मन की बात के माध्यम से किसानों को कृषि उपज की लागत का डेड़ गुना एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य का भरोसा दिलाने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि इस संदर्भ में कोई ठोस रूपरेखा भी सामने आए। इसकी जरूरत इसलिए और भी ज्यादा बड़ गई है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि विभिन्न् मंडियों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं कम पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। यह सही है कि कृषि उपज की लागत का डेड़ गुना दाम देने की घोषणा पर अमल नए वित्त वर्ष से होना है और इसका अर्थ यह है कि किसानों को लाभकारी मूल्य पाने के लिए आगामी खरीफ की फसल तक इंतजार करना होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इन दिनों अपनी उपज बेच रहे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पाने में भी कठिनाई का सामना करना पड़े।

इस कठिनाई के चलते किसानों में असंतोष भी बड रहा है और वे अपने भविष्य को लेकर बेचैन भी हो रहे हैं। कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में एक बड़ी समस्या उसके निर्धारण को लेकर है। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि कृषि उपज की लागत तय करने में बीज, खाद, सिंचाई आदि के मूल्य के साथ श्रमिकों और खुद किसानों की मेहनत का भी मूल्य जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं कि यह काम किस फॉर्मूले के तहत होगा? इसमें और देर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि एक तो नया वित्त वर्ष शुरू होने ही वाला है और दूसरे, एमएसपी को लगातार राजनीतिक मसला बनाया जा रहा है। ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जब वर्तमान में किसानों को अपनी उपज तय एमएसपी से नीचे बेचनी प? रही है, तब इसकी क्या गारंटी कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा? इस सवाल को हल करके ही आशंकाओं को दूर किया जा सकता है।

यह सही है कि केंद्र सरकार की ओर से बार-बार यह रेखांकित किया जा रहा है कि वह वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस वायदे को पूरा करने के लिए अभी तक जो भी कदम उठाए गए हैं, उनसे अभीष्ट की पूर्ति होती दिख नहीं रही है। इससे इनकार नहीं कि खाद की उपलब्धता को सुनिश्चित करने, मिट्टी का परीक्षण कराने की सुविधा प्रदान करने के साथ जो अन्य अनेक उपाय किए गए हैं, उनसे किसानों को कुछ न कुछ लाभ मिला है, लेकिन इस सबके बावजूद खेती अभी भी घाटे का सौदा बनी हुई है।

चूंकि आम चुनाव में अब एक वर्ष ही रह गया है, इसलिए सरकार को ऐसा कुछ करना ही होगा, जिससे अगले कुछ माह में किसानों को यह भरोसा हो जाए कि 2022 तक उनकी आय सचमुच दोगुनी होने जा रही है। कृषि और किसानों के उत्थान की जितनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उतनी ही राज्य सरकारों की भी। ऐसे में बेहतर यह होगा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो रूपरेखा बननी है, उसमें राज्य भी शामिल हों, ताकि इसे लेकर कोई संशय न रहे कि राज्य सरकारों को क्या और कितनी जिम्मेदारी वहन करनी है।

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

महिलाओं की परिवर्तनीय स्थिति का सामाजिक एवं ऐतिहासिक विश्लेषण

डॉ. (श्रीमती) नीरू शर्मा
''कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में शिक्षित
महिलाओं का दृ ि टकोण गुना जिले के विशेष संदर्भ में''
(एक समाज शास्त्रीय अध्ययन)

टाज ग्लोबल विलेज की परिकल्पना के युग में निश्चय ही हम भौतिक विकास के शिखर पर बैठे है लेकिन वहीं मानव मूल्यों की दृष्टि से हम अवनति के अंधेरे गर्त में जा पड़े है और अभी तो 'अंधे अंधा ठेलिया' के रूप में सब उसी की ओर जा रहे है। इस आपाधापी में बेतहाशा भागता बदहवास मनुष्य तनाव परेशानी, टेंशन जैसे शब्दों को रूचि लेकर कहने लगा है। इस स्थिति में आदमी–आदमी से दूर जा रहा है। हर कोई अपने लिए जीने की उतावली में है। खेलना, खाना पीना भी जैसे हमारे लिए काम हो गए है। मानवीय रिश्तों में टूटन इस समय का सबसे निकट के कहे जाने वाले रिश्ते में भी अब भावनाओं की वह गर्मी नहीं रही।

प्राचीन पावनता और अत्याधुनिकता इन दोनों भ्रमों के बीच स्त्री–पुरूष के बीच का संतुलन खोता जा रहा है।

युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े–बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियाँ लुप्त हो गई, जातियाँ मिट गई परन्तु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की बज्र लेखनी से अंकित अदृश्य लिपि नहीं धुल सकी।

स्त्रियों की वास्तविक स्थिति और परिवर्तनीय स्थिति को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें भारतीय इतिहास का अध्ययन करना होगा।

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति –

वैदिककाल में स्त्रियों की स्थिति अत्यन्त उन्नत अवस्था में थी। उन्हें समाज व परिवार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। स्त्रियों को पुरूषों के समान ही शिक्षा, विवाह, धर्म आदि क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त थे। वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा का बहुत महत्व था। इस काल में स्त्रियों की शिक्षा का बहुत महत्व था।

इस काल में स्त्रियों को पुरूषों के समान सैनिक शिक्षा देने का प्रावधान व वेदों की रचना, अध्ययन करने, संगीत, ललित कलाओं, नृत्य आदि कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। परिवार में पत्नी का स्थान बहुत महत्वूपर्ण रहता था। इसी कारण उसे अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया था। पति और पत्नी दोनो यज्ञ संपन्न करते थे। नारी के बिना कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता था। बिना पत्नी के यज्ञ कराना मान्य नहीं था। ऋग्वेद में दंपत्ति (दम+पति, अर्थात् पति, पत्नी) शब्द उस काल में नारी की उच्च स्थिति का बोध कराता है। वैदिक काल में पति और पत्नी दोनों ही घर के मालिक होते थे और सभी अधिकार लेने का हक था। लड़कियों को बाहर पढ़ने जाने की छूट थी तथा इनकी रक्षा करना वीरता का कार्य समझा जाता था। लेकिन लड़के की कामना भी रहती थी अर्थात पुत्र प्राप्ति को शुभ माना जाता था। वैदिक काल भारतीय इतिहास का सर्वाधिक आदर्श समाज रहा है। जिसमें नारियों को समस्त अधिकार दिये गये थे। ऋग्वैदिक युग में कन्या को बहुत अच्छा माना जाता था। फिर भी वेद ब्राम्हण में स्त्रियां पुत्री की अपेक्षा पुत्र पैदा होने की कामना करती थी। वैदिक समाज में पुत्री को पुत्र की तरह ही स्नेह, प्यार मिलता था तथा पुत्र पैदा होते ही जो संस्कार होते है वो ही पुत्री होने पर भी होते थे। पति और पत्नी में माधुर्य एवं घनिष्ठ संबंध होने पर भी पितृ प्रधान समाज कहलाता था। यानी वैदिक समाज में पति की प्रभुता एवं प्रधानता होती है। पत्नी ही पूरे घर को संभालती थी तथा घर का संचालन भी करती थी। स्त्री को मातृरूप में स्वीकृत किया गया था तथा पत्नी को ''जाया'' कहकर संबोधित किया, अर्थात जिसके गर्भ में स्वामी स्वयं पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करें वहीं ''जाया'' है। हमारे आर्य मनीषियों ने नारी को गौरवपूर्ण स्थान दिया था।

उत्तरवैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति :–

उत्तर वैदिक काल में ग्रामीण समाज नगरीय समाज में परिवर्तित होने लगा था। इस युग में पुत्री की अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता था। इस काल में रचे गये ब्राम्हण ग्रंन्थो में भी स्त्रियों की निंदा की गई थी। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में भी बहुत गिरावट आई अर्थात स्थिति गिरती ही गई। थामस ने लिखा है ''कि प्रत्येक पग पर पुत्रों के महत्व का प्रतिपादन किया जाता था। पुत्र मोक्ष प्राप्ति में नाव की तरह है, स्वर्ग में प्रकाश पुंज की भांति है, पत्नी मित्र व साथी थी, किन्तु पुत्री दुख का प्रतीक।'' परिणामस्वरूप अनेक समाजों में पुत्रों की अपेक्षा पुत्रियों की हत्या का प्रचलन प्रारंभ हो गया। स्त्रियों के ज्यादा लड़की होने के कारण पति को पुत्र प्राप्त करने के लिए दूसरा विवाह करने का अधिकार था। इस युग में नारियों को पुरूषों की तरह यज्ञ पर बैठने का अधिकार नहीं दिया था। इस काल से ही बाल विवाह होने प्रारंभ हो गये थे तथा यह धारणा बना ली थी कि रजोदर्शन के पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिये और पति ही परमेश्वर है। इस तरह धीरे–धीरे नारी की स्थिति निम्न होती चली गई। परिवार में लड़की पैदा होना भी एक अभिशाप माना जाने लगा था। इसके बावजूद भी नारी की स्थिति इतनी अशोभनीय नहीं थी कि पुर्नविवाह नहीं किया जा सके। कुछ शर्तों के साथ पुर्नविवाह नहीं किया जा सके। कुछ शर्तों के साथ

पुर्नविवाह कर सकते थे। इस युग में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा स्त्री को भी घर में रहकर संयमित एवं अनुशासित जीवन जीना पड़ता था। समाज में उनका स्थान सम्मानजनक रहता था। अगर पति काफी दिनों से परदेश में रह रहा हो और पत्नी का ध्यान नहीं रखता हो तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी पति से संबंध विच्छेद कर सकती थी या कोई व्यक्ति चरित्रहीन हो तो उसकी पत्नी सबंध विच्छेद कर सकती थी। स्त्री का स्थान समाज में प्रतिष्ठित और सम्माननीय था। स्त्री को माता के रूप में अधिक सम्मान दिया जाता था। पुत्र, पिता की अपेक्षा माता को अधिक सम्मान देता था। माता धार्मिक व सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय ले सकती थी। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में उसके अधिकार सीमित थे। तथापि धन व्यय आदि करने की प्राथमिकता एवं प्रमुखता पति को ही होती थी।

मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति–

मध्यकाल में जितना शेषण महिलाओं का हुआ उतना शायद दूसरे किसी भी काल में नहीं हुआ। यह काल 16वी शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक था। विवाहित महिलायें पति के नियंत्रण में रहती थी। विवाह के पश्चात कन्या अपने पति को ही सर्वस्व समर्पण कर दिया करती थी। जब पति किसी व्यवसाय या अन्य कोई कारण से विदेश चले जाते थे तो स्त्रियां न ही दूसरा घर चुनती थी न ही परिवार छोड़कर जाती थी। बस पति के इंतजार में परिवार एवं बच्चों की देखभाल करती रहती थी। चाहे कितनी ही कठनाईयाँ आये सबका सामना करती थी। उस काल में विधवा महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला। उन्हें घर परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता था। फिर भी उस काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं कहीं जा सकती थी।

ब्रिटिशकाल में महिलाओं की स्थिति–

इस काल को 18वीं शताब्दी के अंन्त से लेकर स्वतंत्रतापूर्व तक का समयकाल माना गया है। भारतीय लोगों ने समाज सुधार के लिये अंग्रेजी शासनकाल में बहुत प्रयास किये लेकिन स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिये व्यावहारिक प्रयत्न या प्रयास नहीं किये। स्त्रियों की दयनीय स्थिति के कारण ही अंग्रेजों ने लाभ उठाया। स्त्रियों की अयोग्यताओं के आधार पर हम उनकी दयनीय अवस्था का अनुमान लगा सकते है। स्त्रियों को समाजिक क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने, अपने अधिकारों की मांग करने, नियमों में फेरबदल करने आदि का अधिकार प्राप्त नहीं था। अज्ञानता और अशिक्षित होने के कारण साक्षरता का अभाव होने लगा। स्त्री बाल विवाह, पर्दाप्रथा का विरोध तक नहीं कर पाती थी। अगर विरोध करती भी थी तो उसे चरित्रहीन समझा जाता था उस पर कलंक लगा दिया जाता था। स्त्री के संबध सिर्फ परिवार और माता–पिता से ही संबंधित थे। वह सिर्फ परिवार के बारे में सोचना एवं उनके साथ ही रहना व उनकी गतिविधियों, मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेना यही तक सीमित थी। इस काल में स्त्री के पास कोई

अधिकार नहीं हुआ करता था। परिवार के सभी अधिकार व निर्णय पति के हाथ में हुआ करते थे। इस काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय हुआ करती थी। उनके पास संकट की घड़ी में आत्मरक्षा के अलावा कोई मार्ग नहीं होता था।

आधुनिककाल में महिलाओं की स्थिति–

19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में सामाजिक कुरीतियों सामाजिक व धार्मिक अंध विश्वासों का बोलवाला था यानी यह अंधविश्वास की चरम सीमा का समय था। भारत में सामाजिक व्यवस्था की स्थिति दयनीय थी। सबसे अधिक दयनीय स्थिति स्त्रियों की थी। लड़कों को परिवार में जन्म देना अच्छा माना जाता था। जबकि स्त्री को जन्म देना श्राप माना जाता था। राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके सती प्रथा को रोकने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिये भी कड़ा संघर्ष किया व इस क्षेत्र में कई सुधार लाये। राजाराम मोहन राय ने स्त्रियों को संपत्ति देने के लिये भी संघर्ष किया। बाल विवाह समाप्त करने में भी इनका विशेष योगदान रहा। राजाराम मोहन राय न केवल धर्म सुधारक थे वरन एक समाज सुधारक भी थे।

19वीं शताब्दी में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिये विभिन्न अधिनियम बनाये गये :–

1.सतीप्रथा निषेध कानून 2. विधवा विवाह अधिनियम 3. एज ऑफ कान्सेप्ट अधिनियम। 4. नेटिव मेरिज एक्ट 1872 5. बालिका वध निषेध कानून 6. विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम

सभी समाजों के स्त्रियों और पुरूषो की समाजिक स्थिति उनके आदर्शों और कार्यों के अनुसार तय होती है। इन आदर्शों और कार्यों का निर्धारण उस समाज की संस्कृति है, कि पारिवारिक जीवन और समाजिक जीवन में पुरूषों और स्त्रियों का महत्व कितना है और उनके क्या–क्या कार्य है। महत्व और कार्य द्वारा ही हम यह निश्चित करते है कि समाज में स्त्रियों का स्थान पुरूषो की अपेक्षा उच्च है या निम्न या समान है।

हमारे पुरूष प्रधान समाज में स्त्री की कमतर स्थिति के कारण और निवारण को समझने के लिए उन बातों को समझना और विचार करना अति आवश्यक है। जिन्हें हम साधारणतः भी जान सकते है पर प्रायः अनजान बने रहते है जैसे :–

1. क्या लड़की की पारिवारिक संपत्ति एवं आय में बराबर की भागीदारी उसके जन्म से ही सुनिश्चित की गई है ?

2. क्या विवाह के बाद भी माँ–बाप के परिवार में लड़की का स्थान ज्यों का त्यों बना रहेगा जैसे लड़के का रहता है ?
3. क्या लड़की को सभी से हर विषय पर बात करने की छूट है ?
4.

संदर्भ सूची –

1. गोयल डॉ. सुनपील आर.पी. यूनीफाइड – भारतीय समाज इंडियन ग्राफिक्स पृष्ठ–111
2. अर्थवेद 14 / 4
3. यजुर्वेद 8 / 1 संदर्भ डॉ. राधाकृष्णन, धर्म और समाज पृ. 141
5. पारीख डॉ. एस.के. इतिहास, रामप्रसाद एण्ड संस आगरा 1995–96 पृ. 15
6. Thamas P. Indian Woman Through the age
7. Thamas P. Indian Woman the age.
8. परीख डॉ.एस.के दहिभाते, एस.के. इतिहास रामप्रसाद एण्ड संस आगरा 1995–96 पृ.111
9. पारीख डॉ. एस.के. दहिभाते एस.के इतिहास रामप्रसाद एण्ड संस आगरा 1995–96 पृ. 167,168

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

ट्रांसजेंडर समुदाय– सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम

डॉ. (श्रीमति) नीरू शर्मा
पी.एच.डी. समाज शास्त्र
''कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में शिक्षित महिलाओं का दृष्टिकोण गुना जिले के विशेष संदर्भ में''
(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

भारत का संविधान देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करता है, लेकिन वही उसी संविधान को मौलिक ग्रंथ की तरह पूजने वाले देश में एक समुदाय ऐसा भी है जो स्वतंत्रता प्राप्ती से लेकर अभी तक अपने मौलिक अधिकारों, अपनी अस्मिता के सम्मान से वंचित है । यह एक ऐसा समुदाय है जिसके जीवन में दर्द और अंधकार भरा हुआ है लेकिन मुख्यधारा के लोगों को केवल उनकी आवाज और तालियां ही सुनाई देती हैं । समाज में जिस समुदाय को उपहास और हिकारत की नजर से देखा जाता है, जिसके साथ सदियों से उपेक्षा का भाव होता आ रहा है वह देश का हशियाग्रस्त समुदाय है– ट्रांसजेंडर समुदाय । जिन्हें अक्सर हमारा समाज हिजड़ा शब्द से भी बुलाता है । ट्रांसजेंडर समुदाय की यदि वर्तमान संख्या पर प्रकाश डाला जाए तो लगभग 50 लाख की आबादी इस समुदाय से आती है । इस विशाल आबादी को परिवार, समाज में तो अपमानित होना ही पड़ता है, साथ ही उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताऐं जैसे समान लिंग संबंध, समान लिंग विवाह आदि से भी वंचित किया गया है ।

वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तृतीय लिंग का दर्जा देने का आदेश तथा हाल ही में संसद में पेश हुए ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण विधेयक, 2016 द्वारा इस समुदाय के अधिकारों को साकार रूप देने का प्रयास हुआ है । परंतु क्या सचमुच इन प्रयासों से यह समुदाय सशक्त हो पायेगा यह कहना मुश्किल है ।

भारतीय सामाजिक परिवेश में ट्रांसजेंडर कई पहचानों के साथ पाए जाते हैं जैसे कि हिजड़ा, अरावनी, कोती, जोगप्या, शिव शक्ति इत्यादि ।

ट्रांसजेंडर वे लोग होते हैं जो जिस लिंग पहचान के साथ पैदा होते हैं उससे भिन्न लैंगिक अभिव्यक्ति महसूस करते हैं । उदाहरण के लिए यदि कोई मनुष्य प्राकृतिक तौर पर पुरूष के तौर पर पैदा हुआ हो परंतु समय के साथ उसकी अभिव्यक्तियां, शारीरिक हाव–भाव एवं मनःस्थिति स्त्री सुलभ विशेषताओं से युक्त हो जाए तो वह ट्रांसजेंडर कहलाता है । इनमें हिजड़ा शब्द समान्यताः उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रचलित है जो भिक्षावृत्ति के पेशे में आते हैं ।

हद की पराकाष्ठा तो हमें तब दिखाई देती है जब हमारी कथित ''गौरवशाली'' संस्कृति में हिजड़े के रूप में मरने वाले व्यक्ति की मौत पर उसके समुदाय के साथी दो कतरा आँसू भी नही बहाऐं, मृतक का अंतिम संस्कार रात में ही हो तथा उससे पूर्व उस मृतक के शरीर को जूतों से पीटा जाए ।

रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, स्कूल, माल, थियेटर और अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थलों पर उनके एक किनारे करने उनके साथ बदसलूकी की जाती है । उनके साथ अछूतों से भी बदतर सलूक किया जाता है । उनके साथ दुर्व्यव्हार, यौन शौषण, और इन्हें नग्न कर तमाशा करने जैसी वीभत्स घटनाओं को अंजाम दिया जाता है । इनकी जीवन त्रासदी के विषय में किन्नर अधिकार कार्यकर्ता लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी लिखते हैं :–

''संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें अपना कह सके । उनके पास जीने का कोई आसान साधन नहीं है । उनके शारीरिक संबंधों के कारण मानसिक तनाव एवं व्याकुलता है और उनकी पहचान को लेकर मजाकिया सवाल है । इस समुदाय के लोग स्कूल, कॉलेज जाएं तो उपहास बनाया जाता है, संगठित क्षेत्र में नौकरी नहीं मिलती । इसी कारण नाच गाकर या भिक्षावृत्ति द्वारा अपना गुजारा करते हैं । हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सभी ट्रांसजेंडर पिछड़े व गरीब हैं । आज दिल्ली, इंदौर, जबलपुर, कोलकाता, चैन्नई जैसे शहरों में उनके फ्लेट्स हैं, दुकानें हैं । इनकी अथाह सम्पत्ति के पीछे समाज का वह नजरिया है जो इन्हें धार्मिक कारणों से देवत्व के तौर प मानता है । ये लोग भी देवत्व रूप को बरकरार रखना चाहते हैं । ऐसे लोगों ने अपना अलग–अलग घराना बना लिया है । हर घराने में एक गुरू होता है जिसका अपने शिष्यों से यह निर्देश होता है कि बाह के लोगों से एक सीमा के पश्चात् दूरी बनाकर रखें । बाहर के लोगों को अपने बारे में ज्यादा जानकारी न दें । इन घरानों के कायदे कानून इतने सख्त होते हैं कि थर्ड जेंडर के सभी लोग वहां जा नहीं सकते अर्थात् ट्रांसजेंडर समुदाय में जो सम्पन्न हैं वे भी उपेक्षित और गरीब ट्रांसजेंडरों का साथ नहीं देते ।

ऐतिहासिक परिचय की बात की जाए तो अचरज की बात यह है कि ट्रांसजेंडरों की यह दयनीय स्थिति कुछ सदियों पूर्व से हुई है । मुगलकाल और उससे पहले थर्ड को भी स्त्री पुरूष के बराकर अधिकार व दर्जा प्राप्त था । हिन्दु शास्त्रों एवं महाभारत में अर्जुन का वृहन्नला, किन्नर बनकर विराट राजा की पुत्री के शिक्षक के रूप में नियुक्ति का प्रसंग था । राजा ध्रुपद की संतान शिखंडी का परवरिश का, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समानांतर अधिकार दिये जाने का वर्णन मिलता है । इनको वर्तमान स्थिति में पहुंचाने के लिए बहुत हद तक औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वे कानून जिम्मेदार हैं जो ट्रांसजेंडरों को अपराधी ठहराते हैं जिसमें भा.द.सं. की धारा 377 विशेष उल्लेखनीय है ।

स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्चात् इस समुदाय की सहायता हेतु सहोदरी फाउडेंशन तथा नाज फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) से ताकत व सहयोग मिला । ये फाउंडेशन फाउंडेशन के अधिकारों और उनके उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं । फाउंडेशन व्यक्तियों की लड़ाई सिर्फ कानूनी तौर पर तृतीय लिंग के रूप में पहचान प्राप्त करने की न होकर अपने लिए समाज में व्याप्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपेक्षा भाव के खिलाफ भी रही है । उनके इस संघर्ष के परिणामस्वरूप ही ट्रांसजेंडर समुदाय को 1994 में तत्कालीन सरकार ने स्त्री और पुरूष के भीतर ही खुद की पहचान करने का विकल्प दिया था । अपितु इससे पहले तो ट्रांसजेंडरों के लिंग का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था । इसके अलावा 2009 के लोकसभा चुनाव में तीन किन्नरों का नामांकन इसलिए खारिज किया गया क्योंकि तृतीय लिंग की मांग करते हुए अपने को स्त्री या पुरूष किसी भी विकल्प को मानने से इंकार कर दिया ।

परंतु 2014 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ट्रांसजेंडरों के अस्तित्व को माना और उन्हें तृतीय लिंग का दर्जा प्रदान दिया गया तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी किए । सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस वर्ग के साथ हमारे समाज में हो रहा पक्षपात अकल्पनीय है और गुणसूत्र संबंधी, जन्मजात लिंग या लिंग की भूमिका आदि के बाबजूद उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी । इसलिए हम हिजड़े या किन्नर को संविधान के भाग 3 और संसद तथा विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कानूनों द्वारा प्रदत्त उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा करते हैं । इन नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के नागरिक मानते हुए उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं के साथ–साथ सार्वजनिक नौकरियों में भी सभी प्रकार का लाभ दें ।

इस प्रकार परिवर्तन की लहर में शबनम मौसी का विधायक बनना, कमला बुआ और मधु किन्नर का महापौर बनना तथा मानवी बंधोपाध्याय का पहली ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल बनना, उस समुदाय के

सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते कदमों की शुरूआत है ।

ट्रांसजेंडर अधिनियम 2016 इनके इरादे और सम्मान को नई उमंग तथा विश्वास देगा, ताकि वे मुख्यधारा में हिस्सेदारी पा सकें ।

अनंत दयनीय एवं शोषण सहने वाले समुदाय के लिए मुख्यधारा वाला समाज अपने विचारों में परिवर्तन लाए, उनके प्रति संवेदनशील बने । हमें यह समझना होगा कि इस समुदाय में पैदा होने वाले लोगों का जीवन सिर्फ हमारे मनोरंजन नाच गाना के लिए नहीं है अपितु उन्हें भी अपना गरिमामयी जीवन जीने का हक है । यह लड़ाई सिर्फ उस समुदाय की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो किसी भी स्तर की गैर बराबरी को कलंक समझता है । हमें अब उनके शोषण के लिए प्रायश्चित करना होगा और उनके सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन का लक्ष्य पूरा करना होगा । वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब समाज के आंगन में इस तीसरे फूल का गमला भी बराबर स्थान पाएगा ।

हमारे देश में जहां गाँधी, विवेकानंद, दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोगों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के भावों के आधार पर भारत की नींव गढ़ी उसी देश में किसी समुदाय के साथ अन्याय और असमानता हमारे लिए कलंक के समान है । दीनदयाल जी के ''एकात्मक मानववाद'' जिसमें व्यक्ति पूर्ण, स्वतंत्र एवं स्वयंभू हैं उससे हमें सीख लेनी होगी तथा विवेकानंद के वंचित वर्गों के कल्याण की भावना और समस्त भारतवासी भाई–बहिन की संकल्पना को साकार करना होगा ।

संदर्भ सूची

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक अंश
- ट्रांसजेंडर की जनगणना – 2011 की रिपोर्ट
- ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण विधेयक 2016
- मानव अधिकार ट्रांसजेंडर कार्यकर्त्ता लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी का कथन
- महाभारत से लिए गए प्रकरण
- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377
- नाज फाउंडेशन की रिपोर्ट
- 15 अप्रेल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
- गाँधी, विवेकानंद और दीनदयाल जी के दृष्टांत

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

WORKING CAPITAL ANALYSIS OF NATIONAL TEXTILE CORPORATION LTD. (NTC LTD.)

Dr. Pravin Choudhary
Assistant Professor
VNS Faculty of Management, Bhopal

Prof. Apoorva Bhatnagar
Assistant Professor
VNS Faculty of Management, Bhopal

ABSTRACT:

This paper empirically investigates the relationship between the components of working capital and firms liquidity in Textile industry. We undertake conventional method and operating cycle method are considered for measuring working capital analysis. The data was taken from secondary data source named as "NTC Ltd. Covering the period from 2002 to 2012 This company was declared sick by Board of ***Industrial*** and Financial Reconstruction (BIFR).The results show that for overall textile industry, working capital management has significant impact on liquidity of the firms.

Key Words:
Liquidity, NTC ltd., Working Capital.

INTRODUCTION:

Time to time review record analysis is compulsory for the management system no matter whether it is a financial or non financial firm. For the remedy of the effects of any working, financially or non financially systems, the management must be able to scrutinize and have keen sight and supervision with proper vigilance in internal and external affairs both .Since, Indian economic management is fast growing which directly or indirectly influence the organizations working or running here in.

Any working capital management works for two of its motives viz. liquidity and profitability. The structure of any working capital management firm lands on the

pillars namely Cash management, Inventory management and Receivable management. The shareholders will receive the maximum return of their investment only and only if the profitability is increased. If the liquid is extent possessed it will de-concentrate or dilute the profitability. To avoid this dilution "Management of working capital "provide ideas ,solutions to run the profitability of net assets employed and ability to pay current liabilities as they fall in parallel.

The four different test of working capital policy adopted for the study of NTC Ltd.is :

(1) Level of Working capital :

Under this study the working capital of NTC Ltd. for different years of study have been calculated and studied. The variation of working capital in all these years has been analyzed and causes for it are mentioned in an effective way. Both conventional and operating cycle method have used for the study.

(a) Conventional Method : Includes Cash flow statement, different ratios related to the liquidity the firms and greater importance is given to the current ratio and liquid ratio.

(b) Operating Cycle Method: The cash requirement of different units are analyzed very carefully because the cash requirement of different units differs according to its production length, credit policies etc. So the operating cycle of each firm has analyzed very carefully.

OPERATING CYCLE AND WORKING CAPITAL NEEDS

The length and nature of the operating cycle of the National Textile Corporation Ltd. shows the time period starting from the procurement of goods or raw materials and ending with the sales realization. Since NTC Ltd. Is manufacturing concerns there occurs a series of activities starting from procurement of raw materials and ending with the sales realization of finished goods after going through different stages of production .Though NTC Ltd. is manufacturing concerns , the operating cycle period of the NTC Ltd. is a manufacturer of cotton and yarn

Receivable Conversion Period (RCP) = Time required to convert the credit sales into cash realization.

The total of inventory conversion period and receivable conversion period is known as Total operating cycle period . The credit facilities that the firm might be getting from its supplier of raw materials, wages earners etc. delayed or deferred is known as deferral period. This deferral period is also considered to find out the total operating cycle. The Net operating cycle can be arrived by deducting the deferral period from the total operating cycle.

Raw Material Conversion Period (RMCP) = (Average Raw material stock * 365) / Total Raw material Consumption

To meet the requirement of production process every manufacturing concern has to maintain minimum stock of raw materials. The number of units to be kept in stores for different types of raw materials depends upon various factors such as raw material consumption rate, time lag in procuring fresh of raw materials, contingencies and other factors. Work In Progress Conversion Period= (Avg. Work in Progress* 365)/Total cost of Production

Finished Goods Conversion Period = (Avg. Finished Goods * 365) / Total Credit Sales

Receivable Conversion Period = (Avg. Receivable * 365) / Total Credit Sales

Deferral Period = (Avg. Collection * 365) / Total Credit Purchase

The total operating cycle period and Net operating cycle do not measure the absolute amount of funds invested in working capital. Lesser amount of working capital is needed at the beginning of the operating cycle than at the end because most of the expenses are incurred well after the initial raw material are procured and introduced in the production process. Though it is very difficult to determine the optimum operating cycle of a particular firm, proper care and review is required to find out the exact time required in between the starting and ending of a production

procedure. A comparison between the current year's operating cycle lengths with previous years will help a firm to see its variations in operating cycle every year.

(2) Structural Health :

The structural health of each organization i.e. NTC Ltd., . has been studied thoroughly. The various components which affect the working capital and thus liquidity have taken into consideration before reaching into any conclusion the structural relationship in respect of each component constituting the current assets have drawn and interpretation has made.

(3) Circulation :

Many ratios are calculated to know the average period required for the conversion of raw materials into finished goods, finished goods into sales and sales into cash of the NTC.Ltd. selected for the study.

(4) Liquidity :

The supplementary comprehensive assessment to measure the liquidity may be adopted by using the following ratios, each expressed as a percentage of

Working Capital to current assets

Stock to current assets

Liquid resources to current assets

OBJECTIVE OF THE STUDY:

(1) To identify the sources of the working capital of N.T.C. LTD.

(2) To analyze the overall working capital position of N.T.C. LTD.

(3) To analyze the liquidity position of N.T.C. LTD. and also to examine the effect of liquidity on the profitability of them.

Research Methodology:

The present study is based on secondary data collected from secondary source(published annual report) named as "NTC ltd; then various issues of magazines and journals, working

papers and newspapers were also accessed for the relevant and covering the period from 2002 to 2012 as a part of study designed to an evaluation of working capital analysis of NTC Ltd.

DATA ANALYSIS AND INTERPRETATIONS

Level of Working Capital Financial Position

	11-12	10-11	09-10	08-09	07-08	06-07	05-06	04-05	03-04	02-03
Production value	7171.60	7436.07	4426.20	2033.71	1819.44	1662.54	1389.43	1308.05	1307.86	751.61
Profit on sale of assets	-	-	-	619.35	18214.40	2.47	1325.08	1142.53	1658.47	624.52
Sales & Job work	5407.26	5875.79	4284.89	1862.86	1758.39	1483.08	1347.83	1328.31	1137.09	652.21
Contribution towards fixed expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	183.80	165.52
Gross loss (before interest, depreciation, gratuity provision & payment under VRS)	+1833.94	+1793.29	217.62	728.77	823.22	719.94	-757.35	-935.39	-1288.65	-2209.50
Interest :										
NTC	--	--	-10893.65	3439.90	3342.71	3563.20	3285.36	3075.58	3003.84	6690.64
Others	--	--	--	--	--	--	549.41	635.25	392.59	314.39
Depreciation	514.01	506.10	488.57	254.24	20.25	20.40	19.63	15.94	7.50	8.01
Payment Under VRS	--	--	--	--	--	--	270.18	2609.42	746.13	13644.84
Gratuity Leave Provision	--	--	89.71	-89.52	-49.27	29.67	12.21	-461.21	29.47	-1278.17
Net Profit/Loss for the Year	11580	-2124.30	9892.06	-4308.11	13232.80	5029.78	-3569.06	-5667.84	-5468.18	-21589.21
Prior Period Adjustment	-1.94	328.35	0.405	576.40	114.80	20.31	3.30	-275.09	9.52	-38.99
Extra Ordinary Item :										
Interest written back as per Rehabilitation Scheme	--	--	12169.30	-595.42	469.16	185.79	218.58	1486.87	28573.62	-
Net Profit (+) / Net Loss(-) carried to B/S plus fringe benefit tax	11580	-2124.30	9892.06	-4336.09	1325.50	4864.30	-3348.83	-4456.06	24773.43	-21003.68

Sources: published annual report of NTC from 2002-2012a

Conventional Method :

Cash Flow Statement

Particular	11-12	10-11	09-10	08-09	07-08	06-07	05-06
Cash & Cash equivalent at beginning of the year	4079	976.29	1062.88	2701.93	1120.14	1065.42	1522.51
Net cash from operating activities	-12974.57	-23343	-511.69	-2897.25	-128.49	-1480.67	-1991.62
Net Cash used in investing activities	1194.59	31387	-66.91	-2225.12	16515.60	68.92	1413.80
Net Cash used in Financing activities	9479.20	23308	492.01	3483.32	-14805.32	1466.47	120.73
Net Inc/(Dec) in Cash and Cash	-2300.78	3103	-86.59	-1639.05	1581.79	54.72	-457.09
Cash and cash equivalent at end of the year	1778.43	4079	976.29	1062.88	2701.93	1120.14	1065.42

Sources: published annual report of NTC from 2005-2012

Operating Cycle of NTC:

Different components of current assets require funds depending upon the respective operating cycle and cost involved. Every firm must maintain a minimum cash balance (Immediate liquidity) to meet day to day requirements of petty expenses and other cash purchase etc. Minimum cash requirement of a firm can be ascertained on the basis of the past experience. The cash and bank balance is the least productive of all the current assets, hence minimum balance is to be maintained. The cash and bank balance provide liquidity to the firm which is of

utmost importance to any firm.

Liquidity

The more comprehensive test to measure the liquidity may be adopted by using the following ratios, each expressed as a percentage of working capital to current assets, inventories to current assets and liquid resource to current assets by measuring these ratio one can easily find out the liquidity position of the company and their existence in the long future run.

A. Working capital to current assets ratio

Table-3 **Rs. In lacs**

	11-12	10-11	09-10	08-09	07-08	06-07	05-06	04-05	03-04	02-03
Working Capital	-4111	-6516	-8594.12	-8739.49	-8104	-7634	-204.13	-175.67	-170.92	-438.85
Current Assets	3764	7123	2662	2063	3655	2389	2042	2396	1921	1674
Ratio	-1.09	-0.91	-3.23	-4.24	-2.22	-3.20	-0.1	-0.07	-0.09	-0.26

Source: Published Annual reports of NTC from 2002-2012

X = -15.41/10= -1.541 time

Growth rate = -319.23%

Interpretation

Working capital to current assets ratio shows how many times the current assets are to that year's working capital. If the current assets are more, then the working capital will automatically increase. The working capital of NTC has been showing a increasing and a decreasing trend year by year. It is very explicit that, this is

happened its abnormal increase of creditors. The current assets show a medium trend in the last ten years of study. i.e. in the year 2003 it was rs.1674 Lacks and in the year 2012 it became Rs.3764 lacks. There has no such big variation in amount of current assets in these years. The highest value stood at Rs.7123 Lacs (year 2011) and the lowest value was Rs.1674 Lacs in the year 2003 (table 3). The ratio varies in between -0.07 times to -4.24 times with an average -1.541 times.

(b) Inventories to current assets

Table-4 **Rs. In Lacs**

	11-12	10-11	09-10	08-09	07-08	06-07	05-06	04-05	03-04	02-03
Inventories	1166.79	2368.95	1004.52	394.71	199.35	644.59	308	209	453	325
Current Assets	3764	7123	2662	2063	3655	2389	2042	2396	1921	1674
Ratio (Times)	0.31	0.33	0.38	0.19	0.05	0.27	0.15	0.09	0.24	0.19

Source: Published Annual reports of NTC from 2002-2012

X = 2.2/10= 0.22 time

Growth rate = 63.15%

Interpretation

I nventories to current assets show the contribution of inventories in the total current assets. Both high and low holdings of inventory are harmful to the business. High stock of inventory causes liquidity problem and a low holdings will create hindrance in the smooth production. The above table 13 depicts that the ratio of inventories in the total current assets is very less .It was only 0.027 times in the year 2007, 0.05 in the year 2008,.0.19 in the year 2009, 0.38 in the year 2010, 0.33 in the year 2011, 0.31 in the year 2012, 0.15 times in the

year 2006, 0.09 times in the year 2005, 0.24 times in the year 2002. When we analyze the current assets it has become very clear that the amount of cash and bank is more in the total current assets and the part of inventory is very poor. Also there is no need of holding high stock of inventories because the firm is engaged in seasonal production activities and in the situation of outdated production activities of the firm, holding high stock of inventories should not be justified as good policy. But here NTC is following the traditional method of holding inventories that they are holding inventories no more than two to four months consumption of the year.

Liquid resources to current assets.

Table-5 **Rs. In Lacs**

	11-12	10-11	09-10	08-09	07-08	06-07	05-06	04-05	03-04	02-03
Liquid Assets	2597	4754	1657	1712	3456	1694	1734.08	2187.24	1467.21	1348.31
Current Assets	3764	7123	2662	2063	3655	2389	2042	2396	1921	1674
Ratio	0.69	0.67	0.62	0.83	0.95	0.71	0.85	0.91	0.76	0.81

Source: Published Annual reports of NTC from 2002-2012

X = 7.8/10=0.78 time

Growth rate = -14.81%

Interpretation:

This table 5 clearly explain that the amount of liquid assets has been holding a very high ratio to the total current assets of the firm every year. The ratios for these selected years were 81% in the year 2003 , 76% in the year 2004, 91% in the year 2005 and 85 % in the year 2006, 71% in the year 2007 ,95% in the year 2008 ,83% in

the year 2009,62% in the year 2010, 67%in the year 2011,69% in the year 2012 That means , it varies in between 0.62 times to 0.95 times .But it shows decreasing trend in the year 2006, 2009, 2010. Which clearly says some variation might have happened in the liquid assets resulted in a low liquidity ratio in that year. If the percentages of liquid assets resulted in a low liquidity ratio in that year. If the percentage of liquid assets is more it shows the firm is more liquid. Any way holding high level of liquid assets should not be encouraged as they block up firm's profitability. The large cash holding of the firm can not be judged as a good policy because cash is the least productive of all assets and that's why holding minimum cash is termed as good policy for any firm.

WORKING CAPITAL AS A % OF NET SALES

Table-6 **Rs. In Lacs**

	11-12	10-11	09-10	08-09	07-08	06-07	05-06	04-05	03-04	02-03
Net Sales	5407.26	5875.78	4284.89	1862.85	1738.39	1483.10	1347.83	1328.31	1113.87	524.97
Total Current Assets	3764	7123	2662	2063	3655	2389	2042	2396	1921	1674
Total Current Liabilities	7875	13622	10487	10167	11289	10515	10805	11596	13721	14453
Current Assets as a % of Sales	0.70	1.21	0.62	1.11	2.10	1.61	1.51	1.77	1.68	2.56
Current Liabilities as a % of Sales	1.46	2.31	2.45	5.46	6.49	7.09	8.01	8.57	12.07	22.17

Source : Published Annual reports of NTC from 2002-2012

Interpretation:

Average current assets as a % of sales is 148.7%

Average current liabilities as a % of sales is 760.8%

Net Working capital as a % of sales is - 612.1%

This approach estimates the working capital requirement is based on the fact that the working capital for any firm is directly related to the sales volume of that firm. So the working capital requirement is expressed as a percentage of sales for a particular period.

Higher the sales level greater would be the need for working capital. Due to increase in current liabilities the firm has been suffering utter losses in all those years. Though they could manage to reduce their current liabilities to a great extent (Rs. 14453 lacs to RS, 7875 Lacs) they could not increase their sales which depict a poor average working capital. The average working capital as a % of sales has found as - 612.1 % which gives an alarm about poor performance of the firm. The firm to increase their sales by providing quality products with the use of advance machineries in order to complete with the present day market.

Working Capital As a % of Total Assets

Table-7 **Rs. In Lacs**

	11-12	*10-11*	*09-10*	*08-09*	*07-08*	06-07	05-06	04-05	03-04	02-03
Total assets	45410.89	41687.95	79253.19	89353.46	82642.55	93435.44	2255	2654	2083	1912
Total Current Assets	3764	7123	2662	2063	3655	2389	2042	2396	1921	1674
Total Current Liabilities	7875	13622	10487	10167	11289	10515	10805	11596	13721	14453
Current Assets to Total Assets	0.08	0.17	0.03	0.02	0.04	0.03	0.91	0.9	0.92	0.88
Current Liabilities to Total Assets	0.17	0.33	0.13	0.11	0.14	0.11	4.79	4.37	6.58	7.56

Source : Published Annual reports of NTC from 2002-2012

Interpretation:

Average current assets as a % of total assets is 39.8%

Average current liabilities as a % of total assets is 241.6%

Net Working capital as a % of total assets is 201.8%

Every firm in terms of capital budgeting decision basically plans the future level of fixed assets. In order to use the fixed assets in an efficient way , the firm must have sufficient working capital. So the working capital requirements depend upon the estimation of the fixed capital which depends upon the capital budgeting decisions. Here the net working capital as a % of the total assets as 201.8% which indicates that the firm run in loss. The average of current assets as a % of total assets for the last ten years is 39.8 % but the average of current liabilities as a % of total assets is 241.6%. in the last 10 year of total assets were varying in between Rs. 1674 lacs to 7123 lacs . in the year 2008-09 it reduced to Rs. 2063 lacs as compared to Rs. 3655 lacs in the previous year 2007- 08 , in the year 2011-12 is reduced to Rs. 3764 lacs as compared to Rs. 7123 lacs in previous year. It may due to sale of fixed assets or decrease in current assets due to enormous increased in current liabilities the firm could not run well. The company has to take proper measure to decrease its current liabilities.

CONCLUSIONS:

By this keen analysis of the working capital ratio of the firm NTC Ltd. It becomes vivid that the firm is running in loss and an immediate care is to be given for improvement of the present condition of the firm. Though the firm is presenting itself as of most liquid it has found that the firm is holding high cash balance with them which has gradually resulted into large proportion of liquid assets in the total assets. They must manage their cash in a better way to increase its income from financing activities and thus they can improve their present situation by reducing the huge working fund loans.

REFERENCES:

1. V.K. Bhalla: "Finaincial Management & Policy" Anmol Publications 1st Ed. New Delhi (1997)
2. Van Horne. J. C & Wachowicz, J.M. 2000. Fundamentals of Financial Management, 11th Ed. Prentice Hall Inc.
3. Van Horne: Fundamentals of Financial Management Pearson Education 2003
4. Verma, harbans lal: Management of Working Capital: Boston: Houghton Mittin Co. 1967
5. Walker E.W: " Essentials of Financial Management" New Delhi, Prentice Hall of India (P) Ltd. 1974
6. Miller, M.H & Orr, D, 'A model of the Demand for Money in Firms', Quarterly Journal of Economics, LXV Aug. 1966, Pp413-435

Websites: www.google.com

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

AN ANALYSIS OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT OF WOODEN BASED FURNITURE INDUSTRY

Ab Waheed Khanday[1] **and**
1.Research Scholar at Barkatullah University Bhopal
Ajaz Ahmad Bhat[2]
2.Research Scholar at Barkatullah University Bhopal

ABSTRACT

Working Capital is the very important part of total capital of the firm. Without maintaining sufficient amount of working capital in the business, a business cannot perform its day to day operations smoothly and successfully because working capital is said to be life blood of every business concern. Maintenance of the adequate amount of working capital in the business leads to progress. Therefore, efficient management of working capital is required to balance between generation and utilization of the working capital funds without which either shortage of funds will cause disruptions in the smooth functioning of the organization and the excess funds will prevent the firm from conducting its business efficiently. The present study analyses the working capital management of Wooden Based Furniture Industry of last five years. Ratio analysis, the most powerful tool was used in the present study to ascertain the working capital management of the very industrial unit. Different ratios were used in the study like Receivables Turnover Ratio, Inventory Turnover Ratio and Working Capital Turnover Ratio. The study also deals with three objectives and on the basis of which conclusion and suggestions are drawn. The study revealed that the overall working capital management of the Wooden Based Furniture Industry is good but there is a further scope of improvement.

Key Words: working capital, management, ratio analysis, turnover, efficient, improvement.

INTRODUCTION

In present day economy, finance is said to be as a provision of funds at a time when it is required. Every business establishment irrespective of size needs finance to carry out its activities smoothly and successfully. In fact, finance is said to be the life blood of business which means without adequate finance, no business establish whether big, medium or small in scale can operate smoothly to achieve its objectives successfully. Every business establishment needs funds for establishing the business and for carrying out day to day operations. Finance or capital required for the business can be classified into two categories.

Fixed Capital

Working Capital

- **Fixed Capital:** - In simple means, fixed capital is that part of capital investment which is blocked on a permanent basis or on a fixed basis in the fixed assets of the company. Fixed capital is required to create production facilities through purchase of fixed assets i.e., Land, Building, Plant, Machinery, Furniture, Fixture, so on.
- **Working Capital:** - Acquisition of fixed capital and make it available for the business does not serve the aim. Funds are also needed for short term purposes for the purchase of raw materials, payment of wages and other day to day expenses. These funds are termed as working capital.

WORKING CAPITAL MANAGEMENT

Working capital is thus necessary for successfully and smoothly making the operations of the business. Without the sufficient amount of working capital maintained in the business, it will hamper serious problems which will affect the liquidity, solvency and profitability of the business undertaking. So, it becomes very necessary for the industrial units to make the proper management of working capital. Management of working capital refers to the process of acquisition of sufficient amount of funds necessary for investing in current assets and then optimum utilisation of these funds. In other words, working capital management refers to properly advocating and managing the problems that arise in managing the current assets, current liabilities and their inter-relationship. Working capital management is concerned with all the administration aspects of current assets and current liabilities. The main objective of working capital management is to manage the current

assets and current liabilities in such as way to attain the satisfactory level of working capital. It is because both excess and inadequate working capital will create the problems and will adversely affect the day to day operations of the business undertaking; as excessive working capital will keep the funds idle which will not contribute to the earnings of the business and on the other hand inadequate working capital will hamper the problem of disruptions in the flow of operations. So, if any business undertaking irrespective of the size want to operate smoothly and successfully, the key to success is that the proper management of working capital.

OBJECTIVES OF THE STUDY

- To analyse the concept of working capital management.
- To analyse the working capital management of the Wooden Based Furniture Industry.
- To offer suggestions based on findings of the study.

SCOPE OF THE STUDY

The present study is confined to Wooden Based Furniture Industry & analysis is based on the information provided in the Annual Reports of the Wooden Based Furniture Industry. Data will be analyzed and interpreted for the period of 5 years ranging from 31 March 2013 to 31 March 2017 and the conclusion will be drawn within the set time period.

RESEARCH METHODOLOGY

Research methodology is an important part of every research as it provides the new insights pertaining to getting pure information about the subject predict the nature of the problem and solve it, using possible decision alternatives and relevant variables that need to be considered. The present study is purely based on secondary data. Data pertaining to working capital, liquidity, solvency and profitability position were collection from the annual reports like balance sheet and profit & loss account of the Wooden Based Furniture Industry. The necessary data were also obtained from published reports like journals, magazines, news papers and books.

TOOLS APPLIED

To have a meaningful analysis and interpretation and to get the objectives attained from the data collected, the most powerful tool of financial statement analysis i.e., Ratio analysis is used in the present study.

REVIEW OF LITERATURE

Praveen Kumar Jain 1989 conducted a study entitled Management of Working Capital with special reference to seven paper companies. The main thrust of the study was towards working capital and liquidity analysis with the help of Trend Analysis and Ratios Analysis. As per the research working capital trend was not significant. The seven years average percentage of inventory to total current assets was very high in the three companies while it was very low in one company and satisfactory in remaining companies.

Mishra and Khan (1990) in their study on working capital management of Electronic Corporation of India Ltd. (ECIL) found that more than 80% of the total funds were invested in current assets. According to the study, the current ratio was found to be increasing on yearly basis during the period of the study within the selected industrial units which ultimately generated the idle liquid funds in the ECIL, which in turn produced low return in the company.

Chakravarthy and De (1994) in their study, working capital management of Eastern Coalfields Ltd. revealed that there was a very poor liquidity position during the period of the study. According to the study, mostly long term funds were used to meet the short term obligations which in turn affected the profitability of the enterprise to a great extent.

Beaumount and Begeman (1997) conducted a research and according to their research Working Capital plays an important part in the financial decision of the company. An optimal working capital management is attained through a trade of between profitability and liquidity. This study aims at providing empirical evidence about the effect of working capital management on the profitability of small scale industries.

Bhat and Jain (2006) conducted a research on the financial performance of private sector hospitals in India. During the period of the study, it was found out that the liquidity position of the private sector hospitals was satisfactory.

DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION

Year Ending 31 March	Current Assets	Current Liabilities	Net Working Capital
2013	16.86	18.42	**-1.56**
2014	18.10	14.82	**3.28**
2015	22.13	17.81	**4.32**
2016	41.39	30.11	**11.28**
2017	63.36	44.85	**18.51**

Source: Annual Reports of Wooden Based Furniture Industry.

Interpretation:

The above table shows the net working capital during the period of the study. During the study period of 2013, it was found the negative working capital i.e., -1.56. During the years 2014, 2015, 2016 and 2017, the working capital position was 3.28, 4.32, 11.28 and 18.51 respectively.

Scattered Diagram of Net-Working Capital

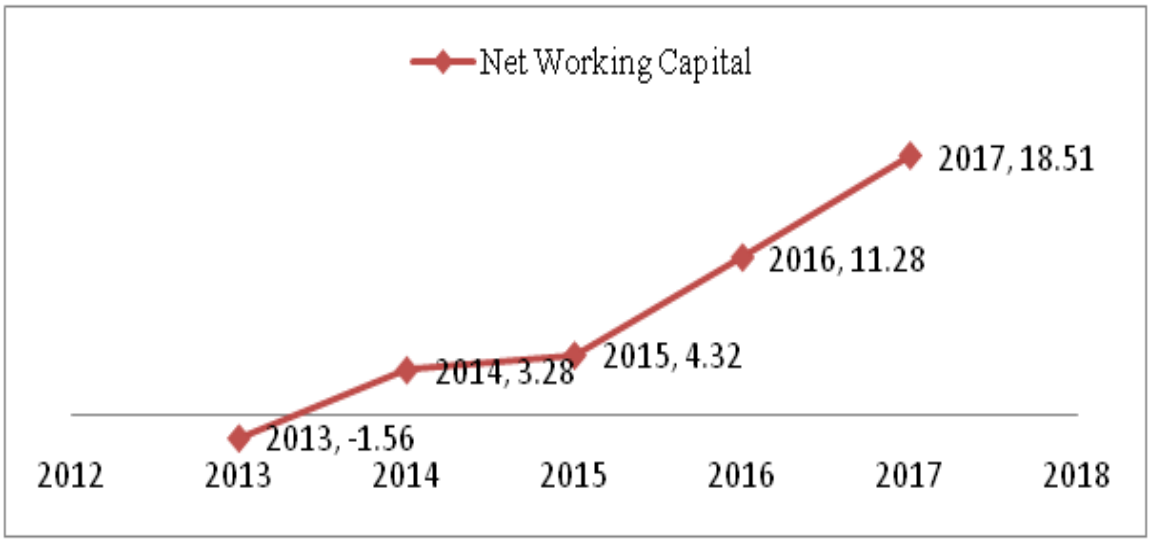

Receivables Turnover Ratio

Receivables/debtors turnover ratio indicates the velocity of debt collection of firm and is calculated as;

$$\text{ReceivablesTurnover Ratio} = \frac{\text{Net Sales}}{\text{Receivables}}$$

Table: 1.Statement of Receivables Turnover Ratio .... in Lakhs....

Year Ending 31 March	Net Sales	Receivables	Ratio
2013	22.32	11.92	**1.87**
2014	34.23	12.28	**2.78**
2015	41.51	12.74	**3.25**
2016	62.78	29.39	**2.13**
2017	77.27	49.90	**1.54**

Source: Annual reports of Wooden Based Furniture Industry from 2013 to 2017.

Interpretation:

The above table shows the analysed relation of net sales to receivables or in other words receivables turnover ratio. During first three years of study the company's receivables turnover was getting better as the ratio moves upwards i.e., 1.87, 2.78 and 3.25 during the year 2013, 2014 and 2015 respectively. During the years 2016 and 2017 the turnover position decreases as2.13 and 1.54 respectively which is not good news for the company.

Line chart of Receivables Turnover Ratio

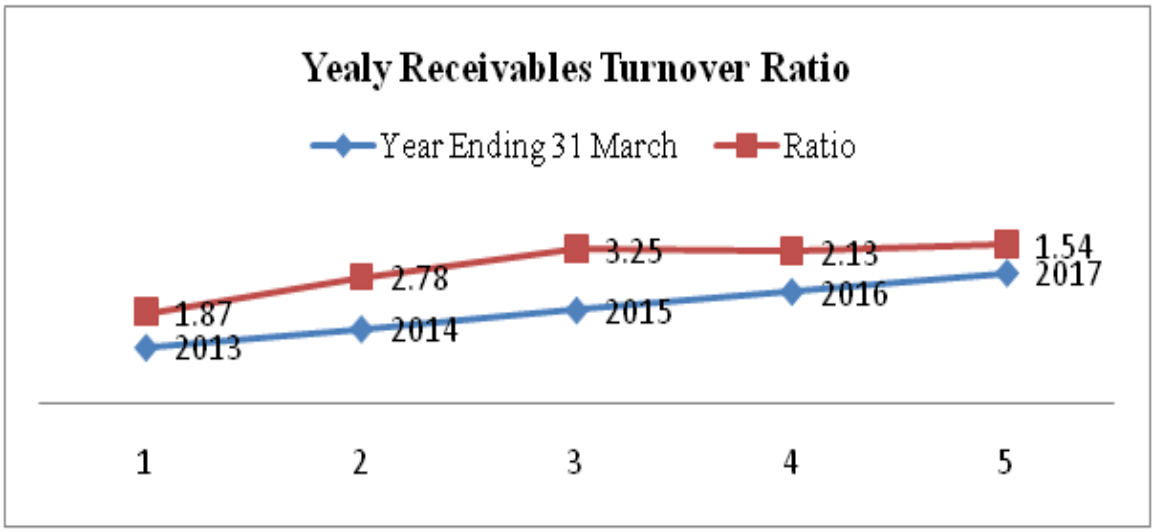

Inventory Turnover Ratio

Inventory turnover ratio also known as stock velocity is normally calculated as sales/average inventory or cost of goods sold/average inventory. It would indicate whether inventory has been efficiently used or not.

$$\text{Inventory Turnover Ratio} = \frac{\text{Net Sales}}{\text{Inventory}}$$

Table: 1.3Statement of Inventory Turnover Ratio .... in Lakhs....

Year Ending 31 March	Net Sales	Inventory	Ratio
2013	22.32	3.53	**6.32**
2014	34.23	2.91	**11.76**
2015	41.51	7.89	**5.26**
2016	62.78	9.61	**6.53**
2017	77.27	9.81	**7.87**

Source: Annual reports of Wooden Based Furniture Industry from 2013 to 2017.

Interpretation:

The above table shows the relationship between sales to inventories. Inventory turnover ratio measures the velocity of conversion of stock into sales. A high inventory turnover indicates efficient management of inventory and vice versa. The above table depicts fluctuations in the sales to inventories as it has 6.32, 11.76, 5.26, 6.53 and 7.87 during the study period i.e., 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017 respectively

Bar Chart of Inventory Turnover Ratio

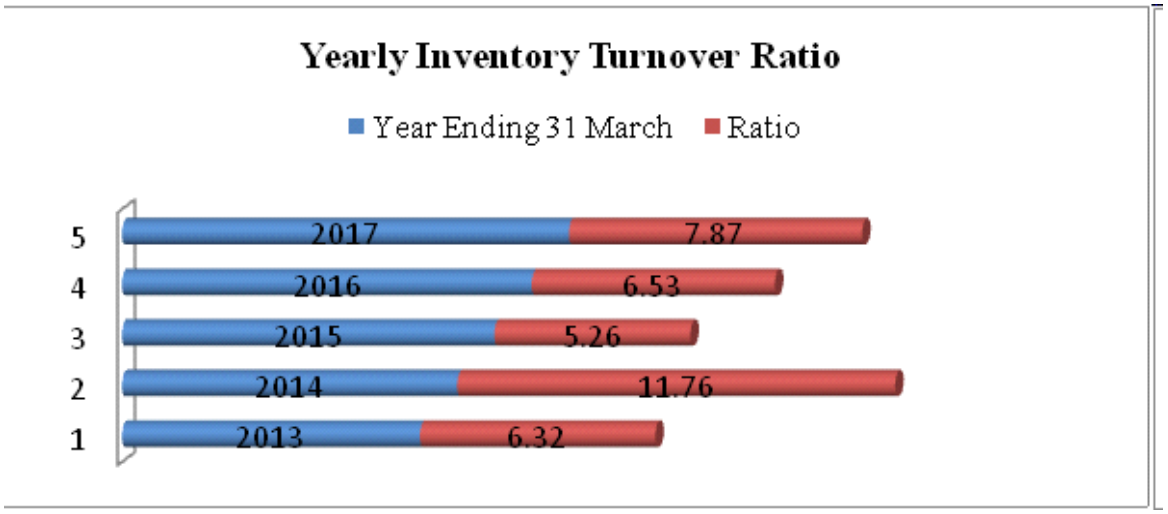

WORKING CAPITAL TURNOVER

The working capital of every business concern is directly related to sales. All the components of the working capital like cash, debtors, bills receivables, inventory etc. changes with the increase or decrease in sales. Working capital turnover of any business concern indicates the velocity of the utilisation of the net working capital. Working capital turnover is ascertained by the ratio known as working capital turnover ratio which indicates the number of times the working capital is turned over in the normal course of business for one year. The ratio measures the efficiency of management regarding the utilisation of working capital. Higher the working capital turnover ratio better is the utilisation of working capital and vice versa. However the very high working capital turnover ratio is not a good situation for the firm. Working Capital Turnover Ratio is calculated as:

$$\text{Working Capital Turnover Ratio} = \frac{\text{Net Sales}}{\text{Net Working Capital}}$$

Year Ending 31 March	Net Sales	Working Capital	Ratio
2013	22.32	-1.56	**-14.30**
2014	34.23	3.28	**10.43**
2015	41.51	4.32	**9.60**
2016	62.78	11.28	**5.56**
2017	77.27	18.51	**4.17**

Source: Annual Reports of Wooden Based Furniture Industry

Interpretation:

The above table shows the working capital turnover ratio of the Wooden Based Furniture Industry. Higher the ratio better is the utilisation of working capital and vice versa. During the period of the study, the ratio shows fluctuations and does not show any consistency like -14.30, 10.43, 9.60, 5.56 and 4.17 during the years 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017 respectively. However during the first year of the study the ratio seemed to be in negative.

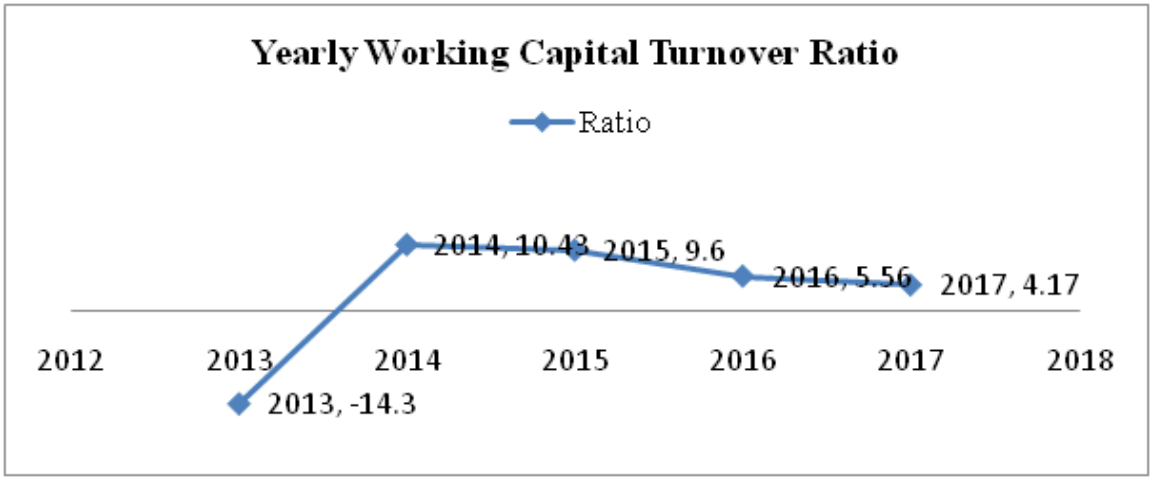

$$\text{Working Capital Turnover Ratio} = \frac{\text{Net Sales}}{\text{Net Working Capital}}$$

Findings, Suggestions and Conclusion

Findings:

After data analysis and interpretation, the major findings of the study are mentioned below:

❖ Table 1.1 showed the net working capital of the Wooden Based Furniture Industry. During the period of the study, it was found that there is a lot of improvement in the working capital position of the very industrial unit as the ratio showed a yearly increasing trend. However, during the first year of the study i.e., 2013 net working capital was seen negative but the very industrial unit managed to improve its working capital position.

❖Table 1.2 showed the receivables turnover ratio of the Wooden Based Furniture Industry. It is fact that higher the receivables turnover ratio better it is as it indicates the efficient management of receivables. Higher receivables turnover ratio means the more frequent payments are being received from the trade debtors and is the indicator of better liquidity position. During the first three years of the study i.e., 2013, 2014 and 2015, the tabular analysis revealed the increasing trend of the receivables turnover ratio which is the sign of efficient management of receivables. But during the last two years of the study i.e., 2016 and 2017, it was found that the ratio is decreasing drastically which is an alarming condition to the very industrial unit.

❖The table 1.3 revealed the Inventory Turnover Ratio. Inventory turnover ratio measures the velocity of conversion of stock into sales. A high inventory turnover indicates efficient management of inventory and vice versa. During the period of the study, inventory turnover ratio of Wooden Based Furniture Industry was found fluctuating and no consistency had been seen. However, the tabular analysis revealed the satisfactory inventory management of the very industrial unit as the ratio seemed to be higher which means stocks are being sold very frequently.

❖Working capital turnover of any business concern indicates the velocity of the utilisation of the net working capital. The working capital turnover ratio measures the efficiency of management regarding the utilisation of working capital. Higher the working capital turnover ratio better is the utilisation of working capital and vice versa. However the very high working capital turnover ratio is not a good situation for the firm. From the table

1.4, it was found that during the first year of the study i.e., 2013 the turnover ratio of the very industrial unit seemed to be negative. But during the rest of the study period the ratio seemed to be fluctuating but satisfactory.

Suggestions:

On the basis of the findings of the study, some valuable suggestions are drawn by the researcher for the Wooden Based Furniture Industry.

➢The net working capital of the very industrial unit was seen in negative during the first year of the study, so the researcher suggests the very industrial unit to maintain the proper amount of positive working capital in future as it plays a very important role in the operational efficiency and liquidity of the firm.

➢Receivables Turnover Ratio during the last two years of the study i.e., 2016 and 2017 was found decreasing which means funds are being blocked in the trade debtors. The researcher suggests the very industrial unit to improve the ratio by encouraging the trade debtors for making payments on time when become due. If possible, cash discount should also be given to the debtors for making prompt payments.

➢Inventory Turnover Ratio during the period of the study was found satisfactory and the researcher suggests the very industrial unit to maintain consistency in the ratio in future also.

➢More the Working Capital Turnover Ratio better is the utilisation of working capital funds. During the period of the study, the working capital turnover ratio was found decreasing. The researcher suggests the very industrial unit to maintain a satisfactory working capital turnover ratio in future as it would help the very industrial unit in smooth and efficient functioning of day to day operations.

Conclusion:

The present study was conducted on the analysis of working capital management of Wooden Based Furniture Industry for the period of last 5 years. From the tabular analysis, data interpretation and findings during the period of the study, it was found that the working capital management of the very industrial unit was satisfactory. However there is the further scope of improvement in the working capital position in future also because satisfactorily managing the working capital is very much essential to every business concern for smooth

and efficient functioning.

References:

Agrawal N.K. (2003) Management of Working Capital, Sterling Publishers Pvt. Ltd, New Delhi.

Bhattachariya Hirikeshes (2006), Working Capital Management Strategies and Techniques, Prentice-Hall of India Private Limited, New Delhi

Kothari C.R, 2007, "Research Methodology Methods and Techniques", New Age international (p) Limited Publication, New Delhi.

Chakroborty,P.K. and De,A.K.(1994): " Working Capital Management; A Case Study in the Eastern Coalfields Limited.", Journal of Accounting and Finance, Vol. 8, No. 3,pp113-117.

Bhat, R. and Jain, N.(2006): "Financial Performance of Private Sector Hospitals in India: Some Further Evidence", Working Paper No. 2006-01-01, Indian Institute of Management, Ahmadabad.

Chakroborty, P.K. (2005): "Working Capital Management: A Case Study of Cadila HealthCare Ltd.", Icfai Reader, May 2005.

Prasad, R.S.(2001): "Working Capital Management in Paper Industry", Finance India, Vol.15, No.1, pp- 185-188.

D.Raghunatha Reddy, and P.Kameswari, (2004), "A Study on working Capital management practice in Cipla Pharma industry Ltd", Journal of Management Accountant.

Dr. Subash chander and Dr.Rajan Kumar, (2004) "An empirical analysis of some aspects of working capital management in small scale textile industry of Punjab"

Sivaraman Prasad.R, (March 2001), "Working Capital Management in Paper Industry" (Journal of Finance India).

Joginder Singh Dutta (2001), "Working Capital Mnagement"

Harinath Reddy. S., (2000), "Working capital Management in Small Scale Industries A Case Study of Cuddapah District," Sri Venkateshwara University,

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

Behavior of women in decision making about investment alternatives: (case study of district Anantnag)

Ajaz Ahmad Bhat
Research scholar Barkatullah university Bhopal
Ab waheed khanday
Research scholar Barkatullah university Bhopal

Abstract

The Investors are hardly acting rationally in making the decisions while investing. Investors simply react on the available awareness having by them and work accordingly. Planning is required to deal with the investment before investing on the alternatives as planning is the backbone of any program while planning is the first step before decide to do invest or not to do invest on the respective investment alternatives, the paper tries studying here the role of decision making by women investors on investment, For the fulfillment of this study the researcher have selected 100 female respondents from the district Anantnag. The study uses the percentile method etc. the paper concludes that women investors should analyze the market rate situation before investing their money or savings as the market rate rises and decreases or vice versa and female investors should look in all avenues while investing their funds. Some investments are risky and some are not, so as per the age of investors they should decide about risky or less risky investments.

Keywords: investment, planning, decision making, women, role, alternatives, source of information

Introduction

In recent time investment is becoming backbone of any nation for their

growth and development,

The developing countries like India face the enormous task of finding sufficient capital in their development efforts. Most of the countries seem it difficult to get rid of the -vicious circle of poverty of low income, low saving, low investment, low employment etc. With high capital output ratio, India needs very high rates of investments to boost their efforts of attaining high levels of growth and economic conditions. From the beginning of planning, the emphasis was on investment as the primary too of economic growth and change in national income as increasing order. In order to have production as per target, investment was considered the important determinant and capital formation had to be supported by appropriate volume of funds.

INVESTMENT ALTERNATIVE AVAILABLE

There are a large number of investment alternatives today available in the market. To make easily investment over them and the best return out of them here the researcher has selected some alternatives for investment for investigating the response of women towards the investment alternatives; this is one of the tools which make our lives easier we would classify them. In India, numbers of investment alternatives are available for the investors. Some of them are marketable while others are non marketable and some of them also highly risky while others are almost risk less. The investor has to choose Proper Alternative among them, depending upon his specific need, risk preference, and return expected Investment alternatives can broadly categories under the following heads.

Equity
FI Bonds
Corporate Debenture
Company Fixed
Bank Fixed
PPF

Life Insurance
Post Office-NSC
Gold/Sliver
Real Estate
Mutual Fund

But out of them we had selected few investment alternatives like.

Shares
Mutual fund
Gold
Real estate

INVESTMENT BY WOMEN

By virtue of increased employment rate and entrepreneurship activities, women are becoming financially independent. At the same time, a need for investment is also increasing for working women due to various reasons, out of which some of them are presented below. First, an aging overall population that leaves women who generally live longer than men in a difficult situation. In the United States alone 80% of women outlive their husbands and they remain widows for an average of 14 years. Again, this situation can leave women in need of sophisticated financial planning for income purposes at a crucial yet unfortunate time in their (and their families') lives. Second, the recent recession has, for better or worse, transformed the

Economic roles women play in their families. Men have for the most part suffered more job losses than women, which have caused women to have a more active role in many aspects of daily family life, including investment decisions finally, women are increasingly entrepreneurial in nature, seizing opportunities to start new businesses. This trend leads to difficult time management issues, particularly with familial commitments. Women need to make sure they are properly

invested in order to make sure that they don't just invest the appropriate amount of time in their family, but they also invest the appropriate amount of money as well. Due to the reasons mentioned above, women started investing to secure their future and are becoming one of the largest groups of investors across the This trend leads to difficult time management issues, particularly with familial commitments. Women need to make sure they are properly invested in order to make sure that they don't just invest the appropriate amount of time in their family, but they also invest the appropriate amount of money as well. Due to the reasons mentioned above, women started investing to secure their future and are becoming one of the largest groups of investors across the globe.

REVIEW OF LITERATURE

Yogender Gour(2013) Investing in various types of assets is an interesting activity that attracts people from all walks of life irrespective of their occupation, economic status, education and family background. Result showed that the association between profile of the retail investor qualification, age, occupation and decision of investment avenues is not significant. The investment decision of the investors is influenced by other factors like friendly suggestions, advertisement, financial statement of companies, dividend policy, institutional investor's behaviors of investment, foreign market crisis. Study also revealed that that more educated people enter in the capital market for making investment as retail investors.

Hassan, Al Tamimi (2003) conducted a study that analysis the factors that influences individual investor behavior of the UAE Financial market study aims at exploring the UAE investor's behavior, representing the first attempt to be undertaken in the UAE. The study is important for individual investor; companies listed in Dubai financial market and Abu Dhabi securities market and govern.

Ranganathan (2006) States that financial markets are affected by the financial behavior of investors and consumer behavior from the marketing world and financial economics had brought together a need to study an exciting area of 'behavioral

finance' and thus studying the behavior of investors holds importance.
Rajakumar (2008) Studies that customer' attitude towards purchase of insurance products concludes that there is a low level of awareness about insurance products among customers in India.

Sushant Nagpal and B. S. Bodla(2009), On impact of investors' lifestyle on their investment pattern: an empirical study states that the modern investor is a mature and adequately groomed person. Occasions of blind investments are scarce, as a majority of investors are found to be using some source and reference groups for taking decisions.

OBJECTIVES

1. To know the need of role of women on investment
2. To assess the Awareness of Women in district Anantnag.
3. To offer useful Suggestions in the light of Findings.

RESEARCH METHODOLOGY

This paper is basically descriptive and analytical in nature. In this paper an attempt has been taken to analyze the role of women on decision making on investment in District Anantnag. The data used in it is purely from primary as well as secondary sources according to the need of this study and in this study Statistical tool like percentile method is used to show the frequency distribution of the respondents. A sample is a part of population, which is selected for obtaining the necessary information. For the present study the sample size is 100 respondents and for the collection of data the simple random sampling method is used.

LIMITATION OF THE STUDY

Due to constraints of time and resources, the study is likely to suffer from certain limitations. Some of these are mentioned here under so that the findings of the

study may be understood in a proper perspective. The limitations of the study are:

The study is based on the primary data the survey is carry in district Anantnag to get information from the respondents; the information provided by the respondents may not be true as it is, so it would affect the results as well.

The study is restricted Anantnag District alone.

The time horizon did not allow carrying in depth survey.

Investment alternatives	Number of respondents	Percentage %
Shares	15	15
Mutual funds	10	10
Real estate	30	30
Gold	45	45

Source: primary survey

Interpretation

The above table indicates the layout of the preferences of the different females over the investment decisions at district Anantnag; most of the female investors are those who invest their money on gold and their total strength is 45 female respondents out the total 100 respondents, 30 percent respondents are those who invest their money on real estate, 10 respondents are those who prefer to invest their money on mutual funds, and 15 respondents are those who invest their money on shares, so mostly female investors are prefer to invest their money or savings on the gold apart from other investment alternative.

Chart. 1

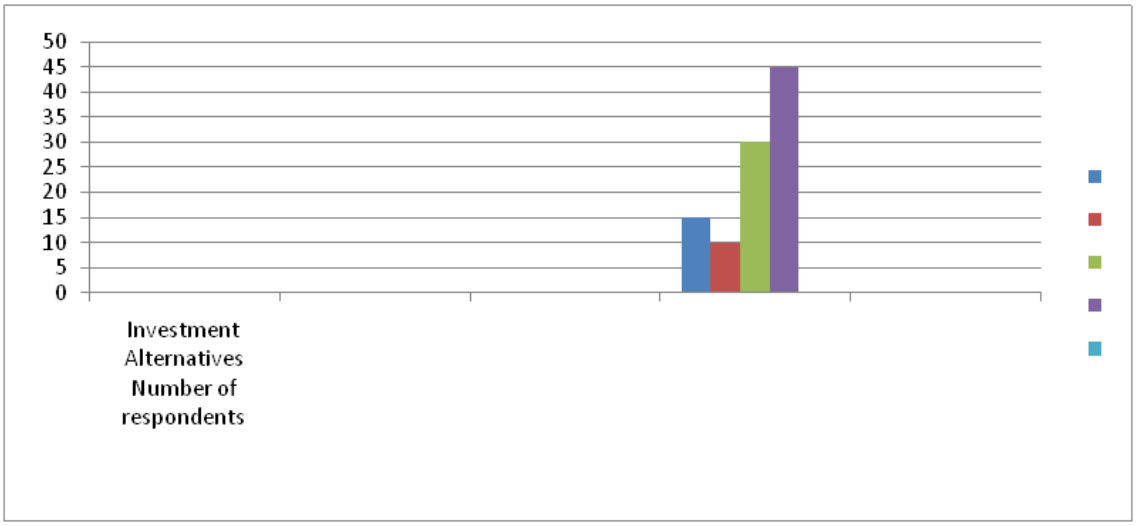

2. Age of women respondents

Age	Number of respondents	%
20-25	10	10%
25-35	40	40%
35-45	30	30%
45 above	20	20%

Source: primary survey

Interpretation

The above table indicates that the most of the women investors are those who take part in decision making are 40 percent and their age is between 25-35, followed by the 30 percent with their age is between 35-45 and 20 percent female respondents are those who take part in decision making.

Age of women respondents

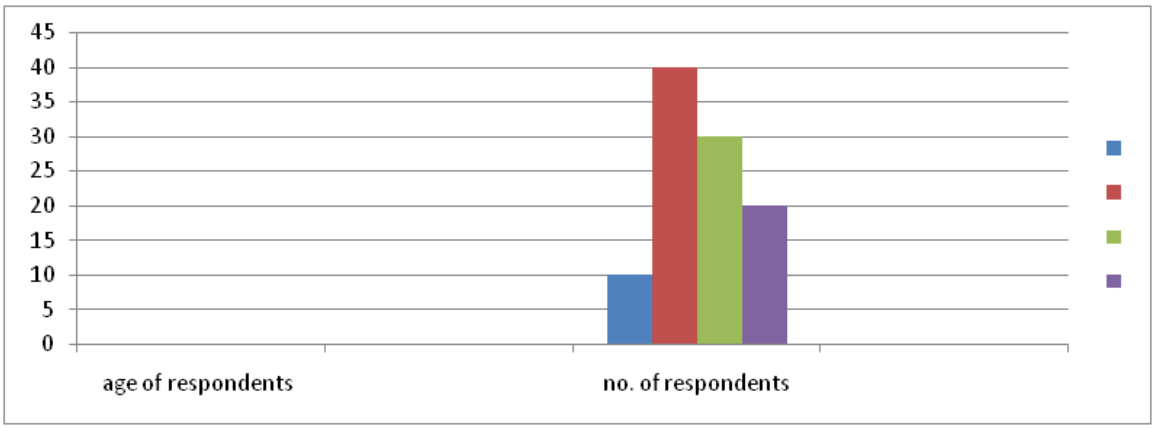

3. QUALIFICATION OF WOMEN RESPONDENMTS

Qualification of women respondents

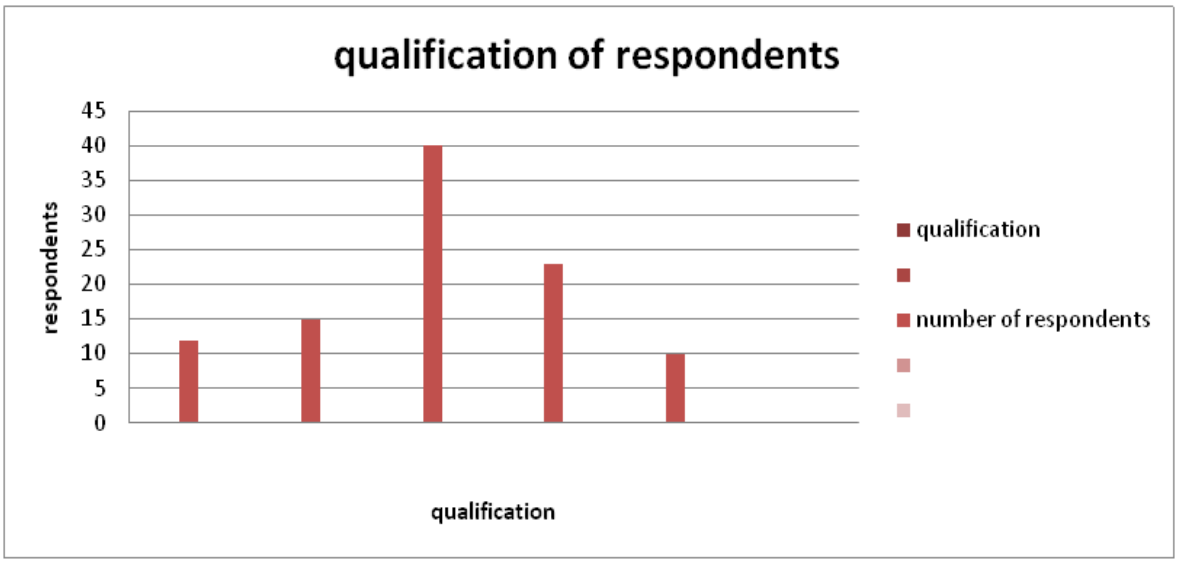

Source: primary survey

Interpretation

The above table shows the qualification of the different respondents which are covered in this research study, as 40 respondents are those who are having graduation level of education, and 12 respondents are those who are having 10th class level of education, 15 respondents are those who are having 12th based qualification 23 respondents are those who are having PG based qualification and 10 respondents are those who mentioned that they have other kind of qualification.

4. Level of knowledge of women respondents

Level of knowledge of women respondents

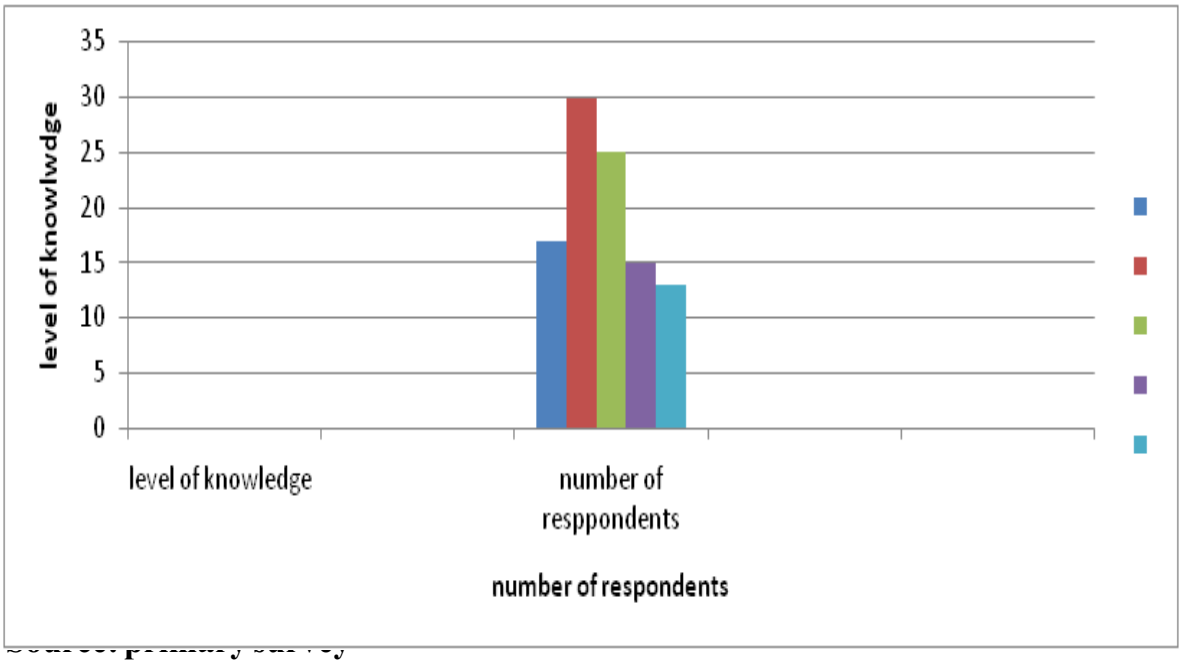

Interpretation

The above table indicates the knowledge of respondents on investment, as we have classify the knowledge as little, some, moderate, good, extensive, so 17 percent respondents are those who said they are having little knowledge regards the

investment, 30 percent respondents are those who are having some knowledge and this is most response given by the respondents, 25 percent respondents are those who are having moderate knowledge regards the investment, 15 and 13 percent respondents separately are those who are having good and extensive knowledge regards the investment.

5. Investment objectives of women respondents

Investment objectives of women respondents

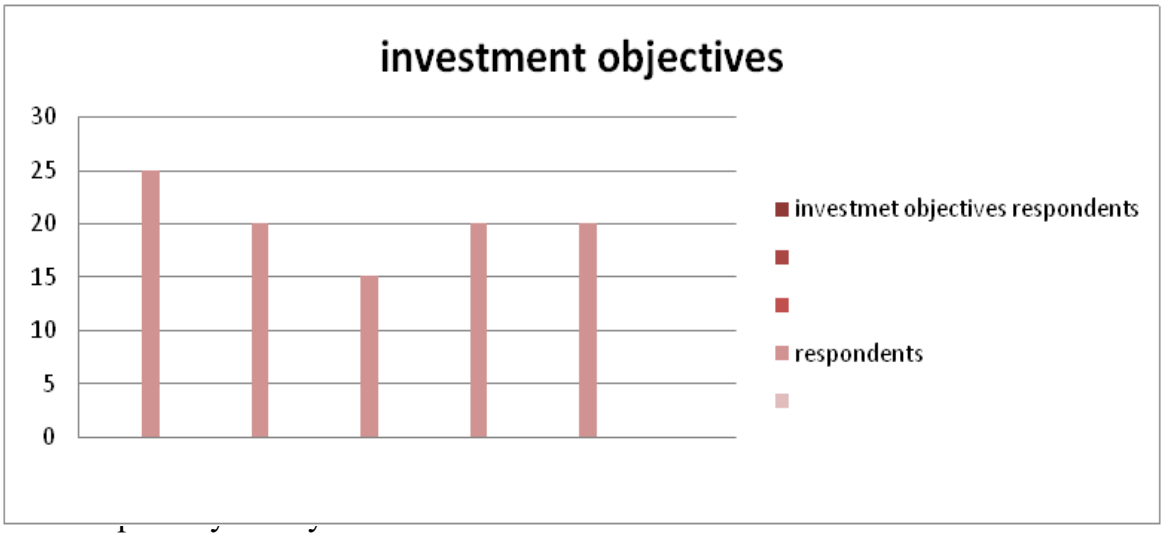

Interpretation

The above table shows the distribution of different objectives of the investment as follows 25 percent respondents are those who showing their objective over investment as earn regular, 20 respondents are those who said they believe in achieve investment goal, 15 percent respondents are those who said they follow safety of capital on their investment, earn capital gain and multiple objectives these are the different two objectives of the investment and respondents showing their interest same on it 20 percent and 20 percent respondents respectively.

6. Occupation of the women respondents

Occupation of the women respondents

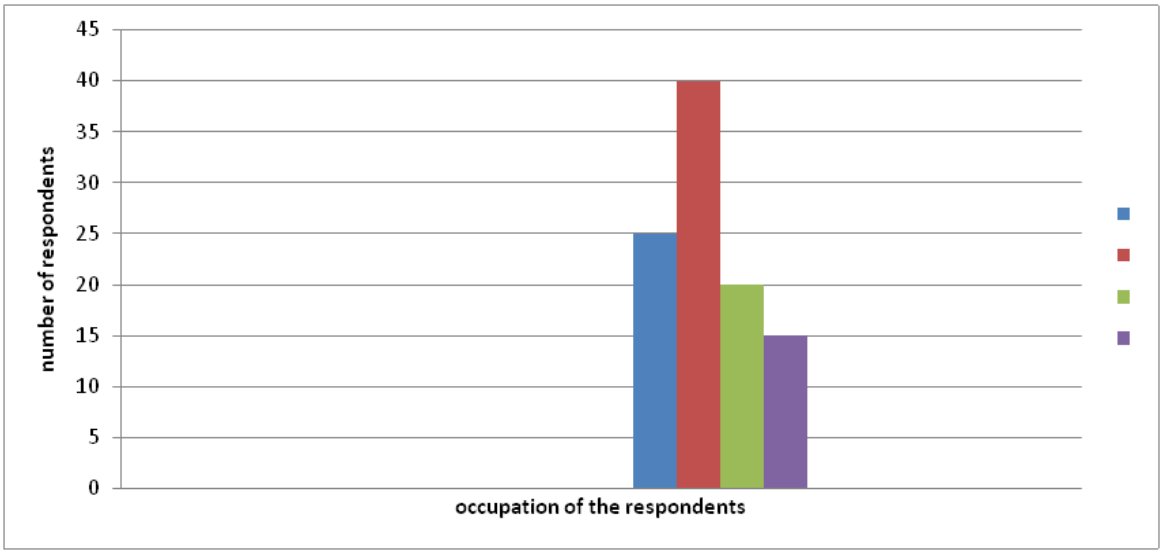

Source: primary survey

Interpretation

The above table shows the occupation of the respondents, 25 percent respondents are those who are professional, 40 percent respondents are those who are employ, 20 respondents are those who are having self business, 15 percent respondents are those who are housewives.

S

Findings

Here are the findings which researcher investigated after the survey of the district Anantnag Jammu and Kashmir,

1. Preference of investment most of the women investor are prefer to invest their funds on gold and followed by real estates, because as they presume these investment alternatives are low in risk and good in return even waiting for the best return from

the invested real estate.

2. In district Anantnag most of the women are employing and their income level is good as compared to the other women investors i.e. why they prefer more savings in invest other than the other women so here researcher has investigated that working women can afford funds to invest apart from other.

3. The above objective on investable indicates that most of the investors prefer to invest on those investments which give them regular income no doubt investors having some other aims behind e g. Need, necessary etc. they invest their funds to fulfill his aims, so it needs proper investment with proper monitoring for suitable selected investment alternatives.

4. Level of knowledge is also one of the factor which gives influence to the investors, towards the investment alternatives the researcher has investigated that majority of the investor having some knowledge regards the investment and their return, because return is the source for which investor waits for even long ago.

Suggestions

1. The first and most important suggestion is that investor should monitor the avenue or alternative before investing on it, because it decide the level of risk and level of return from the alternate

2. Source of information is also become the impact factor for the investor either from the friends, newspapers, or magazines etc. analyze the information provided by the friend as he is having experience regards the investment.

3. Awareness programs must be conducted by the companies, government etc for sharing the awareness among investors for their betterment for upcoming future as well.

Conclusion

The conclusion of this paper is based on the findings of the paper as we have seen most of the women are interested on safe and secure based and less risky based investments and this is basic factor which attracts them towards the alternatives and it should be then they will invest their savings, regarding the income factor as we seen this also impacts accordingly higher the income and the it will give higher freedom of investing the investable amount rest of the income, preference and source of information is also based on the regional area of the investor if she is accessing the proper information about the investment alternatives then they can be become successful I investment as they are full aware about the day to day changes in rates etc so for fulfilling this paper we use questionnaire for the responses recording and give them shape in the form of tabulation.

REFRENCES

Yogender Gour(2013) Retail investor's behavior towards securities: a case study of rohtak city Asian journal of business and economics volume 3, no.3.1 quarter i 2013 issn: 2231-3691 research scholar, department of commerce, m.d. university, rohtak, India.

Hussain A. and Al Tamimi, (2003). "Factors influencing individual behavior: An Empirical study of the UAE Financial Market", (2003).

Rajakumar, J. Dennis, (2008). Studies of corporate financing and investment behavior in India: A survey. The ICFAI University Journal of Applied Finance, 14(12), 5-29.

Ranganathan K. (2006). A Study of Fund Selection Behavior of Individual Investors towards Mutual Funds: With Reference To Mumbai City. ICFAI Journal of Behavioral Finance, 3(2), 63-88.

Sushant Nagpal and B.S.Bodla(2009), impact of investors' lifestyle on their investment pattern : An empirical study. The icfai university journal of Behavioral Finance, vol VI, No.2.

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

''जहॉक़दर चुग़ताई के बच्चों की नज़में''

डॉ. कु. मुबश्शिरह अरह अंसारी
अध्यापक

यळतसलीम शुदा बात है कि किसी भी अदब में बच्चों के लिए अच्छी बातें और अच्छी चीज़े लिखना बहुत दुश्वार काम समझा जाता है बड़े से बड़ा अदीब बहुत बड़ा मुक़ाम पाने के बाद शायद यह पसंद नहीं करता कि वह जिन्दगी के तुर्जबात को एक तरफ करके बच्चा बन जाए और बच्चों के लिए अदब तखलीफ़ करें।

इंग्लिश और दूसरे मुलकों की ज़बान में जैसा रूस, जर्मन, चीन और जापान की जबानो में बच्चों के लिए जो कुछ लिखा गया है वह अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है और आज भी बच्चों के लिए नई कहानियां और नज़में लिखी जा रही हैं। मगर मालूम नहीं क्यों हिन्दुस्तान और खासतौर पर उर्दू जबान में दुनिया के दूसरे मुमालिक जैसी बात नहीं – ऐसा की नही कि उर्दू में बच्चों के लिए कुछ बहुत अच्दा लिखा गया – बहुत अच्छे लिखने वाले उर्दू को मिले और आज भी यह काम जारी व सारी है – मगर जो बात में कहना चाहती हूँ वह यह है कि हम बच्चों के लिटरेचर को दूसरी ज़बानों इतनी एहिमियत नही देते इसलिए बच्चों के लिए कुछ लिखने में दूसरे मुमालिक की ज़बानो से पीछे रहे हों – उर्दू के शायरों ने माज़ी में भी बहुत कुछ लिखा और आज कल भी लिया जा रहा है – जो बहुत अच्छा है लेकिन वह नाकाफ़ी है।

जहॉक़दर चुग़ताई ने जो थोड़ा बहुत बच्चों के लिए लिखा उसकी वजह यह भी हो सकती है कि उनका ताआल्लुक स्कूलों में बच्चों से भी रहा है – लेकिन जितना कम उनके यहां मिलता है वह उनको बच्चों का शायर तो नहीं बनाता लेकिन यह जरूरी है कि वह बच्चों की नफ़सियात और बच्चों के मिज़ाज़ और पसंद का पूरा तजूर्बा रखने वाले उस्ताद कहे जा सकते है। मसलन बच्चों की नज़म में उनके यह अशआर –

घंटी बजती टन टन टन
काम किए जा एक ना सुन
झूठा बुरा है झूठ ना बोलो
लेहले तोलो फिर मुझ खोलो
प्यार की बातें सच्चे मोती

रोल सको तो मोती रोलो
सबसे अच्छी अच्छे है यह गुन
घंटी बजती टन टन टन

नमूने के लिए नजम के कुछ हिस्से यहां दर्ज किए जाते हैं। जैसे –

''अज़रा की गुड़िया''

मुसीबत का घर है यह आफत की पुड़िया
सब ही इसको कहते है अजरा की गुड़िया
मुझे अपनी गुड़िया से बेहद मोहब्बत
जिसे इस से नफरत मुझे उससे नफरत
बहुत खूबसूरत है बेहद हसीन है
कोई इससे बढ़कर जहां में नहीं है
बनाया है मुझको इसी ने तो शातिर
मैं गुड़िया की अपनी रचाऊंगी शादी
बुलाऊंगी मेहमान आएगा काजी
मेरी भोली भाली दुलहया बनेगी
बड़े शर्म से वह लजा कर चलेगी
जब उठेगी डोली मैं गांऊगी डोला
वही के भरा ताक गुड़ियों का छोड़ा
चलेगी मेरे घर से लेकर सूहेंरी
बनाऊंगी इग्लिंश डिज़ाइन का ज़ेवर
के हेरत में रह जाएंगी जेठ देवर
पकेगा, पुलाऊ, मुजाफ़िर, मुतनजन
बड़े शौक से जिसको खाएंगी समधन

इसके अलावा बच्चों के लिए कही गई उनकी नज़में वतन, लाल बुझक्कड़ बग़ैरा इनकी बच्चों की नज़मों में खास अहमियत की हासिल है।

जहॉक़दर चुग़ताई ने गज़ल गोई कब शुरू की इस जमाने का पता तो नहीं चलता लेकिन इसमे शुबाह नहीं कि उन्होंने 1946 में भोपाल आने के बाद गज़ल गोइ पर तवजह दी और मुशायरों में शिरकत करना शुरू कर दिया।

मुशायरो में शिरकत के लिए नागपूर, खंडवा, भुसावल और मुखतलिक शहरों में गए, लेकिन बाद में उन्होंने मुशायरो में ग़ज़ल पढ़ना छोड़ दिया और मुशायरों में निज़ामत करने लगे।

चुनाचे एक बार भोपाल में हज़रत नियाज़ फतेहपुरी ने पहला तारीखी आल इंडिया तरही मुशायरा मुनअक़िद किया जिसमें हिस्दुस्तान के बहुत से मशहूर शुआरा शरीक हुए थे इस मुशायरे को जहॉकदर चुग़ताई ने ब्वदकनबज किया था और 1972 के फसाद के बाद एक आल इंडिया मुशायरा बी.एच.ई.एल. के ऑडिटोरियम ;।नकपजवतपनउद्ध में मुनअक़िद किया गया था। जिसमें जोश और फिराक एक साथ

शरीक हुए थे इस तारीखी मुशायरे को भी जहॉक़दर चुग़ताई ने ही ब्वदकनबज किया था।

यह सिलसिला एक दो साल जारी रहा लेकिन बाल आखिर उनके खानगानगी हालात ने इनको इससें भी बाज़ रखा।

ऐसा लगता है कि जहॉकदर चुग़ताई ने जो काम किया वह इतना किया और इस तरह किया कि वह खुद ही इस काम से उक्ताने से लगे – बहर हाल जो काम इख़तियार किया वह छोड़ा नहीं मुशायरे मे शिरकत तो छोड़ दी लेकिन ग़ज़ल कहना नही छोड़ा।

''सहेरा''

जहॉक़दर चुग़ताई ने अपने दोरे शायरी मे कुछ रसमी नज़मो मे भी तख़लीक़ की है। इन रसमी नज़मो मे भी अहबाब की फरमाईश पर बाज़ सहरे भी लिखे है उनके कल़म से लिखे हुए सहेरे तो हमे दसतियाब नही हो सके लेकिन उनके रिकार्ड से यह मालूम होगा कि उन्होंने रसमी तौर पर कुछ सहरे भी लिखे थे।

''डोली''

हिन्दुस्तान मे ख़्वाह वह कोई समाज हो लड़की का घर से ब्याह कर सुसराल जाना कितना ही खुशी का मौका क्यों ना हो, घर से दूर होते वक्त एक दर्द भरा मंजर पेश करता है। हिन्दी शायरी मे भी लड़की की शादी मे बिदाई के मौके पर गीत लिखे जाते रहे है। उर्दू शायरों ने भी डोलियॉ लिखी हैं। इनमें अमीर खूशरू भी है, मुज़तर खैर आबादी भी है और दूसरे असातिज़ां के अलावा फिल्मों मे भी यह डोली गीत बराबर लिखे जा रहे है। चुनाचे जहॉक़दर चुग़ताई ने भी ''डोली'' गीत लिखे लेकिन इस गीत की खुसूसियत यह है कि यह गीत खुद लड़की बिदा होते वक्त अपने जज़बात को पेश करती है नज़र आती है इस तरह यह पहला गीत हे जिसमे लड़की घर छोड़ते वक़्त अपने दिल की बात कहती है।

पिया घर चली हूॅ मैं बन के दुल्हनयॉ
लिये साथ मैं चॉद तारो की दुनियॉ
लगा मेरे माथे पे चॉदी का टीका
लगे जिसके आगे ये चॅदा भी फीका
कहे मुझसे सिन्दूर मैं हूॅ पिया की
ना पूछ के क्या हाल है मेरे जी का
पिया घर चली हूॅ, मैं बन के दुल्हनयॉ
लिये साथ में चॉद तारों की दुनियॉ
खड़ी है मेरे पास मेरी सहेली
बहुत जिसने बुझी हे मन की पहेली
मुझे यह खुशी, हो गई मैं पिया की
इसे दुख कि वह रह गई है अकेली
पिया घर चली हूॅ मैं बनके दुल्हनयॉ
लिये साथ मे चॉद तारों की दुनियॉ

सभी याद आती हैं बचपन की बातें
वह मासूम से दिन वह मासूम रातें
झगड़ना वह आपस में और भूल जाना
सजाना वह गुडियों की अपनी बारातें
पिया घर चली हूँ मैं बनके दुल्हनयॉ
लिये साथ मैं चॉद तारों की दुनियॉ
मैं ऑगन की तुलसी में घर का उजाला
मुझें कितने लोगों ने गोदों मे पाला
अजब रीत उन सब ने मिलकर है डाली
सजा के मुहब्बत को घर से निकाला
पिया घर चली हूँ, मैं बनके दुल्हनयॉ
लिये साथ में चॉद तारों की दुनियॉ
मेरे मन में दुख और सुख का मिलन है
बहुत खुबसूरत यह जग का चलन है
यह बात आज आई है मेरी समझ में
ब्याह है जो बेटी, वह होती है दुल्हन
पिया घर चली हूँ, मैं बनके दुल्हनयॉ
लिये साथ मैं चॉद तारों की दुनियॉ

महमुदूल हुसैनी साहब अपनी किताब ''शख़सियात'' मे जहॉक़दर चुग़ताई की शायरी के बारे मे लिखते है कि –

''चुग़ताई मे शायरी के जरासीम भी काफी है इसकी ग़ज़लो मे वह कभी तवानाई और सहतमंदी होती है जो एक मेयारी ग़ज़ल की खुसूसियात होती हैं एक तो अपनी ला उबाली तबियत दूसरे भोपाल के ज़हर आलद शायरी माहौल की वजह से उसने खुद को दीदाह व दानिस्तान इस कुचे से अलेहरा रखा हे नज़मे भी खासी कहता है कराफ्यू और नहर स्वीज़ पर कही गई नज़मे अपने उस्लूद और मवाह दोनों लिहाज़ से चौका देने वाली है। चुग़ताई अगर मुखतलिक शोबों में सलाहियतें सर्फ करने के बजाए सिर्फ तन्ज़व मिज़ाह की तरफ तवज़ह दे तो वह मुलक का साहेबे तर्ज़ तंज़ निगार हो सकता है। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वह मेरा दोस्त है बल्कि यह तक़ाज़ा–ए–कलीम का नहीं कलाम का है।

मुझे इस बात का एतराज है कि यह खाका इतना मुकम्मल नहीं हो सका जितना की चुग़ताई की रंगारंग शखसियत मुताकाज़ी थी इके लिए मैं चुग़ताई और उसके मादाहों से माआजरत ख्वाह हूँ।''

ज्हॉक़दर चुग़ताई ने हजारों तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन लिखने और पढ़ने वालों को हॅसने और मुस्कुराने पर मज़बूर किया लेकिन ग़ज़ल के अशआर में वह बहुत मुख़तलिफ नज़र आते है उन्होंने शायरी की हर सिन्फ में तबा आज़माई की है लेकिन ग़ज़ल के अशआर में जहॉक़दर चुग़ताई का छुपा हुआ दर्द

और जिन्दगी के फर्क का पता चल जाता है, जिसकी उनके माज़ाहिया मज़ामीन में हवा तक नहीं लगती यहां चन्द मुनतखिब अशआर उनकी ग़ज़लया के दर्ज किए जाते है।

जिन्दगी जैसे कि तोहमत थी हमारे सर पर
जैसे दुनिया में यह इल्ज़ाम उठाने आए
कैसी गुज़री जिन्दगानी क्या कहें
पकड़ा कैसे मुठ्ठी में पानी क्या कहें
शबे फिराक़ है आंसू बहाते डरता हूँ
ना भड़के आग कहीं और भी बुझाने से
दिल जो बहेल तो किस तरह बहेल
खत ही सारे जला दिए उनके
होश दामन का रहा और ना गिरे बाएं की खबर
ले के जाते हैं कहां देखिए हालात मुझे
सारी दुनिया को नज़र आ नही सकती हरगिज़
तुम में आती है नज़र ऐसी भी एक बात मुझे
उमंगों के जवां दिन और हसीन रातें तुम्हें दुंगा
मैं उन भीगी हुई आंखों की बरसातें तुम्हें दुंगा
क़मर ना पुछ, उन बे बसों की मजदूरी
वतन परसत करें जब खियाल तरके वतन
कोई गुज़रा है लुटा कर यह सितारे राह में
जिसको अब तक हम गुबारे कहकशां समझा किए
अल्लाह के बन्दों पर आया ना तरस इनको
बस देख लिया हमने इन शेख व ब्रहाम्ण को
कोई भुला हुआ आता है मुसाफिर जैसे
इस तरह दिन में मेरे याद तेरी आई
चमन अपना ना गुल है ना बागबां अपना
सलामत किस तरह से रह सकेगा आशया अपना
फिज़ा में गुंजती फिरती है बुलबुलों की फूग़ॉ
फरेब दो ना मुझे यह मेरी बहार नहीं
दिल ने आखरी हद तक संभाला था मुझे
हाय लेकिन ऑसूओं ने आके रूसवा कर दिया
ना देखे होंगे किसी ने अब तक हवा में उड़ते शराबखाने
बनी है साक़ी गठिया काली बगैर मॉग मिला रही है
ना पहले कोई शिकवा था ना उनको कोई शिकायत है
मुझे तुम से मोहब्बत थी मुझे तुम से मोहब्बत है
जलाए जाते है या जल रहे है परवाने
सुतम ज़रीफ़ ज़माना यह बात क्या जाने

हमने इनको सिर्फ चाहा था मगर
जाने क्या इस बात को समझा गया
दिन में एक ठेस उठी ऑसू आए
भूल के जो मेरे होठो पर तेरा नाम आए
है इन्तेज़ार का आलम हैं दागे़ दिल रोशन
च्ले भी आओ अभी तो चिराग़ जलते हैं
उदास चेहरा परेशॉ नज़र जबीं पे सुकून
किस अहतेमाम से होते हैं मुझसे वह बदज़न
ये इन्तेजार की घड़ियॉ यह जब्त का आलम
घुटी घुटी सी यह आहें दबीं दबीं धड़कन
गमें हयात मुझे फूरसते निशात ना दे
जो हो सके तो बद़हादे ज़रा मेरी उलझन

जहॉक़दर चुग़ताई की अब एक ऐसी ग़ज़ल पेश की जा रही है जिसे हम ग़ज़ल–ए–मुसलसल का नाम दे सकते हैं–क्योंकि इस ग़ज़ल के महबूब का जुल्फ के ताआहल्क से तसलसूल के साथ जहफ बिसरते के मनाज़िर व ताआस्सूरात पेश किए गए हैं। शायद इसलिए ही क़मर साहब ने इस ग़जल को नज़म की हैसियत देकर एक उनवान में मुकीद कर दिया है।

''जुल्फ बिखरी''
गम का बादल फिर जो दिल
क्या वही दिवाना मौसम, आ गया
फिर हवा में उड़ रही हैं खुशबुऍं
उनसे मिलने का जमाना आ गया
हमने उनको सिर्फ चाहा था मगर
जाने क्या इस बात को समझा गया
होश है इतना कि देखा था उन्हें
फिर तो हमको होश में देखा ना गया
जुल्फ़ बिखरी और चेहरी पे पड़ी
चौदवी की चॉद का गहना गया

ग़ज़लयात के अलावा जहॉक़दर चुग़ताई ने क़तआत, रूबाईयात, सेहरे और डोली और दोहे भी कहे और भजन भी लिखे हैं।

ऊॅच और नीच का चक्कर डाल खो दी अपनी शान।
सारे इन्सान एक बराबर बस एक बड़ू भगवान।
यह डोर क्या है एक सारंगी सॉस की जिसमें तारे
ज्ब भी टूटे तार से नाता सारंगी बेकार
ऑख पड़े और दिल को खेंचे वह है असली रूप
फूल खिलांए इस धरती पर प्यार की ठंडी धूप

''भजन''
नहीं प्यास बुझती दो अखियन की
रही प्यास सदा तोरे दर्शन की
काशी देखी मथुरा देखा
दर दर जाके माथा टेका
धूल बने उन गुल वन की
न्हीं प्यास बुझी दो ऑखयन की।
उतर घाट में देख ना पाये
मन मंदिर में राम समाये
बात यही है बस उलझन की
नहीं प्यास बुझी दो अखियन की
भगत बने भगवान बने है,
हमने यह सब नाम रचे हैं
रीत बनी विधि पूजन की
नहीं प्यास बुझी दो अखियन की

भजन लिखने में हिन्दी और उर्दू के शायरो ने कुछ नामज़द भजन भी लिखे हैं। उर्दू के शायरों में चकबस्त जैसे मुताअददिद शुआरा के यहॉ ऐसे नामज़द भजन मिलते हैं मसलन राम कृष्ण और इसी किस्म के दूसरे हिन्दी अवतारों पर मुस्लिम, शायर का भजन लिखना कुछ ज्यादा आम नहीं है फिर भी जहॉक़दर चुग़ताई ने कृष्ण जी का भजन लिखकर अपनी कौमी यग़ानियत का ज़ज़्बे को ज़ाहिर कर दिया है।

संदर्भ ग्रंथ –

खय्याम की महफिल – जहॉक़दर चुग़ताई
शखसियात – सय्यद मेहमूदूल्हुसैनी
नदीम – रोजनामा
शगूफा – हैदराबाद
नकशेकल़म – जहॉक़दर चुग़ताई

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

Research papers on gender bias discuss the phrase that often refers to the unequal treatment of female employees in the workplace.

Dr. ShwetaShukla
Associate professor
Maharanapratap college of management,
Bhopal (mp)

ABSTRACT- This study related to the Gender biasand it is a phrase that is often thrown around, but what is it? Gender is a form of sexism that most often refers to the unequal treatment female employees in the workplace. This bias includes unequal promotion opportunities, pay increases, and access to benefits and privileges.Additionally, it has been observed to extend to the expectations and attitudes of management or other employees based purely on the gender of a specific employee or group of employees. Again, this more often affects women in the workplace, but might also extend to both genders depending on which makes up the dominant majority in a company or specific department. When this type of bias can be identified to persist on a systematic level it can form the basis for an anti-discrimination lawsuit under existing statutes.

1-INTRODUCTION- Gender bias is also known to persist in academia. This happens under several scenarios. First, occurs when teachers treat one gender differently than another and assume certain expectations based on the sex of the students. This includes applying culturally "masculine" standards to the males and "feminine" standards to the females. It is also known to happen in scholarly research. This continues to be a field dominated by males who often make the mistake of reducing their research notes and papers to a level that is loaded with gender biases regarding the results they found. More equal representation of females in academia will undoubtedly help to ameliorate this situation.

Gender equality is a hot issue. And in a profession such as IT, where an over number

of workers are male, it's easy to overlook gender biases. When these biases occur, the workplace can become tense and lawsuits can follow. But lawsuits aside, one must remember this: Gender bias is a form of prejudice and discrimination and it has no place in business. With that said, when you're a part of a mostly male-dominated profession, how do you spot those biases so they can be addressed? Although it shouldn't be too much of a challenge, it's surprising how often these things go unnoticed.

Let's take a look at 10 kinds of gender bias you might encounter in the workplace and what you can do to prevent them. These occurrences range from the simple to the complex, and with the complex, you may not find the solution here. But getting the dialog started is often half the battle.

1: Unequal pay-This one is obvious, but it's a challenge to solve. Why? Because the issue of pay equity between genders goes all the way up the flagpole to the United States government. In fact, this is often a hot button issue during political debates. The good news is you don't have to be a part of the issue. If you hire engineers and/or administrators, make sure you base their pay not on gender, but on performance and experience. The moment you allow gender to play a part in pay, you become part of the problem.

2: Interview questions- This is a subtle one. Ask yourself one simple question: Do you interview men and women differently? Do you ask women questions like "Do you have children?" or "Do you plan on having children?" Both of those inquiries have zero business in an interview. Questions about family and family life should be out of boundsand in some cases, they're illegal. Whether a woman has or plans to have children does not affect her skills any more than it does a man's. Once hired, if the issue of childbirth comes up, deal with it in the moment. Do not predicate the hiring or firing of potential employees on the idea that they may require maternity leave.

3: Diminished responsibilities- When you're unloading boxes of servers from a truck, if a woman wants to help, let her. Don't offhandedly say, "We got this sweetens." You might be surprised to discover that some of the women in your department can dead lift more than the men. This is the kind of subtle gender bias that

shows employees that inequality is accepted. The same holds true with standard positional responsibilities. If you have two equally qualified administrators, one male and one female, give them equal responsibilities. Period.

4: Restrooms- This one, I have found, is usually far less than subtle. I've worked in a couple of IT-related gigs where it is clear that the majority of employees are men. To find this out, all you have to do is step foot in the restroom. I actually worked in a place where the bathrooms were so disgusting; I'd walk down the block to use another company's facilities. First and foremost, do not let your restroom reach this state. Second, if you do... do not expect the women to clean them! The female admins and engineers are not your maids or your mothers.

5: Conversations- Consider how you converse with your employees. Do you speak differently to the men and the women? If you're unsure, the next time you are addressing the entire staff take noteor record yourself. Then, the next time you speak with a female staff member compare how you speak to her versus how you addressed the entire team. What is different (if anything)? If you find that your style differs between conversations with men and with women, make adjustments. This doesn't necessarily mean you should start speaking to everyone as if you are speaking to a man. But if you find your style of conversation is really suited only for male company that is what you need to address. While in the workplace, adopt a gender-neutral style of conversation.

6: Glass ceilings-Can your male and female employees climb equally high on the ladder of opportunity? If not, why? What makes a male or female better qualified to climb higher in your company? If there is no justifiable reason for this (and there probably isn't), remove that glass ceiling. Each employee, regardless of gender, should have the same opportunity. All things being equal, men and women should be able to reach as high as possible, given their skills and performance.

7: Positional bias-What makes a woman better suited to be a secretary or receptionist? Why shouldn't a man fill that position? Why shouldn't a woman serve as your first line of security? This type of gender bias is rampant in all types of businesses. Don't fall into the stereotype nightmare; otherwise, you might miss out on hiring the best-suited applicant for the job. If you get a male and female applying

for the same positionbe it secretary or securityhire based on who you believe can perform best based on skills and past experience, not gender. Be open to men working in roles traditionally filled by women and women placed in positions typically held by men.

8: Terminations-What are your reasons for terminating an employee? Have you ever fired a female employee for asking to be treated equally? Have you ever NOT fired a male employee who was involved in sexual harassment? The termination of employees needs to be handled without bias. If you fire XX for A, you'd better be sure that XY would be fired for A as well. Rules and policies should apply for both gendersacross the board.

9: Outdated views-Let's face it. Society has changed a great deal over the last decade. If you're still holding onto views that were popular in the nineties (or earlier), you are way behind. Consider this: I was once associated with a company that required women to wear dresses and pantyhose. The men? There was no dress codeit was assumed they would all wear khakis and button down shirts. The notion that women should adhere to some outdated fashion standardand similar kinds of obsolete thinkingshould be eradicated from the workplace. Women can be professional without dresses and hose just as men can be professional without a tie.

10: Sexual harassment-I would be remiss if I did not mention sexual harassment with regard to gender bias. It amazes me that this type of behavior still occurs in the workplace. There is a reason why companies have had to implement policies regarding sexual harassment. And because IT is such a male-dominant profession, harassment is often either overlooked or not even perceived. This is the danger zone of gender bias. Not only can it cause serious issues with your staff, it can come back to haunt your company legally and in the court of public opinion. There are no circumstances where sexual harassment should be permitted. None.

2-REVIEW OF LITERATURE-

Huffman and Velasco, 1997; Reilly and Wirjanto, 1999)

Gender inequalities can be inherent in the structure of an organization when there are gender segregated departments, job ladders, and networks, which are intimately tied to gender discrimination in HR practices. For instance, if HR policies

are designed such that pay is determined based on comparisons between individuals only within a department (e.g., department-wide reporting structure, job descriptions, performance evaluations), then this can lead to a devaluation of departments dominated by women. The overrepresentation of women in certain jobs leads to the lower status of those jobs; consequently, the pay brackets for these jobs decrease over time as the number of women in these jobs increase.

Ostroff and Atwater, 2003. -

Similarly, networks led by women are also devalued for pay. For example, in a study of over 2,000 managers, after controlling for performance, the type of job, and the functional area (e.g., marketing, sales, accounting), those who worked with female mangers had lower wages than those who worked with male managers

Thus, gender inequalities in an organization's structure in terms of gender segregation have reciprocal effects with gender discrimination in HR policy and decision-making.

3-RESEARCH METHODOLOGY

Sample size- 100 respondents

Sample technique- questionnaires and interviews

Research Method- percentage based analysis will be use for the research.

OBJECTIVES OF THIS STUDY

1) To know the difference between male and female employee into an organisation.
2) To know the gender bias difficulties in an organisation.

HYPOTHESIS

1) There are gender bias related difficulties in anorganisation

DATA COLLECTION

Most of the information collected by administrating awell structured questionnaires based on two point liker, with the following meaning, which was explined to the

Respondents before filling the questionnaire:

1) Agree
2) Disagree

4-DATA ANALYSIS
Demographic data
1 GENDER DISTRIBUTION

GENDER	FREQUENCY	PERCENTAGE
MALE	56	56
FEMALE	44	44
TOTAL	100	100

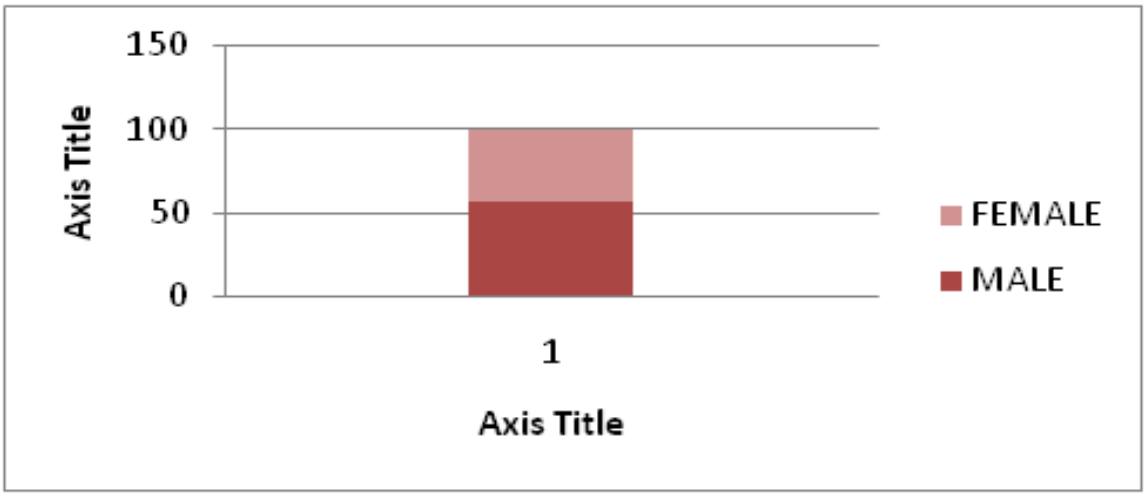

From the population size of 100,there are 56% male and 44% female

H0- There are no gender bias related difficulties in an organisation
H1- There are gender bias related difficulties in an organisation

TABLE 2

S.no.	Questions	Agree	Disagree	Total
Q 1	Do you interview men and women differently? Do you ask women questions like "Do you have children" or "Do you plan on having children?"	89	11	100
Q 2	Are you agree that a woman better suited to be a secretary or receptionist? Why shouldn't a man fill that position? It gender bias	80	20	100
Q 3	Why required women to wear dresses and sarees etc. Not to the men? There was no dress code	56	44	100

Interpretation-

First question define that 89 % respondents are agree that when women attend a interview at a time she suffer the gender bias questions like you have children or not but men are not and 11% are not agree

Second question was the female are better suited for the secretary or receptionist and 80% respondents are agree and 20 percent not agree

Third question was 56% agree that women have dress code but men are not but 44% are not agree

Conclusion- overall all I study the theory and try to make a study by asking questionnaires all the respondents are indicated that companies or institutes are have the gender bias means they have the different rules and regulations for the different gender and according to me the gender bias make the demoralized thinking less motivation and so many different psychological problems related to the job and also affected to the workplace means the organization related work can't run in a fluency

Suggestions- into the workplace there shouldn't have and bias like gender bias or another type of bias that can intrupt the work and make a unhealthy environment.

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

भारत में सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का विश्लेषण

डॉ. मीना कीर
सहा.प्राध्यापक(वाणिज्य)
शा.नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)

डॉ.दिनेश श्रीवास्तव
वाणिज्य विभाग
शा.नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)

भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी बैंक और अन्य दूसरी वित्तीय सुविधाओं से वंचित है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार देश के 6 लाख गांवों में से केवल तीस हजार गांवों में बैंक की शाखाएं हैं। देश के केवल 40 प्रतिशत लोगों के बैंकों में खाते हैं और लगभग 75 प्रतिशत किसान परिवारों को संगठित वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता है। केवल 2 प्रतिशत लोगों के पास बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं। इस परिस्थिति में लोगों को अपनी छोटीमोटी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये साहूकारों के पास जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

भारत में 70000 बैंक शाखाएं होने के बावजूद देश के 94 प्रतिशत गांवों में एक भी बैंक शाखा नहीं है। इन गांवों का निर्धन वर्ग आज भी ऋण के लिये स्थानीय साहूकारों पर ही निर्भर है। इस वर्ग को बचत, ऋण तथा बीमा से सम्बंधित विभिन्न वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो सकें, इस हेतु सूक्ष्म वित्त की आवश्यकता का अनुभव किया गया। इस वर्ग को सूक्ष्म वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु विभिन्न सूक्ष्म वित्त संस्थाएं भी अस्तित्व में आईं। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस ने सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक की विचारधारा को प्रस्तुत किया था जिसे आधार बनाकर भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का प्रतिपादन किया। भारत में सूक्ष्म वित्त की अवधारणा दो मॉडल्स पर आधारित है –

1. स्वयं सहायता समूह– बैंक सम्पर्क कार्यक्रम
2. सूक्ष्म वित्त संस्थान

1.स्वयं सहायता समूह– बैंक सम्पर्क कार्यक्रम –

भारत में वर्ष 1992 में नाबार्ड ने बंगलौर स्थित मायराडा संस्था के साथ मिलकर एक पायलट परियोजना के रूप में एक स्वयं सहायता समूह की स्थापना की। यह भारत का प्रथम स्वयं सहायता समूह था जिसका उद्देश्य निर्धनों को सरल शर्तों पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना था। शुरूआती दौर में इस

परियोजना को भरपूर सफलता प्राप्त हुई जिससे प्रेरित होकर ''स्वयं सहायता समूह– बैंक सम्पर्क कार्यक्रम'' बड़े पैमाने पर प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की परिकल्पना एक ऐसे बैंक के रूप में की गई जो अपने सदस्यों की बचत तथा ऋण सम्बंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि बैंक तथा ग्राहक दोनों की लेन–देन की लागत बहुत कम हो गई।

वर्तमान में देश में लगभग 25 लाख स्वयं सहायता समूह हैं जिनसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 3 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं। नाबार्ड से प्रोत्साहन पाने के पश्चात् से सभी स्वयं सहायता समूह वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा जिला सहकारी बैंकों से जुड़ गए हैं और इन्हीं के माध्यम से इन्हें सूक्ष्म वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। इन स्वयं सहायता समूह में से 90 प्रतिशत से भी अधिक समूह ऐसे बैंकों से जुड़े हैं जो केवल महिला समूहों को ही वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

2.सूक्ष्म वित्त संस्थान –

देश का प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान ''बेसिक्स'' है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा समूहों या व्यक्तियों को सूक्ष्म ऋण प्रदान किये जाते हैं। समूहों में स्वयं सहायता समूह, साख संघ, संयुक्त देनदारी आदि शामिल हैं। सूक्ष्म वित्त संस्थानों ने परम्परागत बैंकिंग व्यवस्था से वंचित ग्राहकों को वित्तीय सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। सूक्ष्म वित्त संस्थान आवश्यकतानुसार 75 से 80 प्रतिशत रकम बैंकों से उधार लेते हैं, 15 प्रतिशत रकम इक्विटी से तथा शेष 10 प्रतिशत रकम नकद प्रतिभूति आदि से प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म वित्त संस्थानों का उद्देश्य मांग की कुशलतापूर्वक पूर्ति करना तथा ग्राहकों को सरलता से समझ में आने वाली वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है।

सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि निर्धन वर्ग को सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के माध्यम से बचत, ऋण और बीमा से सम्बंधित विभिन्न वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता ही सूक्ष्म वित्त है। भारत में सूक्ष्म वित्त की व्यवस्था भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से की जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में समय पर ग्रामीण साख उपलब्ध हो जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु व सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, छोटे जमाकर्ताओं तथा छोटे व्यापार तथा उत्पादन कार्य में संलग्न लोगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। सहकारी बैंक निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों में बैंकिंग आदत डालने तथा ग्रामीण ऋण वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।

सूक्ष्म वित्त का क्षेत्र –

सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में ऐसे प्रयासों को शामिल किया जा सकता है जिससे निर्धन वर्ग को अधिकाधिक

वित्तीय सुविधाएं प्राप्त हो सकें और वर्तमान में जो वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हैं उनकी गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके।

निर्धन वर्ग की सहायता करने हेतु बनाए गए एक सलाहकार दल ने वर्ष 2004 में सूक्ष्म वित्त से सम्बंधित कुछ ऐसे सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जो पिछले 150 वर्षों में इस हेतु अपनाई गई विकास प्रक्रिया पर आधारित थे और जिनका 10 जून 2004 को जी–8 शिखर सम्मेलन में कई देशों ने समर्थन भी किया था। इन सिद्धांतों में निम्न शामिल हैं –

1. निर्धन वर्ग को ऋण के अतिरिक्त बचत, बीमा और धन अंतरण हेतु भी वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है।
2. सूक्ष्म वित्त निर्धन वर्ग के लिये आय उत्पन्न करने, सम्पत्ति का उत्सर्जन करने, आकस्मिकताओं को वहन करने अथवा घरेलू उपयोग हेतु सहायक होना चाहिये।
3. दानदाताओं और सरकार से मिलने वाली सहायता राशि कभीकभार ही प्राप्त होती है और ऐसी आय का कोई निश्चित आश्वासन भी नहीं होता और इसीलिये यदि अधिक संख्या में निर्धन वर्ग की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी है तो सूक्ष्म वित्त को अपनी भरपाई स्वयं करना चाहिये।
4. सूक्ष्म वित्त की उपलब्धता अर्थात् स्थानीय स्तर पर स्थाई सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का निर्माण, जिसके लिये गैर–सरकारी संगठनों को अभिप्रेरित किया जाना चाहिये।
5. सूक्ष्म वित्त का उद्देश्य निर्धन वर्ग की वित्तीय आवश्यकताओं को देश की वित्तीय प्रणाली की मुख्य धारा से जोड़ना होना चाहिये।
6. सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में सरकार का कर्तव्य वित्तीय सेवाओं को सुसाध्य बनाना होना चाहिये न कि वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति करना।
7. सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में दानदाताओं की पूँजी साहूकारों द्वारा उपलब्ध कराई निजी पूँजी का विकल्प होना चाहिये न कि उसकी प्रतिस्पर्धात्मक।
8. सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा सुदृढ़ संस्थाओं और प्रबंधकों की कमी है, जिसके लिये दानदाताओं की क्षमता बढ़ाये जाने पर विचार किया जाना चाहिये।
9. निजी साहूकारों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सूक्ष्म वित्त की ब्याज दरें अधिकतम होने के कारण निर्धन वर्ग त्रस्त हो जाता हैं और ऋण लेने के प्रति उदासीन हो जाता हैं, जिससे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋणों की लागत की भरपाई नहीं हो पाती, परिणामस्वरूप धीरे–धीरे ऋण की आपूर्ति बंद हो जाती है।
10. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का दायित्व वित्तीय और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं का मापन तथा निष्पादन होना चाहिये।

सूक्ष्म वित्त की विशेषताएं –

1. इसके अंतर्गत दिये जाने वाले ऋण छोटी राशि के रूप में होते हैं।
2. ऋण देने का मूल उद्देश्य मुख्य रूप से आय सृजन से जुड़ा होता हैं।
3. इस प्रकार के ऋण कम आय वर्ग के लोगों को प्रदान किये जाते हैं।
4. यह ऋण लघु अवधि के होते हैं।
5. उच्च स्तर पर इन ऋणों की पुनः चुकौती होती है।
6. बिना किसी समानांतर व्यवस्था के इसमें ऋण प्रदान किया जाता है।
7. इस व्यवस्था में ऋण वसूली की दर 95 प्रतिशत से भी अधिक है।

उपसंहार –

वित्तीय समावेशन के साथ भारत का प्रंमुख नीतिगत उद्देश्य विकासपरक कार्यों के रूप में निर्धारित हुआ है। वर्तमान में सूक्ष्म वित्त की सुविधा बैंक रहित क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के लिये वित्तीय सेवाओं के विस्तार के साथ एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आई है। पारम्परिक ऋण देने वाले विभिन्न उधारदाता जो ऋण देने में अपनी मनमानी करते थे, अब समाज के विभिन्न वर्गों को कानून के प्रावधानों के अधीन ऋण देने में रूचि रखने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत निम्न आय वर्ग की वित्तीय आश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का स्वरूप अब विकसित होने लगा है और ग्रामीण परिवेश में इसकी उपयोगिता भी सिद्ध होने लगी है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या न केवल इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाओं को दृष्टिगोचर कर रही है बल्कि निर्धन वर्ग को रोजगार के अवसर देकर देश के आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है।

सन्दर्भ

1. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्र एस.के. एवं पुरी वी.के. हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, 2010
2. भारतीय अर्थव्यवस्था, दत्त गौरव एवं महाजन अश्विन, एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि. नईदिल्ली, 2011
3. वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

Multilingualism In Ancient India: A Historical Perspective.

Dr. Neelima Mehta
Associate Prof.
Govt. Ramanand College, Bhopal

Abstract

Multilingualism can be defined as an occurrence regarding an individual speaker who uses two or more languages, a community of speakers where two or more languages are used, or between speakers of two languages. Multilingualism basically arises due to the need to communicate across speech communities. Multilingualism is not a rare but a normal necessity across the world due to globalization and wider cultural communication. Also it is not a recent phenomenon; it was prevalent in ancient time also. The present paper describes the multilingual nature of ancient India and its historical perspective.

Key terms - Multilingualism, speech communities globalization, cultural phenomenon.

Co existence of many languages, races, culture and religions has been the essence of Indian heritage. India literary history shows that people used to switch between Pali and Sanskrit, Tamil and Sanskrit, and Ardhamagadhi and Sanskrit with ease. During the Mugal period there were many scholar had mastered both Sanskrit and Persian, Arabic, Tulsidas, Vidyapati and authors of Apabhramsa of North and the Azhwars and Nayanmars of south emphasized the importance of the language styles spoken by the ordinary people, even they used the language of high literature

वर्ष - 10 अंक - 1 (कुल अंक 109) मार्च 2018

Indian classical drama used dialects and standard language writers used Magadhi, Shaursehi, Prakrit and Apabharamsa, even as they excelled in the use of Sanskrit, The pattern of language use seemed to be flexible depending upon what roles the individual was playing. India is a pluristic nation, in terms of ethnicity, culture language and religion.

In India history, Bilingualism has never been regarded as a social or individual deficiency. On the contrary, it has always been respected with great appreciation. Bilinguals were always respected as persons with superior qualifications they were respected as persons with superior qualifications. They were respected because they were supposed to communicate with speakers of two or more languages to transmit these thoughts. Bilingualism and multilingualism is reorganization as a social need. In the past Bilingualism and Multilingualism helped people to propagate their faiths and religious practices. For example, Siddharth stressed the importance of Pali and Ardhamagadhi to nullify the importance of Brahmanical concepts and their linguistic counterparts expressed mainly through Sanskrit language. Since the concepts elaborated by Siddharth were within the Indian context and in this context Sanskrit had a preeminent position as the medium of expression the followers of Buddha could not avoid mixing Pali, Ardhamagadhi and Sanskrit in a new style of Sanskrit called Buddhist Sanskrit, a style understood by both the common people and the elites of the time Bilingualism and multilingualism, thus evolved as a unique product of the genius of the Indian People.

Foreign invasions have always contributed a lot in making India a multilingual hub India had contact with the outer world right from about the middle of the 3rd millennium B.C. Not only has this, multilingualism always been considered an important tool of socialization, from Ashokan time till today. Ashokan inscription which are considered to be the earliest tool were written in four different scripts. In

his empire in Afghanistan he used Aramaic and Greek scripts for his scripts, in Pakistan he use Kharosthi and Brahmi script was used for rest of his empire from Khalsi in the north up to Mysore in the south. (Sharma, 2004; P 21) Basically the period up to 998 A.D. is considered as the ancient period. The Aryan rules, the coming of Alexandra, the Persian invasion, the coming of the Chinese pilgrims in search of knowledge, manuscript and relics bet the 5^{th} and 7^{th} century A.D. all come under the ancient period. In 150 B.C. Aryans came to India and brought with them 'Sanskrit'. The invading Aryans allegedly the Dravidian who until then had occupied all of inhabitable India from central parts of Afghanistan to the hills of Jharkhand, Chhattisgarh, Nagaland, Arunachal etc. (Chaudhary, 2009; 56) But subsequently other too explored India, basically due to its wealth and brought with them their culture and language. This made India linguistically diverse. The first among them were the Persian. Ring Cyrus who came to India in 558 B.C. and ruled here approximately for 150 years. Persian domination continued here for about 330 B.C. Then came Greeks under the leadership of Alexander (356-323 B.C.) but his stay was not for long. He cane to India through the Khyber Pass and dismantled the Persian Empire. From Europe they were the first one to come to India as traders and military adventurers. "Before the sway of Islam in India, Chinese contact with India reached its peak. In A.D. 966, a group of 157 Chinese Buddhist monks came to India and the same year, they returned with Buddhists relics and scriptures. All this also facilitated coping and the translation industry for Indian languages, too among others, Chinese and Mugal." Choudhary (2009; 74). Also three great pilgrims Fa-Hien, Hiuen T Sang and I-T Sang visited India in between 5^{th} 7^{th} A.D. They translated a number of texts and compiled a Sanskrit, Chinese dictionary. Also the post Harsha Period is very relevant because it was the last stage of Prakrit i.e. Apabhramsa, which was considered important on the account of the fact that the modern languages like Hindi, Gujrati, Marathi and Bengali have all evolved from it.

References:

(1) Second Language acquisition in Multilingual and Mixed ability Indian Classrooms: Narang, Priya, Choudhary.
(2) Problems of a Multilingual Nation: Aryan Prakshit.
(3) Multilingualism in India: D.P. Patnayak.

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

माहिला के विकाश में शासकिया योजना की भुमिका

भागवती रघुवंशी
सहायक प्रध्यापक समाज शस्त्र विभाग
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सुहागपुर

परिचय

सम्मान के साथ जीने का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल हैं, जिसे भारत का संविधान हर नागरिक के लिए सुनिश्चित करता है। मानव होने की स्वाभाविक गरिमा तथा महिलाओं को किसी भी प्रकार की हिंसा से बचाने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा घोषणाओं जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमैन राइट (न्क्भ्) तथा महिलाओं के खिलाफ होने वाले सभी प्रकार की हिंसाओं के उन्मूलन पर आयोजित सम्मेलन (ब्क्ॅ), का एक हिस्सा बना है। इसके अलावा अपराध के शिकार तथा शक्ति के दुरुपयोग के शिकार हेतु यूएन के न्याय का मौलिक सिद्धांत, 1985 शिकार व्यक्तियों के सम्मान तथा आपराधिक न्याय प्रणाली के जरिए उनकी शिकायत की त्वरित कार्रवाई, क्षतिपूर्ति तथा सहायता सेवा को आवश्यकता मानता है।

ब्लात्कार महिलाओं के खिलाफ होने वाला सर्वाधिक हिंसक कानून है, जो न केवल उनकी शारीरिक अखंडता को नष्ट करता है, बल्कि व्यक्तिगत व सामाजिक संबंधों के उनकी विकास की क्षमता को बाधित कर उनके जीवन व जीविका को प्रभावित करता है। बलात्कार की शिकार महिला को मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक संत्रास से गुजरना पड़ता है, जिस पर कार्रवाई करने की गहरी आवश्यकता होती है, ताकि वह महिला एक गरिमापूर्ण व सार्थक जीवन जी सके।
जहां ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को दंड देना आवश्यक होता है, वहीं पीड़ित महिला को गरिमा तथा आत्मविश्वास के साथ जीने में मदद करने की आवश्यकता होती है। यही वह सुरक्षात्मक न्याय है जिसे ऐसी घटनाओं को झेलने वाली महिलाओं के न्याय का आधार बनाया जाए और

उसे वित्तीय क्षतिपूर्ति के साथ–साथ परामर्श, आश्रय, मेडिकल तथा कानूनी सहायता भी प्रदान की जाए। ऐसा करने के दौरान पीड़ित महिला द्वारा झेली जाने वाली पीड़ा, परेशनी तथा सदमा और बलात्कार के कारण गर्भ ठहरने तथा इन सभी पर आने वाले खर्चों को ध्यान में रखना दिल्ली घरेलू वर्किंग महिला फोरम बनाम भारतीय संघ तथा अन्य की लिखित याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय महिला आयोग को निर्देश दिया कि वे ऐसी योजना की शुरुआत करे जिससे बलात्कार की शिकार महिला की परेशानियों समाप्त किया जा सके। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि संविधान की धारा 38(1) में निहित निशा–निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में एक आपराधिक सदमा क्षतिपूर्ति बोर्ड का गठन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पीड़ित महिला मानसिक परिताप के अलावा गंभीर वित्तीय हानि भी झेलती हैं और कुछ मामलों में तो वे इतने सदमे में चली जाती हैं कि अपनी नौकरी जारी नहीं रख पाती हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्युरो के आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वर्ष 2008 में ऐसे 21,467 मामले देखने को मिले, जो पिछले साल की तुलना में 3.5ः अधिक थी।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973(ब्तच्ब्), की धारा 357 के तहत, अदालत अपराध पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकती है, जिसमें बलात्कार का अपराध भी शामिल है। वर्ष 2009 में ब्तच्ब् में एक नई धारा 357। जोड़ी गई, जो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए योजनाओं का आरंभ करने का निर्देश दिया गया।

इस संदर्भ में, बलात्कार पीड़िता को सुरक्षात्मक न्याय की योजना के तहत वित्तीय सहायता तथा अन्य सहायक सेवायों की एक योजना को मूर्त रूप दिया गया है। हालांकि बलात्कार से उपजी मानसिक तथा शारीरिक हानि को किसी भी आर्थिक सहायता द्वारा पूरित नहीं की जा सकती, पर इस योजना का मकसद ऐसी पीड़ितों को मदद देना है ताकि वे अपने सदमे से बाहर आकर अपनी तत्काल एवं लंबे समय की जरूरतों की पूर्ति कर सकें।
इस योजना का क्रियांवयन वर्ष 1995 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया था। उसके बाद इस मुद्दे पर भारत सरकार के उचित प्राधिकार में विचार किया गया, जिसने बलात्कार की शिकार महिला को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के दिशा निर्देश बनाए। इसने पीड़ित को अंतरिम तथा अंतिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने की अनुशंसा की, जिसके लिए जिला स्तरीय समितियां तथा एक अपराध आघात क्षतिपूर्ति बोर्ड का गठन किया गया।

ठन दिशा निर्देशों के मद्देनजर योजना का पुनः ड्राफ्ट बनाया गया। ड्राफ्ट की योजना पर एनजीओ, वकीलों तथा कार्यकर्ताओं के साथ सघन परामर्श किया गया। विभिन्न प्रतिभागियों के साथ गहन

चर्चा के बाद ड्राफ्ट योजना पर आखिरकार 7 मार्च 2010 को महिला तथा बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम 'बलात्कार पीड़ित के न्याय, राहत तथा पुनर्वास का राष्ट्रीय परामर्श' में एक चर्चा हुई। इस राष्ट्रीय परामर्श में न्यायपालिका, राष्ट्रीय तथा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकार, पुलिस अधिकारी, एनजीओ तथा कार्यकर्ता इत्यादि शामिल हुए। इस सम्मेलन में ऐसी योजना की आवश्यकता पर बल दिया गया, जो पीड़िता की सहायता करे तथा उसकी गरिमा को पुनः वापस करे। कई सलाह भी दी गई, जिन्हें इस योजना में शामिल किया गया।

हालांकि यह योजना एक प्रभावित महिला को धारा 357 के तहत राहत पाने तथा ब्तच्ब् की धारा 357। में आवेदन करने से नहीं रोकती। महिलाओं और बालकों के विकास का महत्व सर्वोपरि है और इसी से समग्र विकास की धारा बहती है। 30 जनवरी, 2006 को महिलाओं और बच्चों के मामलों में शासन की गतिविधियों में कमी को पूरा करने और अंतर मंत्रालयी व अंतर क्षेत्रीय समग्रता को संवर्द्धित करने की दृष्टि से एक पृथक् महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन किया गया ताकि जा सके। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और चिंताओं पर काम करना और उनकी उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास और भागीदारी सुनिश्चित करना मंत्रालय के प्राथमिक कर्तव्य हैं।

महिलाओं के लिए बैंकों की खास योजनाएं

नवरात्र शक्ति की पूजा का त्योहार है और महिलाओं को शक्ति के अवतार के तौर पर पूजा जाता है। घर हो या बाहर हर जगह बेहतरीन बैलेंस उनकी खूबी है। कम खर्च में घर चलाने से लेकर मेहमाननवाजी तक, बच्चों की फीस से लेकर इलाज खर्च तक, हर खर्च को महिलाएं अच्छी तरह से संभाल लेती हैं। महिला शक्ति को बैंकों ने भी पहचाना है और खास अकाउंट से लेकर कस्टमाइज्ड लोन देने के ऑफर देते रहे हैं।
बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए सशक्त न्याय योजना
योजना के उद्देश्य
पीड़ित महिला को सुरक्षात्मक न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के निम्न उद्देश्य हैंरू
1) बलात्कार की शिकार महिला के लिए वित्तीय सहायताय तथा
2) आश्रय, परामर्श, मेडिकल सहायता, कानूनी सहायता जैसी सहायता सेवाएं,

पीड़िता की जरूरत के आधार पर शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण।
लक्षित समूहध्लाभार्थी यह योजना बलात्कार की शिकार महिलाध्अल्प वयस्क बालिका शामिल हैं, जिन्हें हम इससे आगे 'पीड़ित महिला' के रूप सूचित करेंगे।

ठस योजना के उद्देश्य के लिए "बलात्कार" का अर्थ होगारू

महिला के साथ की जाने वाली ऐसी यौनक्रियाएं निम्न में से किसी एक के तहत आती हैं

पहलारू – उसकी मर्जी के खिलाफ।
दूसरारू– बिना उसकी इजाजत केय
तीसरारू– उसकी इजाजत से, जब उसे जान की धमकी या हानि पहुंचाने का डर दिखाया गया हो।
चौथारू– उसकी इजाजत से, जब पुरुष को पता है कि वह उसका पति नहीं है, उसे महिला ने अपनी सहमति इसलिए दी है कि वह मानती है कि वह मर्द या उस मर्द के साथ वह कानूनी रूप से शादी के बंधन में बंध सकती है।
पांचवांरू– उसकी सहमति से, जब मर्द द्वारा बेहोशी, विषाक्तता या दवा की खुराक के प्रभाव की हालत में सहमति ली गई हो, अथवा किसी अन्य पदार्थ के खाने से उपजे नशे की हालत में महिला ने अनजाने में ऐसा किया हो।

व्याख्यारू – बलात्कार का अपराध साबित करने के लिए भेदन यौन क्रिया पर्याप्त है।
"आवेदक" में शामिल हैं पीड़ित महिला या उसकी कानूनी वारिस (परिणामतः यदि महिला की मौत हो जाती है, तो उस स्थिति में), साथ ही अल्पवयस्क लड़कीध्मानसिक रुग्णध मंदबुद्धि लड़की की ओर आवेदन करने वाले व्यक्ति जैसा कि इस योजना के पारा 6 (i) (b) में उल्लेख किया गया है।

'स्टेट बोर्ड', जहां भी उल्लेख किया गया हो, ऐसे बोर्ड केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं।

योजना के तहत सहायता

योजना के तहत पीड़ित महिला को वित्तीय सहायता तथा सुरक्षात्मक सहायताध्सेवाएं लेने का अधिकार है, जो इस योजना के पारा 8 में उल्लेख किए मुताबिक अधिकतम 2 लाख रु होगा। इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता उन मामलों के लिए होगी, जिनमें योजना आरंभ होने की तिथि पर या उसके बाद एफआइआर दर्ज हुए हों।

योजना के क्रियांवयन के लिए जिम्मेदार अधिकारी

(क) जिला अपराध आघात राहत तथा पुनर्वास बोर्ड

हर जिले में एक जिला अपराध आघात राहत तथा पुनर्वास बोर्ड (यहां से आगे इसे 'जिला बोर्ड' के रूप में उल्लेख किया जाएगा।) की जाएगी जिसके पास उस जिले में प्राप्त सहायता के लिए आवेदनों को निपटने का विशेष अधिकार होगा।

संगठन

जिला मजिस्ट्रेट उपायुक्त जिला कलेक्टर बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

बोर्ड में निम्नानुसार 5 अन्य सदस्य भी होंगे

1. पुलिस अधीक्षक
2. सिविल सर्जन धजिला मेडिकल ध्स्वास्थ्य अधिकारी या जिस भी नाम से वह जाना जाता होय
3. जिला कानूनी सेवा प्राधिकार का एक प्रतिनिधि, जो महिला ही होय
4. एक प्रख्यात महिला विशेषज्ञ जिन्हें जिला में महिला तथा बच्चों के मामलों का अनुभव हो, और उनका चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगाय
5. जिमा महिला तथा बाल विकासध्सामाजिक कल्याण अधिकारी, जो बोर्ड का सचिव होगा।

यह बोर्ड जिला या कई जिलों के लिए गठित बाल कल्याण समिति का एक प्रतिनिधि का चयन करेगा।

नामित सदस्य का कार्यकाल तीन सालों का होगा, जहां उसे एक साल का विस्तार दिया जा सकता है।

जिला बोर्ड की शक्ति

(1) योजना के तहत यह बोर्ड दावों का निर्णय लेगा तथा वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और साथ ही पीड़िता को शारीरिक नुकसान, भावनात्मक सदमा से उबरने और सुरक्षा के लिए आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने का आदेश देगा।

(2) बोर्ड के पास इसके कार्यों को संपन्न करने के लिए साक्ष्य के रिकॉर्डिंग तथा सम्मन भेजने का अधिकार रहेगा।

जिला बोर्ड के कार्य

थ्जला बोर्ड निम्न कार्यों को संपन्न करेगारू

1) दावों की सुनवाई तथा वित्तीय सहायता और सहायक सेवाएं, (जैसा मामला हो) जो इस योजना के तहत वर्णित विधियों के अनुरूप होंगी।य
2) पीड़ित महिला के लिए मनोवैज्ञानिक, मेडिकल तथा कानूनी सहायता की व्यवस्था करनाय
3) पीड़िता के लिए परामर्श सहायता की व्यवस्था करना, जिसमें महिला के शादीशुदा होने की स्थिति में उसके पति को परामर्श देनाय
4) पीड़ित महिला के लिए आवश्यकतानुसार आश्रय की व्यवस्था करनाय
5) पीड़ित महिला के लिए चालू योजनाओंध्कार्यक्रमों के तहत शिक्षा या व्यावसायिकध्प्रॉफेशनल प्रशिक्षण

(जैसा मामला हो) की व्यवस्था करनाय
6) समय–समय पर जांच की प्रगति की समीक्षा करनाय
7) यदि पीड़ित महिला द्वारा आवेदन दिया जाए तो अनुसंधान अधिकारी को बदलने की अनुशंसा करनाय
8) पीड़ित महिला को आवश्यक होने पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित प्राधिकार उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश देनाय
9) सहायक सेवाएं, शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान पीड़ित महिला की पहचान को सार्वजनिक किसे जाने से बचानाय
10) अपने निर्णयों की प्रगति की समीक्षा तथा निगरानी करनाय
11) ऐसा अन्य कार्य संपन्न करना जो बोर्ड द्वारा किया जाना आवश्यक हो, अथवा जो राज्यध्राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया हो।

पीड़िता की मृत्यु की स्थिति में सहायता

ज्ब बलात्कार के बाद पीड़िता की मृत्यु हो जाती है, तब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाने पर बोर्ड पीड़िता के कानूनी वारिस, जिसमें उसके अल्प वयस्क बच्चे भी शामिल हैं, के लिए निम्न सहायता उपलब्ध कराएगारू

(1) रु. 1 लाख, यदि परिवार में अनुपार्जक सदस्य थीय
(2) रु. 2 लाख, यदि पीड़िता परिवार की एक कमाऊ सदस्य थी।

विशेष मामलों में सहायता में वृद्धि

कुछ मामलों में तथा जिला बोर्ड द्वारा अनुशंसित पीड़ित महिलाओं की संवेदनशीलता और विशेष जरूरतों के मद्देनजर, जिला बोर्ड के परामर्श के साथ राज्य बोर्ड के पास 1 लाख रु. की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का अधिकार रहेगा, जो निम्न स्थितियों में अधिकतम 3 लाख रु. तक जा सकती हैरू

(1)पीड़िता एक नाबालिक बालिका हो, जिसे विशेष उपचार तथा देखभाल की जरूरत होय
(2) पीड़िता मानसिक रूप से अपंग हो जिसे विशेष उपचार तथा देखभाल की आवश्यकता होय
(3) पीड़िता बलात्कार के परिणाम स्वरूप किसीै ज्क से पीड़ित हो, जिसमें भ्प्टध्।प्वै भी शामिल है।य
(4)बलात्कार के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई होय
(5) जहां पीड़िता द्वारा गंभीर शारीरिक तथा मानसिक समस्या झेलनी पड़ती होय
(6) बोर्ड द्वारा उपयुक्त पाया गया कोई अन्य आधारय

योजना के तहत किए दावे की अस्वीकृति

बोर्ड किसी ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, जहां उसे निम्न बातों पर विचार करना पड़ेरू–
(i) आवेदक बिना किसी विलम्ब के पुलिस या किसी अन्य एजेंसी अथवा किसी अन्य प्राधिकार को घटना के

बारे में सूचित करने में असफल रहेय
(ii) आवेदक अपने आवेदन के संबंध में बोर्ड को कोई उल्लेखनीय सहायता देने में असफल रहतीध्रहता हैय
(iii) जहां घटना की शिकायतध्एफआइआर इतनी देर से दर्ज करवाई जाती है कि मामले के तथ्य की जांच असंभव हो जाएय
(iv) जहां आवेदक आपराधिक शिकायत दर्ज करने के बाद कार्रवाई के दौरान पलट जाए और मामले की कार्रवाई को मदद न देय
(v) मामला यदि मनगढ़ंत हो और वह जांच किए जाने योग्य तथ्य पर आधारित न होय
(vi) आवेदक की सत्यता पर संदेह हो, जैसे कि विनती के मामले में जो जांच किए जाने योग्य तथ्य पर आधारित न होय
(vii) जहां 16 वर्ष की लड़की को भगाने का मामला हो और वहां बलात्कार न हुआ हो। बोर्ड तुरंत मामले को अस्वीकार नहीं कर सकता है, बल्कि किसी सहायता राशि के आबंटन से पहले वह सुनवाई के नतीजे की प्रतीक्षा करेगा।

ऊपर सुझाए किसी भी आधार पर आवेदन की अस्वीकृति होने पर किसी महिला पर CrPC की धारा 357 तथा 357। के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर कोई रोक नहीं लगती।
शिकायतों की सुनवाई

इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायक सेवाओं के संबंध में किसी शिकायत की सुनवाई के लिए पीड़ित महिला जिला बोर्ड के समक्ष जा सकती है।
जहां शिकायत जिला या राज्य बोर्ड के व्यवहार से जुड़ी हो, पीड़ित महिला या उसका कानूनी वारिस राज्य या राष्ट्रीय बोर्ड में जा सकता है।

फंड/सहायता राशि का आबंटन

(i) महिला तथा बाल विकास मंत्रालय इस योजना के संचालन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता की राशि प्रदान करेगा, जो राष्ट्रीय बोर्ड की अनुशंसा पर होगाय
(ii) तब राज्य सरकार उस फंड को आवश्यकतानुसार जिला बोर्डों को आबंटित करेगीय
(iii) बजटीय आबंटन का इस्तेमाल निम्न के लिए किया जाएगारू–
1) इस योजना के तहत सहायता लागतय
2) राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला अपराध राहत तथा पुनर्वास बोर्ड के सदस्यों को शुल्क तथा टी ए /डी ए य

महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीतिरू सरकार द्वारा 20 मार्च, 2001 को लागू की गई महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति,विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना

और महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त कर यह सुनिश्चित करना है कि वे जीवन के हर क्षेत्र और गतिविधि में खुलकर भागीदारी करें। इस नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की गई।

लैंगिक समानता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार ने महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। योजना प्रक्रिया एक विशुद्ध कल्याण उपाय से आगे बढ़कर उन्हें विकास योजना के केंद्र में लाने के प्रयास तक आ पहुंची है। महिलाओं का भविष्य एक सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वस्थ व सुरक्षित माहौल में सांस लेने वाले समाज का है।

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टलरू कामकाजी महिलाओं सहित बच्चों की देखभाल के लिए हॉस्टल निर्माण या विस्तार के लिए यह योजना वर्ष 1972–78 से चल रही है। इसके अंतर्गत गैर–सरकारी शिक्षा आदि कार्यों में लगी अन्य एजेंसियों, सार्वजनिक उपक्रमों, महिला को कामकाजी महिलाओं के हॉस्टलों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में कामकाजी महिलाओं (अकेली कामकाजी महिलाओं,ऐसी महिलाएं जिनके पति शहर से बाहर रहते हों, विधवाओं, परित्यक्ताओं, तलाकशुदा महिलाओं आदि), रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और स्कूली शिक्षा के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर रही महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

महिलाओं और बच्चों से जुड़े कानून– महिला और बाल विकास विभाग पर निम्नलिखित अधिनियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है–

1. अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम, 1956 (1986 में संशोधित)
2. महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून, 1986,
3. दहेज निरोधक कानून, 1961 (1986 में संशोधित),
4. सती प्रथा (निरोधक) अधिनियम, 1987
5. शिशु दुग्ध विकल्प, दुग्धपान बोतल और शिशु आहार (उत्पादन और आपूर्ति वितरण) अधिनियम, 1992
6. बाल विवाह निषेध अधिनियम, (2006)
7. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
8. घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
9. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
10. बाल न्याय (सुरक्षा और संरक्षण) अधिनियम, 2005

मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में मुख्यतः महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम

बनानाय उनसे सम्बंधित विधान करना और उसका कार्यान्वयन, तथा महिला और बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों का मार्गदर्शन और समन्वयन करना शामिल है। मंत्रालय की योजनाएं और कार्यक्रम अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों की सहायक भूमिका निभाते हैं।

श्राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम–सबलारू भारत सरकार ने वर्ष 2010–11 में आईसीडीएस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए 200 जिलों में प्रायोगिक आधार पर यह नई स्कीम लागू की। यह राज्य सरकारोंध्संघ प्रदेशों के माध्यम से चलाई जाने वाली शत–प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषित स्कीम है। इसके अंतर्गत पूरक पोषण को छोड़कर अन्य सभी घटकों के लिए केंद्र सरकार वित्त पोषण करेगी और पूरक पोषण की लागत में राज्योंध्संघ प्रदेशों के साथ 50 रू 50 के आधार पर भागीदारी करेगी। इसके अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की सभी और 14 से 18 वर्ष की स्कूली लड़कियों को पोषक आहार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य, बच्चों को देख–रेख और जीवन कौशल के बारे में शिक्षित भी किया जाएगा। इस प्रकार से अधिक स्वस्य, आत्म विश्वासपूर्ण और सही मायनों में सशक्त महिलाएं बन पाएंगी जो अपनी इच्छानुसार निर्णय ले सकेंगी और आने वाली बच्चियों की बेहतर देखभाल कर पाएंगी।

सन्दर्भः–

1. महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार
2. राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में आयोग का आधिकारिक जालस्थल
3. ऊपर जायेंघ ष्ललिता कुमारमंगलम बनी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षष् लाइव हिंदुस्तान. अभिगमन तिथिरू 19 सितंबर 2014.
4. ऊपर जायें "TA हंससमतल वशिपिसनतमे खविफलताओं की एक गैलरी,(अंग्रेजी में). इंडिया टुगेदर. अभिगमन तिथिरू 19 सितंबर 2014.
5. राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिकाष् वेब दुनिया हिन्दी. अभिगमन तिथिरू 19 सितंबर 2014.

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

खेल जगत में भारतीय महिलाओं का पराक्रम

इन्द्रा वर्मन
सहायक प्रध्यापक समाज शास्त्र विभाग
एक्सीलेंस संस्थान कोलार

हिमाचल प्रदेश में खेलों का सफर बहुत धीरे–धीरे आगे बढ़ रहा है। चार दशक पहले प्रदेश में खेलों के नाम पर देखा जाए तो कहने को बहुत कम था और महिलाओं के बारे में तो खेल क्षेत्र उस समय अंजाना ही था। उसी समय स्वर्गीय प्रताप सिंह रावत ने अपनी बेटियों को खेल मैदान भेजने के साथ–साथ अपने संग शिमला की सड़कों पर दौड़ाना शुरू किया था। इनमें से सुमन रावत आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर लंबी दूरी की दौड़ों में हिमाचल को पदक दिलाती हुईं 1986 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतकर अर्जुन अवार्डी हो गईं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की इस बेटी को युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी 1984 में बनाकर इसे प्रशिक्षण जारी रखने की सुविधा भी दी। आज सुमन रावत युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। मध्यम व लंबी दूरी की दौड़ों के अधिकतर राज्य रिकार्ड आज तक हिमाचल की कोई धाविका सुमन रावत को तोड़ना तो दूर नजदीक तक भी नहीं आ पाई है। हिमाचली खिलाडिध्यों के लिए सुमन रावत के उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन ने प्ररेणा का काम किया है।

बास्केटबाल में हिमाचल प्रदेश की तरफ से खेलते हुए 80 के दशक में सिरमौर की गुलशन ने भारतीय महिला बास्केटबाल टीम में जगह बनाकर हिमाचल बास्केटबाल को पहचान दिलाई थी। इसी समय शिमला की कला राणा ने वालीबाल में भारत का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया था। हाकी में बड़ी बहन गीता को पीछे छोड़ते हुए सीता गोसाई ने कई वर्षों तक भारतीय महिला हाकी टीम की पहले सदस्य और बाद में कप्तान बनकर विभिन्न महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत दिलाई थी। अर्जुन अवार्ड से नवाजी गई इस स्टार खिलाड़ी को एशिया एकादश में भी जगह मिली थी। हिमाचल में नौकरी न मिलने के बाद रेलवे ने इस स्टार खिलाड़ी को नौकरी दी थी। आज भी सीता रेलवे में नौकरी कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कई शूटर एशियाई राष्ट्रमंडल व ओलंपिक खेलों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देकर

राष्ट्र व प्रदेश को गौरव दिला चुके हैं। हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पदक महिला शूटिंग में दिलाने वाली बैजनाथ की सोनिया राणा ने एशियाई खेलों में भारत के लिए पदक जीता है। परशुराम अवार्ड से सम्मानित इस शूटर को हिमाचल कोई सम्मानजनक नौकरी आज तक नहीं दे पाया है। दो दशक पूर्व जूडो में हमीरपुर की नूतन ने हिमाचल को जूडो में पहला राष्ट्रीय पदक दिलाया था। इस खिलाड़ी को राज्य

खेल पुरस्कार परशु राम अवार्ड से नवाजा गया है।

नूतन शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश को तेज गति की दौड़ों में पहला राष्ट्रीय पदक दिलाने वाली पुष्पा ठाकुर एशियाई व ओलंपिक खेलों के लिए लगे प्रशिक्षण शिविरों का हिस्सा भी रही हैं। हिमाचल को महिला राष्ट्रीय खेलों में दर्जन भर पदक दिलाने वाली पुष्पा ठाकुर को परशुराम अवार्ड से भी नवाजा गया है। यह धाविका आजकल हमीरपुर के जिलाधीश कार्यालय में अधीक्षक राजस्व के पद कार्यरत हैं। एथलेटिक्स की प्रक्षेपण स्पर्धा में हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पदक भाला प्रक्षेपण में दिलाने वाली कुल्लू की संजो देवी भी कई बार हिमाचल का नाम राष्ट्रीय स्तर पद पदकतालिका में चमका चुकी हैं। 2012 में संजो देवी को परशुराम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आजकल संजो देवी राज्य वन विभाग में रेंजर के पद पर बंजार में कार्यरत हैं। कबड्डी में हिमाचल से कई महिला खिलाडिघ्यों ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है, मगर पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली बिलासपुर की पूजा ठाकुर ने बाद में हिमाचल टीम के लिए हर बार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम की सदस्य भी रही हैं। परशुराम अवार्ड से सम्मानित पूजा ठाकुर राज्य अबकारी व कराधान विभाग में निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, मगर अब एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक जीतने के बाद मिलने वाले उच्च पद के लिए प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूजा ठाकुर को राज्य पुलिस विभाग में डीएसपी बनाने का निर्देश सरकार को दिया है। हिमाचल पुलिस विभाग की राणी राणा ने कुश्ती में पहला वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता का पदक जीतने का गौरव पाया है। राणी राणा को विभाग ने पदोन्नत कर सहायक निरीक्षक बना दिया है। नेटबाल में भारत का प्रतिनिधित्व पहली बार एशियाई नेटबाल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने वाली रिवालसर की चंपा देवी विज्ञान स्नातक की पढ़ाई कर रही है। क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली शिमला की सुषमा देवी को हिमाचल सरकार ने पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर नौकरी देकर महिला विश्वकप में उम्दा प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया है। बिलासपुर की स्नेहलता एशियाई बीच खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैंडबाल की पहली महिला खिलाड़ी रही हैं।

खेल–खेल में –खेलों में असाधारण योगदान के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को श्युद्धवीर मेमोरियल अवार्डश प्रदान किया गया। उनकी अगुवाई में हैदराबाद हॉटशॉट्स ने इंडियन बैडमिंटन लीग।

खेल–खेल में

–खेलों में असाधारण योगदान के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को श्युद्धवीर मेमोरियल अवार्डश प्रदान किया गया। उनकी अगुवाई में
हैदराबाद हॉटशॉट्स ने इंडियन बैडमिंटन लीग के पहले संस्करण
का खिताब अपने नाम कर लिया। प्रतिष्ठित बीडब्ल्यूएफ पुरस्कार के लिए नामित होने वाली वह एक मात्र भारतीय बनीं।

–टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने इस वर्ष ब्रिस्बेन ओपेन टेनिस में डबल्स खिताब जीता। उन्होंने दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चौंपियनशिप का डबल्स खिताब, डब्ल्यूटीए न्यू हैवेन ओपेन का डबल्स खिताब और पैन पैसेफिक ओपेन टेनिस टूर्नामेंट का महिला डबल्स खिताब भी जीता।

–डभरती बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू को विश्व बैडमिंटन चौंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त हुआ, पर बाद में उन्होंने मलेशियाई ग्रांप्रि का खिताब और मकाउ ओपेन ग्रांप्रि गोल्ड टूर्नामेंट का महिला

सिंगल्स खिताब भी जीता।

–भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल ने मकाउ ओपेन का खिताब जीता।

–पुणे में सुधा सिंह ने एशियन एथलेटिक्स में रजत पदक जीता।

–अंडमान निकोबार की 19 वर्षीया देबोरा ने एशियन साइक्लिंग चौंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। बाद में मनोरमा देवी के साथ मिलकर भी उन्होंने कांस्य पदक जीता।

–सौम्या स्वामीनाथन ने राष्ट्रीय महिला चौलेंजर्स शतरंज चौंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया।

–झारखंड की धान रोपने वाली बेटियों ने स्पेन में गास्तेज फुटबाल (अंडर–14) प्रतियोगिता में भारत की टीम को कांस्य पदक दिलाने में अहम् भूमिका निभाई।

–शीर्ष महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी को टाटा स्टील ने श्वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ीश चुना। शंघाई में तीरंदाजी विश्वकप में दीपिका ने दो रजत पदक जीते।

–अंजना धवालू ने लड़कियों की 800 मीटर दौड़ जीतकर एशियन यूथ गेम्स में भारत को तीसरा स्वर्ण पदक दिलवाया।

–मुंबई की नौ साल की अनन्या गुप्ता ने ग्रीस में हुई विश्व स्कूल शतरंज चौंपियनशिप में कांस्य पदक जीता।

–हरियाणा पुलिस की हेड
कांस्टेबिल अनीता ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह की।

–राही सरनोबत ने कोरिया में विश्व कप के फाइनल में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया।

–इंडियन बैडमिंटन लीग के दौरान कथित तौर पर अनुचित व्यवहार करने के कारण भारतीय बैडमिंटन संघ ने स्टार सटलर ज्वाला गट्टा के खिलाफ आजीवन प्रतिबंध की सिफारिश की। इसके खिलाफ ज्वाला दिल्ली हाई कोर्ट चली गईं और उन्हें वहां से राहत मिल गई।

–भारत की उभरती टेनिस खिलाड़ी सुतिर्था मुखर्जी ने स्लोवाक जूनियर ओपेन में सिंगल्स खिताब जीता।

–कर्नाटक की सहाना कुमारी और केरल की टिंटू लुका ने राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीते।

–भारतीय महिला रिकर्व टीम ने पोलैंड में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। टीम में दीपिका कुमारी, बौवायुला देवी और रिमिल शामिल थीं।

–एशियाई ग्रांप्रि एथलेटिक्स सीरीज में एमआर पूवम्मा ने दो स्वर्ण पदक जीते।

–महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज बनी रहीं।

–लखनऊ की अनिष्का उपाध्याय ने दक्षिण कोरिया में स्पेशल ओलंपिक विश्व विंटर खेलों की स्कीइंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।

–मौजूदा जूनियर विश्व चौंपियन निकहत जरीन को बुल्गारिया में हुई आईबा महिला युवा विश्व मुक्केवाजी में रजत पदक प्राप्त हुआ।

–हिना सिद्धू ने विश्व कप फाइनल में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा।

–कानपुर की निशानेबाज मलिका विज ने फिनलैंड में हुई अंतरराष्ट्रीय शॉटगन प्रतियोगिता की

व्यक्तिगत ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।

पीवी सिंधु रू साइना नेहवाल जहां भारतीय महिला बैडमिंटन की चुनौती बनकर पूरी दुनिया पर छा गई हैं, उसी तरह पीवी सिंधु ने भी लगातार कामयाबियां हासिल करके नई आशा की किरण जगा दी है। 19 बरस की सिंधु देश की ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने विश्व बैडमिंटन चौंपियनशिप में लगातार 2 पदक हासिल किए हैं। 2013 और 2014 की विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में सिंधु ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। यही नहीं, इस साल इंचियोन एशियाई खेलों की टीम स्पर्धा में जब भारत ने कांस्य पदक जीता, तब भी सिंधु भारतीय टीम का हिस्सा थीं। हैदराबाद की इस स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2014 के साथ का अंत भी खिताबी जीत के साथ किया। वे मकाऊ ओपन बैडमिंटन चौंपियनशिप में लगातार दूसरी मर्तबा चौंपियन बनीं। एमसी मैरीकॉम रू साइना और सिंधु के बाद यदि किसी तीसरी महिला खिलाड़ी का खयाल जेहन में आता है तो यकीनन वह खिलाड़ी एमसी मैरीकॉम ही हैं जिन्होंने उम्र को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। भारत में महिलाएं बाल–बच्चेदार होने के बाद खेल जीवन से संन्यास ले लेती हैं लेकिन मैरीकॉम उनमें शुमार नहीं हुईं।

भारतीय महिला बॉक्सिंग की श्आइकनश बन चुकी मैरीकॉम ने 3 बच्चों की मां बनने के बाद भी मुक्केबाजी के रिंग में जो पंच बरसाए, वह दीगर महिलाओं के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। 5 बार की विश्व चौंपियन मैरीकॉम ने छठी विश्व मुक्केबाजी चौंपियनशिप में भी पदक जीतने का गौरव हासिल किया। चार बरस पहले ग्वांगझू एशियाड में जब मैरीकॉम ने कांस्य पदक पदक जीता था, तब लगा था कि वे अगले एशियाड में नहीं उतरेंगी, लेकिन 2014 के इंचियोन एशियाड में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर पूरे एशियाई जगत में यह साबित कर दिखाया कि उनकी बाजुओं में अभी भी फौलाद भरा हुआ है। मैरीकॉम की इसी अटूट खेलभावना ने बॉलीवुड को भी आकर्षित कर डाला और उनके जीवन पर फिल्म श्मैरीकॉमश बनी जिसमें मैरीकॉम का किरदार प्रियंका चोपड़ा ने बखूबी निभाया।

सनिया मिर्जा रू पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की बीवी बनने के बाद भी सानिया मिर्जा ने टेनिस का दामन नहीं छोड़ा और वे अभी भी कामयाबियों की नई मंजिलें तय करती जा रही हैं। 2014 का साल भी सानिया के लिए बेहद खास रहा। इस साल उन्होंने अपने टेनिस करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब (मिश्रित युगल) जीता। 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2012 में फ्रेंच ओपन के बाद 2014 में सानिया ने अमेरिकी ओपन में ब्रूनो सोयर्स के साथ मिश्रित युगल खिताब जीतने में सफलता पाई। यही नहीं, सानिया डब्ल्यूटीए टूर फाइनल्स जीतने वाली देश की पहली टेनिस खिलाड़ी भी हैं। यह कामयाबी

उन्होंने कारा ब्लैक को साथ लेकर हासिल की। भारत की यह टेनिस सनसनी अंतरराष्ट्रीय टेनिस स्पर्धाओं की खातिर पहले इंचियोन एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं ले रही थीं लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई, तब जाकर देश की खातिर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। एशियाड में सानिया ने साकेत मायेनी के साथ मिश्रित युगल में जोड़ी बनाई और अपना गला सोने के पदक से सजाया। महिला युगल में भी सानिया मिर्जा के खाते में कांस्य पदक आया। 2015 की शुरुआत होने के पहले मीडिया में ये भी खबरें आईं कि उनकी पति शोएब मलिक के साथ अनबन चल रही है लेकिन इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि दोनों की तरफ से किसी ने भी नहीं कीं, अलबत्ता खबरें तो यहां तक मिल रहीं हैं कि सानिया के परिवार में नया मेहमान जल्दी ही आने वाला है।

सरिता देवी रू 2014 में जहां एक ओर एशियाई खेलों में भारतीय कामयाबी की नई इबारत लिखी गई, वहीं एक खराब प्रसंग ने नए विवाद को जन्म दे दिया। यह विवाद था एल. सरिता देवी का। सरिता को जब लाइटवेट भार वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में मेजबान कोरियाई मुक्केबाज के खिलाफ परास्त घोषित किया गया, तो वे रिंग में ही रो पड़ीं और पदक वितरण समारोह में उन्होंने कांस्य पदक लौटा दिया। एशियाई खेलों के इतिहास में भारत का यह पहला प्रसंग था, जब किसी खिलाड़ी ने पदक वितरण समारोह में पदक लेने से इंकार किया हो। उन्होंने यह पदक उसी खिलाड़ी को वापस कर दिया जिससे वह हारी थीं। हालांकि खुद सरिता ने भी बाद में अपने व्यवहार के लिए माफी मांग ली थी। सरिता पर ज्यादा सख्त कार्रवाई न हो, इसके लिए सचिन तेंदुलकर तक केंद्रीय खेलमंत्री से मिले। सरिता का विवाद लंबा चला। पहले यह कहा जा रहा था कि सरिता पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, लेकिन साल के आखिरी में फैसला हो गया कि सरिता केवल 1 साल तक मुक्केबाजी रिंग में नहीं उतर पाएंगी।

वेनेश फोगाट रू कुश्ती में सिर्फ भारतीय पुरुष पहलवान ही कामयाबी हासिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि महिला पहलवाओं ने भी देश का नाम ऊंचा किया है। भारतीय महिलाओं ने अपनी कुश्ती कला का शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। एशियाई खेलों में भी भारतीय पहलवान खाली हाथ नहीं लौटीं और उन्होंने भी 2 कांस्य पदक जीते। ग्लास्गो राष्ट्रमंडल में वीनेश फोगाट का जलवा दिखाई दिया, जब उन्होंने 48 किलोग्राम फ्रीस्टाइल भार वर्ग में अपना गला सोने के पदक से सजाया। वीनेश ने एशियाई खेलों में भी कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। वीनेश के पदचिह्नों पर चलकर गीतिका जाखड़ ने भी राष्ट्रमंडल खेलों में 63 किलोग्राम वर्ग में रजत और एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। वीनेश और गीतिका के अलावा भारत की तीसरी पहलवान बबीता कुमारी भी ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की झोली में सोने का पदक डालने में कामयाब हुईं। दीपा कर्माकर रू जिम्नास्टिक में भी अब भारत अपनी दखल रखने लगा है और इसमें दीपिका कर्माकर का नाम शीर्ष पर है।

दीपिका देश की ऐसी पहली जिम्नास्ट बन गई हैं, जिन्होंने ग्लास्गो राष्ट्रमंडल में भारत के लिए जिम्नास्टिक का दूसरा पदक जीता। इससे पहले 2010 में आशीष ने भारत के लिए पदक जीता था। महिलाओं की वोल्ट स्पर्धा 20 साल की दीपा ने 14.366 अंक अर्जित करके कांसे का पदक जीता। वे देश की पहली महिला जिम्नास्ट बन गई हैं, जिन्होंने राष्ट्रमंडल में कोई पदक जीता हो। महिला कबड्डी में दिखाया दम रू भारतीय महिलाओं ने पुरुषों कबड्डी टीम की शानदार कामयाबी से प्रेरणा लेकर लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। 2010 के एशियाई खेलों में भी सोने का पदक जीता था और इसे 2014 के एशियाई खेलों में भी बरार रखा। सनद रहे कि 1990 से कबड्डी को एशियाई खेलों में शरीक किया गया था और तभी से सोने के पदक पर भारत की पुरुष टीम का अधिकार है।

सन्दर्भः—

1- "Sports History in China"-
2- "Mr Ahmed D- Touny ¼EGY½] IOC Member"-
3- "Persian warriors"-
4- "Ancient Olympic Games"-
5- "Merriam&Webster"-
6- "Sport and apartheid"-
7- "Recognized non&Olympic Sports"- 2007&01&03-

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

स्कूल छोड़ते बच्चों की फिक्र कौन करेगा

राममणी दुबेदी(शिक्षा सकांय)
प्रार्चया काल्याणिक केन्दीय शिक्षा निकेतन महाविघालय
अमरकंटक जिला अनुप पुर

शिक्षा में दाखिले को लेकर भारत का आंकड़ा बेशक सुनहरा है लेकिन आगे चलकर यही आंकड़ें बदरंग हो जाते हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट में बताया गया है कि पांचवी के बाद बच्चे तेजी से स्कूल छोड़ रहे हैं

भारत सरकार के अपने आंकड़े भी कमोबेश यही बताते हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की रिपोर्टें भी बताती हैं कि शैक्षिक ढांचे में ऐसी कई गड़बड़ियां निहित हैं जो हालात सुधरने नहीं देतीं। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षणिक मामलो की एजेंसी यूनेस्को के सांख्यिकीय कार्यालय और ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के एक ताजा संयुक्त अध्ययन में पाया गया है कि भारत में करीब पांच करोड़ बच्चे अपर सेकेंडरी स्कूल तक पहुंच नहीं पाते हैं। यानी छठी, सातवीं और आठवीं की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। वैश्विक स्तर पर, स्कूल से वंचित रह जाने वाले किशोरों की सबसे अधिक संख्या भारत में ही है।

2014 में यूनेस्को की रिपोर्ट ने भारत को सबसे निरक्षर देश आंका था। 2015 में देश का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) महज साढ़े 23 प्रतिशत था जबकि साक्षरता दर थी 74 फीसदी से ज्यादा। देश में प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर की शिक्षा पर अपने शोध, अध्ययन और सर्वे के लिए मशहूर संस्था प्रथम की 2014 की सालाना शिक्षा रिपोर्ट बताती है कि भले ही 96।7 फीसदी बच्चों ने स्कूलों में दाखिला लिया हुआ है, उनमें से 71 फीसदी जाते भी हैं लेकिन बच्चो का शैक्षणिक स्तर भी सोचनीय पाया गया। यानी दाखिले और एनरोलमेंट तो भरपूर हैं लेकिन शिक्षा का स्तर कमजोर है।

गुणवत्ता शिक्षा हेतु नवीन लक्ष्य

किसी भी प्रकार के विकास एवं उन्नति के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के अभाव में कुछ भी अर्थपूर्ण हांसिल नहीं किया जा सकता। यह लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु क्षमताओं का निर्माण कर तथा बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साक्षरता के स्तर में वृद्धि से उच्च उत्पादकता बढ़ती है तथा अवसरों के सृजन से स्वास्थ्य में सुधार, सामाजिक विकास और उचित निष्पपक्षता को प्रोत्साहन मिलता है। यह लोगों को अपने बलबूते पर किसी भी निर्णय लेने तथा विचार करने हेतु सामर्थ्य प्रदान करता है।

साक्षरता स्तर में वृद्धि तथा कुशल कार्यबल का विकास, मध्य प्रदेश को जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु सहायता कर रहा है। आज के बदलते युग में उच्च शिक्षित एवं कुशल पेशेवरों की आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है। राज्य के लिए यह अत्यावश्यक है कि वह सभी स्तर के लोगों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। साथ ही यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी अपनी बुनियादी शिक्षा गुणवत्ता के साथ पूर्ण करे और सभी के लिए उच्च शिक्षा एवं उन्नत कौशल प्राप्त करने के अवसर यहां उपलब्ध हो। शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने बहुत अधिक उन्नति की है। साक्षरता दर वर्ष 2001 में 64 ।11 प्रतिशत थी, (संपूर्ण भारत – 65 प्रतिशत) जो वर्ष 2011 में बढ़कर 70 ।63 प्रतिशत (संपूर्ण भारत में 74 ।04 प्रतिशत) हुई। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के दाखिलों का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2011 में, प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के लिए सकल दाखिला अनुपात 98 ।88 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक सस्तर (कक्षा 6 से 8) के लिए सकल दाखिला अनुपात 99 ।27 प्रतिशत रहा है। ड्रॉपआउट रेट में भी कमी आयी है और अब यह प्राथमिक स्तर पर 8 ।2 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 7 ।4 प्रतिशत हो गई है। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता में सुधार लाने हेतु अधिक जोर दिया जा रहा है। राज्य का लक्ष्य न केवल साक्षर राज्य के रूप में बल्कि स्कूली समाज से परे शिक्षा के प्रति जागरूक समाज के रूप में शिक्षित राज्य होना है। इसलिए मध्यप्रदेश शासन सभी को उचित गुणवत्ता तथा प्रासंगिक शिक्षा के अवसर प्रदान करने और साथ ही रोजगारोन्मुखी तथा कौशल विकास के पाठ्यक्रम (कोर्स) पर अधिकतम बल दे रही है। इस क्षेत्र में, शासन भी निजी उद्यमियों को राज्य में रखने हेतु उत्सुक है, जो कि इन उद्देश्यों को वास्तविकता में लाने हेतु सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को प्रमाणित करने हेतु 1 अप्रैल, 2010 को प्रभाव में लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा शासन तथा स्थानीय अधिकारियों पर निर्धारित मापदण्ड और नियम के अनुसार विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु दायित्व सौंपा गया।

समाज या राज्य अपना अधिकतम विकास करने में तभी सक्षम होगा, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता में वृद्धि कर पाएगा। अपनी इस क्षमता को हांसिल करने के लिए व्यक्ति को शिक्षित होना होगा। 'श्बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009श्श के द्वारा राज्य शासन और स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने हेतु आदेश दिया गया है कि 6–14 वर्ष के आयु का प्रत्येक बच्चा कम से कम प्राथमिक शिक्षा पूरी करे।

क्या उच्च शिक्षा केवल अमीरों के लिए?

भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग के और भी ज्यादा उत्कृष्ट संस्थान शुरू करने की घोषणा की है। आईआईएम जैसे प्रबंधन संस्थानों के केन्द्र जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश और असम में भी खुलने हैं। लेकिन बुनियादी ढांचे और फैकल्टी की कमी की चुनौतियां हैं। यहां सीट मिल भी जाए तो फीस काफी ऊंची है।

सबसे खतरनाक स्कूल
चट्टान और मौत पर चढ़ाई

चीन के शिचुआन प्रांत के अतुलेर गांव का एक स्कूल शायद दुनिया का सबसे खतरनाक स्कूल है। हर दिन बच्चों को बेहद कड़ी 800 मीटर की चढ़ाई चढ़ स्कूल जाना पड़ता है, वापसी में इसी रास्ते से नीचे भी उतरना पड़ता है।

ऐसा क्यों हो रहा है जबकि भारत में स्कूलों की संख्या बढ़ी हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2003 से 2014 के बीच करीब दो लाख प्राइमरी स्कूल खुले हैं जो भारत में कुल प्राइमरी स्कूलों का करीब साढ़े 24 फीसदी हैं। इनमें से 95 फीसदी स्कूलों की अपनी इमारत भी है। लेकिन ये इमारतें किस हाल में हैं, वहां की दीवारों, कक्षों, दरवाजों, खिड़कियों, शौचालयों की क्या स्थिति है– ये भी देखा जाना चाहिए। स्कूलों का बुनियादी ढांचा चरमराया हुआ है। क्लासरूम से लेकर खेल के मैदान तक हर जगह छेद ही छेद हैं। बिजली, पानी, शौचालय, बाउंड्री दीवार, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर जैसी व्यवस्थाएं कहीं सही हैं तो कहीं सोचनीय।

स्कूल छोड़ने के इस तरह कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण हम देख सकते हैं। जैसे टीचरों की संख्या का अभाव। पांच लाख से ज्यादा टीचर ठेके पर हैं। उनमें से आधे प्रशिक्षित भी नहीं हैं। वैसे प्रशिक्षित टीचरों का ही घोर अभाव है। टीचरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था निजी हाथों में है और इस मामले में ये दुनिया का अकेला देश बताया जाता है जहां टीचरों की ट्रेनिंग का काम प्राइवेट हाथों में है। टीचर कम हैं तो जाहिर है उसका असर छात्र शिक्षक अनुपात पर पड़ रहा है। और नतीजा। नतीजा यही कि छह से 14 साल के सभी बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, लेकिन करीब साढ़े तीन करोड़ अब भी बाहर हैं।

क्यों खास है फिनलैंड का शिक्षा मॉडल
देर से शुरुआत

टंतरराष्ट्रीय स्कूलों की रैंकिंग में लगातार टॉप पर रहने वाले फिनलैंड के स्कूलों की सार्वजनिक

शिक्षा प्रणाली को आदर्श माना जाता है। पहला कारण बच्चों को ज्यादा लंबे समय तक बच्चे बने रहने देना है। यहां बच्चे करीब सात साल की उम्र में स्कूल जाना शुरु करते हैं जबकि भारत में 3 साल में।

पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़ देने की सबसे बड़ी वजहों में एक गरीबी भी है। बड़े होते बच्चे अपनी पारिवारिक विवशताओं और सामाजिक हालात की वजह से साधारण रोजगार की ओर मुड़ जाते हैं। दुकानों, ढाबों, गैराजों, छोटे होटलों, रेहड़ी जैसे छोटे व्यवसायों में इस उम्र के बच्चों को देखा जा सकता है। दरअसल बेहतर संरचना के अलावा ऐसी नीतियों की भी जरूरत है जिसमें सीखने की पूरी अवधि के विभिन्न चरणों में आने वाली बाधाओं को दूर करते रह सकें। एक ऐसी मानवीय और पारदर्शी और कर्तव्यनिष्ठ निगरानी व्यवस्था की जरूरत है जो अपने बच्चों को न सिर्फ स्कूल लाए बल्कि ये सुनिश्चित भी करे कि वे पूरी पढ़ाई करके निकलें।

सन्दर्भः—

1. Schwartz, I., Allen, K. E (????). The Exceptional Child (4 ed.). Delmar engage Learning. ISBN 0-7668-0249-3.Inclusion in Early Childhood Education.
2. PhDinSpecialEducation.com "How to Support Special Needs Students"].
3. Zelkowitz, Alyssa. "Strategies for Special Education & Inclusion Classrooms".

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

राष्ट्र निर्माण और विकास में महिलाओं की भूमिका "

इन्द्रा वर्मन

सहायक प्रध्यापक समाज शास्त्र विभाग

एक्सीलेंस संस्थान कोलार

भारत का नवनिर्माण इसकी आजादी के साथ हुआ। राष्ट्र निर्माण के विभिन्न स्तरों पर भारतीय नारी का असीम योगदान रहा है। महिलाओं ने न सिर्फ कड़े संघर्ष से मिली स्वतंत्रता को बनाए रखा बल्कि हर क्षेत्र में अपने देश का नाम मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ बुलंदियों तक पहुंचाया।

राजनैतिक और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विजय लक्ष्मी पंडित ने 1946, 1947, 1950 और 1963 में संयुक्तराष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1953–54 में वह संयुक्तराष्ट्र महासभा की सदस्य भी रहीं। 1962–64 में महाराष्ट्र की राज्यपाल और 1964–66 तक लोकसभा की सदस्य रहीं। कुल्सुम जे. सायानी ने 1957 में यूनेस्को के तत्वावधान में हुए प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 1959 में समाज सेवा के लिए पद्मश्री तथा 1969 में नेहरू साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैनब बेगम 1972 में विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुईं तथा कई वर्षों तक जिला कांग्रेस कमेटी श्रीनगर की अध्यक्षा रहीं। उन्होंने पिछड़ी हुई जातियों के लिए 27 वर्ष तक निरंतर कार्य किया। वह इनके बीच रहीं, इनके दुख–दर्द को समझा और बराबर जन कल्याण में जुटी रहीं। उन्होंने युद्ध विधवाओं को बसाने के लिए बहुत–सी योजनाएं बनाईं जिससे वे अपने परिवार का पालन–पोषण कर सकें। अहिंसा आंदोलनों में सहभागिता करने वाली अनुसूया बाई स्वतंत्रता के बाद केन्द्रीय विधान सभा की सदस्या चुनी गईं।

इंदिरा गांधी ने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शासन व्यवस्था बखूबी संचालित की। उनके नेतृत्व में भारत राजनीतिक मोर्चे पर ही आगे नहीं बढ़ा बल्कि आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में उसने उल्लेखनीय प्रगति की है। बैंकों में राष्ट्रीयकरण से समाजवाद तथा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के आर्थिक विकास को नई दिशा दी। विज्ञान के क्षेत्र में भी उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। अपनी सूझ–बूझ और दूरदर्शिता से उन्होंने भारत की विदेशी नीति को नए आयाम दिए। बंगला देश के

स्वतंत्रता आंदोलन और पाकिस्तान से युद्ध के दौरान उन्होंने अद्वितीय भूमिका निभाई। राजधानी में एशियाई खेलों का सफल आयोजन तथा मार्च, 1983 में नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन आयोजित कर उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मान बढ़ाया। गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षा के रूप में उन्होंने युद्ध की विभीषिका को कम कर विश्व शांति की स्थापना के लिए अथक प्रयास किए। उनके देश की बागडोर संभालने के वकत देश गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। 1962 के चीनी हमले और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई हुई थी। 1965 में सूखे ने हालात और भी भयावह कर दिए थे। निर्गुट राष्ट्र सम्मेलन में भारत का बोलबाला कम हो रहा था। ऐसी अनेक समस्याओं को धैर्य से हल करके इंदिरा गांधी ने भारत की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता में शानदार वृद्धि की।

ाांतिदूत मदर टेरेसा ने विदेशी होते हुए भी भारत को अपना कर्मक्षेत्र बनाया। कलकत्ता में 'द सोसाइटी ऑफ द मिशनरीज ऑफ चौरिटी' नामक संस्था के माध्यम से उन्होंने गरीबों, दीन–दुखियों, लाचारों की सेवा का बीड़ा उठाया। उन्होंने करुणा तथा प्रेम को नया अर्थ प्रदान किया। अनेक अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित मदर टेरेसा अपनी पूरी जिन्दगी दया का फरिश्ता बनी रहीं। उन्होंने दया, प्रेम, सेवा, मानवता के संदर्भों को भारत के परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया में वितरित किया।

दुर्गाबाई देशमुख ने महिलाओं के कल्याण के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की। 1953 से 1965 तक वह इसकी चेयरमैन रहीं। उन्होंने अखिल भारतीय महिला परिषद् की कार्यकता के नाते व्यापक सामाजिक कार्य किए। वह महिला शिक्षा की राष्ट्रीय कमेटी, आंध्र महिला संघ, विश्वविद्यालय महिला संघ, नारी रक्षा समिति तथा नारी निकेतन से सक्रिय रूप से जुड़ी रहीं। महिला व समाज कल्याण पर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं। 1975 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की गई।

पद्मजा नायडू ने 1956–67 तक पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल के तौर पर उल्लेखनीय कार्य किया। 1968–74 तक वह नेहरू मैमोरियल एंड म्यूजियम की अध्यक्षा भी रहीं। पदम भूषण डॉ. मुत्थुलक्ष्मी रेड्डी ने मद्रास में कैंसर अस्पताल की स्थापना की। वह मद्रास स्टेट सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड की 1957 तक अध्यक्षा रहीं। दिल्ली की सुविख्यात समाज सुधारक रुस्तमजी फरीदोनजी ने महिलाओं के लिए नागरिक एवं राजनीतिक दोनों अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वह अंत तक इंडिया ऐजूकेशन फंड एसोसिएशन की अध्यक्षा रहीं। उन्होंने दिल्ली के 'लेडी इरविन कॉलेज फॉर वुमन' की स्थापना भी की। दक्षिण भारत की समाज सुधारक लक्ष्मी मेनन 1952 में राज्य सभा हेतु निर्वाचित हुईं। 1952–57 तक संसदीय सचिव, 1952–57 तक डिप्टी मिनिस्टर, 1957–62 तक राज्य मंत्री तथा 1962–67 तक विदेश मंत्रालय में रहीं। उन्हें 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1967 में उन्होंने

सक्रिय राजनीति से अवकाश ग्रहण कर अपना सारा समय महिलाओं के सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यों को समर्पित कर दिया। वह ऑल इंडिया वुमेंस कान्फ्रेंस की फाउंडर मेंबर थीं। पद्मश्री से सम्मानित दिल्ली की सविता बेन 1946—53 तक दिल्ली प्रदेश सेविका दल की जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहीं। उन्होंने हरिजन व मजदूर बच्चों के लिए तीन स्कूल खोले। दिल्ली में हरिजन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, महिलाओं के लिए ट्रेनिंग तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा दो केन्द्र शरणार्थी महिलाओं के लिए खोले। 1956—57 में वह दिल्ली पालिका केन्द्र की प्रथम महिला उपाध्यक्ष रहीं। 1972 में वह राज्य सभा हेतु निर्वाचित हुईं उपरोक्त के अलावा भी असंख्य अन्य महिलाओं ने देश की राजनीति में सक्रिय भाग लेकर इसके विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1972—73 में महाराष्ट्र व उत्तराखंड में महिलाओं ने शराब विरोधी अभियान छेड़े। उत्तराखंड में महिलाओं ने वृक्षों से चिपककर बिगड़ते हुए पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता जताई, इन्हीं वर्षों में महाराष्ट्र में महिलाओं का बढ़ती महंगाई के खिलाफ अभियान शुरू हुआ। 1975 में वामपंथी महिलाओं ने पुणे में पुरोग्रामी स्त्री संगठन तथा मुंबई में स्त्री मुक्ति संगठन स्थापित करके दलित महिलाओं व देशवासियों के उत्थान की दिशा में काम किया। 1975 में प्रगतिवादी महिला संगठन ने हैदराबाद में पहला दहेज विरोधी मोर्चा निकाला। 80 के दशक में महिला दक्षता समिति, कर्मिका, नारी रक्षा समिति, सहेली ने मिलकर दहेज के खिलाफ आवाका बुलंद की और इस सामाजिक बुराई के खिलाफ लोगों में चेतना पैदा की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने जिस सत्याग्रह को अपनाया था उसे उन्होंने इस देश की साधारण महिलाओं से ही सीखा था। बातचीत द्वारा समस्या का हल निकालना, वार्तालाप करना, धीरे—धीरे विरोधी को अपने अनुकूल ढालना—यह सब तरीके महिलाओं ने अपने अनुभवों से ही विकसित किए हैं।

वर्तमान में भी महिलाएं दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में महापौर, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और सांसदों के पद पर आसीन हो देश की प्रगति के लिए कार्यशील हैं। देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में भी महिलाएं विभिन्न पदों पर आसीन हैं। अनेक सामाजिक संगठनों के बल पर राष्ट्र की छवि निखारने का बीड़ा महिलाओं ने उठाया है, उनका यह कार्य श्लाघा योग्य है।

थ्कसी भी राष्ट्र के निर्माण में साहित्य की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। विशिष्ट साहित्य समाज के नागरिकों में उत्तम गुणों का संचार करता है तथा राष्ट्र को अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर मान दिलाता है। भारतीय साहित्य क्षेत्र में महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान से लेकर नई पीढ़ी की महिला रचनाकारों में भी राष्ट्र के प्रति गौर, आस्था के भाव व नागरिकों के लिए चेतना के स्वर प्रस्फुटित होते आए हैं। कहानी के क्षेत्र में मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, कवियित्रियों में कीर्ति चौधरी, शकुंत माथुर, इंदु जैन, स्नेहमयी चौधरी, अनामिका कात्यायनी के अतिरिक्त समग्र साहित्य के क्षेत्र में अमृता

प्रीतम, अजीत कौर, अनिता देसाई, कमला दास, शशि देशपांडे, मंजीत कौर टिवाणा, पदमा सचदेव, प्रतिभा दे, लिली मिश्रा दे, राजम कृष्णन, प्रभजोत कौर, कुर्रतुल–एन–हैदर, तारा मीरचंदानी, मालती चंदर, महाश्वेता, कला प्रकाश, आशापूर्णा देवी, कुंदनिका कपाड़िया, सुनेत्र गुप्ता, इंदिरा गोस्वामी, नवनीता देव सेन सहित अनेक महिला रचनाकारों ने विभिन्न भाषाओं में अपनी रचनाओं में भारतीय जन–जीवन, मानवीय संवेदनाओं का गहन चित्रण कर के देश–विदेश में भारत का मस्तक ऊंचा किया। अरुंधती राय को उनके उपन्यास 'द गॉड ऑफ स्माल थिंग्स' के लिए बहुप्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार मिला।

आज मीडिया, पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में भी महिलाओं का वर्चस्व कायम है। सेना, वायुयान उड़ाना, पर्वतारोहण आदि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी भागीदारी करके लैंगिक असमानता को दूर कर दिखाया है। शिक्षा, विज्ञान, खेल–कूद, व्यवसाय, सूचना–प्रौद्योगिकी, चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से अधिक योग्य सिद्ध हो रही हैं। 9 मई, 1984 को कुमारी बछेंद्रीपाल एवरेस्ट चोटी पर विजय पताका फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला बनीं। 5 अक्तूबर, 1989 को केरल उच्च न्यायालय की भूतपूर्व न्यायाधीश एम. फातिमा बीवी ने सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया। गीत–संगीत के क्षेत्र में महिलाओं ने आकाश की बुलंदियों को स्पर्श करके विदेशियों को भी मोहित किया है। एम. एस. सुब्बलक्ष्मी ने अपनी मीठी वाणी से कर्नाटकीय संगीत को पश्चिम के लोगों में लोकप्रिय कर दिया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर तथा आशा भोंसले की मीठी तान सुनकर भारतीय ही नहीं सुदूर देशों में बसे विदेशी भी झूम उठते हैं। प्रथम महिला आई.पी.एस. किरण बेदी ने भारत की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल में कैदियों को सुधार कर अपने प्रयास शुरू किए। उन्हें वांछित सफलता के साथ–साथ मैगासेसे पुरस्कार और जोसफ बियुस पुरस्कार मिले, साथ ही विश्वव्यापी प्रसिद्धि भी। कमला देवी चट्टोपाध्याय भारतीय संस्कृति, कला रंगमंच और साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर रहीं हैं वह समाज सेवा और राजनीति में भी अग्रणी रहीं। उन्होंने भी मैगासेसे पुरस्कार हासिल कर भारत का मान बढ़ाया।

मीरा नायर, कल्पना लाजमी, पूजा भट्ट जैसी महिलाओं ने बतौर निर्देशक रजत पट का स्पर्श किया है तो अभिनेत्रियों के दौर पर अभिनय कला को समृद्ध करने वाली महिलाओं की फेहरिस्त काफी लंबी है तथापि देविका रानी, नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला, वैजयन्ती माला, वहीदा रहमान, ललिता पवार, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, तब्बू सरीखी अभिनेत्रियों ने देश–विदेश के दर्शकों के दिलों पर राज करते हुए भारतीय सिनेमा की पहचान विश्व भर में बनाई है।

आर्थिक स्तर पर महिलाओं ने स्वयं उद्यमी बनकर राष्ट्रीय विकास करते हुए अपनी जगतव्यापी पहचान बनाई है। सौंदर्य जगत में शहनाज हुसैन ऐसा नाम है जिसने भारत के कोने–कोने में मौजूद

जड़ी–बूटियों को लेकर छोटा–सा व्यवसाय शुरू किया और सफलता के शीर्ष पर सौंदर्य जगत में कीर्तिमान स्थापित कर दिया। फैघ्शन के नभ पर दैदीप्यमान आशिमा–लीना सिंह ने एक सिलाई मशीन से कपड़े सिलने की शुरूआत कर फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया। आज विभिन्न तकनीकी संस्थानों में महिलाएं बढ़–चढ़ कर प्रवेश ले रही हैं। उनमें आत्मगौरव, आत्मविश्वास व साहस का संचार हुआ है और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। इसी प्रकार अनेक निजी महिला संगठनों के अलावा महिला मंडल, सोसायटी फॉर प्रोफैशनल इंस्टीट्यूशन, वाई. डब्ल्यू. सी. ए., महिला पॉलिटेक्निक जैसी तमाम संस्थाओं के माध्यम से आज हजारों महिलाएं देश के आर्थिक विकास की दिशा में अहम भूमिका निभा रही हैं।

श्राष्ट्र के समग्र विकास तथा उसके निर्माण में महिलाओं का लेखा–जोखा और उनके योगदान का दायरा असीमित है तथापि देश के चहुंमुखी विकास तथा समाज में अपनी भागीदारी को उसने सशक्त ढंग से पूरा किया है। अपने अस्तित्त्व की स्वतंत्रता कघयम रखते हुए वह पुरुषों से भी चार कघ्दम आगे निकल गई हैं। संकीर्णता, जात–पात, धार्मिक कट्टरता, भेदभाव, मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़कर महिलाओं ने देश को एक नई सोच, नया विचार प्रदान किया है।
उन सभी नेताओं का राष्ट्र ऋणी रहेगा जिन्होंने सच्चे अर्थों में राष्ट्र को गुलामी के बंधनों से मुक्त कराया और स्वतंत्रता के उपरांत निरूस्वार्थ भाव से इसका नवनिर्माण करते हुए विश्व के शिखर तक पहुँचाया। राष्ट्र और आजाद भारत के हम सभी नागरिक उन सभी जानी–अनजानी महिलाओं के प्रति भी कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें मुक्त हवा में सांस लेने की स्थिति प्रदान की हमें प्रकाश प्रदान करके खुद गुमनामी के अंधेरों में खो जाने वाली उन अज्ञात वीरांगनाओं को भी।
हम ह्रदय की असीम गहराइयों से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के अभूतपूर्व योगदान को स्मरण कर मन स्वतरू ही कह उठता है नारी तुम महान हो!

राष्ट्र निर्माण और विकास में महिलाओं की भूमिका

"नारी" विधाता की सर्वोत्तम और नायाब सृष्टि है घ्य नारी की सूरत और सीरत की पराकाष्ठा और उसकी गहनता को मापना दुष्कर ही नहीं अपितु नामुमकिन है घ्य सामाजिक , सांस्कृतिक , धार्मिक, भौगोलिक ,ऐतिहासिक और साहित्यिक जगत में नारी के विविध स्वरूपों का न केवल बाह्य ,अपितु अंतर्मन के गूढ़तम भाव–सौन्दर्यात्मक स्वरुप का भी रहस्योद्घाटन हुआ है घ्य नारी, प्रकृति एवं ईश्वर द्वारा प्रदत्त अद्भुत 'पवित्र साध्य' है ,जिसे महसूस करने के लिए 'पवित्र साधन' का होना जरूरी है घ्य इसकी न तो कोई सरहद है और ना ही कोई छोर ! यह तो एक विराट स्वरूप है ,जिसके आगे स्वयं विधाता भी नतमस्तक होता है घ्य यह 'अमृत–वरदान' होने के साथ–साथ 'दिव्य औषधि' है घ्य नारी ही वह सौंधी मिट्टी की महक

है , जो जीवन–बगिया को महकाती है और न केवल व्यक्तिगत बल्कि राष्ट्र–निर्माण एवं विकास में अपनी महत्ती भूमिका निभाती है द्य नारी के लिए यह कहा जाए कि यह– "विविधता में एकता है" ३तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी द्य क्यों कि महिलाओं के बाह्य स्वरूप ,सौन्दर्य और पहनावे में विविधता तो होती है , लेकिन उनके मानस में एकाकार और केन्द्रीय शक्ति ईश्वर की तरह 'एक' ही होती है द्य इसी शक्ति के इर्द–गिर्द सूर्य और अन्य ग्रहों की भाँति अनेक प्रकार के सद्‌गुण निरन्तर गतिमान रहते हैं जैसे कृ विश्वास, प्रेम, करूणा ,निष्ठा , दया , समर्पण, त्याग, बलिदान , ममता , शीतलता , स्नेह , कुशलता , कर्तव्यपरायणता , सहनशीलता , मर्यादा , समता , सृजनशीलता और सहिष्णुता इत्यादि–इत्यादि द्य इन्हीं विविध शक्तियों के परिणामस्वरूप महिलाओं का राष्ट्र–निर्माण और विकास में अद्‌भुत और अतुलनीय योगदान है द्य महिलाओं के इस सतत् योगदान को हम कुछ बिन्दुओं के माध्यम से समझ सकते हैं कृ

१. माँ के रूप में योगदान रूदृ मानव कल्याण की भावना ,कर्तव्य ,सृजनशीलता एवं ममता को सर्वोपरि मानते हुए महिलाओं ने इस जगत में माँ के रूप में अपनी सर्वोपरि भूमिका को निभाते हुए राष्ट्र–निर्माण और विकास में अपना विशेष दायित्वों का निर्वहन किया है द्य बच्चों को जन्म देकर उनका पालन–पोषण करते हुए उनमें संस्कार और सद्‌गुणों का उच्चतम विकास करती हैं तथा राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती हैं ताकि राष्ट्र निर्माण और विकास निर्बाध गति से होता रहे द्य वीर भगतसिंह , चन्द्रशेखर , विवेकानन्द जैसी विभूतियों का देशहित में अवतार "माँ " के स्वरूप की ही देन है द्य माता जीजाबाई , जयवंताबाई , पन्नाधाय जैसी अनेक माताओं का त्याग ,समर्पण और बलिदान आज भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अंकित है द्य माँ ही है , जो बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण और विकास करती है , जो राष्ट्र– निर्माण के लिए आवश्यक है द्य नेपोलियन बोनापार्ट ने "माँ" की गरिमा को समझते हुए कहा था कि दृमुझे एक योग्य माता दो ,मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दूँगा द्य इस कथन से माँ के स्वरूप का राष्ट्र–निर्माण और विकास में अतुलनीय योगदान छिपा है द्य

२. पत्नी के रूप में योगदान रूदृ माँ के पश्चात पत्नी का अवतार राष्ट्र–निर्माण और विकास में महत्ती भूमिका निभाता है द्य पत्नी चाहे तो पति को गुणवान और सद्‌गुणी बना सकती है । सदियों से देखने में आया है , कि जब भी देश पर संकट आया है तो पत्नियों ने ही अपने शौहर के माथे पर तिलक लगाकर जोश, जूनून और विश्वास के साथ रणभूमि में भेजा है । यही नहीं पत्नी ही "हाड़ी" बनकर शीश काटकर दे देती है । साहित्य समाज का दर्पण होता है ३. जो कि राष्ट्र–निर्माण और विकास में योगदान देता है । इस योगदान की और पत्नियों का अहम योगदान देखा जा सकता है । उदाहरण के लिए कृ तुलसीदास जी के जीवन को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने में उनकी पत्नी "रत्नावली" का ही बुद्धि–चातुर्य था । "वि ाोत्तमा" ने कालीदास को संस्कृत का प्रकांड महाकवि बनाया था । हम छोटी सी बात का जिक्र करें तो यह बेमानी

नहीं होगा कि पति को भ्रष्टाचार ,बेईमानी ,लूट ,गबन इत्यादि , जो कि राष्ट्र को खोखला बनाते हैं ,जैसे कुकृत्यों से पत्नी ही दूर रखती है ,जो कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सही भी है ।

३. गृहिणी के रूप में योगदान रू कृ भारतीय समाज में महिलाऐं परिवार की मुख्य "धुरी" होती हैं ,जो कि एक गृहिणी के रूप में राष्ट्र– निर्माण और विकास में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाती हैं ,जो कि "अन्नपूर्णा" के ऐश्वर्य से अलंकृत और सुशोभित है । एक गृहिणी के रूप में वह सम्पूर्ण परिवार का सुचारू रूप से संचालन करती है तथा परिवार के संचालन हेतु बचत की प्रवृत्ति को भी विकसित करती हैं । वर्ष 1930, 1998 ,2008 और 2014 में आई वैश्विक आर्थिक मंदी से सभी देश ग्रसित हुए , परन्तु भारत नहीं !!! क्यों कि भारतीय महिलाओं की बचत की प्रकृति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया । ऐसा ही उदाहरण हमें वर्ष 2016 की नोटबंदी के दौरान देखने को मिला । इसी के साथ ही लगभग 65 प्रतिशत महिलाऐं कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते हुए देश की अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देती हैं । इनके अतिरिक्त हस्तकलाओं का निर्माण करते हुए भी विकास कार्यों को गति प्रदान करती हैं । अत रू यह भी राष्ट्र–निर्माण और विकास का ही एक हिस्सा है ।

४. संस्कृति, संस्कार और परम्पराओं की संरक्षिका के रूप में योगदान रूदृ महिलाऐं ही संस्कृति, संस्कार और परम्पराओं की वास्तविक संरक्षिका होती हैं । वे पीढ़ी दर पीढ़ी इनका संचारण और संरक्षण करती रहती हैं , सम्पूर्ण विश्व में भारत को विश्वगुरू का दर्जा दिलाने में महिलाओं की ही भूमिका रही है । यही कारण है कि भारत को संस्कृति और परम्पराओं का देश कहा जाता है ।

५. सामाजिक–शैक्षिक–धार्मिक योगदान रूदृ सभ्यता ,संस्कृति ,संस्कार और परम्परा महिलाओं के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मे हस्तान्तरित होती हैं । अत रू महिलाओं के सामाजिक–शैक्षिक–धार्मिक कार्य व्यक्ति ,परिवार ,समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं । कहा भी गया है कि कृ सशक्त महिला , सशक्त समाज की आधारशिला है । माता बच्चे की प्रथम शिक्षक है , जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी है । जब यह शिक्षिका परिवार से निकलकर समाज में शिक्षा का दान करती है तो यह एक सर्वोत्तम और पावन कार्य हो जाता है । देश की प्रथम शिक्षिका " सावित्री बाई फुले " एक अनुकरणीय उदाहरण है । वैदिक सभ्यता की मैत्रेयी , गार्गी , विश्ववारा , लोपामुद्रा ,घोषा और विदुषी नामक महिलाऐं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु आज भी पूजनीय हैं ,जिन्होंने राष्ट्र–निर्माण और विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया ।

६. स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रू–गुलामी राष्ट्र–निर्माण और विकास में न केवल बाधक है ,अपितु यह राष्ट्र को स्थिरता प्रदान करती है । यही कारण रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में

महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर भारत का नव–निर्माण करवाया । हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक महिलाओं ने अपना अमूल्य योगदान देते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया । कैप्टन लक्ष्मी सहगल , अरूणा आसफ अली ,दुर्गा भाभी ,मैडम भीकाजी कांमा ,सरोजिनी नायडू और एनीबीसेन्ट जैसी जाने कितनी महिलाओं ने राष्ट्र–निर्माण और विकास में अपना अतुलनीय योगदान दिया है ।

७. वैज्ञानिक योगदान रूदृ आत्मविश्वास , लगन , मेहनत , कर्मठता ,सृजनशीलता और बुद्धि–कौशल के कारण महिलाओं के लिए वैज्ञानिक खोजों और अनुसंधान का क्षेत्र अछूता नहीं है । आज अनेक महिलाऐं रक्षा विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों के रूप में अपना योगदान राष्ट्र–निर्माण और विकास में दे रही हैं । डॉ० टेसी थॉमस ने अग्नि–5 मिसाइलों की योजना का प्रतिनिधित्व करते हुए "भारत की मिसाइल वुमैन और अग्निपुत्री " का सम्मान हासिल किया है । ऐसी बहुत सी महिलाऐं वैज्ञानिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र–निर्माण और विकास में योगदान दे रही हैं ।

८. राजनैतिक योगदान रूदृ देश की राजनीति की दिशा और दशा इस बात पर निर्भर करती है कि उनका संचालन करने वाला व्यक्तित्व कैसा है ? इसी क्रम में महिलाओं ने यह सिद्ध करके दिखाया है कि वो राजनैतिक विकास में अपनी भागीदारी बखूबी निभा सकती हैं । सरोजिनी नायडू , सुचेता कृपलानी , इंदिरा गाँधी इत्यादि अनेक महिलाओं ने अपनी राजनैतिक प्रतिभा का प्रयोग राष्ट्र–निर्माण और विकास में किया है ,जो कि एक महत्वपूर्ण और सार्थक कदम है ।

९. प्रशासनिक क्षेत्र में योगदान कृ किसी भी राष्ट्र का प्रशासन उस राष्ट्र की प्रगति और विकास का सूचक होता है । यदि प्रशासनिक दक्षता और कुशलता सदृढ़ है तो राष्ट्र की प्रगति और विकास सुनिश्चित है । वर्तमान में अनेक महिलाऐं भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवाओं में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर राष्ट्र–निर्माण और विकास में अपना अतुलनीय योगदान दे रही हैं

१०. साहित्यिक योगदान रूदृ साहित्य ,समाज का दर्पण होता है । साहित्य के माध्यम से राष्ट्र–निर्माण और विकास उच्चतम स्तर पर किया जा सकता है ,क्यों कि साहित्य के द्वारा न केवल बुद्धि–कौशल वरन् व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास किया जा सकता है । यह साहित्यिक–कर्म यदि महिलाओं के द्वारा हो तो यह सोने पर सुहागा होता है ,क्यों कि महिलाओं में वि।मान "मर्म " साहित्य को गुणवत्तापूर्ण बनाता है । अनेक महिलाओं ने साहित्य–सृजनधर्मिता के द्वारा राष्ट्र–निर्माण और विकास में अपना विशेष योगदान दिया है ,जैसे दृ महादेवी वर्मा ,अमृता प्रीतम , मीरा ,आशापूर्णा देवी , महाश्वेता देवी , झुम्पा लाहिड़ी और सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि–इत्यादि । इन्होंने ऐसा कालजयी साहित्य लिखा ,जो कि व्यक्तित्व विकास के साथ–साथ आध्यात्मिक और नैतिक विकास को भी बल प्रदान करता है , जिसमें चेतना और राष्ट्र–निर्माण के स्वर मुखरित होते हैं ।

अत रू हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने अपने कर्तव्य, कर्मठता और सृजनशीलता के माध्यम से राष्ट्र–निर्माण और विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है । आज भी नारी पुरूषों के समान ही सुशिक्षित ,सक्षम ,और सफल है , चाहे वह क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक , खेल, कला , साहित्य , इतिहास , भूगोल, खगोल, चिकित्सा , सेवा , मीडिया या पत्रकारिता कोई भी हो । नारी की उपस्थिति, योगदान ,योग्यता ,उपलब्धियाँ ,मार्मिकता और सृजनशीलता स्वयं एक प्रत्यक्ष परिचय देती हैं । परिवार और समाज को संभालते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी ने हमेशा से ही विजय–पताका लहराते हुए राष्ट्र–निर्माण और विकास में अपना विशेष और अभूतपूर्व योगदान दिया है । यही कारण है कि वह सृजना ,अन्नपूर्णा, देवी ,युग–दृष्टा और युग–सृष्टा होने के साथ ही " स्वयं–सिद्धा" भी हैँ।

सन्दर्भः–

1. विश्व की सर्वाधिक सुंदर महिला?"cbsnews-com- अभिगमन तिथि २७ अक्टूबर २००७
2. "Rajya Sabha passes˘omen's Reservation Bill"- द हिन्दू. अभिगमन तिथिरू 25 अगस्त 2010.
3. खेपदकन.com/2010/03/10/stories/2010031050880100-htm "Rajya Sabha passes Women's Reservation Bill"]- n हिन्दू. अभिगमन तिथिरू 25 अगस्त 2010.
4. Jayapalan ¼2001½- Indian society and social institutions- Atlantic Publishers & Distri-- iŒ 145- आई०ष्स०बी०प्न० 9788171569250-
5. इस तक ऊपर जायेंरू आ इ ई उ ˘ब्वउमद पद भ्पेजवतलष् छंजपवदंस त्मेवनतबम ब्मदजमत वित˘वउमद. अभिगमन तिथिरू 2006–12–24.
6. आदर्श पत्नीरू त्रियम्बकयाज्वन द्वारा स्त्रीधर्मपद्धति (महिलाओं के कर्त्तव्यों में सहायक) (अनुवादक जूलिया लेसली), पेंग्विन 1995 आईएसबीएन 0–14–043598–0.
7. मम म•जमदेपअम म•बमतचजे तिवउ strIdharmapaddhati at http://www-cse-iitk-ac-in/~amit/books/tryambakayajvan&1989&perfect&wife&stridharmapaddhati-html
8. Mishra, R- C. (2006). Towards Gender Equality- Authorspress. आई०ष्स०बी०प्न० 81–7273–306–2.
9. Pruthi] Raj Kumar; Rameshwari Devi and Romila Pruthi ¼2001½- Status and Position of Women: In Ancient] Medieval and Modern India- Vedam books- आई०ष्स०बी०प्न० 81&7594&078&6.

International Refereed Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

बलिदानी, शहीद और राष्ट्रनिर्माता रानी अबंती बाई का इतिहास

रंजीता टेकाम
सहायक प्रध्यापक समाज शास्त्र विभाग
बुधनी म.प्र.

रानी अवंतीबाई भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगना थीं। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। 1857 के मुक्ति आंदोलन में इस राज्य की अहम भूमिका थी, जिससे इतिहास जगत अनभिज्ञ है। 1817 से 1851 तक रामगढ़ राज्य के शासक लक्ष्मण सिंह थे। उनके निधन के बाद विक्रमादित्य सिंह ने राजगद्दी संभाली। उनका विवाह बाल्यावस्था में ही मनकेहणी के जमींदार राव जुझार सिंह की कन्या अवंती बाई से हुआ। विक्रमादित्य सिंह बचपन से ही वीतरागी प्रवृत्ति के थे और पूजा–पाठ एवं धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते। अतरू राज्य संचालन का काम उनकी पत्नी रानी अवंतीबाई ही करती रहीं। उनके दो पुत्र हुए–अमान सिंह और शेर सिंह। अंग्रेजों ने तब तक भारत के अनेक भागों में अपने पैर जमा लिए थे।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पूर्वाग्रहीत एवं त्रुटिपूर्ण लेखन के कारण बहुत से त्यागी,

बलिदान, शहीदों और राष्ट्रनिर्माताओं को इतिहास के ग्रन्थों में उचित सम्मानपूर्ण स्थान नहीं मिल सका है। परन्तु ये शहीद और राष्ट्रनिर्माता जन–अनुश्रुतियों एवं जन–काव्यों के नायक एवं नायिकाओं के रूप में आज भी जनता के मन को अभीभूत कर उनके हृदय पर राज कर रहे हैं। उनका शोर्यपूर्ण बलिदानी जीवन आज भी भारतीयों के राष्ट्रीय जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है।

टमर शहीद वीरांगना अवन्तिबाई लोधी भी एक ऐसी ही राष्ट्र नायिका हैं जिन्हें इतिहास में उचित स्थान प्राप्त नहीं हो सका है, परन्तु वे जन अनुश्रुतियों एवं लोककाव्यों की नायिका के रूप में आज भी हमें राष्ट्रनिर्माण व देशभक्ति की प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध उनके संघर्ष एवं बलिदान से सम्बन्धित ऐतिहासिक सामग्री समकालीन सरकारी पत्राचार, कागजातों व जिला गजेटियरों में बिखरी पड़ी है। इस ऐतिहासिक सामग्री का संकलन और ऐतिहासिक व्याख्या समय की माँग है।
पिछड़े लोधीध्लोधाध्लोध समुदाय में जन्मी यह वीरांगना लोधी समाज में बढ़ती हुई जागृति को प्रतीक बन

गई है। पूरे भारत में लोधी समुदाय की आबादियों के बीच इनकी अनेक प्रतिमाएँ स्मारक के रूप में स्थापित हो चुकी हैं और यह कार्य निर्बाध गति से जारी है। अवन्तिबाई लोधी का इतिहास समाज में एक मिथक बन गया है।

क्रांति का प्रारंभ

देश के कुछ क्षेत्रों में क्रांति का शुभारम्भ हो चुका था। 1857 में 52वीं देशी पैदल सेना जबलपुर सैनिक केन्द्र की सबसे बड़ी शक्ति थी। 18 जून को इस सेना के एक सिपाही ने अंग्रेजी सेना के एक अधिकारी पर घातक हमला किया। जुलाई 1857 में मण्डला के परगनादार उमराव सिंह ठाकुर ने कर देने से इनकार कर दिया और इस बात का प्रचार करने लगा कि अंग्रेजों का राज्य समाप्त हो गया। अंग्रेज, विद्रोहियों को डाकू और लुटेरे कहते थे। मण्डला के डिप्टी कमिश्नर वाडिंग्टन ने मेजर इस्काइन से सेना की मांग की। पूरे महाकौशल क्षेत्र में विद्रोहियों की हलचलें बढ़ गईं। गुप्त सभाएं और प्रसाद की पुड़ियों का वितरण चलता रहा। इस बीच राजा शंकरशाह और राजकुमार रघुनाथ शाह को दिए गए मृत्युदण्ड से अंग्रेजों की नृशंसता की व्यापक प्रतिक्रिया हुई। वे इस क्षेत्र के राज्यवंश के प्रतीक थे। इसकी प्रथम प्रतिक्रिया रामगढ़ में हुई। रामगढ़ के सेनापति ने भुआ बिछिया थाना में चढ़ाई कर दी। जिससे थाने के सिपाही थाना छोड़कर भाग गए और विद्रोहियों ने थाने पर अधिकार कर लिया। रानी के सिपाहियों ने घुघरी पर चढ़ाई कर उस पर अपना अधिकार कर लिया और वहां के तालुकेदार धन सिंह की सुरक्षा के लिए उमराव सिंह को जिम्मेदारी सौंपी। रामगढ़ के कुछ सिपाही एवं मुकास के जमींदार भी नारायणगंज पहुंचकर जबलपुर–मण्डला मार्ग को बंद कर दिया। इस प्रकार पूरा जिला और रामगढ़ राज्य में विद्रोह भड़क चुका था और वाडिंग्टन विद्रोहियों को कुचलने में असमर्थ हो गया था। वह विद्रोहियों की

गतिविधियों से भयभीत हो चुका था।
खैरी युद्ध (23 नवम्बर 1857)

मण्डला नगर को छोड़कर पूरा जिला स्वतंत्र हो चुका था। अवंती बाई ने मण्डला विजय के लिए सिपाहियों सहित प्रस्थान किया। रानी की सूचना प्राप्त होने पर शहपुरा और मुकास के जमींदार भी मण्डला की और रवाना हुए। मण्डला पहुंचने के पूर्व खड़देवरा के सिपाही भी रानी के सिपाहियों से मिल गए। खैरी के पास अंग्रेज सिपाहियों के साथ अवंती बाई का युद्ध हुआ। वाडिंग्टन पूरी शक्ति लगाने के बाद भी कुछ न कर सका और मण्डला छोड़ सिवनी की ओर भाग गया। इस प्रकार पूरा मण्डला जिला एवं रामगढ़ राज्य स्वतंत्र हो गया। इस विजय के उपरांत आन्दोलनकारियों की शक्ति में कमी आ गई, किन्तु

उल्लास में कमी नहीं आयी। रानी रामगढ़ वापस हो गईं।

परिशिष्ट– 'क'

रामगढ़ राज्य की वंशावली
गज सिंह (संस्थापक, 1760–1782 ई०)
भूपाल सिंह (1782–1802 ई०)
हेमराज सिंह (1802–1824 ई०)
लक्ष्मण सिंह (1824–1850 ई०)

विक्रम जीत सिंह (1850– सितम्बर 1859 ई०)

अमान सिंह (1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय संरक्षिका रानी अवन्तिबाई)

1857 की क्रांति के समय रानी अवंतीबाई ब्रिटिशो के मुख्य दुश्मनो में से एक थी. अवंतीबाई लोधी रामगढ के राजा विक्रमादित्य सिंह की रानी थी. जब विक्रमादित्य स्वास्थ समस्याओ के चलते राज्य के कारोभार को संभाल नही पाये तब अवंतीबाई ने राज्य की बागडोर अपनी हाथो लेकर ब्रिटिश राज के खिलाफ लढने लगी थी.

जब 1857 की क्रांति चरम पर थी तभी रानी अवंतीबाई ने अपनी विशाल सेना का निर्माण किया. अपना पहला एनकाउंटर उन्होंने खेरी नामक ग्राम में अंग्रेजो के खिलाफ किया था.
महारानी अवंतीबाई लोधी ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रेंजो से खुलकर लोहा लिया था और अंत में भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी.
20 मार्च 1858 को इस वीरांगना ने रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए युध्द लडते हुए अपने आप को चारो तरफ से घिरता देख स्वयं तलवार भोंक कर देश के लिए बलिदान दे दिया.

उन्होंने अपने सीने में तलवार भोकते वक्त कहा की हमारी दुर्गावती ने जीते जी वैरी के हाथ से अंग न छुए जाने का प्रण लिया था. इसे न भूलना बडों. उनकी यह बात भी भविष्य के लिए अनुकरणीय बन गयी वीरांगना अवंतीबाई का अनुकरण करते हुए उनकी दासी ने भी तलवार भोक कर अपना बलिदान दे दिया और भारत के इतिहास में इस वीरांगना अवंतीबाई ने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिख दीया.
कहा जाता है की वीरांगना अवंतीबाई लोधी 1857 के स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में अत्यधिक योग्य थीं कहा जाए तो वीरांगना अवंतीबाई लोधी का योगदान भी उतना ही है जितना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का था.

न्र्मदा पर्वत विकास संस्था के तहत जबलपुर जिले में बने डैम को भी उन्ही का नाम दिया गया है. पोस्ट डिपार्टमेंट ने भी रानी अवंतीबाई के नाम का स्टैम्प जारी किया है. महाराष्ट्र सरकार ने भी रानी अवंतीबाई के नाम का स्टैम्प जारी किया है.

स्न् 1850 में रामगढ़ रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई और राजकुमार विक्रम जीत

सिंह गद्दी पर बैठे।9 राजा विक्रम जीत सिंह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और धार्मिक कार्यों में अधिक समय देते थे। कुछ समय के उपरान्त वे अर्धविक्षिप्त हो गए, उनके दोनों पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह अभी छोटे थे, अतरू राज्य का सारा भार रानी अवन्तिबाई लोधी के कन्धों पर आ गया। रानी ने अपने विक्षिप्त पति और नाबालिग पुत्र अमान सिंह के नाम पर शासन सम्भाल लिया। इस समय भारत मे गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी का शासन था, उसकी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण विशेषकर उसकी राज्य हड़प नीति की वजह से देशी रियासतों में हा–हाकार मचा हुआ था। इस नीति के अन्तर्गत कम्पनी सरकार अपने अधीन हर उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लेती थी जिसका कोई प्राकृतिक बालिग उत्तराधिकारी नहीं होता था। इस नीति के तहत डलहौजी कानपुर, झाँसी, नागपुर, सतारा, जैतपुर, सम्बलपुर इत्यादि रियासतों को हड़प चुका था। रामगढ़ की इस राजनैतिक स्थिति का पता जब कम्पनी सरकार को लगा तो उन्होंने रामगढ़ रियासत को 13 सितम्बर1851 ई० में 'कोर्ट ऑफ वार्डस' के अधीन कर हस्तगत कर लिया और शासन प्रबन्ध के लिए शेख मौहम्मद नामक एक तहसीलदार को नियुक्त कर दिया, राज परिवार को पेन्शन दे दी गई।10 इस घटना से रानी बहुत दुरूखी हुई, परन्तु वह अपमान का घूँट पीकर रह गई। उसने अपने राज्य को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने का निश्चय कर लिया। रानी उचित अवसर की तलाश करने लगी। मई 1857 में राजा विक्रम जीत सिंह का स्वर्गवास हो गया।

इस बीच 10 मई 1857 को मेरठ में देशी सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। मेरठ में सदर कोतवाली में तैनात कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में मेरठ की पुलिस, शहरी और ग्रामीण जनता ने क्रान्ति का शंखनाद कर दिया।11 अगले दिन दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर को विद्रोही सैनिकों ने भारतवर्ष की क्रान्तिकारी सरकार का शासक घोषित कर दिया। मेरठ और दिल्ली की घटनाएँ सब तरफ जंगल की आग की तरह फैल गई और इन्होंने पूरे देश का आन्दोलित कर दिया।

मध्य भारत के जबलपुर मण्डला परिक्षेत्र में आने वाले तूफान के प्रथम संकेत उसके आगमन से कम से कम छरू माह पूर्व दृष्टिगोचर होने लगे थे। जनवरी 1857 से ही गाँव–गाँव में छोट–छोटी चपातियाँ रहस्मयपूर्ण तरीके से भेजी जा रही थी। ये एक संदेश का प्रतीक थी जिसमें लोगों से उन पर आने वाली आकस्मिक भयंकर घटना के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था। मई के प्रारम्भ से ही ऐसी कथाएँ प्रचलित थीं कि शासन के आदेश से घी, आटा तथा शक्कर में क्रमशरू सुअर की चर्बी, गाय का रक्त एवं हड्डी का चूरा मिलाया गया है।12 लोग यह समझते थे कि सरकार उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती है।

म्ध्य भारत के देशी रजवाडों के शासक एवं पूर्व शासक कानपुर में नाना साहब एवं तात्या टोपे के सम्पर्क में थे,13 क्षेत्रीय किसान उनके प्रभाव में थे और देशी सैनिक उनकी तरफ नेतृत्व के लिए देख रहे थे। जबलपुर परिक्षेत्र में क्रान्ति की एक गुप्त योजना बनाई गई जिसमें देशी राजा, जमींदार और जबलपुर, सलीमानाबाद एवं पाटन में तैनात 52 वी रेजीमेन्ट के सैनिक शामिल थे। इस योजना में गढ़मण्डला के पूर्व

शासक शंकर शाह, उनका पुत्र रघुनाथ शाह, रामगढ़ की रानी अवन्तिबाई लोधी, विजयराघवगढ़ के राजा सरयु प्रसाद, शाहपुर के मालगुजार ठाकुर जगत सिंह, सुकरी–बरगी के ठाकुर बहादुर सिंह लोधी एवं हीरापुर के मेहरबान सिंह लोधी एवं देवी सिंह शामिल थे।14 इनके अतिरिक्त सोहागपुर के जागीरदार गरूल सिंह, कोठी निगवानी के ताल्लुकदार बलभद्र सिंह, शहपुरा का लोधी जागीरदार विजय सिंह और मुकास का खुमान सिंह गोंड विद्रोह में शामिल थे। रीवा का शासक रघुराज सिंह भी विद्रोहियों के साथ सहानुभूति रखता था।15 वयोवृद्ध 70 वर्षीय राजा शंकर शाह को मध्य भारत में क्रान्ति का नेता चुना गया।16 रानी अवन्तिबाई ने भी इस क्रान्तिकारी संगठन को तैयार करने में बहुत उत्साह का प्रदर्शन किया। क्रान्ति का सन्देश गाँव–गाँव पहुँचाने के लिए अवन्तिबाई ने अपने हाथ से लिखा पत्र किसानों, देशी

सैनिकों, जमींदारों एवं मालगुजारो को भिजवाया, जिसमें लिखा था–

देश और आन के लिए मर मिटो
या फिर चूडियाँ पहनों।
तुम्हें धर्म और ईमान की
सौगन्ध जो इस कागज
का पता दुश्मन को दो।17

सितम्बर 1857 के प्रारम्भ में ब्रिटिश शासन के पास इस बात के प्रमाण उपलब्ध थे कि कुछ सैनिकों और ठाकुरों ने कार्यवाही करने की योजना बनाई थी। योजना यह थी कि क्षेत्रीय देशी राजाओं और जमींदारों की सहायता से पर्याप्त सेना इक्कठी की जाये तथा मोहरर्म के पहले दिन छावनी पर आक्रमण किया जाये।18 पर यह योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। गिरधारीदास नाम के एक गद्दार ने योजना का भेद अंग्रेजों को बता दिया।19 ब्रिटिश सरकार ने एक चपरासी को फकीर के रूप में राजा शंकर शाह के पास भेजा, उसने राजा के सरल स्वभाव का लाभ उठाकर गुप्त योजना जान ली।20 लेफ्टिनेन्ट क्लार्क ने राजा शंकर शाह, उनके पुत्र रघुनाथ शाह तथा परिवार के अन्य 13 सदस्यों को बिना किसी कठिनाई के 14 सितम्बर 1857 को उनके पुरवा, जबलपुर स्थित हवेली से गिरफ्तार कर लिया।21 उनके घर से कुछ आपत्ति जनक कागजात भी प्राप्त हुए। एक कागज पाया गया जिसमें ब्रिटिश शासन को उखाड़ फैकने के लिए अराध्य देवता से प्रार्थना की गई थी। पिता पुत्र पर सैनिक न्यायालय ने सार्वजनिक रूप से राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उन्हें दोषी मानते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 18 सितम्बर 1857 को उन्हें तोप के मुँह से बाँधकर उड़ा दिया गया।

श्राजा शंकर शाह के बलिदान से पूर मध्य भारत में उत्तेजना फैल गई और जनता में विद्रोह की

भावना पहले से भी तीव्र हो गई। 24 देशी सिपाहियों की 52 वीं रेजीमेन्ट ने उसी रात जबलपुर में विद्रोह कर दिया, शीघ्र ही यह विद्रोह पाटन और सलीमानाबाद छावनी में भी फैल गया। संकट की घडी में मध्य भारत के किसान और सैनिक एक कुशल और चमत्कारिक नेतृत्व की तलाश में थे। क्षेत्र के सामंत, जमींदार एवं मालगुजार भी असमंजस में थे। ऐसे में रानी अवन्तिबाई लोधी मध्य भारत की क्रान्ति के नेता के रूप में उभरी।

सर्वसाधारण जनता और समाज के अगुवा जमींदार और संभ्रान्त रानी के साहस और युद्धप्रियता से परिचित थे। विशेष रूप से रामगढ़ क्षेत्र के किसानों से रानी निकटता से जुड़ी थी और आम जनता उनसे प्रेम करती थी। क्षेत्र में क्रान्ति के प्रचार–प्रसार के लिए पूर्व में किये गये प्रयासों ने रानी अवन्तिबाई को क्रान्तिकारियों का वैकल्पिक नेता बना दिया। इस स्थिति में रानी ने अपने महत्त्व को समझते हुए स्वयं आगे बढ़कर क्रान्ति का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। विजय राघवगढ़ के राजा सरयू प्रसाद, शाहपुर के मालगुजार ठा० जगत सिंह, सुकरी–बरगी के ठा० बहादुर सिंह लोधी एवं हीरापुर के महरबान सिंह लोधी ने भी रानी अवन्तिबाई का साथ दिया।

सर्वप्रथम रानी ने रामगढ़ से ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त तहसीलदार को खदेड़ दिया और वहाँ की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। सी०यू०विल्स अपनी पुस्तक ष्भ्पेजवतल व जीम त्र ळवदक डींतंरें व ँजचनतं त्दहेष में पृष्ठ संख्या 106 पर लिखते हैं, ष्ैमद जीम दमू व िंदांत ीेंश् म•मबनजपवद तमंबीमक जीम डंदकसं क्पेजतपबज, जीम त्दप व ित्उहंती, ॅनइवतकपदंजम बेपमजपिच व जीम त्र ळवदक, इतवाम पदजव तमइमससपवद, कतवअम जीम वपिबपंसे तिवउ त्उहंती ंदक ेमप्रमक जीम चसंबम पद जीम दंउम व ीमत ेवद.श्श26 रानी के विद्रोह की खबर जबलपुर के कमिश्नर को दी गई तो वह आबबूला हो उठा। उसने रानी को आदेश दिया कि वह मण्डला के डिप्टी कलेक्टर से भेट कर ले ।27 अंग्रेज पदाधिकारियो से मिलने की बजाय रानी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसने रामगढ़ के किले की मरम्मत करा कर उसे और मजबूत एवं सुदृढ़ बनवाया।

म्ध्य भारत के विद्रोही रानी के नेतृत्व में एकजुट होने लगे अंग्रेज विद्रोह के इस चरित्र से चिंतित हो उठे। जबलपुर डिविजन के तत्कालीन कमिश्नर ने अपने अधिकारियों को घटनाओं को भेजे गए ब्योरे में लिखा है, राजा शंकर साहि की मृत्यु से क्रुद्ध एवं अपमानित लगभग 4000 विद्रोही रामगढ़ की विधवा रानी अवन्तिबाई तथा युवक राजा सरयू प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह के लिए एकत्रित हो गए हैं।28 रानी अवन्तिबाई ने अपने साथियों के सहयोग से हमला बोल कर घुघरी,

रामनगर, बिछिया इत्यादि क्षेत्रों से अंग्रेजी राज का सफाया कर दिया। इसके पश्चात् रानी ने मण्डला पर आक्रमण करने का निश्चय किया। मण्डला विजय हेतु रानी ने एक सशक्त सेना लेकर मण्डला से एक किलोमीटर पूरब में स्थित ग्राम खेरी में मोर्चा जमाया। अंग्रेजी सेना में और रानी की क्रान्तिकारी सेना में जोरदार मुठभेड़ें हुई परन्तु यह युद्ध निर्णायक सिद्ध नहीं हो सका। मण्डला के चारों ओर क्रान्तिकारियों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा था विशेषकर मुकास के ठा० खुमान सिंह का संकट अभी बरकरार था। अतरू मण्डला का डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन भयभीत होकर सिवनी भाग गया।29 इस घटना के उपरान्त रानी अवन्तिबाई ने दिसम्बर 1857 से फरवरी 1858 तक गढ़ मण्डला पर शासन किया।

कैप्टन वाडिंगटन लम्बे समय से मण्डला का डिप्टी कमिश्नर था। वह अपनी पराजय का बदला चुकाने के लिए कटिबद्ध था। वह अपनी खोयी हुई प्रतिष्ठा पाने के लिए आतुर था। वाडिंगटन, लेफ्टीनेन्ट बार्टन एवं लेफ्टीनेन्ट कॉकबर्न ने अपने सैनिकों के साथ मार्च 1858 के अन्त में रामगढ़ की ओर कूच किया, उनकी सेना में इररेगुलर इन्फैन्ट्री, नागपुर इन्फैन्ट्री, 52 वी नेटिव इन्फैन्ट्री के सेनिक और स्थानीय पुलिस के जवान तथा 'मेचलॉक मैंन'थे।30 26 मार्च 1857 को इन्होने विजय राघवगढ़ पर अधिकार कर लिया। राजा सरयू प्रसाद फरार हो गए। 31मार्च को इन्होंने घुघरी को वापस प्राप्त कर लिया। शीघ्र ही इन्होंने नारायणगंज, पाटन, सलीमानाबाद में भी क्रान्तिकारियों को परास्त कर दिया और 2 अप्रैल 1858 को रामगढ़ पहुँच गए।31 अंग्रेजी सेना ने रामगढ़ के किले पर दो तरफ से आक्रमण किया। लेफ्टीनेन्ट बार्टन और लेफ्टीनेन्ट कॉकबर्न ने नागपुर इन्फैन्ट्री के सैनिक और कुछ पुलिस के जवानों के साथ दाहिनी ओर से आक्रमण किया। कैप्टन वाडिंगटन स्वयं 52 वी नेटिव इन्फैन्ट्री के सेनिकों और कुछ पुलिस वालों के साथ बाईं ओर से बढ़ा।32 रानी अवन्तिबाई ने अपनी सेना जिसमें उसके सेनिक और किसान शामिल थे, के साथ जमकर अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। परन्त अंग्रेजी सेना संख्या बल एवं युद्ध सामग्री की दृष्टि से रानी की सेना से कई गुना शक्तिशाली थी अतरू स्थिति के भयंकरता को देखते हुए रानी ने किले के बाहर निकल कर देवहर गढ़ की पहाडियों में छापामार युद्ध करना उचित समझा।33 रानी के रामगढ़ छोड़ देने के बाद अंग्रेजी सेना ने अपनी खीज रामगढ़ के किले पर उतारी और किले को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया।

छेवहर गढ़ के जंगलों में रानी ने अपनी बिखरी हुई सेना को फिर से एकत्रित किया। उसे रीवा नरेश से भी सैन्य सहायता की आशा थी परन्तु उसने अंग्रेजों का साथ दिया। देवहर गढ़ के जंगलों में रानी इस सेना के जमावड़े का जब वाडिंगटन को पता चला तो उसने तब तक आगे बढ़ने का निर्णय नहीं लिया जब तक कि रीवा नरेश की सेना अंग्रेजों की मदद के लिए नहीं आ गई। रीवा की सेना पहुँचने पर 9 अप्रैल 1858 को देवहरगढ़ के जंगल में भयंकर युद्ध हुआ, 34 जिसमें अंग्रेजों ने अन्ततरू रानी की सेना का चारों

ओर से घेर लिया। रानी के सैकड़ों सैनिक बलिदान हो गए, क्रान्तिकारियों की संख्या घटती जा रही थी। रानी ने अपनी पूर्वजा रानी दुर्गावती का अनुसरण करते हुए, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने से श्रेयष्कर अपना आत्म बलिदान समझा और स्वयं अपनी तलवार अपने पेट में घोप कर शहीद हो गई। रानी अवन्तिबाई लोधी एक धीर, गम्भीर, विदुषी वीर, एवं साहसी शासिका थी। उसमें एक प्रशासक एवं सेनापति के श्रेष्ठ गुण थे। उनमें साहस और बहादुरी के गुण बाल्यकाल से ही दृष्टिगोचर होने लगे थे। अपने पति के अधविक्षिप्त होने एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् संकट की घड़ी में जिस कुशलता से उसने राजकाज सम्भाला वह उनके धैर्य का परिचायक है। अपने नेतृत्व के गुणों के कारण ही वे शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह की शहादत के पश्चात् जबलपुर परिक्षेत्र क्रान्ति की वैक्लपिक नेत्री के रूप में उभरी और उन्होंने रामगढ़ एवं मण्डला को अंग्रेजी राज से मुक्त कराकर ब्रिटिश राज को कठिन चुनौती पेश की। उन्होंने चार महीने तक मण्डला पर शासन किया, उन्होंने अन्त तक अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं किया। मण्डला एवं रामगढ़ हार जाने पर भी वे देवहार गढ़ के जंगलों में छापामार युद्ध करती रहीं, जब तक कि अपनी आन की रक्षा के लिए स्वयं की शहादत न दे दी।

सन्दर्भः–

1. खेम सिंह वर्मा, लोधी क्षत्रियों का वृहत इतिहास, बुलन्दशहर, 1994, पृष्ठ 96य गणेश कौशिक एवं फूल सिंह, वतन पर मिटी अवन्तिबाई, नवभारत 14–8–1994य थम्मन सिंह 'सरस', अवन्तिबाई लोधी, साहित्य केन्द्र प्रकाशन, दिल्ली, 1995, पृष्ठ 46
2. सुरेश मिश्र, रामगढ़ की रानी अवन्तिबाई, भोपाल, 2004, पृष्ठ 10
3. थम्मन सिंह 'सरस', वही, पृष्ठ 52–53
4. वही, पृष्ठ 54
5. वही, पृष्ठ 54
6. वही, पृष्ठ 41
7. हुकुम सिंह देशराजन, अमर शहीद वीरांगना रानी अवन्तिबाई, अलीगढ़, 1994
8. सुरेश मिश्र, वही, पृष्ठ 12–13

11. सुशील भाटी, 1857 की जनक्रान्ति के जनक धन सिंह कोतवाल, मेरठ 2002य मयराष्ट्र मानस, मेरठय आचार्य दीपांकर, स्वाधीनता आन्दोलन और मेरठ, जनमत प्रकाशन मेरठ, 1993य डमउवतमदकवउ वद डनजपदल ंदक वनजइतमां पद डंल 1857, इल डंरवत ॅपससपंउ, ब्वउउपेपवदमत व िडपसपजंतल च्वसपबम छॅ.. च्तवतपदबमे, ।ससींइंक, 15जी छवअ. 185य डममतनज क्पेजतपबज ळंजजपमत, ळवअज. च्तमे, ।ससींइंक, 1963

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

भारत में सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का विश्लेषण

डॉ. मीना कीर
सहा.प्राध्यापक(वाणिज्य)
शा.नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)

डॉ.दिनेश श्रीवास्तव
वाणिज्य विभाग
शा.नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.)

भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी बैंक और अन्य दूसरी वित्तीय सुविधाओं से वंचित है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार देश के 6 लाख गांवों में से केवल तीस हजार गांवों में बैंक की शाखाएं हैं। देश के केवल 40 प्रतिशत लोगों के बैंकों में खाते हैं और लगभग 75 प्रतिशत किसान परिवारों को संगठित वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता है। केवल 2 प्रतिशत लोगों के पास बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं। इस परिस्थिति में लोगों को अपनी छोटीमोटी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये साहूकारों के पास जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

भारत में 70000 बैंक शाखाएं होने के बावजूद देश के 94 प्रतिशत गांवों में एक भी बैंक शाखा नहीं है। इन गांवों का निर्धन वर्ग आज भी ऋण के लिये स्थानीय साहूकारों पर ही निर्भर है। इस वर्ग को बचत, ऋण तथा बीमा से सम्बंधित विभिन्न वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो सकें, इस हेतु सूक्ष्म वित्त की आवश्यकता का अनुभव किया गया। इस वर्ग को सूक्ष्म वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु विभिन्न सूक्ष्म वित्त संस्थाएं भी अस्तित्व में आईं। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस ने सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक की विचारधारा को प्रस्तुत किया था जिसे आधार बनाकर भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का प्रतिपादन किया। भारत में सूक्ष्म वित्त की अवधारणा दो मॉडल्स पर आधारित है –

1. स्वयं सहायता समूह– बैंक सम्पर्क कार्यक्रम
2. सूक्ष्म वित्त संस्थान

1.स्वयं सहायता समूह– बैंक सम्पर्क कार्यक्रम –

भारत में वर्ष 1992 में नाबार्ड ने बंगलौर स्थित मायराडा संस्था के साथ मिलकर एक पायलट परियोजना के रूप में एक स्वयं सहायता समूह की स्थापना की। यह भारत का प्रथम स्वयं सहायता समूह

था जिसका उद्देश्य निर्धनों को सरल शर्तों पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना था। शुरूआती दौर में इस परियोजना को भरपूर सफलता प्राप्त हुई जिससे प्रेरित होकर ''स्वयं सहायता समूह– बैंक सम्पर्क कार्यक्रम'' बड़े पैमाने पर प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की परिकल्पना एक ऐसे बैंक के रूप में की गई जो अपने सदस्यों की बचत तथा ऋण सम्बंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि बैंक तथा ग्राहक दोनों की लेन–देन की लागत बहुत कम हो गई।

वर्तमान में देश में लगभग 25 लाख स्वयं सहायता समूह हैं जिनसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 3 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं। नाबार्ड से प्रोत्साहन पाने के पश्चात् से सभी स्वयं सहायता समूह वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा जिला सहकारी बैंकों से जुड़ गए हैं और इन्हीं के माध्यम से इन्हें सूक्ष्म वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। इन स्वयं सहायता समूह में से 90 प्रतिशत से भी अधिक समूह ऐसे बैंकों से जुड़े हैं जो केवल महिला समूहों को ही वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

2.सूक्ष्म वित्त संस्थान –

छेश का प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्थान ''बेसिक्स'' है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा समूहों या व्यक्तियों को सूक्ष्म ऋण प्रदान किये जाते हैं। समूहों में स्वयं सहायता समूह, साख संघ, संयुक्त देनदारी आदि शामिल हैं। सूक्ष्म वित्त संस्थानों ने परम्परागत बैंकिंग व्यवस्था से वंचित ग्राहकों को वित्तीय सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। सूक्ष्म वित्त संस्थान आवश्यकतानुसार 75 से 80 प्रतिशत रकम बैंकों से उधार लेते हैं, 15 प्रतिशत रकम इक्विटी से तथा शेष 10 प्रतिशत रकम नकद प्रतिभूति आदि से प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म वित्त संस्थानों का उद्देश्य मांग की कुशलतापूर्वक पूर्ति करना तथा ग्राहकों को सरलता से समझ में आने वाली वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है।

सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि निर्धन वर्ग को सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के माध्यम से बचत, ऋण और बीमा से सम्बंधित विभिन्न वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता ही सूक्ष्म वित्त है। भारत में सूक्ष्म वित्त की व्यवस्था भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से की जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में समय पर ग्रामीण साख उपलब्ध हो जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु व सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, छोटे जमाकर्ताओं तथा छोटे व्यापार तथा उत्पादन कार्य में संलग्न लोगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। सहकारी बैंक निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों में बैंकिंग आदत डालने तथा ग्रामीण ऋण वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।

सूक्ष्म वित्त का क्षेत्र –

सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में ऐसे प्रयासों को शामिल किया जा सकता है जिससे निर्धन वर्ग को अधिकाधिक वित्तीय सुविधाएं प्राप्त हो सकें और वर्तमान में जो वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हैं उनकी गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके।

थ्नर्धन वर्ग की सहायता करने हेतु बनाए गए एक सलाहकार दल ने वर्ष 2004 में सूक्ष्म वित्त से सम्बंधित कुछ ऐसे सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जो पिछले 150 वर्षों में इस हेतु अपनाई गई विकास प्रक्रिया पर आधारित थे और जिनका 10 जून 2004 को जी–8 शिखर सम्मेलन में कई देशों ने समर्थन भी किया था। इन सिद्धांतों में निम्न शामिल हैं –

1. निर्धन वर्ग को ऋण के अतिरिक्त बचत, बीमा और धन अंतरण हेतु भी वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है।
2. सूक्ष्म वित्त निर्धन वर्ग के लिये आय उत्पन्न करने, सम्पत्ति का उत्सर्जन करने, आकस्मिकताओं को वहन करने अथवा घरेलू उपयोग हेतु सहायक होना चाहिये।
3. दानदाताओं और सरकार से मिलने वाली सहायता राशि कभीकभार ही प्राप्त होती है और ऐसी आय का कोई निश्चित आश्वासन भी नहीं होता और इसीलिये यदि अधिक संख्या में निर्धन वर्ग की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी है तो सूक्ष्म वित्त को अपनी भरपाई स्वयं करना चाहिये।
4. सूक्ष्म वित्त की उपलब्धता अर्थात् स्थानीय स्तर पर स्थाई सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का निर्माण, जिसके लिये गैर–सरकारी संगठनों को अभिप्रेरित किया जाना चाहिये।
5. सूक्ष्म वित्त का उद्देश्य निर्धन वर्ग की वित्तीय आवश्यकताओं को देश की वित्तीय प्रणाली की मुख्य धारा से जोड़ना होना चाहिये।
6. सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में सरकार का कर्तव्य वित्तीय सेवाओं को सुसाध्य बनाना होना चाहिये न कि वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति करना।
7. सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में दानदाताओं की पूँजी साहूकारों द्वारा उपलब्ध कराई निजी पूँजी का विकल्प होना चाहिये न कि उसकी प्रतिस्पर्धात्मक।
8. सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा सुदृढ़ संस्थाओं और प्रबंधकों की कमी है, जिसके लिये दानदाताओं की क्षमता बढ़ाये जाने पर विचार किया जाना चाहिये।
9. निजी साहूकारों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सूक्ष्म वित्त की ब्याज दरें अधिकतम होने के कारण निर्धन वर्ग त्रस्त हो जाता हैं और ऋण लेने के प्रति उदासीन हो जाता हैं, जिससे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋणों की लागत की भरपाई नहीं हो पाती,

परिणामस्वरूप धीरे–धीरे ऋण की आपूर्ति बंद हो जाती है।

10. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का दायित्व वित्तीय और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से निर्धन वर्ग की आवश्यकताओं का मापन तथा निष्पादन होना चाहिये।

सूक्ष्म वित्त की विशेषताएं –

1. इसके अंतर्गत दिये जाने वाले ऋण छोटी राशि के रूप में होते हैं।
2. ऋण देने का मूल उद्देश्य मुख्य रूप से आय सृजन से जुड़ा होता हैं।
3. इस प्रकार के ऋण कम आय वर्ग के लोगों को प्रदान किये जाते हैं।
4. यह ऋण लघु अवधि के होते हैं।
5. उच्च स्तर पर इन ऋणों की पुनः चुकौती होती है।
6. बिना किसी समानांतर व्यवस्था के इसमें ऋण प्रदान किया जाता है।
7. इस व्यवस्था में ऋण वसूली की दर 95 प्रतिशत से भी अधिक है।

उपसंहार –

वित्तीय समावेशन के साथ भारत का प्रंमुख नीतिगत उद्देश्य विकासपरक कार्यों के रूप में निर्धारित हुआ है। वर्तमान में सूक्ष्म वित्त की सुविधा बैंक रहित क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के लिये वित्तीय सेवाओं के विस्तार के साथ एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आई है। पारम्परिक ऋण देने वाले विभिन्न उधारदाता जो ऋण देने में अपनी मनमानी करते थे, अब समाज के विभिन्न वर्गों को कानून के प्रावधानों के अधीन ऋण देने में रूचि रखने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत निम्न आय वर्ग की वित्तीय आश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का स्वरूप अब विकसित होने लगा है और ग्रामीण परिवेश में इसकी उपयोगिता भी सिद्ध होने लगी है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की बढ़ती हुई संख्या न केवल इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाओं को दृष्टिगोचर कर रही है बल्कि निर्धन वर्ग को रोजगार के अवसर देकर देश के आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है।

सन्दर्भः–

1. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्र एस.के. एवं पुरी वी.के. हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, 2010
2. भारतीय अर्थव्यवस्था, दत्त गौरव एवं महाजन अश्विन, एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि. नईदिल्ली, 2011

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

प्रेमचंद की कहानियों में प्रयुक्त मुहावरे

फरह ज़िया
(शोधार्थी)
हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
अलीगढ़-

प्रेमचंद आधुनिक युग के साहित्यकारों में अप्रतिम स्थान के अधिकारी हैं। उनके साहित्य में गुलामी के पाश में आबद्ध भारत और रूढ़ियों से ग्रस्त समाज की आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त होता है। उनका साहित्य एक स्वतंत्र भारत की आकांक्षा की जिजीविषा से संपृक्त है। उनकी कहानियों में व्याप्त ऊर्जा ने उन्हें विश्वस्तरीय कहानीकार के रूप में स्थापित कर दिया और अनेक भाषाओं में उनकी कहानियों का अनुवाद हुआ।

प्रेमचंद की प्रारम्भिक कहानियों में अनेक कमियों के होने के बाद भी अनुभूति की सघनता एवं प्रामाणिकता प्राप्त होती है। बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कहानीकार प्रेमचंद ने अनेक भाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन किया और उनके वैशिष्ट्य को अपनी कहानी-लेखन का आधार बनाया। ''उन्होंने उर्दू हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से अरबी, फारसी, संस्कृत तथा यूरोपीय कथा-संसार का व्यापकता से अध्ययन किया था और वे फारसी, संस्कृत तथा योरोपीय कहानी परंपराओं के गुणावगुणों से परिचित हो चुके थे। इससे उन्हें भारतीय और पश्चिम तथा नई और पुरानी कहानी का अंतर ज्ञात हुआ और इससे उन्हें अपनी कहानी कला को आविष्कृत करना आसान हो गया। वह नवजागरण का समय था और जीवन के प्राय: सभी क्षेत्रों में पूर्व-पश्चिम का द्वन्द्व था और देश पश्चिमीकरण के विरोध में था। प्रेमचंद की दृष्टि भी इससे भिन्न नहीं थी किन्तु उनका विश्वास था कि कहानी का वर्तमान रूप पश्चिम से ही आया है। उनके विचार में नवीनता की भूख एक ओर साहित्य की प्राचीन मर्यादाओं को निषिद्ध एवं खंडित करके उनकी बेड़ियों को तोड़ रही थी और दूसरी ओर वह साहित्य में क्रांति ला रही थी। प्रेमचंद की दृष्टि साफथी कि यह क्रांति भारतीय परिवेश तथा भारतीयता के ताने-बाने में ही हो सकती थी।''1 यही कारण है कि प्रेमचंद की प्रारम्भिक कहानियों में अनेक कमियों के बाद भी भारतीयता की सोंधी-सुगन्ध महसूस की जा सकती है। उनमें जीवन के विविध आरोह-अवरोह तथा संगति-विसंगति उनके अनुभवों की भित्ति पर उनकी संवेदना को तराशते हुए जीवन की सम्पूर्णता का दिग्दर्शन कराती हैं।''प्रेमचंद इन कहानियों में देश-भक्ति, इतिहास के साथ शताब्दियों से पीड़ित स्त्री, किसान एवं दलितों के जीवन में

झाँकते हैं, नैतिक मूल्यों एवं आदर्श जीवन के चित्र अंकित करते हैं, घर-परिवार की कहानी कहते हैं, पश्चिमी शिक्षा के दुष्परिणामों से सावधान करते हैं तथा हिन्दू समाज की बुराइयों तथा अच्छाइयों का चित्रण करते हैं। युग का नवजागरण उन्हें व्यक्ति, समाज एवं देश के अधिकांश क्षेत्रों में ले जा रहा था और वे अपनी कहानियों से पाठकों को राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना तथा नैतिक एवं भारतीय संस्कारों का सरोकार दे रहे थे।''2वस्तुत: वे सांझा संस्कृति और विरासत के पोषक कथाकार हैं।

उनकी दृष्टि समस्याओं के मूल में दबी हुई शोषण की नीतियों पर रही है। उनकी सामाजिकता मानववादी स्वरों के आरोह-अवरोह के साथ उभरती है। लोकमंगल की भावना के साथ लय पकड़ती है और स्वराज्य के सुखद स्वप्न को यथार्थ में परिणत कर जीवन्त हो उठती है। कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से जिन प्रश्नों को उठाया वह आज भी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। डॉ रमेश कुन्तल मेघ के शब्दों में- ''प्रेमचंद ने अपने साहित्य में शनै: शनै: भारतीयता का उद्घाटन किया था। उनके पात्रों, भाषा, बोलियों कथा-मूल्यों आदि में भारतीयता की अस्मिता अंतर्निहित है।''3 कमलकिशोर गोयनका प्रेमचंद के वैशिष्ट्य को इंगित करते हुए लिखते हैं- ''हमारे समकालीन के वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए यही उचित है कि युग की भारतीयता को अखंडित रूप में आधार बनाया जाय और प्रेमचंद की जागरण दृष्टि, जीवन-दर्शन और सरोकारों को समग्रता में समझा जाय। भारतीयता से जुड़ते ही तथा भारतीयता के दृष्टिकोण का अवलोकन करने पर प्रेमचंद पुरातनता और आधुनिकता के संधि स्थल और उनके द्वन्द्व से जन्म लेने वाली युग की भारतीयता के कहानीकार बन जाते हैं।''4 इसीलिए उनकी कहानियाँ मानव-मन पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। नि:संदेह उनमें सर्जनात्मक जीवन दृष्टि और जीवन्त संवेदनाएँ विद्यमान हैं।

जन भाषा का सहज प्रयोग ही उन्हें जनता का लेखक बनाता है।उनकी सशक्त भाषा के मूल में आम जीवन के वह मुहावरे हैं जिन्हें आत्मसात् करके उन्होंने उन्हें अपनी कहानियों के रग-रेशे में पेवस्त कर दिया है। इसीलिए उनकी कहानियों में मुहावरों के द्वारा अर्थ का आधार निर्मित होता हुआ दृष्टिगत होता है।यह प्रेमचंद का वैशिष्ट्य है कि मुहावरे उनकी भाषा का प्राणतत्व बन कर संचरित होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र और परिस्थिति के लिए उनके पास सहज रूप में मुहावरे मौजूद हैं उन्हें कृत्रिम रूप में बलपूर्वक ठूँसने का प्रयत्न नहीं किया गया है। कहानियों में समाज के विविध चित्रों का छायांकन करते हुए प्रेमचंद ने प्रत्येक वर्ग का अंकन धूप छाँही-रंग में उपयुक्त मुहावरे का उपयोग करते हुए किया है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में विभिन्न स्तरों पर प्रयोग होने वाले मुहावरों को उनके सहज रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी कहानियों में मानवीय संवेदनाओं और मनोभावों के दिग्दर्शन के लिए विविध अंगसंबधी मुहावरों को आधार बनाया गया है। जैसे- आँख फिरना (अलग्योझा/पृ-13), फूटी आँखों न भाना (अलग्योझा/पृ-14), आँखें फेरना (माँ/पृ-52), आँखे झपकना (स्वामिनी/पृ-130), आँखों में खून उतर आना (घर जमाई/पृ-151), आँखें फैल जाना (लाछंन/पृ-276), बला सिर से टलना (बेटों वाली विधवा/पृ-72), सिर पर नंगी तलवार सी लटकना (बडे भाई

साहब/पृडु-91), सिर खाना (रसिक संपादक/पृड-337), सिर पर सवार होना (अनुभव/पृड-272), माथें पर बल पड़ना (शांति/पृड 110), माथा ठनकना (अनुभव/पृड-272), माथे पर कलंक लगना (सुभागी/पृड-261), कानों में जूँ न रेंगना (गिला/पृड-330), मुँह में कालिख लगना (अलग्योझा/पृड-21), हाथ-पाँव फूलना (आखरी हीला/पृड-255), आदि।

प्रेमचंद ने न केवल मानवीय चेष्टाओं और शरीर से सम्बद्ध मुहावरों का ही प्रयोग किया प्रत्युत् पक्षियों और अन्य जीव जन्तुओं का आधार ग्रहण कर बने मुहावरों का भी प्रयोग किया जैसे काठ का उल्लू, बे नकेल का ऊँट, दूध की मक्खी आदि। उन्होंने प्राकृतिक उपादानों और पेड़ पौधों से बने मुहावरों का भी बहुत सुन्दरता से उपयोग किया जैसे काँटों की सेज, घास छीलना आदि। हमारे जगत् की विविध वस्तुएँ, हमारा इतिहास, धर्म और दर्शन तथा संस्कृति और सामाजिक जीवन और उनके विविध भावों को व्यक्त करने वाले मुहावरे उनके उपजीव्य बने हैं। यह उनकी विशेषता है कि बार-बार एक सी स्थिति के लिए भी वे एक ही मुहावरे का प्रयोग नहीं करते प्रत्युत्-प्रत्येक बार मुहावरा बदल जाता है। उनकी इसी भाषा और उसमें प्रयुक्त मुहावरों ने उन्हें जननायक और भारतीय लोकमानस का चहेता बना दिया।
प्राय: दैनिक जीवन का जितना और जैसा प्रामाणिक चित्रण प्रेमचंद के यहाँ प्राप्त होता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। समाज में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, शोषण, दुख, विवशता, धार्मिक और सामाजिक कुप्रथाँए आदि उनकी लेखनी का स्पर्श करके जीवन्त हो उठते हैं। लोकजीवन में व्याप्त मुहावरे उनके पात्रों एवं चरित्रों का वास्तविक उद्घाटन करते हैं। लोहे के चने चबाना, तगादा, चैन की बंशी बजाना, पीला पड़ना, चट्टे बट्टे होना, बाछें खिलना, गुरू घंटाल होना, बेड़ा पार लगाना, कलई खुलना, सिर चढ़ाना बाल बांका न कर सकना, कलेजे को मसोसना, कलेजा धक से होना, कलेजा ठंडा होना, आकाश के तारे तोड़ना, शैतान बनना, पासा पलटना जैसे प्रचलित मुहावरे उनके साहित्य में सर्वत्र उनकी भाषा को सतंरगी उड़ान प्रदान करते हैं। उन्हें प्रत्येक स्थिति की अभिव्यक्ति के लिए एक विशिष्ट मुहावरा मिल ही जाता है। वह सायास मुहावरे का प्रयोग नहीं करते प्रत्युत वह तो स्वयं उनकी अनुभूतियों की अन्तरंगता से अनायास बाहर आकर उनकी भाषा एवं कथ्य को विश्वसनीय और प्रामाणिक बना देता है।

प्रेमचंद की कहानियों में प्रयुक्त मुहावरों की परिधि अत्यन्त व्यापक है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, परिस्थिति, समस्या, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, आरोह-अवरोह को रेखांकित करने वाले मुहावरे उनकी भाषा के प्राण तत्त्व हैं। यद्यपि उनकी कहानियों में व्याकरणिक कोटियों पर आधृत, मुहावरे भी मिलते हैं तथापि मानव जीवन को उसकी सम्पूर्णता में प्रस्तुत करने वाले मुहावरे उनकी कहानियों का मूलाधार हैं।

उनकी भाषा की विशेषता यह है कि धर्म, जाति, वर्ग, प्रान्त और देश की सीमाओं को तोड़ कर वह वस्तुस्थिति की अभिव्यक्ति कर देती है। कभी आँखें डबडबाती हैं तो कभी भर आती हैं। कभी सजल होती हैं और कभी लाल भी हो

जाती हैं। प्रेमचंद के यहाँ आँखों के उपर्युक्त कार्य-व्यापारों से सम्बद्ध मुहावरों के अनेक उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे- आँख फिरना (अलग्योझा/पृड-13), फूटी आँख न भाना (अलग्योझा/पृड-14), आँखें फेरना (माँ/पृड-52), आँखों पर पर्दा डालना (माँ/पृड-64), आँखें झपक आना (स्वामिनी/पृड130), आँख न उठाना (घर जमाई/पृड-147), आँखों में खून उतर आना (घर जमाई/पृड-151), आँखों में छिपा लेना (घासवाली/पृडड?-307), आँखों में समाना (गिला/पृड-331), आँख बचाना (आखरी हीला/पृड-294), आँखें फैल जाना (लांछन/पृड-276), आदि। इसी प्रकार उन्होंने शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अवयवों से निर्मित मुहावरों का भी बखूबी प्रयोग किया है। जैसे- बला सिर से टलना (बेटों वाली विधवा/पृड-72), सिर पर नंगी तलवार सी लटकना (बड़े भाई साहब/पृड-91), सिर पीटना (आखरी हीला/पृड-296), सिर नीचे हो जाना (तावान/पृडड?-297), सिर खाना (रसिक संपादक/पृड-377), सिर पर सवार होना (अनुभव/पृड-272), खोपड़ी भन्ना जाना (आखरी हीला/पृड-294), माथे पर बल पड़ना (शांति/पृड-110), माथे पर लेना (स्वामिनी/पृडड?-124), माथा ठनकना (अनुभव/पृड-272), माथे पर कलंक लगना (सुभागी/पृड-261), माथा ठोंकना (आखरी हीला/पृड-204), नाक काटना (अलग्योझा/पृडड?-14), नाक रखना (शांति/पृड 106), नाक में दम करना (गिला/पृड-320), कान उखाड़ना (गिला/पृड-326), कानों का बहरा होना (गिला/पृड-327), कानों में जूँ न रेंगना (गिला/पृड-330), ओंठ चबाना (घर जमाई/पृड-15), दाँतों तले उंगली दबाना (घर जमाई/पृड-149), दाँत से कौड़ी पकड़ना (लांछन/पृड-284), गला फँसना (अलग्योझा/पृड-21), गले का हार बनना (सुभागी/पृड-263), गरदन पर छुरी फेरना (गिला/पृड-319), मुँह में कालिख लगना (अलग्योझा/पृड-21), मुँह ताकना (स्वामिनी/पृड-133), चेहरा खिल उठना (ज्योति/पृड-187), मुँह फेरना (दिल की रानी/पृड-193), छाती चीर कर दिखाना (माँ/पृड-64), छाती पीटना (बेटों वाली विधवा/पृड-79), छाती से लगाना (घर जमाई/पृड-153), छाती फूल जाना (दिल की रानी/पृड-198), छाती पर सवार होना (घासवाली/पृड 313), आदि ।उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रेमचंद ने शारीरिक अवयवों से निर्मित मुहावरों का प्रयोग अत्यन्त सहज एवं नैसर्गिक रूप में किया है।

प्रेमचंद ने सामाजिक जीवन से सम्बद्ध मुहावरों को भी अपनी भाषिक अभिव्यंजना का आधार बनाया है। सामाजिक जीवन के नित्य कार्य-व्यापार की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने मुहावरे का सार्थक प्रयोग किया है। सामाजिक संबंधों नाते-रिश्ते, जय-पराजय, लाभ-हानि, मान-अपमान, विवाह और अन्य उत्सव, जन्म-मृत्यु आदि से संबद्ध सैकड़ों मुहावरे प्रेमचंद की कहानियों का अनिवार्य अंग बन कर उपस्थित हुए हैं। उदाहरणतया- भाग्य फूट जाना (निमंत्रण/पृड-18), अपना दुखड़ा रोना (ममता/पृड-171), धूल में मिल जाना (ममता/पृड172), माला माल होना (रामलीला/पृड-23), धन कुबेर होना (मंत्र/पृड-27), मोटा महाजन होना (मंत्र/पृड-29), खरी-खोटी कहना (बहिष्कार/पृड-51), खाल उधेड़ना (कज़ाकी/पृड-97), भवानी खाएँ (अग्नि समाधि/पृड-111), उस्तादी करना

(रामलीला/पृड-23), इकबाल चमकना (मंत्र/पृड-32), परलोक सिधारना (सती/पृड-44), प्राण का ग्राहक होना (बहिष्कार/पृड-65), आदि।

सांस्कृतिक उपादानों एवं संस्कृति पर आधृत मुहावरे भी उनके यहाँ प्राप्त होते हैं। उदाहरणतया- शुक्ल पक्ष का चाँद होना (उद्गार/पृड-39), कदमों से झोंपड़ी रौशन करना (लैला/पृड-157), कुहराम मचाना (नैराश्य लीला/पृड-54), शैतान होना (तगादा/पृड-17), ध्रुवसंकल्प करना (सवासेर गेहूँ/पृड-121), आदि।प्रेमचंद का मुहावरा प्रयोग इतना सहज और अनायास है कि मुहावरे के विभिन्न अर्थों के मध्य से उनका अभीष्ट प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने यत्नपूर्वक कहीं भी मुहावरों का प्रयोग नहीं किया है प्रत्युत् वे स्वत:स्फूर्त्तरूप में उनकी भाषा के अंग बन गये हैं।
नि:सन्देह यह प्रेमचंद की मुहावरेदार भाषा का जादुई करिशमा है कि वह जो चाहते हैं वह शब्दों में ढल जाता है। मूलत: उर्दू लेखक होने के कारण उर्दू का माधुर्य उसमें मौजूद है तो हिन्दी का लास्य भी। यही विशेषता उन्हें जन-सामान्य से जोड़ती है। जन-सामान्य और लोक भाषा से प्रतीति उन्हें कला और भाषा के क्षेत्र में नया उत्कर्ष प्रदान करती है। सहज संप्रेषणीयता, पात्रानुकूलता और कहावतों और मुहावरों का अनायास प्रयोग उनकी भाषा को मानवीय बना देता है। प्रेमचंद इसी भाषा का प्रयोग करते हुए सामाजिक विद्पर्ताओं और समस्याओं के मध्य आम भारतीय की अस्मिता का उद्घोष करते हैं।

संदर्भ:-

1. गोयनका कमल किशोर, प्रेमचन्द कहानी रचनावली (खण्ड एक), भूमिका से, पृड संडड?-37, साहित्य अकादेमी, रवीन्द्र भवन 35, फिरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली-110001, संस्करण-2012 ईड
2. वही, पृड संड-38
3. मेघ डॉड? रमेश कुन्तल, पृड संड-ख, प्रेमचंद: हमारे समकालीन,संस्करण-1986
4. गोयनका कमल किशोर, प्रेमचन्द कहानी रचनावली (खण्ड एक), भूमिका से, पृड संड-63, साहित्य अकादेमी, रवीन्द्र भवन 35, फिरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली-110001, संस्करण-2012 ईड
5. मानसरोवर के विविध भागों में संग्रहित कहानियाँ

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

समकालीन कविता में आदिवासी-विमर्श

डॉ. कंचना सक्सेना
सहायक आचार्य - हिन्दी
राज. कला महाविद्यालय, कोटा (राज.)

मानव के विचार-मन्थन का निष्कर्ष ज्ञान-विज्ञान और भाव आन्दोलन का परिणाम अथवा निष्कर्ष रूप ही साहित्य है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में काव्य का सर्वोपरि स्थान है। वस्तुत: मानवीय सम्वेदना और रागात्मक चेतना को अभिव्यक्त करने की जो शक्ति और सामर्थ्य काव्य में है, वह अन्य किसी भी साहित्य रूप अथवा कलात्मक प्रभेद में दुर्लभ है। सम्भवत: इसीलिए काव्य का सृजन मानव-इतिहास के प्रत्येक युग में हुआ है और इसकी महत्ता को भी मुक्त कंठ से स्वीकृति प्रदान की गयी है। काव्य-सृजन का क्रम युगत चेतना के अनुरूपी परिवर्तित होता रहता है।

सुदीर्घ अवधि तक साहित्य में रस और अलंकार को प्राथमिकता दी जाती रही है। इस स्थिति में साहित्य में महिला, दलित और आदिवासी को प्रश्रय कदाचित कम मिला है। हाशिये पर पड़ा समाज आजादी के बाद हिन्दी साहित्य की मुख्यधारा में आया। साहित्य समाज का दर्पण है। अत: सामाजिक गतिविधियों को रेखांकित करना साहित्यकार का परम कर्त्तव्य है।

पिछले दो-तीन दशकों में चले दलित-विमर्श के कोलाहल में आदिवासी आवाज़ सुनायी नहीं पड़ सकी है। दलित-विमर्श ने मनुवादी वर्णव्यवस्था का दंश, अस्पृश्यता और अपमान के मुद्दे को व्यापक रूप से रेखांकित किया, जबकि आदिवासी विमर्श में जमीन और जंगल से विस्थापन, पलायन तथा बाहरी तत्वों की घुसपैठ आदि मुद्दे प्रमुख हैं। मलखान सिंह धार्मिक मिथकों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें नए सन्दर्भ के अनुकूल नया अर्थ प्रदान करते हैं-

देखो
बंद किले से बाहर
झाँककर तो देखो
बरफपिघल रही है
बछेड़े मार रहें है फुर्री
बैल धूप चबा रहे हैं
और एकलव्य

पुराने जंग लगे तीरों को
आग में तपा रहा है

अर्थात् एकलव्य के तीरों का केन्द्र व्यक्ति न होकर भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था है। इसमें मानवता का कोई स्थान नहीं।

नागपुरिया कवीयित्री मंजु ज्योत्स्ना निर्भीक और बेबाक दलित आदिवासी स्त्री का चित्रण करती हैं–

माँ
मेरी शादी मत करना पिता, मेरी शादी मत करना
मैंने देखी है–बुधनी की जिन्दगी
सुबह सवेरे उठकर, भात पकाकर
बाल बच्चे सम्भाल, खेत
खटती है
उसका जवर मर्द
साँझ, सवेरे, रात
जब चाहे उसे मारता है कितना
माँ मुझे पराये घर ना भेजना
मैं, बेटे की तरह कमाऊँगी
मत भेजना
माँ मुझे दूसरे के घर मत भेजना।(1)

इस कविता में शोध की सांस्कृतिक एवं धार्मिक परम्परा का पुरजोर विरोध है।

पंथाली कवयित्री निर्मला पुतुल की कविता में आदिवासी जीवन का ददर्द द्रष्टव्य है–

तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर
भरते हैं पेट हजारों
पर हजारों पत्तले
भर नहीं पाते तुम्हारा पेट–(2)

शोषण की इंतहा ये है कि दिन–भर जी तोड़ मेहनत करके भी वह अपना पेट नहीं भर पाता। आदिवासी साहित्य और संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हम उस दुनिया से साक्षात्कार करते हैं जिनके पास परिवेश के साथ उनके भीतर अन्तर्निहित अन्त: सलिला की तरह बहती अकूत मनुष्यता और संघर्ष की जीवनी शक्ति है। संघर्ष का प्रतिबिम्ब देखिए–

धरती के इस छोर से उस छोर तक

मुट्ठी भर सवाल लिए मैं
दौड़ती–हाँफ्ती–भागती
तलाश रही हूँ सदियों से
निरन्तर.....
अपनी जमीन, अपनाघर
अपने होने का अर्थ।–(3)

पुतुल के इस अंकन में शताब्दियों से त्रसित, शोषित और संघर्ष की बेहद मार्मिक झांकी मिलती है।

आदिवासियों के साथ हो रहे सुलुक को सुरेन्द्र नायक ने उल गुलाल कविता में यथातथ्य रूप में अंकित किया है–

सोचते होंगे अब हम खुशहाल हैं
गलतफ्हमी है तुम्हारी
अरण्य पुत्रों के लिए कुछ भी नहीं बदला
वही गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी
सेठ, साहूकारों के शोषण
भ्रष्ठ पूँजीपति, नेताओं, माफ्यिों के दमन चक्र
विकास के नाम पर
हीराकुंड से लेकर सिंदूर नंदी ग्राम तक
हमारी जमीन हमारे जंगल से
हमें बेदखल करने के भीषणतम षडयन्त
अमानवीय उत्पीड़न
हक मांगने पर हमें मिलता है
चरमपंथी का तमगा और पुलिस की गोली
दिमाग की नसें फ्ट रही हैं
हम क्या करें?
आओ हमें तुम्हारी बहुत जरुरत है
लड़ने के लिए
एक और महासमर एक और उल गुलाल
गेहूँआ काले अंग्रेजों से
.....
मगर गरीबों को चबाने के लिए
वही मगरमच्छी दाँत

वही व्हेल सी आँत
.....
.....
मगर विकास दर में झाँकता
गरीब का चेहरा
फिर भी निस्तेज़.....(4)

भारतीय समाज में आदिवासी समाजवादियों से समाज की मुख्य धारा से कटकर जीवन यापन कर रहा है। आजादी के छह दशक बाद भी उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, उसे हाशिये पर जीवन जीना पड़ रहा है। सेज के नाम पर उनके जंगल छीने जा रहे हैं उनकी जमीन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बेची जा रही है। जो जंगल उनकी आजीविका के साधन हैं, ऐसी धरोहर को नष्ट किया जा रहा है। जंगलों से उनका पलायन हो रहा है, फिर भी नक्सलवादी कहकर सरेआम उन पर जुल्म ढाये जा रहे हैं।

राजमणि मांझी सरकम की 'विडम्बना' कविता द्रष्टव्य है–

एक ही देश में
उनका अलग परिवेश है
एक ही आकाश में
उनका अलग निवास है
एक ही दिन में
उनका अलग उजाला है
.....
एक ही मंदिर में
उनका अलग बाट है(5)

आदिवासियों को उचित स्थान तो मिला नहीं, अपितु उनकी एक ऐसी विद्रूप और रूढ़ छवि निर्मित कर दी गयी है जिससे उबरने में उन्हें सदियाँ लग सकती है। निर्मला पुतुल की कविता का अंश देखिए–

कहाँ हो तुम माया?
कहाँ हो?
कहीं हो सलामत या
दिल्ली निगल गयी तुम्हें? अब तो जान गयी न
कि यह जो दूर से चमचमाता शहर है
दिल्ली

नहीं हम जैसों के लिए
क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता माया?
कि वह एक ऐसा शमशान है जहाँ
जिन्दा दफ्न होने के लिए भी लोग लाईन
में खड़े हैं-(6)

आदिवासियों का संघर्ष जहाँ अपने जल, जंगल और जमीन से रहा, वहीं उपेक्षित और अनदेखे जनसमुदाय का साहित्य पीड़ा और आक्रोष की क्रान्ति का शंखनाद करता हुआ अपनी नयी पगडण्डी बनाना चाहता है।

सुशील कुमार की तुम्हारी कलम उनके पास रेहन है, का अंश उद्धृत करना चाहूंगी-

तुम्हारे शब्दों के जंगल से छूटते ही
वे आँखें मुझमें वापस लौट आयी हैं
जिसमें व्यवस्था के अंधेरे में बजाती
उन तवारिखों को पढ़ ली है
जिसे चरित्रहीनता और लालच की स्याही से
तुम्हारी सियासी कलम ने
हमें पालतु बनाये रखने की नीयत से गढ़ी है।
ये जानते हुए भी कि
हमने पुरखों को आदिम पशुता ने नोंच खायी थी।(7)

रुग्ण रुढ़ियों तथा परम्पराओं से मुक्त करवाने का प्रमुख दायित्व साहित्यकारों तथा कवियों का है। आदिवासी समाज के सोने के लिए धरती, खाने के लिए कन्दमूल, सिरहाने के लिए पत्थर तथा ओढ़ने को आकाश है। पहनने को पूरे वस्त्र के स्थान पर शर्म ढकने को बित्ती भर कपड़ा, फिर भी संतोषी जीवन। निर्मला पुतुल की कविता देखिये-

इसलिए जरुर पूछना चाहूँगी
कि नदी पर बाँध क्यों बन रहा है?
किसलिए ना जोख हो रही है हमारे
गोचर जमीन की?
क्या चीज़ का सर्वे चल रहा है?
और वह जो सड़क बन रही है
कितने की बजट की है?
इसका ठेकेदार कौन है?
कहाँ का है?
जरुर पूछना चाहूँगी-(8)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने लम्बे अंतराल पर भी उपेक्षित जनसमुदाय की स्थिति पर लेखिका की चिन्ता निश्चित ही समय की मांग है। उपेक्षित जन–समाज को नूतन दृष्टि से देखना हमारा परम कर्त्तव्य है–

बेडियाँ हैं जो दिखायी नहीं देती
फिर भी बँधते जा रहे हैं हाथ–पैर
चूँ तक करने की इजाजत नहीं है
किसी को भी
पता नहीं
आजादी से साँस लेने की ताकत
और कितनी शेष है
और कितनी बच रही है
सपने देखने की उमंग?
सुना है बेड़ी बिना पहिने, जीने का चलन
बंद हो चुका है यहाँ–(9)

ओम प्रकाश मेहरा की 'एक चमकदार सुबह और उसका इंतजार' कविता सामयिक परिवेश का जीवन्त दस्तावेज है। रमणिका गुप्ता की कविता आदिवासियों की स्थिति पर सम्वेदना प्रकट करती है। 'दृष्टिकोण बदलना होगा' का अंश देखिए–

मैं क्रांति चाहता हूँ
तो तुम हिंसा कहते हो
मैं अन्याय का विरोध करता हूँ
उसका सर कुचलता हूँ
जब मैं तीर चलाता हूँ
तो तुम नक्सलवादी कहते हो–(10)

समग्रत: हम कह सकते हैं कि आदिवासी के सपने तभी साकार होंगे तब वे स्वयं संघर्ष करें, स्वावलम्बी बनकर प्रश्नों के समाधान का प्रयास करें। शोषितों के प्रति संगठित होकर अपने साहस का परिचय दें। इतिहास साक्षी है कि अवोले शांत व्यक्ति का क्रोध बहुत खतरनाक होता है।

निर्मला पुतुल के शब्दों में–

धीरे–धीरे कवता–
अक्सर चुप रहने वाला आदमी
कभी न कभी बोलेगा

जरुर सिर उठाकर
चुप्पी टूटेगी एक दिन धीरे-धीरे उसकी
धीरे-धीरे सख्त होंगे उसके इरादे और तनेगी
मुट्ठियाँ आकाश में व्यवस्था के खिलाफ-(11)

आदिवासियों की यथास्थिति का अंकन सुशील कुमार की कविता में देखिए-यह बेहद अफ्सोस जनक है-

उनकी हवस हमेशा
तुम्हारी भूख पर भारी पड़ती है
जो तुमकों कूट पीसकर खाती है-(12)

संदर्भ

1. आदिवासी समाज दशा और दिशा, पृ.81
2. वही, पृ. 79
3. निर्मला पुतुल, अपने घर की तलाश में
4. सुरेन्द्र नायक, उल गुलाल युद्धरत आम आदमी, पृ. 64
5. राजमणि, युद्धरत आम आदमी, पृ.66
6. निर्मला पुतुल, अपने घर की तलाश में
7. सुशील कुमार, तुम्हारी कलम उनके पास रेहन है, युद्धरत आम आदमी, पृ.65
8. निर्मला पुतुल, अपने घर की तलाश में
9. ओमप्रकाश मेहरा, एक चमकदार सुबह और उसका इंतजार, युद्धरत आम आदमी, पृ. 67
10. रमणिका गुप्ता, दृष्टिकोण बदलना होगा
11. निर्मला पुतुल, अपने घर की तलाश में
12. सुशील कुमार, तुम्हारी कलम उनके पास रेहन है, युद्धरत आम आदमी, पृ.66

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

राश्ट्रीय एकता-अखण्डता और भारतीय संविधान

डॉ.सुरेखा रेगे,
सहप्राध्यापक षास. महाविद्यालय
जीरापुर

भारत एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक विविधता वाला विशालकाय देश है। भौगोलिक दृश्टि से एवं जनसंख्या की दृश्टि से दुनिया का एक बड़ा देश है। इसके विभिन्न भागो में विभिन्न भाशा विभिन्न जातियों उप जातियों तथा अलग-अलग धर्म संस्कृति कें लोग निवास करते है।जिनके आचरण - व्यवहार, मान्यताएँ।निश्ठा कही समान एवं स्वस्थ सोच के साथ राश्ट्रहित को बढ़ावा देने वाली है तो कहीं ऐसी विरोधाभासी है जो राश्ट्रीय एकता-अखण्डता को चोट पहुँचाने वाली साबित हो रही है। यह स्थिति आजादी के समय से वर्तमान मोदी सरकार तक दिखाई देती है। ब्रिटिश राज में 'फूट डालो राज करो' की नीति के कारण संकीर्ण साम्प्रदायिक ताकतें सिर उठाती रही तथा ब्रिटिश सरकार इसका उपयोग अपने साम्राज्यवादी स्वार्थों की पूर्ति और राश्ट्रवादी धारा को कमजोर करने के लिए करता रहा।

स्वतंत्रता के बाद भी ,धर्म , जाति,भाशा , संस्कृति एवं क्षेत्रीय विभिन्नताओ का फायदा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए उठाते रहे। इन आधारो पर कभी तो भारत के राज्यो का पुर्नगठन हुआ तो भी 'रामजन्म भुमि-बाबरी मस्जिद' के विवाद को तुल देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी या हटाई गई। कभी गो माँस को लेकर दंगे फ्साद और वारदातें हुई। कुछ भी हो ये सब बाते राश्ट्र की एकता-अखण्डता के लिए शुभ संकेत नहीं है।

अत: भारतीय संविधान में देश की अखण्डता की रक्षा के लिए कतिपय उपबंध किए गए है। (अ) राश्ट्रीय एकता का प्रष्न और स्वतंत्रता आन्दोलन-

व्मारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में मुख्यत: दो शक्ति धाराएँ कार्य कर रही थी।पहली धारा जिनका नेतृत्व महात्मा गाँधी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कर रही थी। इसमें सभी राष्ट्रवादी तत्व शामिल थे जो जाति ,धर्म, प्रदेश, भाषा आदि के संकीर्ण बन्धनो से मुक्त होकर देश को ब्रिटिश साम्रज्यवादी दासता से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहे थे। दुसरी धारा साम्प्रदायिकता की थी।मुख्यत: मोहम्मद अली जिन्ना के नेंतृत्व में कार्यरत मुस्लिम लीग कर रही थी। लीग ने 1938 में दो राष्ट्र सिद्धान्त का प्रतिपादन कर 1940 में यह माँग की कियदि बिटेन भारत को स्वतंत्रता प्रदान करता है उसे देश का विभाजन कर मुस्लिमो के लिए '' मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के आधार पर एक पृथक राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए क्योंकि भारतीय मुसलमान एक अलग जाति नही वरन् एक अलग राष्ट्रीयता का निर्माण करता है जिसे पाकिस्तान नाम दिया गया इसकी प्राप्ति के लिए देश में हिंसक आन्दोलन प्रारंभ किए गये तथा 15 अगस्त 1947 को जब

भारत को आजादी दी गई तो एक दिन पूर्व 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया जिसे वैधानिक पुष्टि'' भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947'' मे कर दी गई।

इस घटना से देश में बड़े पैमाने पर हिन्दु-मुस्लिमो में अविश्वास-विद्वेष का जहर व्याप्त हो गया। सदियों से शांतिपुर्ण ढंग से साथ-साथ रहने वाले दोनो सम्प्रदायों के लोगों में व्यापक स्तर पर हिंसा मारकाट होने लगी।परिणाम स्वरूप महात्मा गाँधी का 'राष्ट्रीय स्वाधीनता और एकता' प्राप्त करने का लक्ष्य कालान्तर में असंभव सा प्रतीत होने लगा। यह जहर आज सन् 2018 में भी दिखाई देता है।

''केबिनेट मिशन योजना'' में देश की अखण्डता को बचाने हेतु एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की गई जिसमें एक सीमित अधिकारों वाली केन्द्रीय सरकार, शक्तिशाली प्रान्तीय सरकारों तथा उनके मध्य साम्प्रदायिक, भौगोलिक आधार पर निर्मित तीन समूह सरकारों की स्थापना की व्यवस्था थी। लीग ने इस योजना को अस्वीकार कर पाकिस्तान निर्माण की माँग को तेज कर दिया। परिणामस्वरूप ''माउन्टबेटन योजना और देश का विभाजन पाकिस्तान का निर्माण'' अस्तित्व में आया। डॉ. सुभाष कश्यप के अनुसार- ''कांग्रेस को दो बुराईयो मे से एक को चुनना था - देश विभाजन या गृहयुद्ध।'' कांग्रेस ने देश के विभाजन को कम बड़ी बुराई समझा क्योंकि नेताओ को यह स्पष्ट हो गया था कि यदि देश का विभाजन न हुआ तो केन्द्र दुर्बल रहेगा और कांग्रेस और लीग की मिली-जुली सरकार चल न पाएगी,देश प्रगति नहीं कर सकेगा, उसमें बराबर मुसीबतें बनी रहेगी और भारत संघ के अंग बराबर उससे अलग होने का प्रयास करते रहेंगे।

(ब) राष्ट्रीय एकता अखण्डता की रक्षा हेतु भारतीय संविधान के कतिपय उपबंध एवं व्यवस्थाएँ-

भारतीय इतिहास संविधान सभा का मार्गदर्शन कर रहा था। मुस्लिम बहुल प्रदेशों के अलग होने के बावजूद देश के बचे हुए अन्य प्रदेशो मेंविद्यमान विभिन्न जाति,भाषा, धर्म संस्कृति की विभिन्नताओ के मध्य राष्ट्रीय एकता-अखण्डता को सुदृड़ बनाए रखने में सक्षम ऐसे संविधान का निर्माण करना एक बड़ी चुनौती थी। संविधान सभा ने यह कार्य बखुबी सम्पन्न किया। उसमे तात्कालीन परिस्थितियों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान मे रखते हुए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसका मुख्य रूप देश में विद्यमान विविधताओ को जीवित और विकसित होने का अवसर प्रदान करने वाला होने के बावजुद उन्हे राष्ट्रीय एकता राष्ट्रप्रेम के सुदृड़ सूत्र में बाँधने वाला था।अर्थात हमारे शासन का स्वरूप संघात्मक होते हुए भी एकात्मक होगा तथा परम्परागत रूप से प्रान्तीय स्वतंत्रता पर कम सुदृढ़ केन्द्र पर अधिक जोर देने वाला था।

अत: इस व्यवस्था को कायम करने के लिए संविधान में निम्न उपबंध रखे गए

(1) संविधान में फेडरल नही 'यूनियन' षब्द का प्रयोग है - संविधान सभा द्वारा भारत के लिए जिस संघ-

राज्य की स्थापना की गई उसका आधार एक केन्द्रीकृत संघ राज्य का है। इसलिए संविधान निर्माताओ ने संविधान की पहली धारा में जिस अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया गया है वह फेडरल नही ''यूनियन'' है अर्थात भारत संघात्मक राज्य नहीं वरन् राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान का बहिरंग संघात्मक है पर अंतरंग एकात्मक है। हमारे शासन में संघात्मक और एकात्मक दोनो शासन के लक्षण पाए जाते है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के ये लक्षण मौजूद है-(1) लिखित, कठोर संविधान (2) शक्ति का बँटवारा केन्द्र-ईकाईयो में संविधान के द्वारा (3) संविधान की सर्वोच्चता (4) न्याय पालिका के पास न्यायिक पुर्नविलोकन की शक्ति।

भारत में ''युनियन'' शब्द का प्रयोग एकता के प्रतीक के रूप मे है। युनियन शब्द कनाड़ा के संविधान से लिया गया है।

भारत संघ का निर्माण अमेरिकी संघ की तरह नहीं हुआ है। जिसमे पहले से ही स्वतंत्र और संप्रभुत्व सम्पन्न राज्यों ने स्वेच्छा से संघ की सदस्यता ग्रहण की हो अमेरिकी संघ स्वेच्छा से परस्पर मिलन का परिणाम है यह संघ निर्माण की केन्द्रकरण की विधि है। भारत मे संघ निर्माण की ''विघटन विधि को अपनाया गया है'' इसमे एकात्मक शासन को संघात्मक मे बदला जाता है। यह कार्य संविधान द्वारा किया जाता है।स्पष्ट है कि भारत मे ब्रिटिश शासन के दौरान एकात्मक शासन थातथा शक्तिशाली केन्द्र सरकार थी। शासन की कुशलता और व्यवस्था हेतु उन्होने पुर्व प्रान्तो को संघ की इकाईयो के रूप में बदल दिया किन्तु उन पर शासन की सर्वोच्च शक्ति नियंत्रण गवर्नर जनरल का अर्थात केन्द्रीय सरकार का होता था। यही व्यवस्था स्वतंत्र भारत के संविधान ने अपना ली।

(2) सुदृड़ एवं षक्तिषाली केन्द्रीय सरकार -

भारतीय संविधान एक शक्तिशाली केंन्द्रीय सरकार का गठन करता है। देश के विभाजन, साम्प्रदायिकता, भाषावाद, प्रान्तवाद, जातिवाद, पृथकवादी राग आदि के कारण केन्द्र को शक्तिशाली बनाना न्यायोचित समझा गया ताकि देश की अखण्डता को बनाए रखा जा सके। साथ ही भारत की उन 500 देशी रियासतों को भारत में विलय करना था जिन्हे अंग्रेजी सरकार ने स्वतंत्र छोड़ दिया था। लोहपुरूष सरदार पटेल के प्रयासों से कश्मीर को छोड़कर सभी देशी रियासतों का भारत मे विलय हुआ। ये रियासतें पुन: पृथकतावाद की ओर अग्रसर न हो इसलिए शक्तिशाली केन्द्र की आवश्यकता अनुभव की गई।

स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान साम्प्रदायिकता का उत्थान एक दुसरा कारण था जिसने केन्द्रवाद को पनपने की उर्वराभुमि प्रदान की। शक्तिशाली केन्द्र हमे मुगल एवं ब्रिटिश शासन से विरासत में प्राप्त व्यवस्था थी। आवागमन-संचार के साधनो के तीव्र विकास ने केन्द्रीय सत्ता को और अधिक शक्तिशाली बनाया तथा प्रान्तीय एवं स्थानीय शासन की स्वायत्तता को और अधिक सीमित कर दिया।ब्रिटेन के लिए यह एक साम्राज्यवादी और प्रशासनिक आवश्यकता थी। भारत को अपने अधीन रखने के लिए उस पर कठोर नियंत्रण रखना पड़ा।सन् 1919 और1935 के ब्रिटिश भारत के शासन के अधिनियमों द्वारा स्थानीय और प्रान्तीय शासन को कितने ही अधिकार दिए गए हो। अन्तत: सत्ता हमेंशा

ब्रिटिश शासको ही हाथ में रही।

(3) षक्तिविभाजन केन्द्र के पक्ष में –

भारतीय संविधान ने इसी व्यवस्था को स्वीकारते हुए शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना की। इस हेतु राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय संघसूची में रखे गए। अवशिष्ट सूची केन्द्र को दी गई । केन्द्र कुछ परिस्थितियो में राज्यसुची के विषयो पर भी परकानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर केन्द्र राज्य के कानूनो में विरोधाभास होने पर केन्द्र का कानून मान्य होगा। राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है यदि (1) राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया हो। (2) दो या दो से अधिक राज्य विधानसभा की प्रार्थना पर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। (3) विदेशी राज्यो से संधि या समझौतो का पालन करने के लिए (4) आपातकाल की घोषणा होने पर (5) राज्यो में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर (6) कुछ विधेयको को प्रस्तावित करने और कुछ को अन्तिम स्वीकृति हेतु केन्द्र का अनुमोदन आवश्यक।

(4) इकहरी नागरिकता –

इकहरी नागरिकता की यह व्यवस्था भारत की एकता को बनाए रखने की दृष्टि से रखी गई है। भारत में नागरिक को राज्यो की नागरिकता प्राप्त नहीं है जैसी अमेरिका में होता है।

(5) संघ–राज्यो के लिए एक ही संविधान –

भारत में राज्यो को अपने पृथक संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। वे संविधान संशोधन के लिए पहल नहीं कर सकते है, केवल अनुमोदन का अधिकार उन्हे प्राप्त है।

(6) राज्यो को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है–

पूर्व सोवियत संघ एवं स्ट्जरलैण्ड की तरह भारत का कोई भी राज्य भारत संघ से अलग होने की माँग नहीं कर सकता है ।ऐसा यदि कोई राज्य करता है तो केन्द्र सरकार उनकी पृथकतावादी माँगो एवं आन्दोलनों को सख्ती से कुचल सकती है। जैसे पंजाब में खलिस्तान की माँग को कुचल दिया गया ।ऐसी माँग करने वाले नागरिको पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है।

(7) राश्ट्रपति की आपातकालीन षक्तियाँ–

अनुच्छे352 बाह्य आक्रमण होने या आशंका होने पर अथवा आन्तरिक क्षेत्र में विद्रोह होने की स्थिति में देश में या देश के किसी भी भाग में आपातकाल की घोषणा की जाकर वहाँ का शासन केन्द्रीय सरकार के द्वारा या उसके निर्देशो से चलाया जावेगा। अनु.356 राज्यो में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर संबंधित राज्य में आपातकाल लागु कर वहां का शासन केन्द्र सरकार अपने हाथो में ले सकती है। अनु. 360 वित्तीय आपात की शक्ति भी केन्द्रीय सरकार को प्राप्त है ।आपात काल में संघात्मक शासन एकात्मक शासन मे बदल जाता है।

(8) राज्यो में राज्यपालो की नियुक्ति राश्ट्रपति द्वारा–

संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य के गवर्नर का चुनाव राज्य की जनता करती है किन्तु भारत में राज्यपालों की

नियुक्ति राज्य में राश्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राश्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद पर कार्य करता है। राज्यपाल चाहे राज्य का संवैधानिक प्रधान हो किन्तु अधिकांशत: वह केन्द्र के एजेन्ट के रूप में कार्य करता है। वह राज्यपाल पर नियंत्रण रखता है। आपात काल लगाने के लिए वह राश्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है।

(9) संसद राज्यो के नामो में परिवर्तन कर सकती है तथा उनके क्षेत्र में कमी-वृद्धि या नवीन राज्य का निर्माण आादि कर सकती है।

(10) मूलभूत विशयों में एकरूपता-

राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए राष्ट्र में मुलभूत विषयो मे एकरूपता जैसे

(1) एकीकृत न्यायिक ढाँचा

(2) सारे देश में फौजधारी-दीवनी कानूनों में समानता।

(3) विभिन्न राज्यो एवं संघ के प्रमुख पदो के लिए अखिल भारतीय सेवाएँ

(4) एक ही चुनाव आयोग तथा वित्तीय में एक ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक

(11) आर्थिक दृश्टि से राज्यो की केन्द्र पर निर्भरता-

भारत में राज्य आर्थिक दृष्टि से आत्मनिभर नही है ।अत: उन्हे समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान दिए जाते है ताकि उनका विकास हो सके इससे राज्यों की स्वतंत्रता नाम मात्र की रह जाती है।

(12) राज्य सरकारो को निर्देष देना तथा संघीय कार्य सौपना-

संविधान के अनु.256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसदीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करे। अनुं 257 में राज्य की कार्यपालिका को निर्देश देने की शक्ति संघ को प्राप्त है तथा संघ राज्यो को कोई भी कार्य सौंप सकता है।

(ङ्क3) योजना आयोग एवं अन्तर्राज्यीय परिशदे, क्षेत्रीय परिषदों को केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है ।संघ राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित करता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का सशक्त केंन्द्र का यह आधार प्रान्तीय स्वायत्तता और शुद्ध संघात्मक शासन के समर्थको के लिए आलोचना का विषय बना। उन्होने इसे एक सड़क कुट इंजन के समान राष्ट्रीय एकता-अखण्डता रक्षा के लिए स्थापित अंग कहा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस संविधान द्वारा स्थापित केन्द्रीय शासन व्यवस्था की शक्ति के कारण ही देश में समय-समय पर सिर उठाने वाली पृथकतावादी-आतंकवादी गतिविधियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने व देश की अखण्डता एवं अस्मिता को बनाएँ रखने में एक सक्षम साधन सिद्ध हुआ है। अत: एक ऐसी राष्ट्रविभाजक और अलगाव वादी शक्तियों का दमन करने और राष्ट्र की एकता-अखण्डता को अक्षुण बनाए रखने की दृष्टि से संवैधानिक आधार पर एक सशक्त कैन्द्रीय सरकार की स्थापना का निर्णय समय की कसौटी पर खरा उतरा है तथा पृथकतावादी झंझावतों से देश

की रक्षा करने में अद्भूत समता का परिचय दिया है।

सन्दर्भ ग्रन्थो की सूची

(1) उमाकान्त तिवारी – द मेकिंग ऑफद इण्डियाज कांस्टिट्यूशन

(2) पी.बी. गजेन्द्रगडकर – द कांस्टिट्यूशन ऑफ इण्डिया इट्स फ्लिासॉफी एंड बेसिक पोस्टबूलेट्स

(3) कांस्टिट्यूएन्ट असेम्बली डिबेट्स खण्ड 5

(4) प्यारेलाल – महात्मा गाँधी – लास्ट फेज

(5) डॉ. सुभाष कश्यप – संवैधानिक विकास एवं स्वाधीनता संघर्ष

(6) डॉ. पुखराज जैन – ''भारत शासन और राजनीति''

(7) डॉ. बी. एल. फडिया – ''भारत शासन और राजनीति''

(8) वी.पी. मैनन – ''द ट्राँसफर ऑफपावर इन इण्या''

(9) डॉ. रामधारी सिंह दिनकर – ''संस्कृति के चार अध्याय''

(10) डॉ. रजनी कोठारी – ''कास्ट इन इण्डियन पालिटिक्स''

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

Impact of Tight Fitted Clothes on Health of Men and Women

Dr. Smita Jain.
Associate Professor
Institute for Excellence in Higher Education,
Bhopal

Introduction

We wear clothes to fulfill our basic needs, like- protection, adornment, identification, modesty and status. In its broadest sense, clothing is defined as the coverings of the torso and limbs, as well as the coverings for the hands, feet and head. Well-fitted garment is a source of satisfaction and looks nice. A well-fitted garment has optimum amount of ease and its seam lines follow the general silhouette of the body. Any fitted garment is judged by its appearance on the wearer and its success depends a great deal in its fitting. Fitting is the act of trying of clothes so that they can be adjusted to fit. Fitted garments are comfortable and allow the wearer to perform normal activites. They also fit snugly on the body of the wearer. They drape neatly and sets without any wrinkles without sagging or projecting out and will also be well balanced.

The way we wear our clothes, style and combining them with accessories reflect our personality. Wearing of too-tight apparels and accessories are in fashion today. Slimming approach turns more and more people to opt for tight-fitting dress up. Use of body shaping garment trend is more popular among women as compared to men. But wearing of too-tight clothing does not make us look good all the time, or enhances our personality. On the contrary, many studies have shown that wearing too-tight fitting clothes can lead to different health problems.

Many of us wear tight clothes to look slim, beautiful and young. Even if our body is

getting abused with these kinds of clothes, we still wear them to look good. We have become very conscious about what to wear, and how to look better. We all want a stunning look with stylish outfits and latest designs, where we can fit our body in that outfit and squeeze ourselves for the whole day.

Clothing should not cling tightly or cause compression over body areas. Most modern clothing is made with variety of breathable and stretchable fabrics which are comfortable and provide ease of movement. Even with the added stretch, however, these clothes cause problems if they are tight in specific areas.

Problems caused by tight fitted clothes among men

Usually men wear skinny jeans on a regular basis simply because they look good or to show that they can still fit in them. Tight clothes in men interfere with the intestinal mobility. Tight belts and waistbands in men can disrupt the digestion system. Due to pressure around the stomach area, bowels lack room for expansion which may interfere with digestion. The pressure may also force the raising of gastric acid from the stomach to the esophagus, an effect felt through heartburn and belching. There is also a theory that tight belts worn by men may sometimes cause esophageal cancer. Tight jeans can also lead to a condition called testicular torsion, where one testis gets twisted. In extreme cases, twisted testes person may die.

Tight underwear causes discomfort in groin area, it also create a lot of pressure around the genital which generates a lot of heat. Sperms do well at relatively low temperatures, excessive temperatures destroy them, which leads to infertility in men. Men suffering with urinary tract infections are advised to avoid tight underwear.

Problems caused by tight fitted clothes among women

The most prevalent problem for women tends to be the vaginal infections. This is due to fabrics that are used to make pants or underwear, which don't allow the skin to breathe as it should. Bacteria and moisture at higher than normal levels cause a change in the vaginal PH and results in an infection.

Tight clothing if worn for a long time veins get compressed causing Varicose veins. It also affects the spine. Tight clothing over the joint may cause pain and tingling. Clothing that is too tight at the waist may contribute to immune system difficulties and circulation problems because they interrupt the flow of lymphatic fluids. Acid reflux can also result from wearing clothing that is too tight at the waist. Pants that are tight in the groin can contribute to yeast infections in women. For these reasons, it is important to make sure you limit the time you wear pants that are tight in the groin, and be sure to remove them to prevent problems.

In undergarments the right size and fit are particularly important, the wrong kind of undergarment can cause headaches, neck and shoulder problems and even back pain, especially with women with a larger bust size. It is especially prudent to avoid wearing tight under clothing as it may cause increased pressure, especially in areas such as the stomach, can cause problems such as heartburn, inflammation, ulcers, and even contribute to bladder leakage. Dr. Apratim Goel, cosmetic dermatologist and laser surgeon says that about 17% of the women in India suffer health problems because of their tight fitted bras.

Tight jeans lead to endometriosis, an infertility disorder. Due to the pressure they exert on the lower abdomen, the endometrial cells, also cervical mucous, are triggered to escape from the cavity of the uterus and settle in the ovaries. Be aware of the odour too. Tight jeans do not let sweat out which is responsible for many health issues, pungent sweat and too much in quantity can also lead to an attack by fungus. This fungus infection if not treated timely may cause serious problems.

Conclusion

When we wear clothes that fit well, we'll not only look, but also feel better and our posture appears better, feel more confident. Well-fitted clothes complement our body, whereas badly fitted clothes draw attention to our problem areas as well as create severe health problems. Today, most modern clothing are made with variety of breathable and stretchable fabrics which are comfortable and provide ease of

movement. Researches are being done in order to make clothing safe and make people aware of the side effects of tight clothing.

References:

A Costume Designer's Secrets for Making Your Clothes Look, Fit, and Feel, May 2015, Alison Freer .

clothes/https://fertilitypedia.org/edu/risk-factors/tight-clothing#/about_panel

http://english.pravda.ru/science/health

http://www.safetynewsalert.com/incident-shows-danger-of-loose-clothing/

https://www.primermagazine.com/2012/learn/the-philosophy-of-a-good-fit

https://fertilitypedia.org/edu/risk-factors/tight-clothing#/about_panel

https://www.thefitindian.com/effects-of-wearing-skin-tight-

https://www.thefitindian.com/effects-of-wearing-skin-tight-clothes/How to Get Dressed: Killer Clothes: How Clothing Choices Endanger Your Health 14 Mar 2011 , Brian R. Clement ,? Anna Maria Clement.

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और स्वस्फूर्त शासक - अहिल्याबाई

नीलिमा चटर्जी
समाज शास्त्र विभाग सहायक प्राध्यापक
शा. वीर सावरकर महाविद्यालय, औबेदुल्लागंज

अहिल्याबाई होल्कर (1725–1795) एक महान शासक थी और मालवा प्रांत की महारानी। लोग उन्हें राजमाता अहिल्यादेवी होल्कर नाम से भी जानते हैं और उनका जन्म महाराष्ट्र के चोंडी गांव में 1725 में हुआ था। उनके पिता मानकोजी शिंदे खुद धनगर समाज से थे, जो गांव के पाटिल की भूमिका निभाते थे।
उनके पिता ने अहिल्याबाई को पढ़ाया–लिखाया। अहिल्याबाई का जीवन भी बहुत साधारण तरीके से गुजर रहा था। लेकिन एकाएक भाग्य ने पलटी खाई और वह 18वीं सदी में मालवा प्रांत की रानी बन गईं।

युवा अहिल्यादेवी का चरित्र और सरलता ने मल्हार राव होल्कर को प्रभावित किया। वे पेशवा बाजीराव की सेना में एक कमांडर के तौर पर काम करते थे। उन्हें अहिल्या इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उनकी शादी अपने बेटे खांडे राव से करवा दी। इस तरह अहिल्या बाई एक दुल्हन के तौर पर मराठा समुदाय के होल्कर राजघराने में पहुंची। उनके पति की मौत 1754 में कुंभेर की लड़ाई में हो गई थी। ऐसे में अहिल्यादेवी पर जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अपने ससुर के कहने पर न केवल सैन्य मामलों में बल्कि प्रशासनिक मामलों में भी रुचि दिखाई और प्रभावी तरीके से उन्हें अंजाम दिया।

मल्हारराव के निधन के बाद उन्होंने पेशवाओं की गद्दी से आग्रह किया कि उन्हें क्षेत्र की प्रशासनिक बागडोर सौंपी जाए। मंजूरी मिलने के बाद 1766 में रानी अहिल्यादेवी मालवा की शासक बन गईं। उन्होंने तुकोजी होल्कर को सैन्य कमांडर बनाया। उन्हें उनकी राजसी सेना का पूरा सहयोग मिला। अहिल्याबाई ने कई युद्ध का नेतृत्व किया। वे एक साहसी योद्धा थी और बेहतरीन तीरंदाज। हाथी की पीठ पर चढ़कर लड़ती थी। हमेशा आक्रमण करने को तत्पर भील और गोंड्स से उन्होंने कई बरसों तक अपने राज्य को सुरक्षित रखा।

रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी महेश्वर ले गईं. वहां उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलीशान अहिल्या महल बनवाया। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल के ईर्द–गिर्द बनी राजधानी की पहचान बनी

टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उस दौरान महेश्वर साहित्य, मूर्तिकला, संगीत और कला के क्षेत्र में एक गढ़ बन चुका था। मराठी कवि मोरोपंत, शाहिर अनंतफंडी और संस्कृत विद्वान खुलासी राम उनके कालखंड के महान व्यक्तित्व थे।
एक बुद्धिमान, तीक्ष्ण सोच और स्वस्फूर्त शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थी। उनकी समस्याएं सुनती थी। उनके कालखंड (1767–1795) में रानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़कें बनवाने पर खर्च किया। वह लोगों के साथ त्योहार मनाती और हिंदू मंदिरों को दान देती।

एक महिला होने के नाते उन्होंने विधवा महिलाओं को अपने पति की संपत्ति को हासिल करने और बेटे को गोद लेने में मदद की। इंदौर को एक छोटे–से गांव से समृद्ध और सजीव शहर बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। उनका सबसे यादगार काम रहा, तकरीबन सभी बड़े मंदिरों और तीर्थस्थलों पर निर्माण। हिमालय से लेकर दक्षिण भारत के कोने–कोने तक उन्होंने इस पर खूब पैसा खर्च किया। काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका, बद्रीनारायण, रामेश्वर और जगन्नाथ पुरी के ख्यात मंदिरों में उन्होंने खूब काम करवाए।

अहिल्याबाई होल्कर का चमत्कृत कर देने वाले और अलंकृत शासन 1795 में खत्म हुआ, जब उनका निधन हुआ।
उनकी महानता और सम्मान में भारत सरकार ने 25 अगस्त 1996 को उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया। इंदौर के नागरिकों ने 1996 में उनके नाम से एक पुरस्कार स्थापित किया। असाधारण कृतित्व के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके पहले सम्मानित शख्सियत नानाजी देशमुख थे।

दस–बारह वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। उनतीस वर्ष की अवस्था में विधवा हो गईं। पति का स्वभाव चंचल और उग्र था। वह सब उन्होंने सहा। फिर जब बयालीस–तैंतालीस वर्ष की थीं, पुत्र मालेराव का देहांत हो गया। जब अहिल्याबाई की आयु बासठ वर्ष के लगभग थी, दौहित्र नत्थू चल बसा। चार वर्ष पीछे दामाद यशवंतराव फणसे न रहा और इनकी पुत्री मुक्ताबाई सती हो गई। दूर के संबंधी तुकोजीराव के पुत्र मल्हारराव पर उनका स्नेह था; सोचती थीं कि आगे चलकर यही शासन, व्यवस्था, न्याय और प्रजारंजन की डोर सँभालेगा; पर वह अंत–अंत तक उन्हें दु:ख देता रहा।

निर्माण कार्य

रानी अहिल्याबाई ने भारत के भिन्न–भिन्न भागों में अनेक मन्दिरों, धर्मशालाओं और अन्नसत्रों का निर्माण

कराया था। कलकत्ता से बनारसतक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मन्दिर , गया में विष्णु मन्दिर उनके बनवाये हुए हैं। इन्होंने घाट बँधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए सदाब्रत (अन्नक्षेत्र) खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाईं, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति शास्त्रों के मनन-चिंतन और प्रवचन हेतु की। उन्होंने अपने समय की हलचल में प्रमुख भाग लिया। रानी अहिल्याबाई ने इसके अलावा काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथ पुरी इत्यादि प्रसिद्ध तीर्थस्थानों पर मंदिर बनवाए और धर्म शालाएं खुलवायीं। कहा जाता है कि रानी अहिल्या बाई के स्वमप्नअ में एक बार भगवान शिव आए। वे भगवान शिव की भक्तथीं और इसलिए उन्होंएने 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया।

शिव जी की भक्त

उनका सारा जीवन वैराग्य, कर्त्तव्य-पालन और परमार्थ की साधना का बन गया। भगवान शिव की वह बड़ी भक्त थीं। बिना उनके पूजन के मुँह में पानी की बूंद नहीं जाने देती थीं। सारा राज्य उन्होंने शंकर को अर्पित कर रखा था और आप उनकी सेविका बनकर शासन चलाती थी। %संपति सब रघुपति के आहि%—सारी संपत्ति भगवान की है, इसका भरत के बाद प्रत्यक्ष और एकमात्र उदाहरण शायद वही थीं। राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थीं। नीचे केवल श्री शंकर लिख देती थीं। उनके रुपयों पर शंकर का लिंग और बिल्व पत्र का चित्र अंकित है ओर पैसों पर नंदी का। तब से लेकर भारतीय स्वराज्य की प्राप्ति तक इंदौर के सिंहासन पर जितने नरेश उनके बाद में आये सबकी राजाज्ञाऐं जब तक की श्रीशंकर आज्ञा जारी नहीं होती, तब तक वह राजाज्ञा नहीं मानी जाती थी और उस पर अमल भी नहीं होता था। अहिल्याबाई का रहन-सहन बिल्कुल सादा था। शुद्ध सफ़ेद वस्त्र धारण करती थीं। जेवर आदि कुछ नहीं पहनती थी। भगवान की पूजा, अच्छे ग्रंथों को सुनना ओर राजकाज आदि में नियमित रहती थी।

योगदान

अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत-भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बँधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए-सुधरवाए, भूखों के लिए अन्नसत्र (अन्यक्षेत्र) खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाईं, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति शास्त्रों के मनन-चिंतन और प्रवचन हेतु की। और, आत्म-प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रहीं-मरते दम तक। ये उसी परंपरा में थीं जिसमें उनके समकालीन पूना के न्यायाधीश रामशास्त्री थे और उनके पीछे झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई। अपने जीवनकाल में ही इन्हें जनता 'देवी' समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आँखों देखा ही कहाँ था। जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी। शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे। प्रजाजन-साधारण गृहस्थ, किसान मजदूर-अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। उनका एकमात्र सहारा-धर्म-अंधविश्वासों,

भय त्रासों और रूढ़ियों की जकड़ में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी, न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ किया–और बहुत किया।–वह चिरस्मरणीय है।

सेनापति के रूप में

मल्हारराव के भाई–बंदों में तुकोजीराव होल्कर एक विश्वासपात्र युवक थे। मल्हारराव ने उन्हें भी सदा अपने साथ में रखा था और राजकाज के लिए तैयार कर लिया था। अहिल्याबाई ने इन्हें अपना सेनापति बनाया और चौथ वसूल करने का काम उन्हें सौंप दिया। वैसे तो उम्र में तुकोजीराव होल्कर अहिल्याबाई से बड़े थे, परंतु तुकोजी उन्हें अपनी माता के समान ही मानते थे और राज्य का काम पूरी लगन ओर सच्चाई के साथ करते थे। अहिल्याबाई का उन पर इतना प्रेम और विश्वास था कि वह भी उन्हें पुत्र जैसा मानती थीं। राज्य के काग़ज़ों में जहाँ कहीं उनका उल्लेख आता है वहाँ तथा मुहरों में भी खंडोजी सुत तुकोजी होल्कर इस प्रकार कहा गया है।

महिला सशक्तीकरण की पक्षधर

भारतीय संस्कृति में महिलाओं को दुर्गा और चण्डी के रूप में दर्शाया गया है। ठीक इसी तरह अहिल्याबाई ने स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिया। नारीशक्ति का भरपूर उपयोग किया। उन्होंने यह बता दिया कि स्त्री किसी भी स्थिति में पुरुष से कम नहीं है। वे स्वयं भी पति के साथ रणक्षेत्र में जाया करती थीं। पति के देहान्त के बाद भी वे युध्द क्षेत्र में उतरती थीं और सेनाओं का नेतृत्व करती थीं। अहिल्याबाई के गद्दी पर बैठने के पहले शासन का ऐसा नियम था कि यदि किसी महिला का पति मर जाए और उसका पुत्र न हो तो उसकी संपूर्ण संपत्ति राजकोष में जमा कर दी जाती थी, परंतु अहिल्या बाई ने इस क़ानून को बदल दिया और मृतक की विधवा को यह अधिकार दिया कि वह पति द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति की वारिस रहेगी और अपनी इच्छानुसार अपने उपयोग में लाए और चाहे तो उसका सुख भोगे या अपनी संपत्ति से जनकल्याण के काम करे। अहिल्या बाई की ख़ास विशेष सेवक एक महिला ही थी। अपने शासनकाल में उन्होंने नदियों पर जो घाट स्नान आदि के लिए बनवाए थे, उनमें महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था भी हुआ करती थी। स्त्रियों के मान–सम्मान का बड़ा ध्यान रखा जाता था। लड़कियों को पढ़ाने–लिखाने का जो घरों में थोड़ा–सा चलन था, उसे विस्तार दिया गया। दान–दक्षिणा देने में महिलाओं का वे विशेष ध्यान रखती थीं।

कुछ उदाहरण

एक समय बुन्देलखंड के चन्देरी मुकाम से एक अच्छा 'धोती–जोड़ा' आया था, जो उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। अहिल्या बाई ने उसे स्वीकार किया। उस समय एक सेविका जो वहां मौजूद थी वह धोती–जोड़े को बड़ी ललचाई नजरों से देख रही थी। अहिल्याबाई ने जब यह देखा तो उस कीमती जोड़े को उस सेविका को दे दिया।

इसी प्रकार एक बार उनके दामाद ने पूजा–अर्चना के लिए कुछ बहुमूल्य सामग्री भेजी थी। उस सामान को एक कमज़ोर भिखारिन जिसका नाम था सिन्दूरी, उसे दे दिया। किसी सेविका ने याद दिलाया कि इस सामान की

ज़रूरत आपको भी है परन्तु उन्होंने यह कहकर सेविका की बात को नकार दिया कि उनके पास और हैं।

किसी महिला का पैरों पर गिर पड़ना अहिल्या बाई को पसन्द नहीं था। वे तुरंत अपने दोनों हाथों का सहारा देकर उसे उठा लिया करती थीं। उनके सिर पर हाथ फेरतीं और ढाढस बंधाती। रोने वाली स्त्रियों को वे उनके आंसुओं को रोकने के लिए कहतीं, आंसुओं को संभालकर रखने का उपदेश देतीं और उचित समय पर उनके उपयोग की बात कहतीं। उस समय किसी पुरुष की मौजूदगी को वे अच्छा नहीं समझती थीं। यदि कोई पुरुष किसी कारण मौजूद भी होता तो वे उसे किसी बहाने वहां से हट जाने को कह देतीं। इस प्रकार एक महिला की व्यथा, उसकी भावना को एकांत में सुनतीं, समझतीं थीं। यदि कोई कठिनाई या कोई समस्या होती तो उसे हल कर देतीं अथवा उसकी व्यवस्था करवातीं। महिलाओं को एकांत में अपनी बात खुलकर कहने का अधिकार था। राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों का दौरा करना, वहां प्रजा की बातें, उनकी समस्याएं सुनना, उनका हल तलाश करना उन्हें बहुत भाता था। अहिल्याबाई, जो अपने लिए पसन्द करती थीं, वही दूसरों के लिए पसंद करती थीं। इसलिए विशेषतौर पर महिलाओं को त्यागमय उपदेश भी दिया करती थीं।

एक बार होल्कर राज्य की दो विधवाएं अहिल्याबाई के पास आईं, दोनों बड़ी धनवान थीं परन्तु दोनों के पास कोई सन्तान नहीं थी। वे अहिल्याबाई से प्रभावित थीं। अपनी अपार संपत्ति अहिल्या बाई के चरणों में अर्पित करना चाहती थीं। संपत्ति न्योछावर करने की आज्ञा मांगी, परन्तु उन्होंने उन दोनों को यह कहकर मना कर दिया कि जैसे मैंने अपनी संपत्ति जनकल्याण में लगाई है उसी प्रकार तुम भी अपनी संपत्ति को जनहित में लगाओ। उन विधवाओं ने ऐसा ही किया और वे धन्य हो गईं।

देवी अहिल्याबाई द्वारा गौ माता को न्याय प्रेरक प्रसंग

दोस्तों, एक बार की बात है इन्दौर नगर के किसी मार्ग के किनारे एक गाय अपने बछड़े के साथ खड़ी थी, तभी देवी अहिल्याबाई के पुत्र मालोजीराव अपने रथ पर सवार होकर गुजरे । मालोजीराव बचपन से ही बेहद शरारती व चंचल प्रवृत्ति के थे । राह चलते लोगों को परेशान करने में उन्हें विशेष आंनद आता था । गाय का बछड़ा अकस्मात उछलकर उनके रथ के सामने आ गया । गाय भी उसके पीछे दौड़ी पर तब तक मालोजी का रथ बछड़े के ऊपर से निकल चुका था । रथ अपने पहिये से बछड़े को कुचलता हुआ आगे निकल गया था ।

गाय बहुत देर तक अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाती रही । तत्पष्चात उठकर देवी अहिल्याबाई के दरबार के बाहर टंगे उस घण्टे के पा जा पहुँची, जिसे अहिल्याबाई ने प्राचीन राजपरम्परा के अनुसार त्वरित न्याय हेतु विशेष रूप से लगवाया था, अर्थात् जिसे भी न्याय की जरूरत होती,वह जाकर उस घन्टें को बजा देता था, जिसके बाद तुरन्त दरबार लगता था और तुरन्त न्याय मिलता।

मृत्यु

राज्य की चिंता का भार और उस पर प्राणों से भी प्यारे लोगों का वियोग। इस सारे शोक-भार को अहिल्याबाई का शरीर अधिक नहीं संभाल सका। और 13 अगस्त सन् 1795 को उनकी जीवन-लीला समाप्त हो गई। अहिल्याबाई के निधन के बाद तुकोजी इन्दौर की गद्दी पर बैठा।

ईश्वर ने मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है,
उसे मुझे निभाना है.
मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है.
मैं अपने प्रत्येक काम के लिये जिम्मेदार हूँ.
सामर्थ्य और सत्ता के बल पर मैं यहाँ- जो कुछ भी कर रही हूँ.
उसका ईश्वर के यहाँ मुझे जवाब देना होगा.
मेरा यहाँ कुछ भी नहीं हैं, जिसका है उसी के पास भेजती हूँ.
जो कुछ लेती हूँ, वह मेरे उपर कर्जा है,
न जाने कैसे चुका पाऊँगी.

सन्दर्भ-

श्री सरदेसाई ने अपने ग्रंथ 'New History of the Marathas', Vol. ।।।p. 211 पर लिखा है कि इन कार्यों में अहिल्याबाई ने अंधाधुंध खर्च किया और सेना नए ढंग पर संगठित नहीं की। तुकोजी होलकर की सेना को उत्तरी अभियानों में अर्थसंकट सहना पड़ा

1. श्री सरदेसाई ने अपनी नवीनतम पुस्तक 'The main Currents of Maratha History' में इन मंदिरों को Out-Posts of Hindu religion (हिंदू धर्म की बाहरी चौंकियाँ) बतलाया है।

2. V.V. Thakur की 'Life & Life-Work of Shri Devi Ahilya Bai HolkarÓ, p. 155 पर सप्रमाण लिखा है कि

3. इतिहास लेखकों का कहना है कि Religion has been the greatest motive power for the Hindus

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

"Relevance of Gandhian Trusteeship Ideology in Economic Management"

Dr.Rajeev Verma,
Professor ,Economics
Govt. Home Science College,
Hoshangabad

Dr. Harsha Chaturvedi
Assistant Professor,
Political Science
Sri Sathya Sai College For Women,
Bhopal

Introduction

Today the word 'management' has acquired a magical implication. Presently, the wind of globalization is blowing at a high speed. Hence, new dimensions are being added to the concept of management almost on a daily basis. This is the age of experts and specialists. Consequently, in the field of management, technological innovation is giving a new momentum to an efficient and dexterous functioning. Thus, like in many other fields, different departments and sub-departments are being founded endlessly.

Financial marketing, human resource management, and similar other areas are emerging as its important branches. Not only that, even the idea of micro-specialization and super specialization is fast emerging in th e arena of management studies. The following story very well illustrates how a mad race for specialization is breaking the holistic view of knowledge into bits and pieces. A traveler approached a man, who happened to be a historian, and enquired about the road leading to the railway station.

The historian suggested to the traveler that he should ask a geographer as geography was not his area of specialization. More important example one could find in the report of a School Inspector who wrote: 'I saw a fraction of a teacher teaching a fraction of a subject, to a fraction of students in a fraction of

time.' All that it meant was that there was nothing in totality no holistic approach to anything or subject. There is another story illustrating the same theme. A teacher asked his students to identify the living being in the following story. There were four men walking in the Queen's garden. They came across a living being there. On closer examination, they described it in four different ways. Today management has become an integral part of our social reconstruction. It is a new discipline which is being taught by innumerable institutions. It is fast gaining ground in the industrial and commercial establishment. Hence a number of institutions are running both long-term and short-term courses. Management studies have three important segments management of industrial and commercial establishment, the training of the managers and the training of the employees and the workers.

The drive for the conquest of nature in all fields has radically changed the entire mindset of man. Hence, fast changes are taking place in the area of management as well. Now management study is reduced to two prominent areas: management of material and the management of men. The earlier understanding about the management of men was that man is essentially lazy and a work shirker. Behind that understanding was the feeling that man is more concerned with his rights rather than his duties. Hence he could work only when guided by the principle of reward and punishment.

Gandhi rejected such a perspective on man and his nature in his scheme of things. He had greater faith in self-regulations than all the external controls put together. Besides, he was also a great votary of cultural and spiritual tradition and its major ethics. He accepted and promoted one of the major spiritual values of Indian tradition: Man is not a fallen being as he has not committed any 'original sin.'

The Gandhi Model

Trusteeship is a socio-economic philosophy that was propounded by

Mahatma Gandhi. It provides a means by which the wealthy people would be the trustees of trusts that looked after the welfare of the people in general. This concept was condemned by socialists as being in favor of the landlords, feudal princes and the capitalists, opposed to socialist theories. Gandhi believed that the rich people could be persuaded to part with their wealth to help the poor. Putting it in Gandhiji's words "Supposing I have come by a fair amount of wealth either by way of legacy, or by means of trade and industry I must know that all that wealth does not belong to me; what belongs to me is the right to an honourable livelihood, no better than that enjoyed by millions of others. The rest of my wealth belongs to the community and must be used for the welfare of the community." Gandhi along with his followers, after their release from prison formulated a "simple" and a "practical" formula where Trusteeship was explaine

The time has come to initiate a more holistic approach that defines progress.

The Gandhian Model of Trusteeship is one such approach that, while being uniquely Indian, provides a means of transforming the present unequal order of society into an egalitarian one. Under this principle surplus wealth needs to be kept in trust for the common good and welfare of others. It also specifies that everything we do must be economically viable as well as ethical at the same time making sure we build sustainable livelihoods for all.

While this model was debated in the 1940s and '50s, for most of the 20th century this view didn't find any takers. However, the challenges of the 21st century such as economic collapse, absence of values and challenges of sustainable growth necessitate another look at Trusteeship.

Several corporate are today larger than many countries. Given their sheer size and the lives they impact, should we not be thinking of fundamental structural changes? Trusteeship in that context can function as a long-term

solution to solving the conflicts of society. The world of big business and finance after the economic crisis and scandals has come to understand that we need to redesign the systems of corporate governance and finance in order to create more sustainable and responsible economies.

The Gandhian perspective is more relevant today than it was ever before. Gandhi wanted to ensure distributive justice by ensuring that business acts as a trustee to its many stakeholders, and specified that economic activities cannot be separated from humanitarian activities. **Economics is part of the way of life which is related to collective values**.

Gandhi said: "true economics stands for social justice, it promotes the good of all equally including the weakest and is indispensable for a decent life." This has implications at the macro economic level as well as the micro level, as it talks of equitable distribution of wealth being a measure of success, rather than the current form which has high income disparities. It also builds the case for CSR being embedded within the business values of the private sector as Gandhi clearly stated that distribution of wealth is not about charity but about ensuring basic human dignity.

Inherent in the Trusteeship philosophy are entrenched solutions to many of the challenges of the 21st century:

Sustainable consumption consume what is enough for your needs without doing harm to others.

Utilizing natural resources in a sustainable way you are a trustee and you need to take care of what has been freely provided by nature.

Dignity of labour and equitable distribution of wealth wealth alone is not the answer. To feel happy you need to ensure that the people who work for you and the community you work in is taken care of.

Sustainable livelihoods not charity are key to ensuring human dignity, growth, satisfaction and well being.

So today, while we all agree with the concept of improving stakeholder value, lets redefine value to incorporate much more than profit. It is in this context that the 21st-century corporation should see itself. Let a Trusteeship-based framework that blends design with technology, environment, people, economy and culture be the primary framework for value creation.

Reference:

1. M. K. Gandhi, Compiled by Ravindra Kelekar, Trusteeship, April 1960, Printed and Published by : Jitendra T. Desai Navajivan Mudranalaya, Ahemadabad-380014 India, ISBN 81-7229-091-8

2. Mia Mahmudur Rahim; Sanjaya Kuruppu (2016). "Corporate Governance in India: The Potential for Ghandism". In Franklin, Ngwu; Onyeka, Osuji; Frank, Stephen. Corporate Governance in Developing and Emerging Markets. London: Routledge.

3. Dr. Sundar SARUKKAI, Friday, 27 May 2005, 'The Idea of Trusteeship in Gandhi and JRD Tata hi rancho'

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

पंचायत प्रणाली में ग्राम राज और ग्राम स्वराज

डी.एन यादव
असि. प्रोफेसर
समाज शास्त्र विभाग
शा. महाविद्यालय, नसरूल्लागंज

परिचय

पंचायत और पंचायती (फैसला) पर्यायवाची शब्द बन गये हैं। भारतीय लोकमानस तो पंच को परमेश्वर तक मनाता रहा है। महान कथाकार मुंशी प्रेमचन्द्र ने पंचों के न्याय पर विख्यात कहानी पंच परमेश्वर लिखी। पंचों की निष्पक्षता और न्यायशीलता असंदिग्ध रही है।

पंचायत से उसकी न्यायिक भूमिका का जुडाव इतना सघन और अभिन्न है कि अभी भी लोग पंचायत का अर्थ फैसला करना ही मानते हैं। इसीलिए मुखिया को लोग न्यायकर्त्ता मानते हैं, बल्कि मुखिया भी स्वयं को उसी रूप में देखा जाना पंसद करते हैं। लडना-झगडना मनुष्यों ही नहीं, पशु-पक्षियों में भी आम बात है, लेकिन झगना मनुष्यों का स्थाई स्वभाव नहीं है। प्रेम और सदभाव कहीं 'यादा शक्तिशाली भावनाएं हैं। हम अंतत: शान्ति और सुरक्षा चाहते हैं इसलिए झगडा होने के बाद झगडा निपटाना हमारी परम आवश्यकता बन जाती है। यह दो व्यक्तियों के लिए ही नहीं, दो समुदायों और दो राष्ट्रों के लिए लिए उतना ही सच और वास्तविकता है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इसके लिए एक अनोखा तरीका विकसित किया था 'पंचायती' का इसमें न्यायकर्त्ता सर्वसुलभ तथा (अथवा न्यायकर्त्ता का निर्णय बाध्यकारी था, वादी और प्रतिवादी का पांच या न्यायकर्त्ता की न्यायशीलता में पूरा भरोसा था, तथा झगड़ा या वाद निपटने के साथ ही वादी और प्रतिवादी के बीच परस्पर मित्रता उअर सदभावना विकसित करने की कोशिश की जाती थी।

यह न्याय व्यवस्था तब की हमारी आत्मनिर्भर और स्वावलंबी ग्राम ङ्कइकाइयों की व्यवस्था के बिल्कुल अनुकूल, बल्कि पूरक थी।

पंचायत प्रणाली में ग्राम राज और ग्राम स्वराज के बारे में भारत की अवधारणा पश्चिम की संकल्पना से अलग है ।निर्णय करने की पंच परमेश्वर की भारतीय पध्दति एक आदर्श पध्दति है क्योंकि ये पंच, लोगों की समस्याओं को

सबसे अ' छी तरह जानते हैं । हमारे देश में पंचायत की संकल्पना काफी पुरानी है । चौपाल, जाति पंचायत और परिवार पंचायत आदि संस्थाओं में आधुनिक पंचायत व्यवस्था की जडें व्याप्त थीं। सिंधु घाटी की सभ्यता में इसका प्रमाण मिलता है ।

हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलाएं हैं । अत- देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर नहीं हो सकता । भारत में अनादि काल से जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर काम किया । भारतीय महिलाएं घर-गृहस्थी का पूरा काम-काज निपटाने के साथ-साथ राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में खेतों, खलिहानों, कल-कारखानों, दपऊतरों, अस्पतालों में उपयोगी योगदान करती आई हैं । चाहे गांवों में साक्षरता के प्रसार का अभियान हो, या गांव के युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का मामला हो, गांव में पीने के पानी की समस्या अथवा फसलों को बीमारियों से बचाना हो यह सब कार्य ग्रामीण महिलाएं ही आपसी सहयोग और विकास कार्यों में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करके कर सकती हैं । बढती आबादी की रोकथाम, पर्यावरण की रक्षा,ब' चों को पौष्टिक व संतुलित आहार देने और इन सबसे बढर स्थानीय संसाधनों की अधिकाधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में महिलाएं ही अपना योगदान और नेतृत्व दे सकती हैं । अत पंचायती राज संस्थानों में भी महिलाओं की अहम भूमिका है ।

पंचायत की ऐतिहासिक भूमिका

पंचायत की इसी ऐतिहासिक भूमिका के परिपेक्ष्य में बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 में ग्राम कचहरी व्यवस्था का का प्रावधान कर उसे कानूनी रूप दिया गया। भारतीय दंड संहिता 1860 की कई धाराओं (दफाओं) को इसमें शामिल का इसे कानिनी मान्यता प्रदान करने के साथ इसकी व्यापकता को बडाया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यायिक प्रणाली (ग्राम कचहरी) का चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव के साथ होता रहा है। इस अधिनियम के तहत बिहार ग्राम कचहरी नियमावली, 1962 बनी जो ग्राम कचहरी, यानि न्यायिक प्रक्रिया से सम्बन्धित थी। यह व्यवस्था 1948 से फरवरी 1997 तक अनवरत कार्य करती रही और इतने ग्रामीण न्यायिक व्यवस्था का उवल उदाहरण प्रस्तुत किया।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, न्यायिक भूमिका ग्राम पंचायत स्तर की एक विशिष्ट संस्था 'ग्राम कचहरी' को सौंपी गई है। इस अधिनियम के माध्यम से ग्राम कचहरी को एक व्यापक एवं विशेष स्वरूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है। इस अधिनियम की धारा 102 के अनुसार ग्राम कचहरी एक न्यायपीठ है जिसकी मुख्य जिम्मेदारी पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता कराना है। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ग्राम कचहरी 'वाद या मामले का और उसके गुणा-गुण पर प्रभाव डालने वाली सभी बातों का और उसके सही समाधान जा अन्वेषण (खोज) करेगी।

समस्याएं

विभिन्न सामाजिक–आर्थिक रूकावटों के कारण महिलाओं को अपनी सांख्यिकी शक्ति के बावजूद समाज में बहुत छोटा दर्जा प्राप्त है । महिलाओं द्वारा अनौपचारिक राजनैतिक क्रियाओं में तीव्र वृध्दि के बावजूद राजनैतिक संरचना में इनकी भूमिका वास्तव में अपरिवर्तित रही है । कई महिला प्रतिनिधियों को, खासकर कमजोर वर्ग की महिलाओं को, वित्तीय समस्या से अपने परिवार का पालन–पोषण करने के लिए कृषि कार्य अथवा मजदूरी पर जाना पडता है । उनका मानना है कि यदि वे पंचायत की बैठकों में जायेंगी तो उनके परिवार का पालन–पोषण कौन करेगा ।

यह देखने को मिलता है कि जिन महिला प्रतिनिधियों के परिवार में 1×–16 सदस्य हैं वे परिवार की देखभाल करने और घर का काम करने के कारण पंचायत की बैठकों में कम ही भाग ले पाती हैं । जिन महिला प्रतिनिधियों का परिवार खेती पर निर्भर है, कृषि कार्य से समय न मिलने के कारण वे पंचायत की बैठकों में भाग नहीं ले पातीं है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है । यदि कोई महिला आगे बढडर कोई कार्य करना भी चाहती है तो उसे समाज स्वीकार नहीं करता । समाज में पर्दा प्रथा, पुराने रीति–रिवाज तथा रूढवादिता आज भी विद्यमान हैं, जिससे महिलाएं विकास प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी नहीं कर पा रही हैं । कई गांवों में जातिवाद आज भी विद्यमान है । कुछ गांवों में जहां महिला सरपंच अनुसूचित जाति की हैं, वहां अन्य महिला प्रतिनिधि जो सामान्य तथा पिछडे वर्ग की पंच महिला हैं, पंचायत की बैठकों में नहीं जातीं क्योंकि उनका मानना है कि महिला सरपंच नीची जाति की हैं और नीची जाति की महिलाओं के साथ बैठने से उनका अपमान होगा । अशिक्षित महिला प्रतिनिधि भी महसूस करती हैं कि उन्हें भी पढा–लिखा होना चाहिए ताकि वे भी पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को बना सकें और उन्हें कार्यान्वित कर सकें । महिला प्रतिनिधियों को पंचायत का प्रतिनिधि बनने से पहले या बाद में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है । जिन गांवों में पंचायत भवन की व्यवस्था नहीं है, वहां महिला प्रतिनिधि पंचायतों की बैठक में नहीं जा पातीं । अधिकांशत–बैठक गांव के स्कूलों में होती है, जो गांव से काफी दूरी पर होते हैं।

पंचायती चुनावों मे कई क्षेत्रों में यह देखा गया कि समाज के प्रभावशाली व्यक्ति अपनी ही पत्नी, बहन, मां अथवा किसी अन्य संबंधी महिला को चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खडा कर देते हैं, जो बाद में उन्हीं के इशारे पर काम करने को विवश होती हैं । इस प्रकार महिलाओं को एक–तिहाई स्थानों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से भी एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित प्रावधान की धज्जियां उडाई जाती हैं । गांवों में दलबंदी होने के कारण छोटे–छोटे झगडे होते हैं और जनकल्याण की योजनाओं के प्रति वे सही निर्णय नहीं ले पातीं।

यह सच है कि महिलाएं पहले की तुलना में पंचायती राज व्यवस्था से 'यादा जुड़ रही हैं। लेकिन ऐसे कई

मामले सामने आये हैं कि वे अपने अधिकारों का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाती और मुखिया पति, या सरपंच पति के रूप में घर के पुरुष सदस्य ही उनकी जवाबदेही निभाते हैं?

वर्ष 2007 में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री रहते हुए हमने एक सर्वे कराया। इस सर्वे के दौरान 20,000 पंचायत प्रतिनिधियों की पड़ताल की गयी। इसमें से 16,000 महिलाएं थीं और 4000 पुरुष। इस सर्वे के दौरान कई सकारात्मक बातें सामने आयी। यह पता चला कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में 'यादा मेहनती, 'यादा ईमानदार हैं। उनके अंदर सीखने की इ'छा 'यादा होती है। साथ ही वे सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करना जानती हैं। हां यह भी सही है कि पंचायती राज व्यवस्था में ×× फीसदी आरक्षण दिये जाने के कारण महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो पंचायती राज संस्थाओं में 50 फीसदी आरक्षण देकर न सिर्फ बिहार की महिलाओं को पंचायती व्यवस्था से जोड़ने में अहम भूमिका निभायी है, बल्कि इस मायने में वे अन्य रा'यों को रास्ता दिखाने में भी कामयाब हुए हैं और आज उनका अनुकरण करते हुए देश के 15 रा'यों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया गया है। इसके साथ ही बिहार में नीतीश के राज में पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार भी पहले की तुलना में कम हुआ है।

सरपंच व छोटे अफसरों के बीच मिलीभगत कम हुई है। अन्य रा'यों की भी पढ़ी-लिखी महिलाएं, युवतियां बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थानों से जुड़ रही हैं। आज की लड़कियां पहले की तुलना में 'यादा शिक्षित हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। वैसे तो हर वर्ग की महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में आगे आ रही हैं, लेकिन पिछड़े तबकों की महिलाएं इसलिए भी आगे आ रही हैं कि वे पहले से रोजी-रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकलती रही हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें समाज से घुलने-मिलने की आदत रही है। वे अपने दायित्वों का सफलता पूर्वक निर्वहन करती हैं।

पंचायतों में महिला आरक्षण के सवाल पर हमारी राय है कि कम से कम एक सीट पर 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाये, ताकि वे पहले टर्म में प्राप्त अनुभवों के आधार पर आगे ठीक से काम कर सकें।

ग्राम कचहरी में महिलाओं की भूमिका

ग्राम कचहरी में भी, महिलाओं के लिए 50त्न तक आरक्षण का प्रावधान होने के कारण पंचायत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 65 त्न तक पहुँच गया है। इसके पहले महिलाओं का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं था। इस प्रकार बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 ने देश कौन कहे सारे विश्व में एक नया इतिहास रचकर एक नये युग आरंभ किया है। अब ग्राम कचहरी की न्यायपीठ में महिलायें सरपंच और पंच के रूप में बैठकर वादों और विवादों पर फैसला करेंगी।

ग्राम कचहरी का यह गठित स्वरुप उसकी मुख्य जिम्मेदारी 'पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता कराने' की भूमिका के अनुकूल है। धैर्य, सहनशीलता और सतत सृजनशील रहने के अपने सहज गुणों के कारण महिलाएं अपनी इस नई सामुदायिक भूमिका में जरुर सफल होंगी।

ग्राम कचहरी बिहार रा'य की अपने आपन में अनोखी पहल है। उत्तर एवं पश्चिम बंगाल आदि कुछ रा'यों में पंचायतों को न्यायिक प्रक्रियाओं से जोड?ने का प्रयास किया गया है। किन्तु इस प्रकार पंचायतराज को भूमि-स्तर से जोड?कर न्यायिक संस्था के रूप में ग्राम कचहरी का गठन अपने आप में एक अनूठी प्रस्तुति है। इस प्रकार आरक्षण के आधार पर लगभग आधी से अधिक महिलाएं जिन्हें साक्षर होने अक सौभाग्य भी नहीं प्राप्त है, वे सरपंच एवं पंच के रूप में अपनी व्यावहारिकता, बुद्धि एवं विवेक के बल पर वादों के निबटारा करेंगी, यह कल्पना ही रोमांचित करने वाली है।

वैसे तो सरकार की ओर से सचिव एंव न्याय मित्र की व्यवस्था की गई है पर फैसला तो न्यायपीठ को ही करना होता है। वैसे तथ्यों के आधार पर बहस चलाने से तर्कसंगत, युक्तिसंगत एवं औचित्य सिद्ध करने वाले फैसले लिए जायेंगें, इसका विश्वास जरूर करना चाहिए। फैसले हर स्थिति में न्यायिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। ग्राम पंचायत को अपनी विकास संबधी भूमिका निभाने के लिए यही चाहिए भी, क्योंकि आपसी झगड?ों से वैमनस्य बड?ता है और वैमनस्य बड?ने से पूरा सामजिक वातावरण दूषित हो जाता है।

अत: 2006 के पंचायत निर्वाचन के बाद कई मूलभूत प्रश्नों के बहुत करीब से देखते हुए उनके सही उत्तर को ढूँढना है। उनमें से एक प्रश्न है ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के बीच परस्पर सम्बन्ध एंव ताल-मेल। इसकी स्पष्टता जरूरी है और एवं उसके लिए निति निर्धारण

जतनी जल्दी हो जाए उतना अ'छा होगा।

क्योंकि, जिस भूमिका से मुखिया के पद का स्वरुप निखरता तथा एवं वर्चस्व बनता था वह अब सरपंच के आस है। पर संरपंच को संस्थागत आधार (दफ्तर, निधि एवं अधिकार क्षेत्र) नहीं मिला पाया हा। इसलिए समय-समय पर टकराव की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है।

सरपंच के लिए न्यायपीठ के गठन से लेकार वाद निपटाने तक न तो किसी भी प्रकार के खर्च करने का प्रावधान है और न ही उसके लिए निधि की व्यवस्था। और तो और, प्रावधान के अनुसार दंड के रूप में वसूले गये जुर्माने को भी ग्राम पंचायत की निधि में जमा करना है, जिसकी निकासी एवं खर्च ग्राम पंचायत सचिव एवं मुखिया के हस्ताक्षर से होगी। सरपंच के लिए यह पाने को 'छोटा' यह 'असहाय' पदधारक महसूस करने की स्थिति है। जिस भूमिका में सरपंच है, उसमें कम से कम एक निधि की व्यवस्था हो, उसमें दंड स्वरूप वसूली गयी राशि आदि को जमा

करना तथा न्याय सचिव के साथ सरपंच का संयुक्त खाता संचालन उनका मनोबल एवं प्रतिबद्धता बड?ाने वाला कदम साबित होगा।

इसके अतिरिक्त ग्राम रक्षा दल को भी ग्राम कचहरी के किसी कार्यकलाप से जोड?कर नहीं देखा गया है। जिस काम को सरपंच मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के माध्यम से थाना की मदद से करेंगे उसे तो आसानी से ग्राम रक्षादल की सहायता से विहित तरीके से निबटने का प्रावधान बनाया जा सकता है।

इन दो छोटे-छोटे सुधारों से पंचायत को अपनी न्यायिक भूमिका निभाने और उसे प्रभावी बनाने में सहूलियत होगी साथ ही, ग्राम कचहरी को एक संस्थागत आधार भी मिल जायेगा। संभव है कि प्रस्तावित बिहार ग्राम कचहरी नियमावली के निर्माण के दौरान इन बिदुओं पर कोई सकारात्मक उपबन्ध हो।

पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय, 27 मई, 2004 से अस्तितव में आया है । इसे पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उपशमन और समृध्दि के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने का कार्य सौंपा गया है । इस मंत्रालय का गठन मूलत= 7×वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (सीएए) द्वारा जोड? गए संविधान के खंड 9 के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए किया गया है । पंचायतों की संख्या की वर्तमान स्थिति (1 अप्रैल, 2005) इस प्रकार है ग्राम पंचायत 2,×4676, मध्यवर्ती पंचायत 6,097, जिला पंचायत 5×7 कुल पंचायत संस्थाएं 2, 41,×10 । इन संस्थाओं में महिलाओं की संख्या और उनका प्रतिशत इस प्रकार है - जिला पंचायत में 41 प्रतिशत, मध्यवर्ती पंचायत में 4× प्रतिशत और ग्रामपंचायत में 40 प्रतिशत। पंचायतों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण का कार्य किया जा रहा है । पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी उनके लिए आरक्षित ×× प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक है। देश में पंचायतों के 22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से करीब 9 लाख महिलाएं हैं । तीन स्तरों वाली पंचायत प्रणाली में 59,000 से अधिक महिला अध्यक्ष हैं । महिला सरपंचों की सशक्तिकरण की गाथा तो आए दिन समाचार पत्रों में भी पढने ड?ो मिलती हैं, जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इन महिला प्रतिनिधियों ने विकास के अपने तरीके खोजे हैं । वे इस बात का विशेष ख्याल रखती हैं कि महिलाएं कहीं सतायी तो नहीं जा रही हैं, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि महिला होने के नाते वे महिलाओं के दुख-दर्द को अ'छी प्रकार समझ सकती हैं ।पंचायती राज संस्थाओं में परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 60 लाख महिलाओं के प्रतिनिधित्व ने सामाजिक लामबंदी की प्रक्रिया को तेजी दी है और महिलाएं निजी और सार्वजनिक स्थानों में अपनी भूमिका को नए ढंग से गढ रही हैं । यह भी माना जा रहा है कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने के प्रयोग के अ'छे नतीजे रहे हैं क्योंकि महिलाओं ने न केवल राजनीतिक कौशल हासिल किया है बल्कि वे महिलाओं के हितों की प्रभावी समर्थक भी बनी हैं ।

सुझाव

राजनैतिक माहौल में सहभागी महिला प्रतनिधियों के प्रति पुरुष समाज की रूढिवादी सोच बदलनी होगी । महिलाएं पहली बार राजनीतिक माहौल में आ रही हैं । इसलिए उनमें भय, संकोच एवं घबराहट होती है । ऐसी महिलाओं में साहस उत्पन्न करना होगा तथा महिलाओं को उनकी आंतरिक क्षमता एवं शक्ति पर भरोसा कराना होगा । महिलाओं को भी पुरुषों जैसा ही मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा देनी होगी तभी राजनीति में महिलाओं का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हो सकेगा । राजनैतिक माहैल में अपराधीकरण, आतंकवाद, काला धन, चरित्र लांछन जैसे दुर्गुण हैं, इससे महिलाएं सार्वजनिक रूप से अलग रहती हैं । उन्हें सामाजिक अप्रतिष्ठा का भय बना रहता है। इसलिए राजनेताओं और राजनैतिक दलों द्वारा इस दूषित वातावरण में परिवर्तन लाना जरूरी है, ताकि महिलायें राजनीति में अपना सक्रिय योगदान दे सकें ।

समानता पर आधारित सामाजिक संरचना का गठन करना आवश्यक है । ऐसे समाज का निर्माण करना होगा, जहां मानव द्वारा मानव का शोषण नहीं, स्त्री एवं पुरुष एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखें । स्त्री और पुरुष, दोनों ही पारस्परिक ईष्या, द्वेष, अहंभावना से ऊपर उठ कर परस्पर सहयोग, परिश्रम एवं संगठन शक्ति का उपयोग कर गांव के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे ।

अधिकतर महिला प्रतिनिधि अनपढ है, डि?ससे उनको पंचायत के लेखापत्र, नियम पढने में या लिखने में दिक्कत आती है । अत- महिला पंचायत प्रतनिधियों को शिक्षा देनी जरूरी है । प्रौढ शिक्षा का लाभ उठाकर एक शिक्षित व्यक्ति एक अनपढ व्यक्ति को पढाने का संकल्प करें तो निरक्षरता का कलंक शीघ्र ही दूर हो सकता है और इससे पंचायतें सक्षम बनेंगी ।

जन जागृति तथा देश के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर जोर देना होगा । ऐसा वातावरण उत्पन्न करना होगा, जिसमें इन मूल्यों को उपयुक्त महत्व प्रदान किया जाए तभी महिलाएं ऊपर उठ सकेंगी और वे पंचायती राज संस्थाओं में हिस्सा ले सकेंगी । महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए चुने गए प्रतिनिधियों और विकास अधिकारियों के बीच संपर्क के जरिए सक्रिय प्रयत्नों की जरूरत है । निरन्तर सभाओं और विचार-विमर्श के द्वारा कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए । महिला विकास कार्यक्रम पंचायतस्थानीय अधिकारियों से अनिवार्य रूप से सम्बध्द हों जिससे कि विकास में महिलाओं की 'यादा प्रभावपूर्ण भागीदारी संभव हो सके ।

सन्दर्भ-:

1. सरकार, सियूली (2010). "|.&.& Panchayat Samiti (पंचायत समिति) (अंग्रेज़ी में). Public Administration In India [भारत में सार्वजनिक प्रशासन]. नई दिल्ली: पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड. पृड 178180. आईडडसडबीडडनड 978-81-20×-×979-8.

2. सिंह, सिंह विपुल (2010). Section II Civics: Chapter } Rural Local Self-Government" (अंग्रेज़ी में). Longman History & Civics ICSE ~. नोइडा, उत्तर प्रदेश, भारत= डोर्लिंग किंडेर्सली (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड. पड 265. आई.डबी.नड? 978-81-×17-2041-7.

1- http%//www-dictionary-com/browse/jury
2- http%//www-njcourts-gov/jury/indeÛ-html
3- http%//www-uscourts-gov/services&forms/jury&service

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

बजट 2018-19 किसका कितना मान रखेगी सरकार!

मनोज कुमार सिन्हा
सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)
शा. महाविद्यालय, नसरूल्लागंज

बजट का सबसे ज्यादा इंतजार आम आदमी को होता है। उनको जानना होता है कि इस बार उन्हें किस चीज में राहत मिली है और कौन सी चीज सस्ती हुई है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी के न्यू इंडिया का बजट पेश किया।

खास बातें

1. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी के न्यू इंडिया का बजट पेश किया।
2. टीवी,मोबाइल और लैपटॉप के दाम बढ़ेंगे।
ङ. ई–टिकट पर से सर्विस टैक्स कम किया गया।

, वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी के %न्यू इंडिया का बजट% पेश किया। अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए। वित्तमंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्य से 50 फीसदी ज्यादा देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे। इस बजट में कुछ चीजें सस्ती हुई तो कई के लिए आम लोगों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।
ठ्ठद्वशठ्ठ क्ष्ह्वस्रद्दद्गह्ल 2018. गरीबों पर मेहरबान मोदी सरकार, बजट में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख कैशलेश मेडिकल सुविधा

वरिष्ठ नागरिकों को डिपॉजिट में राहत दी गई है। उनकी डिपॉजिट 10 हजार से बढ़कर 50 हजार (बिना टैक्स) हो गई है। लेकिन बजट का सबसे ज्यादा इंतजार आम आदमी को होता है। उनको जानना होता है कि इस बार उन्हें किस चीज

में राहत मिली है और कौन सी चीज सस्ती हुई है। आइए जानते हैं इस बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा।।।

Budget 2018 : मोदी सरकार ने चला सबसे बड़ा चुनावी दांव, 50 करोड़ लोगों को मिलेगी 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा

ये चीजें हुई महंगी

* टीवी–मोबाइल के दाम बढ़ेंगे।
* विदेशी मोबाइल, लैपटॉप भी महंगे होंगे।
* इलेक्ट्रोनिक्स और फूड प्रोसेसर पर 5 प्रतीशत की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई।
* 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदा शेयर पर 10 पर्सेंट टैक्स
* मेडिकल बिल पर 15 हजार की छूट नहीं रहेगी।
* एलसीडी–एलईडी–ओएलईडी टीवी के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया।
* कारें और मोटरसाइकिलें
* फ्रूट जूस
* परफ्यूम
* जूते–चप्पल
* चांदी और सोना
* सब्जियां
* सनस्क्रीन
* सनटैन, मैनीक्यूर, पेडिक्यूर का सामान, डेंचर फिक्सेटिव पेस्ट और पाउडर, डेंटल फ्लॉस
* शेविंग से पहले और बाद इस्तेमाल किए जाने वाली प्रसाधन सामग्रियां, डियोडोरेंट, स्नान का सामान, परफ्यूम वाले स्केंट स्प्रे
* टायलेट स्प्रे, ट्रक और बसों के रेडियल टायर
* रेशमी कपड़े, हीरे
* कृत्रिम आभूषण स्मार्ट घड़ियां–वियरएबल उपकरण
* फर्नीचर, गद्दे, लैंप, हाथ और पॉकेट घड़ियां, ट्राइसाइकिल, स्कूटर, पेडल कार, पहिये वाले खिलौने, गुड़िया।
* आउटडोर खेलों, स्वीमिंग पूल में इस्तेमाल होने वाले उपकरण
* सिगरेट और अन्य लाइटर

Budget 2018: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की सैलरी में भारी बढ़ोतरी, जानिए अब क्या हुई

ये चीजें हुई सस्ती

* एलएनजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस)
* प्रिपेएर्ड लेदर
* सिल्वर फॉयल
* पीओसी मशीनें
* फिंगर स्कैनर
* माइक्रो एटीएम
* आइरिस स्कैनर
* सौर बैटरी * देश में तैयार हीरे
* ई–टिकट पर से सर्विस टैक्स कम किया गया।
* अप्रसंस्कृत काजू
* सौर टेंपर्ड शीशे
* कॉक्लीअर इम्प्लांट
* कच्चा माल
* एक्सेसरीज

बजट 2018–19 छात्रों का कितना मान रखेगी सरकार!

डजस रफ्तार से भारत में आर्थिक प्रगति हो रही है, उस अनुपात में शिक्षा के मामले में देश अपेक्षित तरक्की नहीं कर पाया है। देश में 61 लाख ऐसे बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं।।।

जय प्रकाश जय

JANUARY 23, 2018

0 13

SHARES

- **FACEBOOK**
- **TWITTER**
- **LINKEDIN**
- **REDDIT**
- **TUMBLR**
- •

देश की शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है, सो है ही, सुविधाहीन छात्रों के भविष्य के लिए %बजट 2018–19% में वित्तमंत्री अरुण जेटली क्या नई व्यवस्था देने जा रहे हैं, उस ओर छात्रों और उनके अभिभावकों की निगाहें लगी हुई हैं। यह आम बजट 01 फरवरी को आ रहा है। बजट–2018 में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाने की मांग की जा रही है। कभी पीटर ड्रकर ने कहा था कि भविष्य में ज्ञान का समाज दुनिया के किसी भी समाज से ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगा। दुनिया में गरीब देश शायद समाप्त हो जाएं लेकिन किसी देश की समृद्धि का स्तर इस बात से आंका जाएगा कि वहाँ की शिक्षा का स्तर किस तरह का है।

सांकेतिक तस्वीर

भारतीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी का आलम ये है कि आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी 15 से 25 फ़ीसदी शिक्षकों की कमी है। भारतीय विश्वविद्यालय औसतन हर पांचवें से दसवें वर्ष में अपना पाठ्यक्रम बदलते हैं लेकिन तब भी ये मूल उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहते हैं। रोजगार बिना कैसा शिक्षा सुधार ! सरकार एक तरफ कई बजट सत्रों में आइआइटी, आइआइएम के अलावा दूसरे शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाने का राग अलापती रहती है, दूसरी ओर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया, वेतनमान आदि पर धन खर्च करने से परहेज करती है। जिस रफ्तार से भारत में आर्थिक प्रगति हो रही है, उस अनुपात में शिक्षा के मामले में देश अपेक्षित तरक्की नहीं कर पाया है। देश में 61 लाख ऐसे बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं।

खासतौर पर बालिका शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था अमरीका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है लेकिन जहाँ तक गुणवत्ता की बात है दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक उच्च शिक्षा की तस्वीर ये है कि स्कूल की पढ़ाई करने वाले नौ छात्रों में से एक ही कॉलेज पहुँच पाता है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों का अनुपात दुनिया में सबसे कम यानी सिर्फ़ 11 फ़ीसदी है। इस अनुपात को 15 फ़ीसदी तक ले जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को 2,26,410 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा।

नैसकॉम और मैकिन्से के शोध के एक अनुसार मानविकी में 10 में से एक और इंजीनियरिंग में डिग्री ले चुके चार में से एक भारतीय छात्र ही नौकरी पाने के योग्य हैं। (पर्सपेक्टिव 2020) भारत के पास दुनिया की सबसे बड़े तकनीकी और वैज्ञानिक मानव शक्ति का ज़ख़ीरा है, इस दावे की यहीं हवा निकल जाती है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का शोध बताता है कि भारत के 90 फ़ीसदी कॉलेजों और 70 फ़ीसदी विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत कमज़ोर है। आईआईटी मुंबई जैसे शिक्षण संस्थान भी वैश्विक स्तर पर जगह नहीं बना पा रहे हैं।

भारतीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की कमी का आलम ये है कि आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी 15 से 25 फ़ीसदी शिक्षकों की कमी है। भारतीय विश्वविद्यालय औसतन हर पांचवें से दसवें वर्ष में अपना पाठ्यक्रम

बदलते हैं लेकिन तब भी ये मूल उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहते हैं। आज़ादी के पहले 50 सालों में सिर्फ़ 44 निजी संस्थाओं को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। पिछले लगभग डेढ़ दशक में 69 और निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गई। अच्छे शिक्षण संस्थानों की कमी की वजह से अच्छे कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए कट ऑफ़ प्रतिशत असामान्य हद तक बढ़ जाता है। अध्ययन बताता है कि सेकेंड्री स्कूल में अच्छे अंक लाने के दबाव से छात्रों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए हर साल सात अरब डॉलर यानी करीब 43 हज़ार करोड़ रुपए ख़र्च करते हैं क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का स्तर घटिया है।

पैम पित्रोदा का कहना है कि आजकल वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकास, धन उत्पत्ति और संपन्नता की संचालक शक्ति सिर्फ़ शिक्षा को ही कहा जा सकता है। इंफ़ोसिस प्रमुख नारायण मूर्ति कहते हैं कि अपनी शिक्षा प्रणाली की बदौलत ही अमरीका ने सेमी कंडक्टर, सूचना तकनीक और बायोटेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है। इस सबके पीछे वहाँ के विश्वविद्यालयों में किए गए शोध का बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया भर में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुए शोध में से एक तिहाई अमरीका में होते हैं। इसके ठीक विपरीत भारत से सिर्फ़ 3 फ़ीसदी शोध पत्र ही प्रकाशित हो पाते हैं। इस समय भारत की लगभग आधी आबादी 25 साल से कम उम्र की है। इनमें से 12 करोड़ लोगों की उम्र 18 से 23 साल के बीच की है। अगर इन्हें ज्ञान और हुनर से लैस कर दिया जाए तो ये अपने बूते पर भारत को एक वैश्विक शक्ति बना सकते हैं। योजना आयोग के सदस्य और पुणे विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति नरेंद्र जाधव इस बात से हैरान हैं कि कई विश्वविद्यालयों में पिछले 30 सालों से पाठ्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनका कहना है कि पुराना पाठ्यक्रम और ज़मीनी हकीकतों से दूर शिक्षक उच्च शिक्षा को मारने के लिए काफ़ी हैं। जाने माने शिक्षाविद प्रोफ़ेसर यशपाल ने कहा था कि शिक्षा में निजीकरण की ज़रूरत तो है लेकिन इस पर भी नियंत्रण रखा जाना चाहिए। ये न हो कि पहले शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने वाला संस्था का कुलपति बने और फिर अपने 25 साल के लड़के को उसका उप कुलपति बनाए।

अर्थशास्त्री कौशिक बसु का अभिमत है कि आम धारणा के मुताबिक अगर कोई लाभ कमाना चाहता है तो वो अच्छी शिक्षा कैसे दे सकता है। ये एक ग़लत तर्क है। यह तो उसी तरह सोचने की तरह हुआ कि अगर टाटा मोटर्स को लाभ कमाना है तो इसे छोटी कार बनाने में रुचि नहीं रखनी चाहिए। हालांकि वास्तविकता यह है कि अगर उसे लाभ कमाना है तो उसे छोटी कार ही बनानी चाहिए। इसी तरह शिक्षा में अगर कोई लाभ कमाने वाली कंपनी विश्वविद्यालय शुरू करना चाहती है तो हमें उसके आड़े नहीं आना चाहिए। हर साल भारतीय स्कूल से पास होने वाले छात्रों में महज 15 फ़ीसदी छात्र विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत में 1500 नए विश्वविद्यालय खोले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस सबके लिए धन सिर्फ़ निजी क्षेत्र से ही आ सकता है। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि किसी भी सरकार, खास कर विकासशील देश की सरकार के लिए ये संभव नहीं है कि वो मौजूदा 300 विश्वविद्यालयों को ही ढंग से चला पाए। यह तभी संभव है, जब वित्तीय मापदंडों को दरकिनार कर दिया जाए या उच्चतर शिक्षा को

घटिया दर्जे का बना दिया जाए। विशेषज्ञों की राय है कि %रन ऑफ़ द मिल% यानी बने बनाए ढर्रे पर स्नातक पैदा करने की प्रवृत्ति से जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाए उतना ही अच्छा है। आजकल का सबसे प्रचलित जुमला है नौकरी से जुड़े हुए कोर्स।

फ़ैसला लेने वालों के बीच 'वोकेशनल' शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा का वो रुतबा अब नहीं रहा क्योंकि इसके साथ ये बट्टा लगा हुआ है कि ये पढ़ाई में पीछे रहने वालों की ही पसंद है। अब समय आ गया है कि इस धारणा को बदला जाए कि विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को भद्र बनाना है। भारत सरकार ने भी इसे शिक्षा मंत्रालय कहना बंद कर मानव संसाधन मंत्रालय कहना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में भी अब इसे शिक्षा और कौशल मंत्रालय कहा जाने लगा है। ऑस्ट्रेलिया में इसे शिक्षा, रोज़गार और कार्यस्थल संबंध मंत्रालय कहा जाता है।

अब उस जाति व्यवस्था से भी छुटकारा पाने की ज़रूरत है जिसने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया है, जहाँ अगर एक इंसान व्यावसायिक शिक्षा लेने के लिए ट्रेन से उतरता है तो उसे बाद में उच्च शिक्षा के डिब्बे में सवार होने की अनुमति नहीं होती। 21वीं सदी की उच्च शिक्षा को तब तक स्तरीय नहीं बनाया जा सकता जब तक भारत की स्कूली शिक्षा 19वीं सदी में विचरण कर रही हो। स्कूली शिक्षा की मूलभूत सुविधाओं में पिछले एक दशक में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है लेकिन पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एजुकेशन (प्रोब) के सदस्य एके शिव कुमार कहते हैं कि असली समस्या गुणवत्ता की है। ये एक कड़वा सच है कि भारत के आधे से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी शैक्षणिक गतिविधि नहीं होती। अब समय आ गया है कि चाक और ब्लैक बोर्ड के ज़माने को भुला कर गांवों में भी प्राथमिक शिक्षा के लिए

तकनीक का इस्तेमाल किया जाए।

हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक यूनिसेफ की एक वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 15 से 17 साल की लगभग 16 प्रतिशत लड़कियां स्कूल बीच में ही छोड देती हैं। आर्थिक विकास के अपने मॉडल के लिए सुर्खियाँ बटोरने वाला गुजरात इस मामले में देश के सबसे पिछडे राज्यों में से एक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में 15 से 17 साल की 26.6 प्रतिशत लड़कियां किसी न किसी कारण से स्कूल छोड़ देती हैं। छतीसगढ़ में 15 से 17 साल की 90।1 प्रतिशत लड़कियां स्कूल जा रही हैं, जबकि असम में यह आकडा 84.8 प्रतिशत है।

बिहार भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा पीछे नहीं है, यहां यह आंकडा 83.3 प्रतिशत है तो झारखंड में 84.1 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 79.2 प्रतिशत, यूपी में 79.4 प्रतिशत और उड़ीसा में 75.3 प्रतिशत लडकियां हाई स्कूल के पहले ही स्कूल छोड दे रही हैं। इस समय देश के 61 लाख बच्चे शिक्षा की पहुंच से दूर हैं। इस मामले में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की है, जहां 16 लाख बच्चों तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंचायी जा सकी है। रिपोर्ट के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चों में भी 59 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। मानव विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के

अनुसार प्रतिवर्ष पूरे देश में 5वीं तक आते-आते करीब 23 लाख छात्र-छात्राएं स्कूल छोड देते हैं।

लगभग एक तिहाई सरकारी स्कूलों में लडकियों के लिए शौचालयों की सुविधा नहीं है, जिस कारण से लड़कियां बडी संख्या में स्कूल छोड रही हैं। यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। शिक्षा के अधिकार का कानून लागू करने के बाद प्राथमिक शिक्षा के लिए होने वाले नामांकनों में भी वृद्धि दर्ज होती जा रही है। इसके अलावा स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 2009 में 6 से 13 वर्ष की उम्र के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 80 लाख थी जबकि पांच साल बाद यानी 2014 में यह संख्या घट कर 60 लाख रह गई थी। हकीकत ये भी है कि सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी के चलते लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करने लगे हैं। शिक्षकों की कमी झेलते हजारों स्कूलों के पास शौचालय तो क्या क्लास रूम तक नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक देश में अभी भी करीब 1,800 स्कूल किसी पेड के नीचे या टेंट में लग रहे हैं।

सन्दर्भ-:

"The Central Budgets in retrospect". Press Information Bureau, Government of India. 2003-02-24. अभिगमन तिथि= 2008-02-22.

"Meet Manmohan Singh, the economist". Http://www.rediff.com रीडिफ.com. ®2004-05-20. अभिगमन तिथि= 2008-W-WW.

"Budget with a difference". 2001-03-17. अभिगमन तिथि= 2009-03-08.

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान

डी.एस पवार
सहायक प्राध्यापक इतिसाह
शा. महाविद्यालय, नसरूल्लागंज (म.प्र)

आजीवन संगिनी कस्तूरबा की पहचान सिर्फ यह नहीं थी आजादी की लड़ाई में उन्होंने हर कदम पर अपने पति का साथ दिया था, बल्कि यह कि कई बार स्वतंत्र रूप से और गाँधीजी के मना करने के बावजूद उन्होंने जेल जाने और संघर्ष में शिरकत करने का निर्णय लिया। वह एक दृढ़ आत्मशक्ति वाली महिला थीं और गाँधीजी की प्रेरणा भी।

विजयलक्ष्मी पंडित एक संपन्न, कुलीन घराने से ताल्लुक रखने वाली और जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी

पंडित भी आजादी की

लड़ाई में शामिल थीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में बंद किया गया था। वह एक पढ़ी-लिखी और प्रबुद्ध महिला थीं और विदेशों में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत के राजनीतिक इतिहास में वह पहली महिला मंत्री थीं। वह संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं। वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत थीं, जिन्होंने मास्को, लंदन और वॉशिंगटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

इन 10 महिलाओं की वीरता ने कभी नहीं मानी थी हार

आज हम अपनी खबर में ऐसी महिलाओं के शौर्य और वीरता की बात करेंगे जिन्होंने वक्त-वक्त पर अपने साहस का परिचय देकर ये साबित किया है कि महिलाएं कभी किसी से कम नहीं होती ।
इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने समय-समय पर अपनी बहादुरी और साहस का प्रयोग कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर चली हैं। आज हम अपनी खबर में ऐसी ही महिलाओं के शौर्य और वीरता की बात करेंगे जिन्होंने क्रांतिकारी गातिविधियों में अपना योगदान निडर होके दिया और कुछ ऐसी भी वीरांगनाएँ जिन्होंने असंभव प्रयास करते हुए किसी भी युग में न भूलने वाला काम किया और अमर हो गयी।

रानी लक्ष्मीबाई (19 नवंबर - 17 जून 1858)

भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा ज़रूर होती है। रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ़ एक महान नाम है बल्कि वह एक आदर्श हैं उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं और उनके लिए भी एक आदर्श हैं जो महिलाएं ये सोचती है कि 'वह महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर सकती.' देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम (1857) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वह अपनी वीरता के किस्सों को लेकर किंवदंती बन चुकी हैं।

ऊषा मेहता सावित्रीबाई फूले (25 मार्च 1920 - 11 अगस्त 2000)

कांग्रेस रेडियो जिसे 'सीक्रेट कांग्रेस रेडियो' के नाम से भी जाना जाता है, इसे शुरू करने वाली ऊषा मेहता ही थीं. भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान कुछ महीनों तक कांग्रेस रेडियो काफ़ी सक्रिय रहा था। इस रडियो के कारण ही उन्हें पुणे की येरवाड़ा जेल में रहना पड़ा। वे महात्मा गांधी की अनुयायी थीं।

बेगम हज़रत महल (1820 - 7 अप्रैल 1879)

जंगे-आज़ादी के सभी अहम केंद्रों में अवध सबसे ज़्यादा वक़्त तक आज़ाद रहा। इस बीच बेगम हज़रत महल ने लखनऊ में नए सिरे से शासन संभाला और बगावत की कयादत की। तकरीबन पूरा अवध उनके साथ रहा और तमाम दूसरे ताल्लुकेदारों ने भी उनका साथ दिया। बेगम हजरत महल की हिम्मत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने मटियाबुर्ज में जंगे-आज़ादी के दौरान नज़रबंद किए गए वाजिद अली शाह को छुड़ाने के लिए लार्ड कैनिंग के सुरक्षा दस्ते में भी सेंध लगा दी थी।

ऐनी बेसेंट (1 अक्टूबर 1857 - 20 सितम्बर 1933)

थियोसोफिकल सोसाइटी और भारतीय होम रूल आंदोलन में अपनी विशिष्ट भागीदारी निभाने वाली ऐनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर, 1847 को तत्कालीन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के लंदन शहर में हुआ था। 1890 में ऐनी बेसेंट हेलेना ब्लावत्सकी द्वारा स्थापित थियोसोफिकल सोसाइटी, जो हिंदू धर्म और उसके आदर्शों का प्रचार-प्रसार करती हैं, की सदस्या बन गईं. भारत आने के बाद भी ऐनी बेसेंट महिला अधिकारों के लिए ल?ती रहीं। महिलाओं को वोट जैसे अधिकारों की मांग करते हुए ऐनी बेसेंट लागातार ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखती रहीं। भारत में रहते हुए ऐनी बेसेंट ने स्वराज के लिए चल रहे होम रूल आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

मैडम भीकाजी कामा (24 सितम्बर 1861 - 13 अगस्त 1936)

मैडम भीकाजी कामा ने आज़ादी की लड़ाई में एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनका नाम इतिहास के पन्नोंज पर दर्ज है। स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। वो बाद में लंदन चली गईं और उन्हें भारत आने की

अनुमति नहीं मिली।

कस्तूरबा गांधी (11 अप्रैल 1869 - 22 फरवरी 1942)

मोहनदास करमचंद गांधी ने 'बा' के बारे में खुद स्वीकार किया था कि उनकी दृढ़ता और साहस खुद गांधीजी से भी उन्न त थे।वह एक दृढ़ आत्म शक्ति वाली महिला थीं और गांधीजी की प्रेरणा भी। उन्होंने लोगों को शिक्षा, अनुशासन और स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी सबक सिखाए और आज़ादी की लड़ाई में पर्दे के पीछे रह कर सराहनिय कार्य किया है।

सरोजिनी नायडू(13 फरवरी 1879 - 2 मार्च 1949)

भारत कोकिला सरोजिनी नायडू सिर्फ़ स्वएतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छी कवियत्री भी थीं। गोपाल कृष्ण गोखले से एक ऐतिहासिक मुलाक़ात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। सरोजिनी नायडू ने खिलाफ़त आंदोलन की बागडोर संभाली और अग्रेजों को भारत से निकालने में अहम योगदान दिया।

कमला नेहरू (1 अगस्त 1899 - 28 फरवरी 1936)

कमला विवाह के बाद जब इलाहाबाद आईं तो एक सामान्यप, कम उम्र की नई नवेली दुल्हन भर थीं. लेकिन समय आने पर यही शांत स्वाभाव की महिला लौह स्त्रीव साबित हुई, जो धरने-जुलूस में अंग्रेजों का सामना करती, भूख हड़ताल करती और जेल की पथरीली धरती पर सोती थी। नेहरू के साथ-साथ कमला नेहरू और फ़िरि इंदिरा की प्रेरणाओं में देश की आज़ादी ही सर्वोपरि थी। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने बढ़-चढ़कर शिरकत की थी।

अरूणा आसफ़ अली (16 जुलाई 1909 - 26 जुलाई 1996)

अरूणा आसफ़ अली को भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाली एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने एक कार्यकर्ता होने के नाते नमक सत्याग्रह में भाग लिया और लोगों को अपने साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, साथ ही वे 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' की एक सक्रिय सदस्य थीं।

विजयलक्ष्मी पंडित (18 अगस्त 1900 - 1 दिसम्बर 1990)

एक संपन्नय, कुलीन घराने से ताल्लुहक रखने वाली और जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मीं पंडित भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल थीं. सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में बंद किया गया था। वे संयुक्तम राष्ट्र की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थीं और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत थीं जिन्होंने मास्को, लंदन और वॉशिंगटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

आजादी की लड़ाई में महिलाओं का योगदान, पड़िए त्याग और बलिदान की दास्तां

जयपुर । 14 अगस्त 1947, एक ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आजादी की सुबह थी यानी 15 अगस्त 1947। आज भी हमें लगता है कि देश आजाद कराने में हमारे महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महान पुरुषों का ही योगदान था। यदि हम आपको बताए कि भारत की आजादी की लड़ाई में महान पुरुषों के अलावा महान महिलाओं का भी अहम योगदान रहा है तो आप चौंक जाएंगे। यह बात चौकाने वाली जरूर है, लेकिन यह सच है कि आजादी में महिलाओं का भरपूर योगदान रहा है। आइए जानते हैं इन

महिलाओं के बारे में-

सरोजनी नायडू : भारत कोकिला के नाम से जानी जाने वाली सरोजनी नायडू सन् 1914 में पहली बार महात्मा गांधी से इंग्लैंड में मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गईं। सरोजनी नायडू ने एक कुशल सेना की भांति अपना परिचय हर क्षेत्र चाहे वह सत्याग्रह हो या संगठन में दिया। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व भी किया जिसके लिए उन्हें जेल तक जाना पड़ा। फिर भी उनके कदम नहीं रुके संकटों से न घबराते हुए वे एक वीर विरांगना की भांती गांव-गांव घूमकर देश-प्रेम का अलख जगाती रहीं और देशवासियों को उनके कर्तव्यों के लिए प्रेरित करती रहीं और याद दिलाती रहीं। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण सन् 1932 में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व दक्षिण अफ्रीका भी गई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह उत्तरप्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनीं।

सिस्टर निवेदिता : यदि भारत में आज हम विदेशियों को याद करते हैं या फिर उन पर गर्व करते हैं तो उनमें सिस्टर निवेदिता का नाम शीर्ष में आता है। जिन्होंने न केवल महिला शिक्षा के क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण योगदान दिया बल्कि भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले देशभक्तों की खुलेआम मदद भी की। नोबेल के जीवन में निर्णायक मोड़ 1895 में उस समय आया जब लंदन में उनकी स्वामी विवेकानंद से मुलाकात हुई। स्वामी विवेकानंद ने निवेदिता के मन में यह बात पूरी तरह बिठा दी कि भारत ही उनकी वास्तविक कर्मभूमि है। प्लेग की महामारी के दौरान उन्होंने पूरी शिद्दत से रोगियों की सेवा की और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका निभाई।

सुचेता कृपलानी = भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कृपलानी का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। 1946 में वह सविंधान की सदस्य बनी । सुचेता ने आंदोलन के हर चरण में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कई बार जेल गईं। सन् 1946 में उन्हें असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। सन 1958 से लेकर 1960 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रहीं और 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं।

भीखाजी कामा : भीखाजी कामा ने जर्मनी में 22 अगस्त 1907 में सातवीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराया था । इसलिए इन्होंने लन्दन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया भीखाजी भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। उनके द्वारा पेरिस से प्रकाशित 卐वन्देमातरम्卐 पत्र प्रवासी भारतीयों में

काफी लोकप्रिय हुआ। 1909 में जर्मनी के स्टटगार्ट में हुई अन्तर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम भीकाजी कामा ने कहा कि – भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच रही है। यही नहीं मैडम भीकाजी कामा ने इस कांफ्रेंस में वन्देमातरम अंकित भारतीय ध्वज फहरा कर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी।

मीरा बेन : मीरा बैन का असली नाम मैडलिन स्लेड था । ये गांधीजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भारत आ गई और यहीं की होकर रह गई। गांधी जी ने इन्हें मीरा बेन का नाम दिया था। मीरा बेन सादी धोती पहनती, सूत कातती, गांव–गांव घूमती। वह गोरी नस्ल की अँग्रेज थीं, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी के पक्ष में थी।
कस्तूरबा गांधी–कस्तूरबा गांधी जिन्हें भारत में बा के नाम से जाना जाता था। कस्तुरबा गांधी गांधीजी की धर्म पत्नी थी । इन्होंने 1913 में गांधीजी के सत्याग्रह आंदोलन में साथ दिया और तीन महिलाओं के साथ जेल गई ।

ऊषा मेहता सावित्रीबाई फूले : ऊषा मेहता ने ही कांग्रेस रेडियो जिसे %सीक्रेट कांग्रेस रेडियो% के नाम से भी जाना जाता है, की शुरूआत की थी ।1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ महीनों तक कांग्रेस रेडियो काफ़ी सक्रिय रहा था. इस रडियो के कारण ही उन्हें पुणे की येरवाड़ा जेल में रहना पड़ा. ऊषा मेहता महात्मा गांधी की अनुयायी थीं।

दुर्गा बाई देशमुख : दुर्गा बाई देशमुख महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थीं. शायद यही कारण था कि उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और भारत की आज़ादी में एक वकील, समाजिक कार्यकर्ता, और एक राजनेता की सक्रिय भूमिका निभाई. वो लोकसभा की सदस्य होने के साथ–साथ योजना आयोग की भी सदस्य थी. उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र से लेकर महिलाओं, बच्चों और ज़रूरतमंद लोगों के पुनर्वास तथा उनकी स्थिति को बेहतर बनाने हेतु एक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की नींव रखी थी।

विजयलक्ष्मी पंडित : विजय लक्ष्मी पंड़ित ज्वाहरलाल नेहरू की बहन थी । सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेंजो ने उन्हें जेल में बंद कर दिया । विजय लक्ष्मी ने विदेशों में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। संयुक्तम वह देश की पहली महिला अध्यक्ष थी। इसके अलावा वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत भी थीं ।
कमला नेहरू : कमला नेहरू विवाह के बाद इलाहाबाद आई तो वह एक सामान्य दुल्हन भर थी। सेकिन समयय आने पर यही शांत स्वभाव की महिला लौह स्त्री साबित हुई । वह धरने–जुलूस में अंग्रेजों का सामना करती, भूख हड़ताल करती और जेल की पथरीली धरती पर सोती थी। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने बढ़–चढ़कर शिरकत की थी।

ऐनी बेसेंट : थियोसोफिकल सोसाइटी और भारतीय होम रूल आंदोलन में अपनी विशिष्ट भागीदारी निभाने वाली ऐनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर, 1847 को तत्कालीन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के लंदन शहर में हुआ था. 1890 में ऐनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बन गई । यह संस्था हिंदू धर्म और उसके आदर्शों का प्रचार-प्रसार करती हैं। इसकी स्थापना हेलेना ब्लावत्सकी द्वारा की गई। ऐनी बेसेंट ने भारत में चल रहे होम रूल आंदोलन में विशेष भूमिका अदा की । महिलाओं को वोट जैसे अधिकारों की मांग करते हुए ऐनी बेसेंट लागातार ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखती रहीं.

बेगम हज़रत महल जंगे-आज़ादी के सभी अहम केंद्रों में अवध सबसे ज़्यादा वक़्त तक आज़ाद रहा। इस बीच बेगम महल ने लखनऊ में नए सिरे से शासन संभाला और बगावत की कयादत की । बेगमव की हिम्मत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मटियाबुर्ज में जंगे आज़दी के दौरान नज़रबंद किए गए वाजिद अली शाह को छुड़ाने के लिए लार्ड कैनिंग के सुरक्षा दस्ते में भी सेंध लगा दी थी । इतिहासकार ताराचंद लिखते हैं कि बेगम खुद हाथी पर चढ़ कर लड़ाई के मैदान में फ़ौज का हौसला बढ़ाती थीं।

रानी लक्ष्मीबाई : भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा ज़रूर होती है. रानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ़ एक महान नाम है बल्कि वह एक आदर्श हैं उन सभी महिलाओं के लिए जो खुद को बहादुर मानती हैं और उनके लिए भी एक आदर्श हैं जो महिलाएं ये सोचती है कि %वह महिलाएं हैं तो कुछ नहीं कर सकती. देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की थी और वह अपनी वीरता के किस्सों को लेकर किंवदंती बन चुकी हैं।

डॉ. लक्ष्मी सेहगल : पेशे से डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉ. सहगल 2002 के राष्ट्रपति चुनावों में वाम-मोर्चे की उम्मीदवार थीं। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें हरा दिया था। उनका पूरा नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल था। सहगल ने सिंगापुर में गरीबों के लिए वर्ष 1940 में एक क्लीनिक की स्थापना की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अटूट अनुयायी के तौर पर वे इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुईं थीं। सहगल को 1998 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था।

पुस्तक: यशस्विनी रानी दुर्गावती, आईएसबीएन 81-7011-808-5, प्रकाशक सी.बी.टी. प्रकाशन, लेखिका कमला शर्मा।

सन्दर्भ-पुस्तक

606 रानी दुर्गावती, आईएसबीएन 81-7508-473-1, प्रकाशक इंडिया बुक हाउस लिमिटेड, लेखक अनन्त पई।
वीरांगना - झलकारी बाई (पीएचपी). मधुमती. अभिगमन तिथि=2009.
डेटाबेस ऑफ इंडियन स्टाम्प्स (एचटीएम). कामत पॉटपुरी. अभिगमन तिथि 2009.

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

पादप व जंतु कोशिका का अध्ययन

डॉ.अनुराधा दुबे
विभागाध्यक्ष एवं प्रध्यापक वनस्पति शास्त्र
शासकिय भेल भोपाल

कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है, जिसके अध्ययन को 'साइटोलॉजी (Cytology)' कहा जाता है । पादप व जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग- अलग होती है, जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है इस विभिन्नता को समझने के लिये प्लाज्मा झिल्ली (Plasma Membrane), कोशिका भित्ति (Cell Wall), गाल्जीकाय (Golgi Bodies), माइटोकोंड्रिया (Mitochondria), लाइसोसोम (Lysosomes) और लवक (Plastids) आदि कोशिका अवयवों (Cell Component) का अध्ययन आवश्यक है 7

कोशिका के अवयव

कोशिका के अवयव निम्नलिखित होते हैं-

1. प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जंतु, पादप व सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में पाई जाती है और इसका निर्माण लिपिड्स, प्रोटीन और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से मिलकर होता है । कोशिका भित्ति पतली और अर्द्धपारगम्य (Semipermeable) झिल्ली है जिसका कार्य कोशिका के अवयवों को इकट्ठा रखना और कोशिका के अन्दर व बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है ।

2. कोशिका भित्ति : यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होती है । यह कोशिका के की सुरक्षा के साथ-साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाये रखने में सहायक है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पायी जाती है।

3. केन्द्रक : यह कोशिका का सबसे प्रमुख अवयव है जो कोशिका के प्रबंधक (Manager) के समान कार्य करता है 7 केन्द्रक (Nucleus) में धागे जैसी संरचना वाला पदार्थ भरा होता है, जो प्रोटीन और डीएनए(

Deo&y Ribonuclic Acid) से बना होता है और 'क्रोमैटिन' कहलाता है। वंशानुगत गुणों को एक पीड़ी से दुसरी पीड़ी तक ले जाने वाले गुणसूत्रों (Chromosome) का निर्माण इसी क्रोमैटिन से होता है । क्रोमैटिन के अलावा केन्द्रक में गोल सघन रचनाएँ पाई जाती है जिन्हें 'केंद्रिका (Nucleolus)' कहा जाता है ।

उद्देश्य

इस विज्ञान के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य है=

पादप–रोगों के संबंधित जीवित, अजीवित एवं पर्यावरणीय कारणों का अध्ययन करना ;

रोगजनकों द्वारा रोग विकास की अभिक्रिया का अध्ययन करना ;

पौधों एवं रोगजनकों के मध्य में हुई पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करना ;

रोगों की नियंत्रण विधियों को विकसित करना जिससे पौधों में उनके द्वारा होने वाली हानि न हो या कम किया जा सके।

केन्द्रक (Nucleus)	केंद्रिका (Nucleolus)
1. इसमें जीव की आनुवांशिक जानकारी निहित होती है।	1. यह केन्द्रक का घटक है।
2. यह दो झिल्लियों से घिरा होता है।	2. यह झिल्ली से घिरा नहीं होता है।
3. यह कोशिका की कार्यप्रणाली और संरचना को नियंत्रित करता है ।	3. यह राइबोसोम की उप–इकाइयों (Sub-Units) का संश्लेषण करता है।

4. साइटोप्लाज्म (Cytoplasm)=यह कोशिका का वह भाग है जो प्लाज्मा झिल्ली और केन्द्रक जाल (Nuclear Envelope) के मध्य पाया जाता है।इसकी आतंरिक परत को एंडोप्लाज्म (endoplasm) और बाहरी परत को एक्टोप्लाज्म (ectoplasm) नाम से जाना जाता है7 साइटोप्लाज्म में साइटोसोल (cytosol) से बना होता है जिसमें अनेक कोशिकांग (Organelles) व अन्य उत्पाद (जैसे ङ्क स्टार्च व लिपिड्स) पाए जाते है ।

(i) एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम (Endoplasmic Reticulum -ER)= इसका प्रमुख कार्य कोशिका झिल्ली और केन्द्रक झिल्ली आदि का निर्माण करने वाली प्रोटीनों व वसाओं (Fats) का परिवहन (Transport) करना है ।इसके कुछ भागों पर किनारे–किनारे राइबोसोम लगे रहते हैं।

ये दो प्रकार की होती हैं=

(A) **रुक्ष एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम (Rough Endoplasmic Reticulum -RER):**

इनमें संश्लेषण के लिए राइबोसोम पाए जाते है 7

(b) **मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम (Smooth Endoplasmic Reticulum -SER):** इनमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं और इनका उद्देश्य लिपिडों का स्त्रावण (SecretiOn) होता है ।

(Ii) **राइबोसोम्स (Ribosomes) :** यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल (Ribonucleic Acid) व प्रोटीन की बनी होती है और प्रोटीन संश्लेषण(Synthesis) द्वारा प्रोटीन का निर्माण करती है ,इसीलिए इसे 'प्रोटीन की फैक्ट्री' भी कहा जाता है ।इसका नामकरण रॉबर्ट ने किया था।

(iii) **गॉल्जीकाय (Golgi Body) :** इसकी खोज कैमिलो गॉल्जी ने की थी 7यह सूक्षम नलिकाओं(Tubules) के समूह और थैलियों का बना होता है । यहाँ कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की थैलियों के रूप में पैकिंग की जाती है और उन्हें गंतव्य स्थान (Destination) तक पहुँचाया जाता है और कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर भी निकाला जाता है ।इसे 'कोशिका का यातायात प्रबंधक' भी कहा जाता है । ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करती हैं ।

(iv) लाइसोसोम (Lysosomes) : इसकी खोज डी डूवे ने की थी, जोकि सूक्ष्म, गोल और इकहरी झिल्ली से घिरी थैलीनुमा रचनाएँ होती हैं ।इसका प्रमुख कार्य बाहर से आने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विषाणुओं का पाचन करना है अत: यह एक प्रकार से कोशिका की 'कचरा निपटान प्रणाली (Garbage Disposable System)' है। इसमें 24 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं ।इसे 'कोशिका की आत्मघाती थैली' भी कहा जाता है क्योंकि कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह फट जाती है एंजाइम स्वयं की ही कोशिका को समाप्त कर देते हैं ।

(1) माइटोकोंड्रिया (Mitochondria) = इसकी खोज अल्टमैन ने की थी और इसका नामकरण बेंडा ने किया था। ये कोशिका का श्वसन स्थल है और ऊर्जायुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण यहीं होता है जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा (एटीपी) का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे 'कोशिका का शक्ति केंद्र' (Power House of the Cell) भी कहते हैं ।

(vi) लवक (Plastids) : यह केवल पादप कोशिओकाओं में ही पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। इनका अपना स्वयं का जीनोम होता है और विभाजित होने की क्षमता भी रखते हैं ।लवक के निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं :

a. वर्णी लवक (Chromoplasts): ये रंगीन लवक होते हैं और प्राय: लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भागों, जैसे- पुष्प, बीज आदि में पाए जाते हैं और परागण (Pollination) के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं ।

b. हरित लवक (Chloroplasts): इसमें हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है जो पादपों को

प्रकाश-संश्लेषण में सहायता करता है, इसीलिए इसे 'कोशिका का रसोई घर' भी कहा जाता है ।

c. अवर्णी लवक (Leucoplasts): ये रंगहीन लवक हैं और सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप के अंगों , जैसे- ज?, भूमिगत तना आदि में पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट (स्टार्च), वसा (Fat) और प्रोटीन के रूप में भोजन का संचय (Store) करते हैं ।

(Vii) रसधानी/रिक्तिका (Vacuoles): यह कोशिका की निर्जीव रचना है जो पादप कोशिकाओं में प्राय: ब?ी और केंद्र में स्थित होती हैं और जंतु कोशिकाओं में छोटी और अस्थायी होती हैं 7 इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है। यह पादप कोशिकाओं को दृ?ता (Rigidity) प्रदान करता है और चयापचय (Metabolic) से उत्पन्न विषैले उप-उत्पादों (By-Products) का संचय (Store) करता है 7

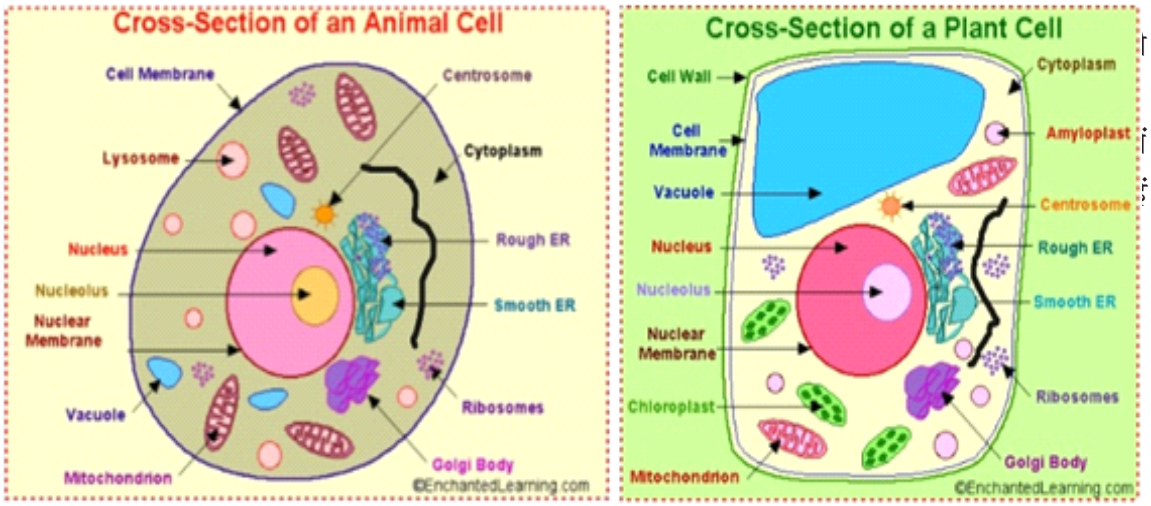

जंतु व पादप कोशिका की तुलना:

जंतु कोशिका	**पादप कोशिका**
1. प्राय: आकार में छोटी होती हैं	1. आकार में जंतु कोशिका से ब?ी होती हैं
2. कोशिका भित्ति (Cell wall) अनुपस्थित रहती है	2. सेलुलोज (जैसे-प्लाज्मा झिल्ली) से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है
3. लवक (Plastids) युग्लीना के छो?करअन्य जंतुओं में अनुपस्थित रहते हैं	3. लवक (Plastids) उपस्थित होते हैं
4. रसधानी/रिक्तिका (Vacuoles)	4. विकसित पादप में रसधानी/रिक्तिका (Vacuoles)

बहुत छोटी और अस्थायी होती हैं	बड़ी होती है
5. इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है	5. इसका आकार लगभग आयताकार होता है
6. तारककाय (Centrosome) और सेंट्रियोल्स (Centrioles) उपस्थित रहते है	6. तारककाय (Centrosome) और सेंट्रियोल्स (Centrioles) अनुपस्थित रहते हैं

पादपाश्म विज्ञान (Palaeobotany)

मुख्य लेख : पुरावनस्पति विज्ञान

इसके अंतर्गत उन पौधों का अध्ययन किया जाता है, जो करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रहते थे, पर अब कहीं नहीं पाए जाते और अब फॉसिल बन चुके हैं। उनके अवशेष पहाड़ की चट्टानों, कोयले की खानों इत्यादि में मिलते हैं। चूँकि पौधे के सभी भाग एक से जुड़े नही मिलते, इसलिये हर अंग का अलग अलग नाम दिया जाता है। इन्हें फॉर्मजिनस कहते हैं। पुराने समय के काल को भूवैज्ञानिक समय कहते हैं। यह कैंब्रियन–पूर्व–महाकल्प से शुरु होता है, जो लगभग पाँच अरब वर्ष पूर्व था। उस महाकल्प में जीवाणु शैवाल और कवक का जन्म हुआ होगा। दूसरा पैलियोज़ोइक कहलाता है, जिसमें करीब 60 करोड़ से 23 करोड़ वर्ष पूर्व का युग सम्मिलित है। शुरू में कुछ समुद्री पौधे, फिर पर्णहरित, पर्णगौद्भिद और अंत में अनावृतबीजी पौधों का जन्म हुआ है। तदुपरांत मध्यजीवी महाकल्प (Mesozoic era) शुरू होता है, जो छह करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। इस कल्प में बड़े बड़े ऊंचे, नुकीली पत्तीवाले, अनेक अनावृतबीजी पेड़ों का साम्राज्य था। जंतुओं में भी अत्यंत भीमकाय डाइनासोर और बड़े बड़े साँप इत्यादि पैदा हुए। सीनाज़ोइक कल्प में द्विवीजी, एवं एकबीजी पौधे तथा स्तनधारियों का जन्म हुआ।

आर्थिक वनस्पति विज्ञान

इनके अतिरिक्त जो पादप मनुष्य के काम आते हैं, उन्हें आर्थिक वनस्पति कहते हैं। यों तो हजारों पौधे मनुष्य के नाना

प्रकार के काम में आते हैं, पर कुछ प्रमुख पौधे इस प्रकार हैं:-

अन्न – गेहूँ, धान, चना, जौ, मटर, अरहर, मक्का, ज्वार इत्यादि।
फल – आम, सेब, अमरूद, संतरा, नींबू, कटहल इत्यादि।
पेय – चाय, काफी इत्यादि।
साग सब्जी – आलू, परवल, पालक, गोभी, टमाटर, मूली, नेनुआ, ककड़ी, लौकी इत्यादि।

रेशे बनानेवाले पादप – कपास, सेमल, सन, जूट इत्यादि।

लुगदीवाले पादप – सब प्रकार के पेड़, बाँस, सवई घास, ईख इत्यादि।

दवावाले पादप – एफीड्रा, एकोनाइटम, धवरबरुआ, सर्पगंधा और अनेक दूसरे पौधे।

इमारती लकड़ीवाले पादप – टीक, साखू, शीशम, आबनूस, अखरोट इत्यादि।

पादप या उद्भिद (plant) जीवजगत का एक बड़ी श्रेणी है जिसके अधिकांश सदस्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्कराजातीय खाद्य बनाने में समर्थ होते हैं। ये गमनागम (locomotion) नहीं कर सकते। वृक्ष, फर्न (Fern), मॉस (mosses) आदि पादप हैं। हरा शैवाल (green algae) भी पादप है जबकि लाल/भूरे सीवीड (seaweeds), कवक (fungi) और जीवाणु (bacteria) पादप के अन्तर्गत नहीं आते। पादपों के सभी प्रजातियों की कुल संख्या की गणना करना कठिन है किन्तु प्रायः माना जाता है कि सन् 2010 में 3 लाख से अधिक प्रजाति के पादप ज्ञात हैं जिनमें से 2.7 लाख से अधिक बीज वाले पादप हैं।

पादप जगत में विविध प्रकार के रंग बिरंगे पौधे हैं। कुछ एक 6 कवक पादपो 8 को छोड़कर प्रायः सभी पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनके भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश–संश्लेषण कहते हैं। पादपों में सुकेन्द्रिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पादप जगत इतना विविध है कि इसमें एक कोशिकीय शैवाल से लेकर विशाल बरगद के वृक्ष शामिल हैं। ध्यातव्य है कि जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं वे पौधे होते हैं, यह जरूरी नहीं है कि उनकी जड़ें हों ही। इसी कारण कुछ बैक्टीरिया भी, जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, पौधे की श्रेणी में आते हैं। पौधों को स्वपोषित या प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है।

पादपों में भी प्राण है यह सबसे पहले जगदीश चन्द्र बसु ने कहा था। पादपों का वैज्ञानिक अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है।

सन्दर्भः–

1. Haeckel G (1866). Generale Morphologie der Organismen. Berlin: Verlag von Georg Reimer. पृड़ vol.v: i–&&&ii, v–z|y, pls I–II; vol. w: i–cl&, v–y62, pls I–VIII.
2. भौतिक भूगोल का स्वरूप, सविन्द्र सिंह, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2012, पृष्ठ 616, ढ्ढस्क्चहृ 81–86539–74–3
2. / HTTP://WWW.PUNJABKESARI.IN/BLOGS/NEWS/INDIA-S- NATIONAL-UNITY-

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

Paradox and Challenges in Women's Skill development in India

Anupama Rawat
Assistant Professor in Economics,
Govt. P.G.College, BHEL,
Bhopal.

Tanima Dutta
Assistant Professor in Economics,
Chitransh AD PG College,
Bhopal.

ABSTRACT:

This paper tries to highlight the paradoxes and challenges in the skill development of women particularly with reference to India and debate this skill gap within the Indian labour force and analyse the situation of women which is still worse inspite of some initiatives of the government. It also tries to emphasise the need of a comprehensive skill development programme that is both intensive as well as extensive and spans over the entire labour force without discriminating women so as to timely reap the demographic dividend with no further delay. Finally, the paper suggests strategies for skilling women that will empower them to achieve gender equality.

Key words: Gender, Empowerment, Gender equality, Gender gap, Skill Development, Skill Gap, Demographic dividend
JEL Code:J01, J08, J16

Introduction

As per the 2011 census India's population is 1.2 billion and it is growing at a rate of 17.7 % per decade. And when the world population is going to witness a shortage of young population of only 56 million by 2020, India will have a surplus of 47 million youth out of which nearly 50 percent will be young females. India is among the youth countries of the world (GOI, 2015-16). Against this backdrop, India faces a big challenge of lack of trained work force and furthermore paucity of highly skilled workforce. As the National Skill Development policy, 2015 also outlines the same. This problem further gets exacerbated in the event of 'missing women' (Rangarajan.C.et.al 2011) from the work force. The gender

gaps in labour force are highest in the Middle East and North African and south Asian regions, where men's participation rates exceed women's rates by over 50 percentage points and for India also the labour Force participation rate (LFPR) is around 40%, but gender-wise, for females it is only 22.5 per cent. (Sanghi Sunita. et.al: 2015). The women are less likely to participate in the labour market in most of these countries. With the ensuing demographic potential of having the maximum number of young in its population, there will be maximum potential entrants in the workforce. With this window of opportunity India stands advantaged vis - a - vis rest of the world, if and only if it converts the entrants of its labour force into potential labour force by imparting various skills through meaningful intervention of skill development strategy and programmes. With high gender gaps in LFPR, the need for skilling the women is of a prime concern.

In spite of various policies to promote skill development and support formalisation of economic activity much remains to be achieved in this front particularly inclusion of women in formal sector. Though a skill ecosystem has been created and with policies in place, what is needed is, is for these policies to work and still more needs to be done. (Sanghi Sunita & Srija. A: 2015)

When women have the capacity for economic independence, they generally make more decisions within the household and control more resources (Thomas: 1990). Therefore the roles played by education and skill development helps in fetching paid employment of women and more so of married women. “As economic development takes place there is emergence of white collared job sector and the movement of women from the home to the workplace promotes various types of gender equality both in society at large and in the home, although the process has been protracted in a number of countries”(Goldin : 1994). Goldin's major contributory work in this field establishes a relationship between economic growth and labour force participation, which results in a 'U' shape. It is interesting to note here that this explanation of the U shape traverses a country's development trajectory vis -a-vis labour force participation of females (LFPR). It explains that in the initial stages of development when incomes are majorly farm incomes and are very low, women are a part of the workforce maybe as paid labourers or unpaid workers on family farms or Household businesses. But as Incomes or wages go up the LFPR of females fall due to 'income effect' where women remain confined in homes or their demand as agricultural labour decreases.

However with the increase in female education or the increased value of her time in the market, women move back into labour force increasing its LFPR moving along the rising portion of the U curve (substitution effect). It is argued by many that as education of women goes up or they are imparted with requisite skills their participation in labour force proportionately increases. However economic development necessarily leads to empowerment and gender equality may not be the view of many researchers but certainly in some stages of development many countries have observed at least the upward journey of U if not the down run side of the U. There are variations with different countries owing to different factors.

An interesting twist to the tale takes place now as this hump due to inverted U curve has disappeared as per Goldin's own claims (Goldin & Joshua Mitchell, 2017) They say that the hump that was visible to US women born before the 1950's now has disappeared as labour force participation for women of older cohorts entering in their older years now (born before 1950's) have more satisfying careers rather than just jobs, have more in their vocations, have earned more, have more identities bound to their work. The high levels of development in the US to an extent have ensured women empowerment through education and skill development of women.

Does India fit in this U shaped curve and further disappearance of the hump story or has a different story of its own can be verified but one thing is certain that whatever growth rates India achieved have not been translated in lifting its women labour force as has been done by the western economies. Women definitely get empowered and have more access to freedom once they move out from their home of being trapped in Household work and environment. A study with similar objectives has been carried out on the effects of women's employment in India (Miller: 1982). Women's opportunity to participate in the labour force affords her more bargaining power within the home (Sen:1990). It is widely argued that Empowerment of women through increased participation in labour force or increased wages can be achieved only by educating and skilling its women labour force this would

further lead to the next stage of evolution towards emancipation. Policies aimed to address education and women's employment opportunities outside the home may improve the missing women situation and fight the stigma attached to female children. But most importantly if education and skill development are rolled in timely as witnessed in US and other developed economies then the road will eventually lead to developed society with its women emancipated. Finding from the Indian census in 2001 suggest that women's increased educational attainment was associated with the rise in female to male sex ratio of India.

Unfortunately when India stands looking at this window of opportunity of merely 30 years having the largest young and the largest working population from 2020 onwards, the glaring gender gap and further genderwise gap in workforce at this point of time is disheartening and baffling. 33% of women in India are illiterate and women's empowerment in India is a growing issue and one area in which it lags behind even in its neighbouring countries in south Asia is, in terms of women's participation in the labour force, where only 29% of Indian women work. And when women are restricted to household work and prevented from leaving home, they cannot contribute to the family income, making it difficult for families to escape the cycle of poverty. This needs to be looked from this perspective with a magnifying lens in the case of India where there is a retraction of women from labour force when already there are more than 60 million missing women already (Sen.:1990). And this is the time when growth is catching up in India and it is the fastest growing economies of the world. India's demographic transition makes it imperative to ensure employment opportunities for millions of youth each year and alongside employment, skill development is equally important as over the years jobs have become more skill-intensive with changes in technology as well as increased interlink ages across economic activities (FICCI, 2015).

Gender, Scenario of Gender differences and Gender Empowerment

Gender is an analytical tool used to examine the relationship between the sexes and understand the sexual division of labour; both these aspects are socially constructed or

produced as a result of socialisation. The roles that women play in any given society are socially determined and their situation is reflected through the legislation, religious norms, economic status, cultural values, carried out by them in the country, community and the household. Gender is defined in terms of the roles and responsibilities of men and women in a given society. These roles and responsibilities are defined within the socio-cultural milieu in which an individual is living. Gender is not a static phenomenon, but changes over time. 'Gender Analysis' refers to systematic way of looking at the different impacts of development on women and men. It requires separating data by sex, and understanding how labour is divided and valued. Gender analysis must be done at all stages of the development process; one must always ask how a particular activity, decision or plan will affect men differently from women.

Some startling truths about women's roles and responsibilities reveal the vulnerability of this gender where they perform 2/3rd *of world's* ***work*** but *earn only 1/10th of world's* ***income. They own less than 1/100th of world's property. W***omen have comparatively long working hours *than men whether it is at workplace, household chores, social chores or reproductive work but their work does not get recognised in terms of productive value/output. They tend to live longer than men but in developing countries they are exposed to high mortality rates due to neglect of their* ***health or nutrition****. Their greatest health risk is childbirth. Maternal mortality rates in developing countries are 15 times higher than in the industrial countries. Women work either in* ***home based production or o****wned and operated* ***firms*** *that are* ***smaller*** *and are located close to her home.* ***Normally Sex ratios are also skewed against women in majority of underdeveloped and developing*** *countries and their enrolment in Primary education may have gone up as the case in India after the introduction of right to education act in 2009 but they eventually* ***dropout*** *by class V. Girl child dropout rates are always higher in these economies and only a few women enter the secondary or higher education levels of education.****And when it comes to literacy,*** *2/3 of worlds* ***illiterate are women where countries like*** *Nepal, Sudan, and Afghanistan have literacy rates of 35%, 27%, 32%, respectively, India has largest female illiterates at 38%.*

Empowerment refers to the process by which the powerless gains greater control over the circumstances of their lives. Therefore women empowerment is the process in which women gets equal control over the situations and the resources through developing Self Confidence and ability to make decisions. Gender empowerment is neigh to impossible without focussing tailor made programmes and policies for women not only in mainstream education but also in skilling them so as to make them monetarily independent.

The status of women in India has been subject to many great changes over the past few millennia. From equal status with men in ancient times through the low points of the medieval period, to the promotion of equal rights by many reformers, the history of women in India has been eventful. Though in modern India, women have adorned high offices in India including that of the President, Prime minister, Speaker of the Lok Sabha, Leader of Opposition, etc. and now even Defence Minister. Yet in increasing numbers, women are fighting long-standing prejudices. Women still face enormous pressure and remain confined to traditional roles within families. There exists a huge bias among the nature of jobs some restricted and considered to be only men specific and has no scope for women. Particularly those jobs that require greater and higher skill sets, highly technical jobs, corporate jobs, media & film industry, sports etc. Even if women get there they get discriminated in terms of wages and are not paid at par with their male counterparts. The problem of wage differential that Indian women face is also a global phenomenon. When women are restricted to housework and prevented from leaving home, they can't contribute to the family income, making it difficult for families to escape the cycle of poverty.

Though women have made great strides in the corporate world in the last three decades, women from all income classes are still too often discouraged by family members from having careers that infringe too much on family life therefore women who achieve academically are seen as smart and savvy. Women's empowerment in India is a growing national issue. One area in which India lags behind even with its neighbouring countries in South Asia is in women's participation in the labour force. Only 29 % of Indian women work, therefore further stressing the need for readying the women to enter the work force by

educating, skilling, up-skilling and even re-skilling (for rentry into workforce) them to earn and get economically empowered is the first and foremost requirement for women's empowerment.

Skilling: The Paradox and the Challenge in India

Skill development is central to achieving high levels of sustainable economic growth. A ministry of skill development & Entrepreneurship has been created for coordinating the efforts of all concerned stakeholders in the field of skill Development. National skill development Mission has been launched to rapidly scale up skill development efforts. In spite of various efforts, India currently faces severe shortage of well trained, skilled workers. It is estimated that only 2.3 per cent of work force in India has undergone formal skill training as compared to 68 percent in UK, 75 percent in Germany, 52 percent in USA, 80 percent in Japan and 96 percent in south Korea and large sections of the educated workforce have little or no job skills, making them largely unemployable (GoI, National skill development Mission). India has the second highest labour force in the world but still there is dearth of skilled labour in jobs that require specific skills, like welding, plumbing, engineers, IT professionals, jobs of technicians & paramedics etc. The skill development issue in india is pertinent both at demand and supply level and generating employment is definitely a challenge given the enormity of population entering the workforce(FICCI, 2015).

Efforts towards Women's Skill Development:

Women's skill development poses further challenges where on the one hand skill development is one of the foremost issues to be tackled for the overall development of the labour force or human resources and on the other hand the problem of skilling women is much more acute given her poor social and economic status. Lack of vocational training facilities in India presents a still more dismal picture when compared to the developed and

other developing economies of the world putting Indian women still low, very low on the ladder of development.

Globally though the scenario is not pretty encouraging when compared to men inspite of all the efforts that stand small opposed to the gargantuan task of accelerating the process of educating and skilling women for gender equality.

United Nations has been constantly working towards gender equality and empowerment of women through gender sensitisation of all its programmes run by its various arms/ organisations. They have time and again stressed the importance of educating women and their skill development which is the basic prerequisite for women empowerment and achieving sustainable development goals across the world. The 59th session of commission on status of women was held at UN headquarters from 6th to 12th March, 2015. The sessions focussed mainly on two aspects; of promoting gender equality and empowerment of women- women's economic and political empowerment and their access to quality education, which are the key to accelerate gender equality in view of the post 2015 agenda.

The Director General, UNESCO, Irina Bokova while speaking in high level panel discussion in New York on March, 2015, said "There has been progress across the world, but we are not there yet". "There are still 31 million girls who should be in school but are not, an even higher number are out of the secondary and there remain still 493 million illiterate women". It was highlighted that to shape successful agenda, we must be clear on where we stand today. Also the importance and contribution of women and girls in STEM fields (Science Technology, Engineering and Math) which is a major concern drew attention for not achieving the goals even in 20years since 1995 Beijing declaration and Platform for Action. At present only 30 % of the world's researchers are women. The main gaps are lack of participation of women and girls in STEM fields and lack of effective and targeted

policies. The delegations strongly supported the inclusion of standalone goal on gender equality in the post 2015 development agenda and advocated for mainstreaming of gender equality perspectives in all other goals, targets and indicators as well as the integration of gender in the means of implementation.

The proportion of women in STEM is lowest in South and West Asia at almost 19 %.In India the situation of women and girls is not at all encouraging particularly when India is achiever of highest growth rate in the world and will have highest number of young women along with its men in the world. This is very disheartening. In India only 14 % of the researchers are women, the same is in Bangladesh, and whereas Pakistan, China and Sri Lanka have 30%, 34.5% and 35% female researchers respectively (UNESCO) .Central Asia has the highest proportion at 47% followed by Latin America and the Caribbean at 44.3 % of women researchers. As women move up the education ladder they go out of the STEM fields is a trend observed across the world.

The gender gap in science is a reflection of global gender gap across health, education, economic opportunity and politics which have closed by only 4% in the past ten years. The Economic gap has closed by just 3%. According to the world economic Forum it will take another 118 years to close this gap completely.

Table: 1 Share of population (15 yrs and above) receiving vocational training, 2013-14 (in %)

Persons			Males			Fmales		
R &U	R	U	R & U	R	U	R & U	R	U
6.8	6.2	8.2	9.3	8.5	11.3	3.8	3.4	4.8

Source: Ministry of Labour

It is disheartening to note that the number of females receiving vocational training is quite low to just 3.4 and 4.8 percent in rural and urban areas respectively in comparison to males where the respective percentage is 6.2 and 8.2. The skill gap is so glaring and in that situation efforts should be skewed in favour of women for skilling or vocational training but data confirms the opposite.

Table: 2 Education level wise distribution of Work Force

S.No.	Education	Males	Females	Total
1.	Not literates	234	529	317
2.	Below Primary	98	93	97
3.	Primary	154	128	146
4.	Middle	192	110	169
5.	Secondary	138	54	115
6.	Higher Sec.	75	27	61
7.	Diploma/Certificate	14	7	12
8.	Graduate	68	31	58
9.	Post Graduate	21	15	99
	Total	1000	1000	1000

Source: Skill development and productivity of Workforce Sunita & Srija: 2015 CII, Focus of the Month, from NSSO EUS 2011-12

As per the youth employment and unemployment in the report of the labour bureau, Ministry of labour and employment Govt. of India, (2013-14) the employment rate among educated youth is on the rise, for every three graduate persons there is one unemployed. Also it highlights that the women's labour force participation rate is very low, it means that the number of women working or seeking jobs or their availability to job market is low. But unemployment rate is high meaning thereby that number of women not getting jobs inspite of their availability is a very ironical situation that India faces. And the answer to it lies only in skilling and educating its women's folk. Paradoxically there are 15.4 million girls enrolled in higher education, which constitutes 46% of total enrolment. 10 million are in

undergraduate courses from that cohort every year more than 3 million girls pas out from the final year, but are three million jobs available for these girls? Is the main question of concern?

The answers to all the above questions lie only in skilling and imparting vocational training because this demand and supply gap in the job market cannot be explained otherwise. On the one hand when there is a demand in the job market but it is not met by the required work force and on the other hand men and women are unemployed, inspite of being educated.

The Skill gaps need to be filled more so among women whose contribution to labour force is very less but their need to the labour force are paramount.

Some Initiatives :

National Mission for Empowerment of Women (NMEW) under the Ministry of Women and Child development of Government of India has been working effortlessly in the area of women empowerment in coordination with various NGO's and voluntary organisations to empower women to enter the work force and become independent. They offer various livelihoods training Programmes and workshops tailor made for women. NMEW has also created a unique initiative called Naari ki chaupal, to establish spaces for community groups, civil society organisations, and women from various communities to come together, reflect, and create dialogue. These trainings are of great importance for rural women because they provide options for better livelihoods.

MEADOW (Management of Enterprises and development of women)/ MYRADA / Plan international dharampuri project is a great success story which in partenship with local industry, is ensuring jobs and decent incomesfor young women, providing job skills to teenage boys and girls. Some 300 girls from poor families in one of Tamil Nadu's most backward districts,Dharampuri have run their own company with a total earning of Rs. 20 million. Set up in1996 the MYRADA/Plan Dharampuri project, this training centre is a

haven of hope to the youngsters of the area. Girls are given training in Computers and repairing home appliances.

Table No: 3 Specific Skill development Programmes Catering to Women

S. No.	Programme / Scheme	Duration	Quota for women
1	Skill development initiative	1 month to 2 year	at least 30% women participation
2	Craftsman Training Scheme	6 months – 3yrs	School leavers 25% women
3	Training by Coir board on spinning of coir and production of value added products	Long and short term	Rural Women
4	Pandit deendayal upadhyaya gramin kaushalya yojna	3-12 months	33% women in 18-35 yrs age
5	TRIFED- Skill development/ upgradation and capacity building for Handicrafts, Handlooms	45 days	Women educated unemployed drop out youths
6	Support to training and employment Programme for Women(STEP)	Less than 3 weeks	Poor & Asetless women in traditional sectors
7	Priyadarshini scheme to organise women into effective SHG's	Less than 3 weeks	Women
8	SABLA – Rajiv Gandhi Scheme for Empowment of Adolescent Girls	MES Module	Adolescent Girls
9	Skill Upgradation Training Programme for Women in 200 Border/Tribal/ Backward Districts	Not exceeding three months	Women from Sc/St, OBC, Minority, Widow, Economically Backward & Destitutes /Homeless categories
10.	Women Training institutes through 11 institutes spread across the country	Long and short term	Girls 8^{th},10^{th},12^{th} pass

The above mentioned schemes in Table no.3 involve women partially or are specifically for females and girls in addition to other programmes where they can also participate

Some of the Women at work

When women learn a skill it helps them earn an income, which then develop confidence in them and builds their esteem in the eyes of their families and society. **Some of those examplery women of India who have instilled confidence in womanhood and can be emulated as Role models are:** Lalita Gupte, Arnavaz Aga, Dr. Kiran Mazumdar Shaw, Neelam Dhawan, Simone Tata, Shahnaz Husain, Priya Paul- from the field of business, Kalpana Chawla, Romila Thapar- from academics, Shabana Azmi, Mira Nair- from films , Indira Gandhi, Mayawati, Mamta Bannerji, Sushma Swaraj from public life.

The ecosystem of Skill development is complex, large and diverse in India and can be Segmented into 'Education' &'Vocational Training'. The Ministry of Human Resource & Development governs the Elementary, Secondary and Higher education in University & colleges (Arts, Science & Commerce streams). Engineering education, polytechnics etc. fall under Technical education. University Grants Commission (UGC), is the nodal body, governing funds, grants and setting standards for teaching, examination and research in Universities. AICTE is the regulatory body for technical Education in India.

The modes of imparting Skill in India

Skills can be imparted through both Formal and Informal channels. Formal vocational training is imparted by both public and private sector by the govt. run Industrial training institutes (ITI's) and privately operating Industrial Training Centres (ITC's), vocational schools, specialised institutes etc. The nodal agency for Vocational training at the centre is the Director General of Employment & Training (DGET), under the Ministry of labour and Employment. As per the latest survey by the Labour Bureau the formally skilled workforce is less than 3% of the total workforce in India.

The different nodal bodies and modes of imparting skill training in India:

According to the Report on Skill Development in India, FICCI, 2015, (FICCI- KPMG report), the Ecosystem of Skill development in India is classified into:

Key Bodies:

Ministry of Skill development & Entrepreneurship (June, 2014)
Ministry of Human Resource and Development (MHRD)
Ministry of Rural development(MoRD) and
Other Central Ministries

Enablers :

State skill Development mission (SSDM)
NSDC (formed in 2009)
NSDA (state level)
SSCs (set up in 2009)
NCVT(origin in 1956)
SCVT (state level)
Labour laws
Minimum Wages Act
Financial institutions
Apprenticeships Act

Implementing Bodies:

ITI's
Training providers
Captive training by employers

Schools

Universities

Assessment Companies

Beneficiaries:

Marginalised societies

Unemployed youth

Low income group

School and College students

The Ministry of skill development in India, was created in June 2014, with an idea to work in tandem with other ministeries in a unified way and lay down common standards between them and streamline the functioning of different organisations working for skill development. It needs to make broad policies for all other ministeries' skill development initiatives and National Skill Development Council (NSDC).

Institution based skill development and training is provided through: Industrial Training Institutes Vocational Schools/Vocation Education in Schools, Technical Schools, Polytechnics, and Professional Colleges and Universities.

Sectoral Training Schemes of Ministries/Deptts.

Training by enterprises including Apprenticeship training

Training through Sector Skill Councils of the NSDC and private service providers

Training through initiatives of private business, business houses and industry associations

Non-formal training civil society organizations, etc.

Training passed on as a family or community trade

E-learning, web-based learning and distance learning through Government and

Universities

Other major Initiatives proposed in the 12th Plan for skill developmen

Increasing training capacity in Government institutions as well as the private sectorMaking training relevant to job market Setting up the National Skill Development Agency for better coordination of diverse and fragmented training efforts Putting in place the National Vocational Qualification framework for ensuring that vocational qualifications meet quality standards Validating training process through accreditation of training providers/institutions, research and information. Encouraging public-private partnership in skill development on a larger scale Strengthening the National Skill Development Corporation and Sector Skills Councils Extending the outreach to more areas and socially disadvantaged groups Using IT based systems for career planning and opening Career and Counselling Window in Employment Exchanges

Some Specific Target Oriented Skilling Programmes

Aajeevika / National Rural Livelihood Mission Programme Implemented by Ministry of Rural Development the programme is focussed on placement driven skilling of BPL rural youth Parvaaz Implemented by Ministry of Rural Development the programme provides education and skills to minority youth school dropout Himayat Implemented by Ministry of Rural Development this is a placement driven skilling programme for the youth in Jammu and Kashmir

UDAAN Implemented by NSDC, the programme focusses on training students in J&K in retail, IT, BPO, etc. Support to Training and Employment Programme for Women (STEP) Implemented by the Ministry of Woman and Child Development the scheme targets marginalised, asset less women in viable group activities Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana Implemented by Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation the scheme targets BPL population with focus on women and SC/ST beneficiaries for enhancing capacity to undertake self-employment and better salaried employment Skill Development in 34 Districts affected by Left Wing Extremism Implemented by MOLE the programme gives long term and short term skills to youth in LWE afftected districts through newly created ITI s and Skill Development Centres

Challenges

In India the dichotomy between rural and urban area is clearly visible and a huge disparity lies between the rural and urban women their level of competency and level of skills acquired. But first and the foremost, women need to shed the mindset of a subservient

worker and that of a lesser half and instil confidence for being able to move out of the house or shadow of her male counterparts in family. Though to break and move out from the shackles of male hegemony is a real and tough challenge and can be overcome by them only seldom cases otherwise an external help from the society, govt, voluntary organisation is a must.

Women always need to do tough balancing act between home and work. Families are sensitive towards her given traditional roles that have been defines by society and remain to stay. Therefore the family may not necessarily support them all the time in all circumstances. Many Women have become confident but they need to learn newer methods, new technologies in their respective professions, they need to continuously keep themselves updated andto become better and better at every stage. In rural areas particularly the problem of literacy looms large, therefore basic reading writing skills needs to be acquired first.

The attitude towards women and how she should be supported by the family is very important. However this support is missing most of the times therefore it is the duty of the interventionist of various government schemes and voluntary organisations to keep intervening till a ripe ecosystem is created that is gender sensitised at various levels. Moreover the whole mindset needs to be transformed it is not a standalone effort of government or another organisation but people also need to bring that change in their mindsets for this there can be numerous ways to ensure that right people get benefitted from government schemes.

In India, majority of the jobs men suited or perceived to be suitable for men only. Consequently women limit themselves to a few job roles which are stereotyped to be suitable for them. Also they are restrained by their families from seeking challenging job roles, even though they may be competent enough. The corporate sector is therefore at risk of losing their contributions. Therefore here comes the role of not only skilling but also up-skilling and re-skilling women in their respective domains.

About 90 percent of the new jobs created in the Indian economy is in MSME sector. The sector faces a serious talent crunch and therefore the role of women workforce cannot be neglected. Many women leave on account of raising families and responsibilities of tending her children and family, which poses a big challenge to her employers of loosing

an important chunk of workforce.The MSME and corporate sector should make some tailor made policies to take back its women workers after a career break.

Changing workplaces to make them women-friendly begins by transforming the way women are perceived at work by her male colleagues and bosses, this is a challenge which the employer is fraught with and needs to keep in mind while setting expectations. As women bring in unique experience and sets of benefits to the workplace, employers should learn to recognise and value them. There always lies a danger of proxies getting the benefits from various government schemes and programmes and not the women for whom the programme caters to. Therefore ensuring the beneficiaries and their identities is another daunting task with the providers of various schemes and programmes.

Strategies

Gender bias is always encountered at various levels in the society, therefore for a woman to be an entrepreneur or an employee and a manager her own family life could be difficult at times. Gender sensitisation programmes targeting men and old in the family in every nook and corner of society in every sphere is the basic need of the hour. Something as large as MNREGA in the area of gender education and gender sensitisation needs to be launched as an umbrella approach for the entire country with stricter rules of implementation and incentivising it also. Up-skilling and re-skilling also needs to be incorporated for women who have been a part of the workforce but lag behind in comparison to their male counterparts. Women friendly environment and policies like flexible timings, separate washrooms and work from home options will encourage more women to join the workforce.

Conclusion and suggestions

Though at some level skill ecosystem has been created, also with a plethora of policies and programmes skill development has not happened in India. A lot more more is required to be done. Seperate tailor made gender sensitive programmes in every sector and vocation in large numbers is the need of the hour. More allocation of funds are needed and more private partnership is required to raise the levels of skilling women in India. The ecosystem that stands needs to be nurtured more and fed more both in terms of financial and physical resources to take the skill development level higher in case of women. The demand

and supply gap in employment and job market needs to be studied in detail and demand for each sector spelt out clearly by every Ministry/ department of the government and the same should be communicated to the skill development Ministry which can focus on the type of training and programmes so as to design and implement the right kind of programmes to train and skill the youth particularly women youth of India in rightly placing them into the job market timely.

For skilling the women workforce first of all it is very important to improve their education level. After raising their educational level it is important to expose them to quality training and give them acess to various modes of training as per their requirements. For training programmes and workshops apart from tapping government resources and agencies, private players should also be called in either through PPP mode or voluntary organisations working in that area. For bringing in private , corporate and non profit organisation a policy framework and guidelines should be laid down between the partenering bodies. Also Cordination between various stakeholders should be ensured. Also private sector participation should be strengthened. As per the programmes, key performance indicators should be predetermined for getting a clarity and clear focus of the programme.

References

Ahmed, Taufiq, Ambalika Sinha & Rajsh Kr Shastri, (2016), Women Empowerment through Skill Development and Vocational Education, *SMS Journal of Entrepreneurship & Innovation,* Vo II, No 2, June 2016, pp 76-81

Goldin, Claudia (1994), The U Shaped Labour Force Function in economic Development and Economic History, NBER, WP No 4707

Mitra, Amit, (2002), Training & Skill Formation for Decent Work in the Informal Sector: Case Studies from South India, EMP/Skills WP No 8, ILO, March 1, 2002

Report on Fifth Annual on Employment- Unemployment Survey 2015-16, Vol I, GOI, Ministry of Labour & Employment, Labour Bureau, Chandigarh

Report on Education, Skill Development and Labour Force, Vol III, 2015-16, GOI, Ministry of Labour & Employment, Labour Bureau, Chandigarh

Sanghi, Sunita, A Srija and Shirke Shrinivas Vijay, (2015), Decline in Female Labour Work Force Participation in India: A Relook into The Causes, *Vikalpa, The Journal for Decision Makers,* Vol 40 (3), IIM Ahemedabad, Sage Publications, pp 255-268

Sanghi, Sunita, A Srija (2015), Skill Development and the Productivity of the Workforce, *Focus of the Month,* CII, Nov-Dec 2015, pp 36-51

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

THE IMAGE OF MAHATMA GANDHI IN INDIA

ILA RANI SHRIVASTAV
Assistant.Professor English
Govt .P.G BHEL College BHOPAL

"Gandhi" redirects here. For other uses, see
Mohandas Karamchand Gandhi Hindustani: 2 October 1869 30 January 1948) was an Indian activist who was the leader of the Indian independence movement against British rule. Employing nonviolent civil disobedience, Gandhi led India to independence and inspired movements for civil rights and freedom across the world. The honorific Mahâtmâ (Sanskrit: "high-souled", "venerable")applied to him first in 1914 in South Africa is now used worldwide. In India, he is also called Bapu (Gujarati: endearment for father, papa) and Gandhi ji, and unofficially known as the Father of the Nation.

Born and raised in a Hindu merchant caste family in coastal Gujarat, India, and trained in law at the Inner Temple, London, Gandhi first employed nonviolent civil disobedience as an expatriate lawyer in South Africa, in the resident Indian community's struggle for civil rights. After his return to India in 1915, he set about organising peasants, farmers, and urban labourers to protest against excessive land-tax and discrimination. Assuming leadership of the Indian National Congress in 1921, Gandhi led nationwide campaigns for various social causes and for achieving Swaraj or self-rule.

Gandhi famously led Indians in challenging the British-imposed salt tax with

the 400 km (250 mi) Dandi Salt March in 1930, and later in calling for the British to Quit India in 1942. He was imprisoned for many years, upon many occasions, in both South Africa and India. He lived modestly in a self-sufficient residential community and wore the traditional Indian dhoti and shawl, woven with yarn hand-spun on a charkha. He ate simple vegetarian food, and also undertook long fasts as a means of both self-purification and political protest.

Gandhi's vision of an independent India based on religious pluralism, however, was challenged in the early 1940s by a new Muslim nationalism which was demanding a separate Muslim homeland carved out of India.[10] Eventually, in August 1947, Britain granted independence, but the British Indian Empire[10] was partitioned into two dominions, a Hindu-majority India and Muslim-majority Pakistan. As many displaced Hindus, Muslims, and Sikhs made their way to their new lands, religious violence broke out, especially in the Punjab and Bengal. Eschewing the official celebration of independence in Delhi, Gandhi visited the affected areas, attempting to provide solace. In the months following, he undertook several fasts unto death to stop religious violence. The last of these, undertaken on 12 January 1948 when he was 78,[12] also had the indirect goal of pressuring India to pay out some cash assets owed to Pakistan.[12] Some Indians thought Gandhi was too accommodating.[12][13] Among them was Nathuram Godse, a Hindu nationalist, who assassinated Gandhi on 30 January 1948 by firing three bullets into his chest.[13] Captured along with many of his co-conspirators and collaborators, Godse and his co-conspirator Narayan Apte were tried, convicted and executed while many of their other accomplices were given prison sentences.

Childhood

M. K. Gandhi was born in the princely state of Porbandar, which is located in modern-day Gujarat. He was born into a Hindu merchant caste family to Karamchand Gandhi, diwan of Porbandar and his fourth wife, Putlibai. Gandhi's mother belonged to an affluent Pranami Vaishnava family. As a child, Gandhi was

a very naughty and mischievous kid. In fact, his sister Raliat had once revealed that hurting dogs by twisting their ears was among Maohandas' favorite pastime. During the course of his childhood, Gandhi befriended Sheikh Mehtab, who was introduced to him by his older brother. Gandhi, who was raised by a vegetarian family, started eating meat. It is also said that a young Gandhi accompanied Sheikh to a brothel, but left the place after finding it uncomfortable. Gandhi, along with one of his relatives, also cultivated the habit of smoking after watching his uncle smoke. After smoking the leftover cigarettes, thrown away by his uncle, Gandhi started stealing copper coins from his servants in order to buy Indian cigarettes. When he could no longer steal, he even decided to commit suicide such was Gandhi's addiction to cigarettes. At the age of fifteen, after stealing a bit of gold from his friend Sheikh's armlet, Gandhi felt remorseful and confessed to his father about his stealing habit and vowed to him that he would never commit such mistakes again.

Early Life

In his early years, Gandhi was deeply influenced by the stories of Shravana and Harishchandra that reflected the importance of truth. Through these stories and from his personal experiences, he realized that truth and love are among the supreme values. Mohandas married Kasturba Makhanji at the age of 13. Gandhi later went on to reveal that the marriage didn't mean anything to him at that age and that he was happy and excited only about wearing new set of clothes. But then as days passed by, his feelings for her turned lustful, which he later confessed with regret in his autobiography. Gandhi had also confessed that he could no more concentrate in school because of his mind wavering towards his new and young wife.

Education

After his family moved to Rajkot, a nine year old Gandhi was enrolled at a

local school, where he studied the basics of arithmetic, history, geography and languages. When he was 11 years old, he attended a high school in Rajkot. He lost an academic year in between because of his wedding but later rejoined the school and eventually completed his schooling. He then dropped out of Samaldas College in Bhavnagar State after joining it in the year 1888. Later Gandhi was advised by a family friend Mavji Dave Joshiji to pursue law in London. Excited by the idea, Gandhi managed to convince his mother and wife by vowing before them that he would abstain from eating meat and from having sex in London. Supported by his brother, Gandhi left to London and attended the Inner Temple and practiced law. During his stay in London, Gandhi joined a Vegetarian Society and was soon introduced to Bhagavad Gita by some of his vegetarian friends. The contents of Bhagavad Gita would later have a massive influence on his life. He came back to India after being called to the bar by Inner Temple.

Gandhi in South Africa

After returning to India, Gandhi struggled to find work as a lawyer. In 1893, Dada Abdullah, a merchant who owned a shipping business in South Africa asked if he would be interested to serve as his cousin's lawyer in South Africa. Gandhi gladly accepted the offer and left to South Africa, which would serve as a turning point in his political career. In South Africa, he faced racial discrimination directed towards blacks and Indians. He faced humiliation on many occasions but made up his mind to fight for his rights. This turned him into an activist and he took upon him many cases that would benefit the Indians and other minorities living in South Africa. Indians were not allowed to vote or walk on footpaths as those privileges were limited strictly to the Europeans. Gandhi questioned this unfair treatment and eventually managed to establish an organization named 'Natal Indian Congress' in 1894. After he came across an ancient Indian literature known as 'Tirukkural', which was originally written in Tamil and later translated into many languages, Gandhi was influenced by the idea of Satyagraha (devotion to the truth)

and implemented non-violent protests around 1906. After spending 21 years in South Africa, where he fought for civil rights, he had transformed into a new person and he returned to India in 1915.

Gandhi and the Indian National Congress

After his long stay in South Africa and his activism against the racist policy of the British, Gandhi had earned the reputation as a nationalist, theorist and organiser. Gopal Krishna Gokhale, a senior leader of the Indian National Congress, invited Gandhi to join India's struggle for independence against the British Rule. Gokhale thoroughly guided Mohandas Karamchand Gandhi about the prevailing political situation in India and also the social issues of the time. He then joined the Indian National Congress and before taking over the leadership in 1920, headed many agitations which he named Satyagraha.

Freedom and Partition of India

The independence cum partition proposal offered by the British Cabinet Mission in 1946 was accepted by the Congress, despite being advised otherwise by Mahatma Gandhi. Sardar Patel convinced Gandhi that it was the only way to avoid civil war and he reluctantly gave his consent. After India's independence, Gandhi focused on peace and unity of Hindus and Muslims. He launched his last fast-unto-death in Delhi, and asked people to stop communal violence and emphasized that the payment of Rs. 55 crores, as per the Partition Council agreement, be made to Pakistan. Ultimately, all political leaders conceded to his wishes and he broke his fast.

Assassination of Mahatma Gandhi

The inspiring life of Mahatma Gandhi came to an end on 30th January 1948, when he was shot by a fanatic, Nathuram Godse, at point-blank range. Nathuram was a Hindu radical, who held Gandhi responsible for weakening India

by ensuring the partition payment to Pakistan. Godse and his co-conspirator, Narayan Apte, were later tried and convicted. They were executed on 15th November 1949.

Civil rights activist in South Africa (18931914)

In April 1893, Gandhi aged 23, set sail for South Africa to be the lawyer for Abdullah's cousin. He spent 21 years in South Africa, where he developed his political views, ethics and politics.

Immediately upon arriving in South Africa, Gandhi faced discrimination because of his skin colour and heritage, like all people of colour. He was not allowed to sit with European passengers in the stagecoach and told to sit on the floor near the driver, then beaten when he refused; elsewhere he was kicked into a gutter for daring to walk near a house, in another instance thrown off a train at Pietermaritzburg after refusing to leave the first-class.[57][58] He sat in the train station, shivering all night and pondering if he should return to India or protest for his rights.[58] He chose to protest and was allowed to board the train the next day.[59] In another incident, the magistrate of a Durban court ordered Gandhi to remove his turban, which he refused to do. Indians were not allowed to walk on public footpaths in South Africa. Gandhi was kicked by a police officer out of the footpath onto the street without warning.

When Gandhi arrived in South Africa, according to Herman, he thought of himself as "a Briton first, and an Indian second".[62] However, the prejudice against him and his fellow Indians from British people that Gandhi experienced and observed deeply bothered him. He found it humiliating, struggling to understand how some people can feel honour or superiority or pleasure in such inhumane practices. Gandhi began to question his people's standing in the British Empire.

The Abdullah case that had brought him to South Africa concluded in May 1894, and the Indian community organised a farewell party for Gandhi as he prepared

to return to India. However, a new Natal government discriminatory proposal led to Gandhi extending his original period of stay in South Africa. He planned to assist Indians in opposing a bill to deny them the right to vote, a right then proposed to be an exclusive European right. He asked Joseph Chamberlain, the British Colonial Secretary, to reconsider his position on this bill.[55]Though unable to halt the bill's passage, his campaign was successful in drawing attention to the grievances of Indians in South Africa. He helped found the Natal Indian Congress in 1894, and through this organisation, he moulded the Indian community of South Africa into a unified political force. In January 1897, when Gandhi landed in Durban, a mob of white settlers attacked him and he escaped only through the efforts of the wife of the police superintendent. However, he refused to press charges against any member of the mob.

During the Boer War, Gandhi volunteered in 1900 to form a group of stretcher-bearers as the Natal Indian Ambulance Corps. According to Arthur Herman, Gandhi wanted to disprove the imperial British stereotype that Hindus were not fit for "manly" activities involving danger and exertion, unlike the Muslim "martial races".[66] Gandhi raised eleven hundred Indian volunteers, to support British combat troops against the Boers. They were trained and medically certified to serve on the front lines.

REFRENCE-

1. Gandhi, Rajmohan (2006) pp. 13.
2. Jeffrey M. Shaw; Timothy J. Demy (2017). War and Religion: An Encyclopedia of Faith and Conflict. ABC-CLIO. p. 309. ISBN 978-1-61069-517-6.
3. "Gandhi" Archived 14 January 2015 at the Wayback Machine.. Random House Webster's Unabridged Dictionary.
4. McGregor, Ronald Stuart (1993). The Oxford Hindi-English Dictionary.

Oxford University Press. p. 799. ISBN 978-0-19-864339-5. Archived from the original on 12 October 2013. Retrieved 31 August 2013. Quote: (mahâ- (S. "great, mighty, large, ..., eminent") + âtmâ (S. "1.soul, spirit; the self, the individual; the mind, the heart; 2. The ultimate being."): "high-souled, of noble nature; a noble or venerable man."

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के लिए कौन जिम्मेदार?

नन्दनी दास
शोध छात्र
समाज शास्त्र विभाग
बरकातुल्ला विश्वविद्यालय

कब तक सहेंगी महिलाएं इस समाज में जुर्म? क्या इस देश में महिलाओं का कोई स्थान नहीं? क्यों आज की... कब तक सहेंगी महिलाएं इस समाज में जुर्म? क्या इस देश में महिलाओं का कोई स्थान नहीं? क्यों आज की यह मॉडर्न पीढ़ी अपनी सोच नहीं बदलती? महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं इस सदी में महफूज नहीं हैं।

आए दिन महिलाओं पर होने वाले अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा मामले दुष्कर्म के हैं। आज से तीन साल पहले दिल्ली में हुए निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले ने भारत समेत पूरे दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। उस घटना के बाद जिस तरह देश एकजुट होकर न्याय के लिए खड़ा हो गया था, उस समय ऐसा लगा कि मानो देश से इस तरह के अपराध का खात्मा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रोजाना इस तरह के अपराधों में बढ़ोतरी ही दर्ज की गई।

ऐसे में यह लगता है कि इन अपराधों को रोकने का एक ही उपाय है कि हमें महिलाओं के प्रति अपनी सोच को बदलना होगा और उन्हें समाज में बराबर का हक मिलना चाहिए। भारत जैसे देश में कहा जाता है कि %जहां नारियों की इज्जत होती है, वहां भगवान का वास होता है फिर भी यहां पर महिलाओं पर अन्य किसी देश की तुलना में ज्यादा अपराध होता है। समाज के कुछ मनचले ही दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को समाज द्वारा ही सजा देनी चाहिए, क्योंकि कानून से बचने के सारे उपायों को यह जानते हैं। और कानून का उनको कोई डर भी नहीं होता है।

महिलाओं पर बड़ते अत्याचार ¯कौन है जिम्मेदार?

गत 15 जून को टॉमसन-रायटर्स ट्रस्ट लॉ फाऊण्डेशन की शोध-रिपोर्ट ने महिलाओं के लिए सबसे

असुरिक्षत माने जाने वाले देशों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत को चौथा स्थान देकर तहलका मचा दिया था। फाऊण्डेशन के यह सर्वे रिपोर्ट आसानी से गले उतरने वाली नजर नहीं आ रही थी। भला जिस देश में जहां, नर में राम और नारी में सीता देखने की संस्कृति रही हो, नदियों को भी माता कहकर पुकारा जाता हो, भगवान के विभिन्न अवतारों, ऋषि-मुनियों, योगियों-तपस्वियों आदि की क्रीड़ा व कर्म-स्थली रही हो, महिला सशक्तिकरण के लिए दिन-रात एक कर दिया गया हो, संसद में भी तेतीस प्रतिशत महिलाओं को बैठाने की तैयारियां चल रही हों, शीर्ष पद राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री, जिला पार्षद, सरपंच व पंच पदों पर महिलाएं विराजमान हों और हर प्रमुख परीक्षा व क्षेत्र में लड़कियों का वर्स्चव स्थापित हो रहा हो, राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर राखी व रतन के स्वयंवर चल रहे हों, लड़कियां घुड़चड़ी करवा रही हों, तो भला वहां महिलाओं के साथ इतना दुराचार कि उसे दुनिया में चौथा स्थान दिया जाए? इस चौंकाने वाले सर्वे की चीर-फा? शुरू होती, उससे पहले ही देशभर में एक के बाद एक नाबालिग लड़कियों व बेबस महिलाओं के साथ दिल दहलाने वाली शर्मनाक व दरिन्दगी भरे बलात्कार की घटनाओं ने फाऊडेशन की रिपोर्ट पर अपनी मोहर लगा दी और यहां तक सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि शायद यह चौथा स्थान भी कुछ कम तो नहीं है?

भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

भारत में जब से सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई है तब से कई सदियाँ आई और गई, समय ने लोगों की सोच और माहौल दोनों को बदला पर अभी भी महिलाओं पर होती हिंसा में किसी तरह की कमी नहीं आई है। समय महिलाओं पर होती हिंसा का सच्चा गवाह है। समय ने बेबस और लाचार महिलाओं को अलग अलग दुखों (लिंग भेदभाव, शारीरिक शोषण, दमन, छेड़छाड़, निरादर) से गुजरते हुए देखा है। यह वह भारतीय समाज है जहाँ महिलाओं को देवी समान पूजा जाता है जबकि महिलाएं खुद को बेसहारा और बेबस महसूस करती हैं। वेदों में नारी को माँ कहा गया है जिसका मतलब है जो जन्म देने के साथ-साथ लालन पोषण भी करती है। वहीँ माँ इस पुरुष-प्रधान सोच वाले समाज में खुद को दबा कुचला हुआ मानती है।

महिलाएं लगातार हिंसा का शिकार हो रही है। इस हिंसा के कई रूप होते है जैसे घरेलू हिंसा, सार्वजानिक स्थान पर हिंसा, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा इत्यादि। महिलाओं में हिंसा का डर इस कदर घर कर गया है की वे अपने पसंदीदा क्षेत्रों में खुलकर भागीदारी भी नहीं कर पा रहीं हैं। महिलाओं के प्रति होती इस क्रूरता ने उनके दिलों-दिमाग पर गहरा असर डाला है। ऐसा लगता है की अगर समाज से हिंसा को पूरी तरह मिटा भी दिया जाए तब भी शायद महिलाओं के ?हन से हिंसा का नामो-निशान मिटा पाना मुश्किल होगा।

भूमिका

रोज महिलाओं को थप्पड़ों, लातों, पिटाई, अपमान, धमकियों, यौन शोषण और अनेक अन्य हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ता है ।यहां तक कि उनके जीवन साथी या उसके परिवार के सदस्य उनकी हत्या कर देते हैं । इन सबके बावजूद हमें इस प्रकार की हिंसा के परे में अधिक पता नहीं चलता है क्योंकि शोषित व प्रताड़ित महिलाएं इसके बारे में चर्चा करने से घबराती, डरती व झिझकती हैं ।अनेक डॉक्टर्स, नर्सें व स्वास्थ्य कर्मचारी हिंसा को एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचानने में चुक जाते हैं।

यह अध्याय महिलाओं पर घरों में होने वाली हिंसा से संबंधित है ।यह आपको यह समझने में सहायक होगा कि हिंसा क्यों होती है, इसके लिए आप क्या कर सकती हैं तथा अपने समुदाय में परिवर्तन लाने के लिए किस प्रकार कार्यरत हो सकते हैं।

कोई पुरुष महिला को चोट क्यों पहुंचता है ?

महिला को चोट पहुंचाने के लिए के पुरुष अनके बहाने दे सकता है जैसे कि–वह शराब के नशे में था ; वह अपना आपा खो बैठा या फिर वह महिला इसी लायक है ।परंतु वास्तविकता यह है कि वह हिंसा का रास्ता केवल इसलिए अपनाता है क्योंकि वह केवल इसी के माध्यम से वह सब प्राप्त कर सकता है जिन्हें वह एक मर्द होने के कारण अपना हक समझता है।

जब एक पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी की जिन्दगी पर काबू नहीं रहता है तो वह हिंसा का प्रयोग करके दूसरों की जिन्दगी पर नियंत्रण करने का कोशिश करता है ।अगर कोई व्यक्ति सामान्य तरीकों का प्रयोग करके अपने जीवन को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है तो सुमें कोई बुराई नहीं है परंतु यदि वह दूसरों के जीवन पर अपना नियंत्रण ङ्क वह भी हिंसा का प्रयोग कर के ङ्क बनाने की कोशिश करे तो वह सही नहीं है।

महिलाओं के साथ हिंसा के कारण

यहां कुछ ऐसे कारणों की चर्चा की गई है जो यह वर्णित करते हैं कि कुछ पुरुष महिलाओं को चोट क्यों पहुंचाते हैं –

हिंसा काम करती है

किसी कमजोर व्यक्ति के साथ हिंसा में लिप्त होकर एक पुरुष अपनी कुंठाओं से मुक्ति पाने का प्रयत्न करता है। वास्तविक परेशानी को पहचाने या कोई उसका कोई व्यवहारिक समाधान ढूंढने के बजाय, पुरुष हिंसा का सहारा लेकर असहमति को जल्दी से समाप्त करना चाहत है।

किसी पुरुष को ल?ना बेहद रोमांचक लगता है और उससे उसे नई स्फूर्ति मिलती है ।वह इस रोमांच को बार बार पाना चाहता है। अगर कोई पुरुष हिंसा का प्रयोग करता है कि वह जीत गया है और अपनी बात मनवाने का प्रयत्न करता है हिंसा की शिकार, चोट व अपमान से बचने के लिए, अगली स्थिति में, उसका विरोध करने से बचती है ।ऐसे

में पुरुष को और भी शह मिलती है।

पुरुष को मर्द होने के बारे में गलत धारणा है।

अगर पुरुष यह मानता है कि मर्द होने का अर्थ है महिला के उपर पूरा नियंत्रण होना तो हो सकता है कि वह महिला के साथ हिंसा करने को भी उचित माने। कुछ पुरुष यह समझते हैं कि मर्द होने के कारण उन्हें कुछ चीजों का हक है जैसे कि अच्छी पत्नी, बेटों की प्राप्ति, परिवार के सारे फैसले करने का हक।

पुरुष के लगता है कि महिला उसकी है या उसे वह चाहिए।

यदि महिला सशक्त है तो पुरुष को यह लग सकता है कि वह उसे खो देगा या महिला को उसकी जरुरत नहीं है । वह कुछ ऐसे कार्य करगे जिससे महिला उस पर अधिक निर्भर हो जाए। उसे अन्य किसी और तरीके के व्यवहार करना आता ही नहीं है (सामाजिक अनुकूलन) अगर पुरुष ने अपने पिता या अन्य लोगों के तनाव व परशानी की स्थिति में हिंसा का सहारा लेते हुए देखा है तो केवल ऐसा व्यवहार करना ही सही लगता है ।उसे कोई अन्य व्यवहार करना ही सही लगता है ।उसे कोई अन्य व्यवहार का पता ही नहीं है।

हिंसा के हानिकारक प्रभाव

हिंसा केवल महिलाओं को ही चोट नहीं पहुंचती है, यह उनके बच्चों व पुरे समाज को प्रभावित करती है7

महिलाओं में, पुरुष की हिंसा के ये परिणाम हो सकते हैं

ङ्क. प्रेरित होने की भावना तथा आत्मसम्मान में कमी।

2. मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कि चिंता, घबराहट, अवसाद, भोजन व नींद संबंधित समस्याएं ।हिंसा का सामना करने के लिए कोई महिला अपनी सम्पूर्ण पहचान को बदलने का पयत्न करने लगती हैं ।हिंसा से बचने के लिए वह अपने पहले व्यक्तित्व की छाया मात्र रह जाती है तथा अपने उपर लगाए गए झूठे आरोपों को विरोध भी नहीं करती है । वह अपने छोटी छोटी खुशियों से भी स्वयं को वंचित रखने लगती है, घर परि वार वालों व मित्रों से संबंध तोड़ने लगती है तथा एकाकीपन व अपराध बोध में शरण लेने लगती है । उसे नशीली दवाईयों और शराब की आदत पड़ सकती है या वह अनेक पुरुषों से यौन संबंध बना बैठती है।

3. वह गंभीर चोटों व दर्द, हड्डियों के टूटने जलने, कट शरीर पर नीले दागों, सिर दर्द, पेट दर्द व मांसपेशियों में दर्द आदि से पीड़ित हो सकती है जो प्रताड़ना के बाद लंबे समय तक रह सकते हैं।

4. यौन स्वास्थ्य की समस्याएं । गर्भावस्था के दौरान पिटाई से गर्भपात भी हो सकता है ।यौन उत्पीडन के कारण वे अवांछित गर्भ, यौन संचारित रोग या एच.आई.वी./एड्स का भी शिकार हो सकती हैं ।यौन

उत्पीडन के कारण प्राय: यौन संबंधों में अनिच्छा, दर्द व भय उत्पन्न हो सकता है।

क्यों रहती हैं महिलाएं उन पुरुषों के साथ जो उन्हें चोट पहुंचाते हैं ?

जब लोग किसी पुरुष के हाथों एक महिला के उत्पीडन व हिंसा के बारे में सुनता हैं तो उनका पहला प्रश्न अकसर यह होता है, वह उसे छोड़ क्यों नहीं देती ? अनेक ऐसे कारण हो सकते हैं जो महिला को इस प्रकार के घुटनकारी व उत्पीडन युक्त जीवन संबंधों को जारी रखने के लिए मजबूर कर देते हैं ।

इनमें ये सब सम्मिलित हैं।

1. भय व धमकियां : पुरुष ने उसे यह धमकी दी हो सकता है , अगर तुम यहां से गई तो में तुम्हें, बच्चों और तुम्हारी मां को जान से खत्म कर दूंगा। महिला के ऐसा लग सकता है कि वह वहां रह कर वह सब कर रही है जिससे उसकी व अन्य लोगों की जान की रक्षा हो सके।
2. पैसे व स्थान का अभाव : महिला के पास न तो पैसा ही हो और न ही कहीं जाने का ठिकाना ।यह विशेषत: उन स्थितियों में और भी सत्य होता हैं जहां पैसे पर पुरुष का सम्पूर्ण नियंत्रण हो और उसने उसके रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मिलने पर रोक लगा राखी हो।
3. शिक्षा व दक्षता की कमी : इन की कमी के करण वह कोई रोजगार पाने में असमर्थ हो सकती है जिससे वह अपना व बच्चों को पाल पोस सके।
4. सुरक्षा का अभाव : महिला के पास पुरुष की हिंसा और चोटों व मौत से बचने की कोई सुरक्षा न हो।
5. शर्म : हो सकता है कि उसे यह लगे कि हिंसा उसकी स्वयं की वजह से हो रही है और वह इसी लायक है।

हिंसा के दौरान सुरक्षा

1. अगर आपको लग रहा है कि वह (पुरुष) हिंसक होने ही वाला है तो यह सुनिश्चित करें कि हिंसात्मक कार्यवाई ऐसे स्थान पर हो जहां कोई हथियार अथवा वस्तु न हो जिनसे वह आपको नुक्सान पहुंचा सके या जहां से आप जल्दी से भाग सकें।
2. अपनी निर्णय लेने की योग्यता का सर्वोतम प्रोयग करें ।जो आवश्यक हो वह करें जिससे आप उसे शांत कर सकें तथा आप व आपके बच्चे सुरक्षित रहें।
3. यदि आपको उस स्थान से दूर भागने की आवश्यकता हो तो इसके बारे में सोचिए ।सोचिए कि आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन से होगी।
4. महिला के घर छोडकर जाने की स्थिति में सुरक्षा

5. पैसा तो हर स्थिति में बचाईए ।इस पैसे को घर से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर या बैंक में अपने नाम के खाते में रखें ताकि आप अधिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। घर छोड़ने वाली महिलाओं के लिए सेवाएं

स्थापित करें

महिलाओं के लिए ऐसी परामर्श (काउंसलिंग) सेवाएं व आश्रय गृह स्थापित करें जिन्हें वे आवश्यकता पड़ने पर शीघ्रातिशीघ्र प्रयोग कर सकें।

अन्य लोगों–विशेषकर बड़े व अधिक शक्तिशाली संगठनों से समर्थन प्राप्त करें । उदहारण के लिए यह देखें कि क्या आपके देश में स्वस्थ्य संस्थाओं का एक ऐसा नेटवर्क है जो सहायता कर सके । आप समुदाय के ऐसे माननीय सदस्यों से भी इस विषय पर चर्चा कर सकती है जिन पर आप विश्वास करती हैं ।आपने साथ, जितने लोग हो सके, इस कार्य में लगाएं।

महिलाओं को कानून में दिए गए उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दें । परिवारों व हिंसा से संबंधित ऐसे कानून हो सकते हैं जिन्हें महिलाएं प्रयोग कर सकती है ।भारत में ऐसी महिलाओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है जो पैसा नहीं दे सकती है । महिलाओं को नई दक्षताओं में प्रसिक्षण देने के साधन खोजिए ताकि उत्पीडित महिलायें, आवश्यकता पड़ने पर, अपनी गुजर बसर कर सकें।

सन्दर्भ–:

1. कात्यायन द्वारा वर्त्तिका, 125, 2477
2. ? पतंजलि द्वारा अष्टध्यायी के लिए टिप्पणियां 3.3.21 और 4.1.14
3. ? आर.सी. मजूमदार और ए.डी. पुसल्कर (संपादक)=भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति. वॉल्यूम द्ब, वैदिक युग. मुंबई=भारतीय विद्या भवन 1951, पी.394

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

प्राकृतिक आपदाओं बाढ़, चक्रवात, कृषि सूखा, भूस्खलन, भूकंप तथा दावाग्नि विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ.संतोष धुर्वे
ऐसोशियेट प्रोफेसर
समाज शस्त्र विभाग
चन्द विजय महाविधालय

आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम

भू जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत पारंपरिक रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है। यहां पर बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप तथा भूस्खलन की घटनाएं आम हैं। भारत के लगभग 60त्न भू भाग में विभिन्न प्रबलताओं के भूकंपों का खतरा बना रहता है। 40 मिलियन हेक्टेर से अधिक क्षेत्र में बारंबार वाढ़ आती है। कुल 7,516 कि.मी. लंबी तटरेखा में से 5700 कि.मी. में चक्रवात का खतरा बना रहता है। खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 68त्न भाग सूखे के प्रति संवेदनशील है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी व पश्चिम घाट के इलाकों में सुनामी का संकट बना रहता है। देश के कई भागों में पतझड़ी व शुष्क पतझड़ी वनों में आग लगना आम बात है। हिमालयी क्षेत्र तथा पूर्वी व पश्चिम घाट के इलाकों में अक्सर भूस्खलन का खतरा रहता है।

भू जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत पारंपरिक रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है। यहां पर बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप तथा भूस्खलन की घटनाएं आम हैं। भारत के लगभग 60त्न भू भाग में विभिन्न प्रबलताओं के भूकंपों का खतरा बना रहता है। 40 मिलियन हेक्टेर से अधिक क्षेत्र में बारंबार वाढ़ आती है। कुल 7,516 कि.मी. लंबी तटरेखा में से 5700 कि.मी. में चक्रवात का खतरा बना रहता है। खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 68त्न भाग सूखे के प्रति संवेदनशील है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी व पश्चिम घाट के इलाकों में सुनामी का संकट बना रहता है। देश के कई भागों में पतझड़ी व शुष्क पतझड़ी वनों में आग लगना आम बात है। हिमालयी क्षेत्र तथा पूर्वी व पश्चिम घाट के इलाकों में अक्सर भूस्खलन का खतरा रहता है।

आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम के तहत देश में प्राकृतिक आपदाओं के कुशल प्रबंध के लिए अपेक्षित आंकड़ों व सूचनाओं को उपलब्ध कराने के वास्ते इसरो द्वारा वांतरिक्ष स्थापित आधारभूत संरचनाओं से प्राप्त सेवाओं

का इष्टतम समायोजन किया जाता है। भू-स्थिर उपग्रह (संचार व मौसम विज्ञान), निम्न पृथ्वी कक्षा के भू-प्रेक्षण उपग्रह, हवाई सर्वेक्षण प्रणाली और भू-आधारित मूल संरचनाएं आपदा प्रबंधन प्रेक्षण प्रणाली के प्रमुख घटक हैं। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग केन्द्र (एन आर एस सी) में स्थापित निर्णय सहायता केन्द्र में बाढ़, चक्रवात, कृषि सूखा, भूस्खलन, भूकंप तथा दावाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए कार्यकारी स्तर पर निगरानी का काम चल रहा है। निर्णय में सहूलियत के लिए संबंधित व्यक्तियों को लगभग वास्तविक काल में वांतरिक्ष प्रणालियों द्वारा तैयार की गई सूचनाएं वितरित की जाती हैं। उपग्रह चित्रों के प्रयोग द्वारा तैयार अधिमूल्य उत्पादों द्वारा आपदा से निपटने की तैयारी, पूर्व चेतावनी, प्रतिक्रिया, राहत, बेहतर पुर्नवास तथा रोकथाम जैसे आपदा प्रबंधन के सभी चरणों के लिए अपेक्षित सूचना? पाने में मदद मिलती है।

बाढ़

विश्वभर में सर्वाधिक बाढ़ के खतरों का सामना कर रहे देशों में भारत का भी नाम आता है। भारत की लगभग सभी नदी बेसिनों में बाढ़ आती है। देश के 35 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में से 22 में बाढ़ आती है। इस कारण 40 मिलियन हेक्टेयर इलाके अर्थात देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग आठवें भाग में बाढ़ का खतरा बना रहता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तथा बुनियादी सुविधाओं को पहुँची क्षति के आकलन द्वारा निर्णयकों को राहत कार्यों की योजना बनाने में मदद मिलती है। उपग्रह आधारित चित्र विशाल क्षेत्र दर्शाते हैं। अत:, वे बाढ़ग्रस्त इलाकों के विस्तार के मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ उपादान सिद्ध होते हैं। जैसे ही बाढ़ की सूचना प्राप्त होती है, तुरंत सर्वप्रथम उपलब्ध उपग्रह को बाढ़ग्रस्त इलाकों के सीमांकन के लिए नियोजित किया जाता है। इसके लिए प्रकाशीय व सूक्ष्मतरंग, दोनों प्रकार के उपग्रह आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। बाढ़ प्रभावित गांवों व परिवहन नेटवर्क के अलावा बाढ़ में डूबे व बाढ़ से अछूते इलाकों को विभिन्न रंगों से दर्शाते बाढ़ मानचित्र तैयार कर केन्द्र/राज्य की संबंधित एजेंसियों को वितरित किए जाते हैं। विभिन्न बाढ़ग्रस्त इलाकों के ऐतिहासिक आंकड़ों का प्रयोग कर बाढ़ के खतरे वाले इलाकों का सीमांकन किया जा रहा है। असम व बिहार राज्य में जिले के स्तर पर इस प्रकार के खतरों को दर्शाने वाला एटलस तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा हवाई सर्वेक्षणों, मौसम के पूर्वानुमान तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मौके पर ली गई सूचनाओं को संयोजित कर तैयार की गई नदी रूपाकृति द्वारा बाढ़ का पूर्वानुमान लगने की पद्धति विकसित कर कार्यकारी बनाई जा रही है।

कब सीखेंगे हम आपदा प्रबंधन की तकनीक

आपदाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक विपदाओं में भूकंप, समुद्री तू?ान, सूनामी, बा?, भूस्खलन, ज्वालामुखी जैसी आपदाएं हैं, वहीं मानव निर्मित आपदाओं में हवाई, रेल या रोड दुर्घटनाएं, महामारी का फैलना, औद्योगिक दुर्घटनाएं, आतंकी हमले, रेडियो या नाभकीय विकीरण जैसी आपदाएं हैं। इन सभी आपदाओं के लिए विकसित राष्ट्रों में राष्ट्रीय नीति बनाई जाती है और उसे ब?ी गंभीरता से क्रियान्वित किया जाता है।

आपदा प्रबंधन को मुख्यतः चार चरणों में बांटा जाता है। प्रथम चरण होता है आपदा की रोकथाम। इस सिलसिले में प्रयास होता है कि प्रत्याशित आपदा की पूर्व सूचना से क्षेत्र को जल्द से जल्द सचेत किया जाय जिससे जन हानि को कम से कम किया जा सके। दूसरा चरण होता है आपदाओं से निपटने की तैयारी।

इस चरण में दुर्घटना घटते ही त्वरित सूचना सभी संबंधित विभागों तक पहुंचाई जाती है, आपातकालिक स्थिति में प्रतिक्रिया का समय कम से कम हो इसलिए आपदा से निपटने के साधनों का पर्याप्त भंडारण किया जाता है। तीसरा चरण होता है प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री पहुंचाना, जैसे भोजन पानी, दवाइयां, कप?, कम्बल इत्यादि। अंतिम चरण होता है प्रभावित क्षेत्र का पुनर्निर्माण और विस्थापितों का पुनर्वास।

यहां हम जापान की चर्चा करना चाहेंगे जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संसार के सभी देशों से बहुत आगे है। जापान पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ भूकंप, सूनामी, ज्वालामुखी जैसी विपदाएं आए दिन आती रहती हैं। आपदा प्रबंधन की दिशा में इस देश ने सर्वाधिक कार्य किया है। प्रत्येक वर्ष एक सितम्बर को आपदा रोकथाम दिवस मनाया जाता है तथा तीस अगस्त से पांच सितम्बर तक पूरे देश में आपदा प्रबंधन सप्ताह मनाया जाता है जिसमे आपदा प्रबंधन मेला, संगोष्ठी, पोस्टर प्रतियोगिता आदि आयोजित किए जाते हैं ताकि आम जनता में आपदाओं से निपटने के लिए चेतना और ज्ञान का प्रसार किया जा सके। कई जापानी स्कूलों में पहले दिन ही भूकंप की स्थिति में बच्चों से भवन खाली करने की ड्रिल कराई जाती है। जापान के प्रधानमंत्री स्वयं आपदा रोकथाम ड्रिल में शामिल होते हैं। जापान की भूकंप और सूनामी की चेतावनी देने वाली प्रणाली अत्याधुनिक है। सूनामी की गति, स्थिति, ऊंचाई आदि जानकारी कुछ ही क्षणों में रहवासियों को उपलब्ध करा दी जाती है ताकि सूनामी तट पर पहुंचने से पहले ही सारे रहवासी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें।

जापान के कई तटों पर सूनामी रोधी भवन बनाए गए हैं ताकि लोग आपात स्थिति में उन भवनों में शरण ले सकें। भूकंप रोधी भवन बनाने का विज्ञान भी जापान में सबसे ज्यादा विकसित है। जापान की आपदा प्रबंधन प्रणाली बहुत ही सुपरिभाषित है। इस प्रणाली में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां पूरी बारीकियों के साथ वर्णित हैं।

आपदा के वक्त सरकारी हों या निजी सारे संगठन साथ जुट जाते हैं और इसे नेतृत्व मिलता है स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय से क्योंकि आपदा प्रबंधन का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ब? समन्वय और तालमेल के साथ आपदा से निपटा जाता है। हर आपदा के बाद नीतियों की फिर से समीक्षा कर संशोधित किया जाता है और उनकी खामियों को दूर किया जाता है। इस सब विवरण से आप हम सभी निश्चय ही सहमत होंगें कि भारत को आवश्कता है कि जापान के अनुभवों और नीतियों से अपनी नीतियों का निर्धारण करे। हवाई सर्वेक्षण का फैशन मेरे अनुमान से केवल भारत में ही

है अन्यथा कई देशों में विपदाओं के समय मंत्री हो या संत्री सारे राहत कार्यों में जुट जाते हैं। हमारा सरकारी तंत्र चैन की नींद में था जब उत्तराखण्ड में देश के नागरिक सैलाब में बह रहे थे। इसी तंत्र की मुस्तैदी भी हमने देखी है जब सरकार गिरने वाली हो तो यह तंत्र चौवीसों घंटे अनथक अपने मालिकों की सेवा में लगा रहता है।

काश कि ऐसी सेवा समय रहते हमारे साथी नागरिकों को मिल जाती। आज हमारे पास संचार साधनों का इतना ब?ा नेटवर्क है और लगभग हर नागरिक के पास मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है। आपदा विभाग को केवल समय रहते उस क्षेत्र के मोबाइल उपभोक्ताओं को सन्देश भेजने हैं, आने वाली सूनामी, बा? या तू?ान के बारे में और सलाह देनी है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए। तब हम ब?ी जनहानि से बच सकते हैं। जापान ने आपदा दर आपदा अपने प्रबंधन को सुदृ? किया है।

भारत में आपदाओं के प्रकार और उनका प्रसार

भूकंप पृथ्वी के क्रस्ट में विशाल चट्टानों के रूप में मौजूद विवर्तनिक प्लेटों के बीच आंतरिक दबाव में वृद्धि के कारण होता है जिसकी वजह से वे टूटने लगते और भूकंप की वजह से जमीन हिलने लगती है। यदि भूकंप की तीव्रता अधिक होती है तो यह इमारतों, घरों, पुलों आदि को तोड़ देती है जिससे जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है। कम तीव्रता वाले हल्के भूकंप के अलावा, व्यापक एवं विनाशकारी भूकंप उत्तरकाशी (1991), लातूर (1993), जबलपुर (1997) आदि देश के विभिन्न हिस्सों में आ चुके हैं।

गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, भूकंप, बारिश और मानव द्वारा निर्मित कृत्यों की वजह से चट्टानों के फिसलने के कारण भूस्खलन होता है।

वर्षा की मात्रा में कमी होने की वजह से सूखा पड़ जाता है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है ङ्क मौसम विज्ञान से संबंधित, जल विज्ञान एवं कृषि से संबंधित। देश में 16 प्रतिशत क्षेत्र में सूखे का खतरा मंडरा रहा है। पहले ही 1941, 1951, 1979, 1982 एवं 1987 में देश गंभीर सूखे के दौर से गुजर चुका है। खास तौर पर देश के उत्तरी-पश्चिमी भाग ज्यादातर सूखा ग्रसित रहे हैं।

भारत में प्राकृतिक आपदाओं के अभी हाल के उदाहरण

2005 में भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में आई बाढ़ ने पूरे शहर को अस्त-व्यस्त कर दिया।

2008 में बिहार के सैकड़ों गांवों में कोसी नदी का सैलाब आया जिसमें गांव के गांव जलमग्न हो गए।

अगस्त 2010 में जम्मू-कश्मीर के लेह में बादल फटने के कारण लगभग 113 लोग मारे गए।

2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की वजह से 9.3-परिमाण का भूकंप आया था।

2013 में उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से जबरदस्त तबाही मची थी और हजारों लोगों की मौत हो गई थी।

आपदाओं के मानव निर्मित कारण

विकास और शहरीकरण के नाम पर अंधाधुंध परियोजनाएं चल रही हैं और इन सब से पर्यावरण को अकल्पनीय क्षति पहुंच रही है। बिजली, पानी, पर्यटन और विकास के नाम पर पहाड़ियां क्षतिग्रस्त की जा रही हैं और पठारों में वन समाप्त हो रहे हैं। खनिजों के लिए प्रकृति का अत्यधिक दोहन हो रहा है और मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा इन सभी उपायों के बावजूद, प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए जागरूकता पहली शर्त है जिससे राहत पहुंचाने वाली एजेंसियों को प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल उपयोग में लाया जा सके। अगर लोगों में आपदा के प्रति जागरूकता नहीं है तो भयानक विनाश राहत पहुंचाने के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। आपदा क्षेत्रों में लोगों को बचाव के लिए जरूरी बुनियादी जानकारी देकर जहां तक संभव हो सके आपदाओं की वजह से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। समुचित संचार-व्यवस्था, ईमानदार और प्रभावी नेतृत्व, नियोजन एवं समन्वय, आदि आपदा प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

प्राकृतिक आपदा पर लेख

लेख

भारत में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूकंप आदि से व्यापक क्षति होती रही है। आपदा प्रबंधन बहुआयामी, बहु-अनुशासनात्मक और क्षेत्रीय दृष्टिकोण, जिसमें इंजीनियरिंग, सामाजिक और वित्तीय आदि सभी प्रक्रियाओं का समावेश हो, को अपनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। दुर्भाग्य से भारत का आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है।

प्राकृतिक आपदाओं को होने से तो रोका नहीं जा सकता क्योंकि वे उसी प्राकृतिक वातावरण का हिस्सा है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो सके हम लोगों एवं उनकी संपत्तियों पर पड़ने वाले इन प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए समाज के विभिन्न स्तरों पर एहतियाती कदम उठा सकते हैं। यहाँ हम आपको विभिन्न शब्द सीमाओं जैसे कि 300, 500, 600 और 800 शब्दों के लेख प्रदान कर रहे हैं जिनमें से आप अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी लेख का चयन कर सकते हैं।

प्राकृतिक आपदाएं पर लेख

पर्यावरण को लगातार क्षति पहुंचने की वजह से पूरी दुनिया प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त है और इसलिए हमें तत्काल इनसे बचाव के तरीकों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा। भारत और अन्य देश पूरी दुनिया में हो रहे पर्यावरण असंतुलन का मूल्य चुकाने को मजबूर हैं और इन देशों में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जीवन और संपत्ति की व्यापक हानि हो रही है।

जागरूकता जरूरी

वैसे तो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ रही है लेकिन वास्तविकता में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और इस वजह से हालात नहीं बदल रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर ज्यादातर मौखिक रूप से चिंता का प्रदर्शन एवं बयानबाजी ही होती रही है। भारत में भी पर्यावरण असंतुलन बढ़ती हुई चिंता का विषय है और यहां भी पर्यावरण असंतुलन को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयास अपर्याप्त ही साबित हो रहे हैं।

मानव निर्मित कारणों से बढ़ रहा है खतरा

मानव निर्मित कारणों से भी पर्यावरण का असंतुलन बढ़ रहा है। जनसंख्या में हो रही बेतहाशा वृद्धि की वजह से मानुष्यों की जरूरत बढ़ी हैं और उनमें उपभोक्तावादी प्रवृति बढ़ी है। इन दोनों ही वजहों से प्राकृतिक संसाधनों पर असर पड़ा है। पेड़ों को काटना, खनिज पदार्थों के लिए खानों का दुरुपयोग एवं वायुमंडलीय प्रदूषण पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा हैं। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि करने में इन सभी कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

पानी की बढ़ती जरूरत लगातार भू–जल के स्तर को कम कर रही है और साथ ही औद्योगिक विषाक्त सॉल्वैंट्स को नदियों में बहाया जा रहा है जिससे हमारा जल दूषित हो रहा है। कारखानों और वाहनों से लगातार निकलता गंदा धुआं एवं ग्रीनहाउस गैस वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति अगर लगातार चलती रही तो पृथ्वी पर प्राणियों का जीवन दूभर हो जाएगा।

निष्कर्ष

प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सतत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हरेक परियोजना के पर्यावरण संबंधी चिंताएं सभी विकास परियोजनाओं के केंद्र में होनी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए उपग्रहों से मिलने वाले डाटा का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है। संवेदनशील क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए स्थायी तंत्र का विकास करना चाहिए।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार

प्राकृतिक आपदाएं कई प्राकृतिक खतरों जैसे कि हिमस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी, तूफ़ान, बर्फ के तूफान, सूखा आदि के रूपों में प्रकट होती हैं। ये आपदाएं असहनीय विनाश करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रति मानवों की अपर्याप्त तैयारी, उचित योजना का आभाव एवं आपदा प्रबंधन की कमी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न संकटों को और बढ़ा देता है। जब भी किसी प्राकृतिक आपदा का हमला होता है पृथ्वी पर जीवन को अकल्पनीय क्षति पहुंचती है और सब कुछ एक पल में नष्ट कर देता है।

भारत में आपदा प्रबंधन

प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मानवीय प्रतिक्रियों के दौरान उचित योजना एवं आपातकालीन प्रबंधन की

आवश्यकता है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के बाद इनसे निपटने के लिए तैयारी की कमी बार-बार दृष्टिगोचर हुई है। वर्ष 2013 में जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तो वहां कोई भी आपदा प्रबंधन की योजना लागू नही हो पाई भी। इस तथ्य के बावजूद कि पहाड़ी इलाके हमेशा प्राकृतिक आपदाओं के खतरे से घिरे रहते हैं, राज्य सरकारों ने कोई पर्याप्त तैयारी प्रदर्शित नहीं की है। मार्च 2013 में पेश एक नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो 2007 में बनाई गई थी, ने 2008 से 2012 के बीच प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसी भी उपचारात्मक उपायों को लागू करने के लिए सुझावों एव उपायों के लिए कोई मीटिंग नहीं की। सीएजी की रिपोर्ट ने भी राज्य आपदा राहत निधि के उपयोग में व्यापक अनियमितताओं की ओर भी इशारा किया।

प्राकृतिक आपदाओं से कैसे निपटें?

जबरदस्त वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के बावजूद हमें वास्तव में यह पता नहीं चल पाता कि कब एवं कहां कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हम इसे रोक नहीं सकते। लेकिन कुछ तैयारियों के द्वारा इनके प्रभावों को कम किया जा सकता है और साथ ही जीवन एवं संपत्ति के नुकसान को कुछ हद तक कम करने में कामयाबी हासिल की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर जैसा कि हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग सभी समस्याओं की जड़ है और इसलिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए एक अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकासी के लिए भी प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा भूकंपरोधी भवनों का निर्माण हो इस दिशा में मजबूत प्रयास किया जाना चाहिए।

किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद, फिर से जीवन का पुन-निर्माण करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। लोगों को बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, भीषण आग या किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा की घटना के बाद उन्हें नुकसान के एवज में अपने मकान और सामान के लिए पहले से ही व्यापक बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

भारत में आपदाओं के प्रकार और उनका प्रसार भूकंप पृथ्वी के क्रस्ट में विशाल चट्टानों के रूप में मौजूद विवर्तनिक प्लेटों के बीच आंतरिक दबाव में वृद्धि के कारण होता है जिसकी वजह से वे टूटने लगते और भूकंप की वजह से जमीन हिलने लगती है। यदि भूकंप की तीव्रता अधिक होती है तो यह इमारतों, घरों, पुलों आदि को तोड़ देती है जिससे जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है। कम तीव्रता वाले हल्के भूकंप के अलावा, व्यापक एवं विनाशकारी भूकंप उत्तरकाशी (1991), लातूर (1993), जबलपुर (1997) आदि देश के विभिन्न हिस्सों में आ चुके हैं।

निष्कर्ष

प्राकृतिक संसाधनों का शोषण पर्यावरण असंतुलन का कारण है और यह प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति

को बढ़ाने में अपना बढ़-चढ़कर योगदान दे रहे हैं। प्रकृति के अनैतिक शोषण के परिणामस्वरूप हमारे देश के कुछ भागों में बाढ़ आती है, जबकि कुछ हिस्से सूखे से पीड़ित हो जाते हैं। शहरीकरण और औद्योगीकरण में वृद्धि की वजह से जल संसाधनों का अनुचित दोहन हो रहा है। साथ ही इनसे पानी का संक्रमण भी हो रहा है और भू-जल स्तर में कमी आ गई है। शहरों के धीरे-धीरे कंक्रीट के जंगलों में परिवर्तित होने की वजह से भूजल का धरती में पुनर्भरण नहीं हो पा रहा है। शहरों में, कचरे को बिना साफ किए जहां-तहां फेंक दिया जा रहा है जिस वजह से बड़े पैमाने पर कचरे का संचय हो गया है। इस प्रकार हम अपनी लालच की वजह से प्रकृति के संतुलन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आवश्यकता यह है कि हम प्रकृति के साथ सद्भाव के साथ विकास करें, अन्यथा प्रकृति की अनदेखी करके, अन्ततः हम अपने विनाश की कहानी खुद ही लिखेंगे।

भारत में प्राकृतिक आपदाओं के अभी हाल के उदाहरण

2005 में भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में आई बाढ़ ने पूरे शहर को अस्त-व्यस्त कर दिया।

2008 में बिहार के सैकड़ों गांवों में कोसी नदी का सैलाब आया जिसमें गांव के गांव जलमग्न हो गए।

अगस्त 2010 में जम्मू-कश्मीर के लेह में बादल फटने के कारण लगभग 113 लोग मारे गए।

2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की वजह से 9.3-परिमाण का भूकंप आया था।

2013 में उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से जबरदस्त तबाही मची थी और हजारों लोगों की मौत हो गई थी।

आपदाओं के मानव निर्मित कारण

विकास और शहरीकरण के नाम पर अंधाधुंध परियोजनाएं चल रही हैं और इन सब से पर्यावरण को अकल्पनीय क्षति पहुंच रही है। बिजली, पानी, पर्यटन और विकास के नाम पर पहाड़ियां क्षतिग्रस्त की जा रही हैं और पठारों में वन समाप्त हो रहे हैं। खनिजों के लिए प्रकृति का अत्यधिक दोहन हो रहा है और मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं।

भारत में आपदा प्रबंधन

देश में आपदाओं से निपटने एवं उन्हें कम करने के लिए तथा एक वंचित संस्थागत तंत्र के तहत पीड़ितों के पुनर्वास के लिए संसद द्वारा आपदा प्रबंधन विधेयक 28 नवम्बर, 2005 को अनुमोदित किया गया था। इस विधेयक को 23 दिसम्बर, 2005 में अधिनियमित किया गया था। इसके तहत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना का प्रावधान है। इसमें संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का भी प्रावधान है। साथ ही, इसमें आपातकालीन कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने का तथा प्रशिक्षण और क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान बनाने का भी प्रस्ताव है। इस

अधिनियम में एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि तथा राज्य और जिला स्तरों पर भी समान कोषों के गठन का प्रावधान है।

परकार द्वारा इन सभी उपायों के बावजूद, प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए जागरूकता पहली शर्त है जिससे राहत पहुंचाने वाली एजेंसियों को प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल उपयोग में लाया जा सके। अगर लोगों में आपदा के प्रति जागरूकता नहीं है तो भयानक विनाश राहत पहुंचाने के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। आपदा क्षेत्रों में लोगों को बचाव के लिए जरूरी बुनियादी जानकारी देकर जहां तक संभव हो सके आपदाओं की वजह से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। समुचित संचार–व्यवस्था, ईमानदार और प्रभावी नेतृत्व, नियोजन एवं समन्वय, आदि आपदा प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, अन्य बातों के साथ, राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और सचिवों की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) के अंतर्गत एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की स्थापना का प्रावधान करता है।

कार्य

एनडीएमए को सौंपे गए कार्य और दी गई जिम्मेदारियां नीचे संक्षेप में सूचीबद्ध हैं :

(क) आपदा प्रबंधन पर नीतियों का निर्धारण करना;

(ख) राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन करना और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार योजनाओं को मंजूरी देना;

(ग) राज्य द्वारा योजनाओं को तैयार करने के लिए राज्य के अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों का निर्धारण करना;

(घ) आपदा की रोकथाम के लिए उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से या उनके प्रभावों का शमन करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनके विकास योजनाओं और परियोजनाओं के लिए लागू किए जाने वाले दिशा–निर्देशों का निर्धारण करना;

(ङ) आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिए तालमेल करना;

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

"Chaucer" redirects here For other uses, see Chaucer (disambiguation)

Shalini Tiwari
Assistant Professor English
Govt.PG College
BHEL.Bhopal

Geoffrey Chaucer, known as the Father of English literature,[1] is widely considered the greatest English poet of the Middle Ages. He was the first poet to be buried in Poets' Corner of Westminster Abbey.

While he achieved fame during his lifetime as an author, philosopher, and astronomer, composing a scientific treatise on the astrolabefor his ten-year-old son Lewis, Chaucer also maintained an active career in the civil service as a bureaucrat, courtier and diplomat. Among his many works are The Book of the Duchess, The House of Fame, The Legend of Good Women and Troilus and Criseyde. He is best known today for The Canterbury Tales.
Chaucer's work was crucial in legitimizing the literary use of the Middle English vernacular at a time when the dominant literary languages in England were French and Latin.

Contents

Chaucer as a pilgrim from the Ellesmere manuscript

Geoffrey Chaucer was born in London sometime around 1343, though the precise date and location of his birth remain unknown. His father and grandfather were both London vintners; several previous generations had been merchants in Ipswich. (His family name derives from the French chausseur, meaning "shoemaker".)[2] In 1324 John Chaucer, Geoffrey's father, was kidnapped by an aunt in the hope of marrying the twelve-year-old boy to her daughter in an attempt to keep property in Ipswich. The aunt was imprisoned and the £250 fine levied suggests that the family was financially secure, maybe even elite.[3] John Chaucer married Agnes Copton, who, in 1349,

inherited properties including 24 shops in London from her uncle, Hamo de Copton, who is described in a will dated 3 April 1354 and listed in the City Hustings Roll as "moneyer"; he was said to be moneyer at the Tower of London. In the City Hustings Roll 110, 5, Ric II, dated June 1380, Geoffrey Chaucer refers to himself as me Galfridum Chaucer, filium Johannis Chaucer, Vinetarii, Londonie'.

Career

While records concerning the lives of his contemporary poets, William Langland and the Pearl Poet, are practically non-existent, since Chaucer was a public servant, his official life is very well documented, with nearly five hundred written items testifying to his career. The first of the "Chaucer Life Records" appears in 1357, in the household accounts of Elizabeth de Burgh, the Countess of Ulster, when he became the noblewoman's page through his father's connections,[4] a common medieval form of apprenticeship for boys into knighthood or prestige appointments. The countess was married to Lionel, Duke of Clarence, the second surviving son of the king, Edward III, and the position brought the teenage Chaucer into the close court circle, where he was to remain for the rest of his life. He also worked as a courtier, a diplomat, and a civil servant, as well as working for the king from 1389 to 1391 as Clerk of the King's Works.[5]

In 1359, in the early stages of the Hundred Years' War, Edward III invaded France and Chaucer travelled with Lionel of Antwerp, 1st Duke of Clarence, Elizabeth's husband, as part of the English army. In 1360, he was captured during the siege of Rheims. Edward paid £16 for his ransom,[6] a considerable sum, and Chaucer was released.

Chaucer's first major work, The Book of the Duchess, is an elegy on the death of Blanche, John of Gaunt's first wife. The poem, though filled with traditional French flourishes, develops its originality around the relationship between the narrator, a fictionalized version of the poet, and the mourner, the Man in Black, who represents Gaunt. Chaucer uses a naïve narrator in both The Book of the Duchess and The House of Fame, which employs a comic version of the guide-narrator relationship of Dante and Virgil in the Commedia. The talkative Eagle guides the naive “Chaucer” just as the naive Dante is guided by the gossipy Virgil. The Eagle takes “Chaucer” to the House of Fame (Rumor), which is even more the house of tales. Here Chaucer makes a case for the preeminence of story, an idea that he explored to great effect in The Canterbury Tales. The inhabitants of the House of Fame are asked whether they want to be great lovers or to be remembered as great

lovers, and all choose the latter: the story is more important than the reality.
Dating Chaucer's works is difficult but scholars generally assume that his dream-vision poem The Parliament of Birds (circa 1378-1381), which is less obviously tied to source texts or events, is his third work because it marks a shift in form: he begins to use the seven-line pentameter stanza that he would use in Troilus and Criseyde (circa 1382-1386). The Parliament of Birds is an indictment of courtly love staged as an allegory with birds corresponding to social classes: the hunting birds (eagles, hawks) represent the nobles, the worm eaters (cuckoos) represent the bourgeois, the water fowl are the merchants, and the seed eaters (turtledoves) are the landed farming interests. Each class is given a distinctive voice. In The Parliament of Birds Chaucer examined themes that will pervade his later work: the conflict between Nature and courtly love will permeate Troilus and Criseyde and the experimentation with different voices for all the characters and social classes of birds presages The Canterbury Tales.

By 1374 Chaucer was firmly involved in domestic politics and was granted the important post of controller of customs taxes on hides, skins, and wool. Chaucer had to keep the records himself as well as oversee the collectors. These were prosperous times for Chaucer; his wife had gotten a large annuity, and they were living rent free in a house above the city gate at Aldgate. After visits to Genoa and Florence in 1372-1373 and to Lombardy in 1378, Chaucer developed an interest in Italian language and literature, which influenced his poem Troilus and Criseyde. Chaucer retold the medieval romance of doomed lovers, setting his epic poem against the backdrop of the siege of Troy. The poem takes its story line from Giovanni Boccaccio's Il Filostrato (1335-1340), but its inspiration from Dante's love for Beatrice as told in the Convito (1307) and from Petrarch's love for Laura as manifested in the sonnets.

In the poem, Chaucer is presenting a case for ennobling passion which fits with the French romances he had read in his youth; only in Troilus and Criseyde this romance takes a particularly Italian turn. The poem analyzes the artifices of love as well as the complex motivations of lovers. Both Dante and Petrarch begin by seeing love as artifice and then show how love breaks free of that artifice. Petrarch's rime (poems) to Laura are in two groups divided by a simple fact, her death. The sonnets in "Vita di ma donna Laura" are artificial, conventional poems filled with such tropes as oxymoron, antithesis, hyperbole, and conceit. The style was so conventional that the French poets had a verb, Petrarquizer, to write like Petrarch. The sonnets change

radically after Laura's death, as the artifices fall away in his attempt to re-create the true Laura. The same change occurs in Troilus after the absence of Criseyde. Through his trials Troilus learns, as have Dante and Petrarch before him, that loving a real woman is the only real love.

Chaucer most famous work, The Canterbury Tales, also has similarities with Italian literature: the unfinished poem draws on the technique of the frame tale as practiced by Boccaccio in The Decameron (1349-1351), though it's not clear that Chaucer knew The Decameron in its entirety. The pretext for storytelling in Boccaccio is a plague in Florence which sends a group of ten nobles to the country to escape the Black Death. For each of ten days, they each tell a tale. Each day's tales are grouped around a common topic or narrative subject. The tales, all one hundred of them, are completed; the plague ends in Florence; and the nobles return to the city.
The Canterbury Tales innovates on this model in significant ways. Far from being noble, Chaucer's tale-tellers run the spectrum of the middle class, from the Knight to the Pardoner and the Summoner. And the tales are not told in the order that might be expectedfrom highest-ranking pilgrim to lowest. Instead, each character uses his tale as a weapon or tool to get back at or even with the previous tale-teller. Once the Miller has established the principle of "quiting," each tale generates the next. The Reeve, who takes offense because "The Miller's Tale" is about a cuckolded carpenter (the Reeve had been a carpenter in his youth), tells a tale about a cuckolded miller, who also gets beaten up after his daughter is deflowered. As in many of the tales, subtle distinctions of class become the focal point of the story.

Chaucer's refusal to let his tale end conventionally is typical of the way he handles familiar stories. He wants to have it both ways, and he reminds the reader of this constantly. In "The Nun's Priest's Tale," for example, he argues both against an allegorical reading of the tale, "My tale is of a cok," and for it, "Taketh the fruyt, and lat the chaf be stille." At work in many of these tales is an important Chaucerian device: a false syllogism based on the movement from the specific to the general back to the specific again, although the specific now occupies a new moral ground. Almost every time Chaucer offers a list of examples, he is playing with this disparity between the general and the specific. As Chaucer worked against the impossibility of finishing The Canterbury Talesaccording to the original plan120 tales, four told by each of thirty pilgrims (in the Middle Ages, which had many systems based on twelve, 120 was as round a number as the 100 of The Decameron)he began to consider the nature of finishing an act of storytelling. In The Canterbury Tales, in addition to several

unfinished tales (the Cook's, the Squire's), there are two tales that are interrupted by other pilgrims: Chaucer's own "Tale of Sir Thopas" and "The Monk's Tale." In handling these tales, Chaucer moves into issues, particularly that of closure, that are now important to narratology and literary theory. Put another way, Chaucer worries both about what a story can mean and what a story can be. In considering the ramifications of an invented teller telling about other invented tellers telling stories whose main purpose is to get back ("quite") at other tellers, Chaucer finds himself with a new conception of fiction, one that is recognizably modern and even postmodern.

Known as the first English author, Chaucer wrote in English at a time when Latin was considered the grammatica, or language which would not change, and most of the upper-class English spoke French. Chaucer himself often used French translations of Latin texts; that he chose the language of the lower-class Saxons rather than Norman nobility has perplexed readers and scholars for centuries. As Sir Walter Scott pointed out, the Saxon language can name only barnyard animals on the hoof. If one fed a domestic animal, they used its Saxon name, sheep; but if one ate it, they likely called it by its French name, mouton, which soon became mutton. This linguistic distinction was a class distinction in Chaucer's England: if one raised a farm animal, one was a Saxon and called it by its English name; if one were rich enough to eat it, one named it in French: calf/veau (veal); chicken/poulet (pullet); pig/porc (pork). Chaucer did not try, however, to impress his relatives with his French, but began to develop English into a highly flexible literary language.

Chaucer wrote many works, some of which like The Canterbury Tales (circa 1375-1400) he never finished. He pioneered many recognizably "modern" novelistic techniques, including psychologically complex characters: many claim that Troilus and Criseyde is the first English novel because of the way its main characters are always operating at two levels of response, verbal and intellectual. All of Chaucer's works are sophisticated meditations on language and artifice. Moving out of a medieval world view in which allegory reigned, Chaucer developed a model of language and fiction premised on concealment rather than communication or theological interpretation. Indeed, Chaucer misrepresents himself in his early works, creating self-portraits in The Book of the Duchess (circa 1368-1369) and The House of Fame (circa 1378-1381) as an innocent, overweight bookworm far from the canny businessman and social climber he actually was.

There is much speculation as to why Chaucer left The Canterbury Talesunfinished. One theory is that he left off writing them in the mid 1390s, some five or six years before his death. It is possible that the enormousness of the task overwhelmed him. He had been working on The Canterbury Tales for ten years or more, and he was not one quarter through his original plan. He may have felt he could not divide his time successfully between his writing and his business interests. Chaucer himself offers an explanation in the "Retraction" which follows "The Parson's Tale," the last of The Canterbury Tales. In it Chaucer disclaims apologetically all of his impious works, especially "the tales of Caunterbury, thilke that sowen into synne." There has been some speculation about the "Retraction": some believe that Chaucer in ill health confessed his impieties and others that the "Retraction" is merely conventional, Chaucer taking on the persona of the humble author, a stance favored in the Middle Ages. If the reader is to take Chaucer at his word, he seems to suggest that his works were being misread, that people were mistaking the sinful behavior in The Canterbury Tales for its message.

Later life

In September 1390, records say that he was robbed, and possibly injured, while conducting the business, and it was shortly after, on 17 June 1391, that he stopped working in this capacity. Almost immediately, on 22 June, he began as Deputy Forester in the royal forest of Petherton Park in North Petherton, Somerset.[20] This was no sinecure, with maintenance an important part of the job, although there were many opportunities to derive profit. He was granted an annual pension of twenty pounds by Richard II in 1394.[21] It is believed that Chaucer stopped work on the Canterbury Tales sometime towards the end of this decade.

Not long after the overthrow of his patron, Richard II, in 1399, Chaucer's name fades from the historical record. The last few records of his life show his pension renewed by the new king, and his taking of a lease on a residence within the close of Westminster Abbey on 24 December 1399.[22] Although Henry IV renewed the grants assigned to Chaucer by Richard, Chaucer's own The Complaint of Chaucer to his Purse hints that the grants might not have been paid. The last mention of Chaucer is on 5 June 1400, when some monies owed to him were paid.

He is believed to have died of unknown causes on 25 October 1400, but there is no firm evidence for this date, as it comes from the engraving on his tomb, erected more than one hundred years after his death. There is some speculationmost recently

in Terry Jones' book Who Murdered Chaucer? : A Medieval Mysterythat he was murdered by enemies of Richard II or even on the orders of his successor Henry IV, but the case is entirely circumstantial. Chaucer was buried in Westminster Abbey in London, as was his right owing to his status as a tenant of the Abbey's close. In 1556, his remains were transferred to a more ornate tomb, making Chaucer the first writer interred in the area now known as Poets' Corner.

Relationship to John of Gaunt

Chaucer was a close friend of John of Gaunt, the wealthy Duke of Lancaster (and father of the future King of England), and served under his patronage. Near the end of their lives Lancaster and Chaucer became brothers-in-law. Chaucer married Philippa (Pan) de Roet in 1366, and Lancaster took his mistress of nearly 30 years, Katherine Swynford (de Roet), who was Philippa Chaucer's sister, as his third wife in 1396. Although Philippa died c.1387, the men were bound as brothers and Lancaster's children by KatherineJohn, Henry, Thomas and Joan Beaufortwere Chaucer's nephews and niece.

Chaucer's Book of the Duchess, also known as the Deeth of Blaunche the Duchesse,was written in commemoration of Blanche of Lancaster, John of Gaunt's first wife. The poem refers to John and Blanche in allegory as the narrator relates the tale of "A long castel with walles white/Be Seynt Johan, on a ryche hil" (13181319) who is mourning grievously after the death of his love, "And goode faire White she het/That was my lady name ryght" (948949). The phrase "long castel" is a reference to Lancaster (also called "Loncastel" and "Longcastell"), "walles white" is thought to likely be an oblique reference to Blanche, "Seynt Johan" was John of Gaunt's name-saint, and "ryche hil" is a reference to Richmond; these thinly veiled references reveal the identity of the grieving black knight of the poem as John of Gaunt, Duke of Lancaster and Earl of Richmond. "White" is the English translation of the French word "blanche", implying that the white lady was Blanche of Lancaster.

Printed editions

William Caxton, the first English printer, was responsible for the first two folio editions of The Canterbury Tales which were published in 1478 and 1483.[41] Caxton's second printing, by his own account, came about because a customer complained that the printed text differed from a manuscript he knew; Caxton obligingly used the man's manuscript as his source. Both Caxton editions carry the equivalent of manuscript authority. Caxton's edition was reprinted by his successor, Wynkyn de Worde, but this edition has no independent authority.

Richard Pynson, the King's Printer under Henry VIII for about twenty years, was the first to collect and sell something that resembled an edition of the collected works of Chaucer, introducing in the process five previously printed texts that we now know are not Chaucer's. (The collection is actually three separately printed texts, or collections of texts, bound together as one volume.) There is a likely connection between Pynson's product and William Thynne's a mere six years later. Thynne had a successful career from the 1520s until his death in 1546, when he was one of the masters of the royal household. His editions of Chaucers Works in 1532 and 1542 were the first major contributions to the existence of a widely recognised Chaucerian canon. Thynne represents his edition as a book sponsored by and supportive of the king who is praised in the preface by Sir Brian Tuke. Thynne's canon brought the number of apocryphal works associated with Chaucer to a total of 28, even if that was not his intention. As with Pynson, once included in the Works, pseudepigraphic texts stayed within it, regardless of their first editor's intentions.

How did this manuscript come to the British Library?

It was among the large manuscript collection assembled by father and son, Robert and Edward Harley, successive Earls of Oxford in the first half of the 18th century. The rich and diverse collection was built with the help of Humfrey Wanley, a distinguished scholar who served as their librarian. Twelve years after Edward Harley's death in 1741, the Countess of Oxford and her daughter sold the Harley library to the nation, and it became one of the three foundation collections of the British Museum Library, now the British Library.

References

- Benson, Larry D.; Pratt, Robert; Robinson, F.N., eds. (1987). The Riverside Chaucer (3rd ed.). Houghton-Mifflin. ISBN 0-395-29031-7.
- Crow, Martin M.; Olsen, Clair C. (1966). Chaucer: Life-Records.
- Hopper, Vincent Foster (1970). Chaucer's Canterbury Tales (Selected): An Interlinear Translation. Barron's Educational Series. ISBN 0-8120-0039-0.
- Hulbert, James Root (1912). Chaucer's Official Life. Collegiate Press, G. Banta Pub. Co. p. 75. Retrieved 12 July 2011.
- Morley, Henry (1883). A First Sketch of English Literature. Harvard University.· Skeat, W.W. (1899). The Complete Works of Geoffrey Chaucer. Oxford: Clarendon Press.

· Speirs, John (1951). Chaucer the Maker. London: Faber and Faber.
· Ward, Adolphus W. (1907). "Chaucer". Edinburgh: R. & R. Clark,.

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

साइबर क्राईम और आतंकवाद

डॉ.ममता दुबे
सहायक प्रध्यापक
समाज शास्त्र विभाग
शसकीय महारानी लाक्ष्मीबाई महाविद्यालय

साइबर-आतंकवाद

साइबर आतंकवाद एक वाक्यांश है जिसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में इंटरनेट आधारित हमलों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें शामिल है कंप्यूटर वायरस जैसे साधनों के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में जानबूझकर, बड़े पैमाने पर किया गया व्यवधान,विशेष रूप से इंटरनेट से जुड़े निजी कंप्यूटर में.

साइबरआतंकवाद एक विवादास्पद शब्द है। कुछ लेखक बहुत ही संकीर्ण परिभाषा का प्रयोग करते हैं और इसे ज्ञात आतंकवादी संगठनों द्वारा चेतावनी और आतंक पैदा करने के प्राथमिक उद्देश्य से सूचना प्रणालियों के खिलाफ व्यवधान हमले से जोड़ते हैं। इस संकीर्ण परिभाषा के आधार पर, साइबरआतंकवाद से किसी उदाहरण की पहचान करना मुश्किल है।

साइबरआतंकवाद को किसी भी कंप्यूटर अपराध के रूप में और अधिक सामान्य तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, जो असली दुनिया के बुनियादी ढांचे, संपत्ति जीवन को अनिवार्य रूप से क्षति पहुंचाए बिना कंप्यूटर नेटवर्क को लक्षित करता है।

मीडिया और सरकारी सूत्रों में साइबरआतंकवाद के द्वारा होने वाले संभावित नुकसान के कारण गहरी चिंता है और इसने सरकारी एजेंसियों से आधिकारिक प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न किया है।

सोशल साइट से महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतें दर्ज

सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिये महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध की शिकायतें पिछले साल की तुलना में बढ़ी हैं। इस साल अगस्त तक फोटो से छेड़छाड़, फर्जी पहचान के जरिए धोखाधड़ी, भद्दे संदेश और पोर्नोग्राफी की 20 शिकायतें राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पहुंची हैं जबकि वर्ष 2013 में केवल चार शिकायतें ही आयोग के पास पहुंची थीं।

आयोग ने साइबर सेल को नोटिस जारी कर इन शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। आयोग के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आयोग की सदस्य शमीना शफीक ने बताया कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस की कोशिश बेहद सीमित है। वर्ष 2000 में लागू किए गए आईटी एक्ट में बैंकों में धोखाधड़ी आदि के मामलों को ही प्रमुखता से शामिल किया गया।

सोशल नेटवर्किंग साइट्स के आम जीवन में बढ़ते दखल के बाद कुल साइबर क्राइम में 12 प्रतिशत मामले महिलाओं के देखे जा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पहली बार महिलाओं के प्रति साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपनी सिफारिशें जारी की हैं।

इस बाबत 23 जुलाई को आयोजित एक बैठक में आयोग अध्यक्ष सहित आईटी विशेषज्ञ, मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फेसबुक के इंडिया प्रतिनिधि अंखी दास और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक में आठ बिंदुओं पर आईटी एक्ट में संशोधन की बात कही गई है।

महिला आयोग की सदस्य ने बताया कि वर्ष 2014 के अगस्त महीने तक आई 20 शिकायतों में दिल्ली एनसीआर की महिलाओं ने फेसबुक, ट्विट्र और अन्य वेबसाइट्स पर भद्दे संदेश देने की शिकायत की है।
अलग साइबर सेल बने-महिला आयोग की सदस्य ने बताया कि देश में मौजूदा समय में सात शहरों में साइबर सेल बनी है। साइबर संसार में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए यह जरूरी हो गया कि दिल्ली-एनसीआर और बेंगलूरू के लिए अलग महिला साइबर सेल का गठन किया जाना चाहिए। हम इसके लिए कदम उठा रहे हैं।

इस तरह के मामले सामने आए

पांच मामलों में फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर महिला को ब्लैकमेल करने की शिकायतां। इसमें से तीन मामलों में लड़की के नाम और फोटो से आईडी बनाई गई। सात मामलों में फेसबुक पर दोस्ती कर वॉल पर अश्लील वीडियो पोस्ट। इसमें से एक में साइट के जरिए हुई दोस्ती कर वेबकैम के जरिए अश्लील फोटो लेने का मामला आया। चार मामलों में फोटो से छेड़छाड़ कर महिला को बदनाम करने की कोशिश। कई महीने बाद महिलाओं को फोटो के गलत इस्तेमाल होने की जानकारी मिली। तीन अन्य मामलों में पोर्न साइट्स दिखाना, अश्लील एमएमएस और मोबाइल पर भद्दे संदेश भेजने की शिकायत मिली।

चार महीने बाद पता चला

गुड़गांव की एक निजी कंपनी में काम करने वाली प्रिया को यह पता नहीं था कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाली गई उसकी फोटो के साथ छेड़छाड़ कर उसे गूगल पर डाल दिया गया है। विदेश में बैठी एक दोस्त ने जब उसे

इसकी जानकारी दी तो प्रिया के होश उड़ गए। साइबर क्राइम में शिकायत करने के बाद प्रिया ने राष्ट्रीय महिला आयोग को अपनी शिकायत भेजी।

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर चिंता

संवाद सहयोगी, अल्मो?ा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर यहां अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने मह संवाद सहयोगी, अल्मो?ा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर यहां अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने महिलाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और उत्तराखंड में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा को चिंताजनक बताया। इससे संबंधित ज्ञापन डीएम के माध्यम से शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री को भेजा, जिसमें सात मांगें शामिल हैं।

महिला समिति का कहना है कि तमाम कानूनों के बावजूद बलात्कार, कन्या भ्रूण हत्या, यौन उत्पी?न, घरेलू हिंसा व साइबर क्राइम बढ़ते चले जा रहा है। ऐसे में प्रशासन व व्यवस्था देखने वाली एजेंसियों की उपेक्षा भी चिंतनीय है। समिति का यह कहना भी है कि एक ओर मानवाधिकारों की रक्षा की बात होती है, दूसरी तरफ लोग बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। समिति ने इस आशय का ज्ञापन डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है। जिसमें महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने को ठोस कदम उठाने, जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों को नये कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप लागू करने, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण कानून के तहत पूर्णकालिक बचाव अधिकारी नियुक्त करने की मांग रखी। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा योजना को राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू करने, अल्मो?ा जिले में राज्य महिला आयोग की सदस्य नियुक्त करने, मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन को पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने तथा एलपीजी वितरण व्यवस्था को पूर्ववत रखते हुए प्रत्यक्ष सब्सिडी का लाभ देने की मांगें शामिल हैं। ज्ञापन देने वालों में समिति की प्रांतीय सचिव सुनीता पांडे, जिला अध्यक्ष राधा नेगी, जिला सचिव नलिनी पंत, मुन्नी प्रसाद, चंद्रा राणा, भावना तिवारी, प्रेमा पांडे आदि शामिल थे। उन्होंने ज्ञापन की प्रति राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा को भी सौंपी।

सन्दर्भः-

1. साइबरआतंकवाद क्या है?यहां तक की विशेषज्ञ भी सहमत नहीं हैं। हार्वर्ड लॉ रिकार्ड. विक्टोरिया बारानेटस्की. 5 नवम्बर 2009
2. ठयें?
   Http://oai.dtic.mil/oai/oai?&verb=getRecord&metadataPrefi&
   =html & identifier=ADA 439217
3. Afroz, Soobia (June v6, 2002). "Cyber terrorism — fact or fiction?". Dawn.

अभिगमन तिथि=2008-08-30.

4. साइबरआतंकवाद राज्य विधान मंडलों का राष्ट्रीय सम्मेलन.

5. Anderson, Kent (October v3, 2010). "Virtual Hostage: Cyber terrorism and politically motivated computer crime". The Prague Post. अभिगमन तिथि=2010-10-14.

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

महिलाऐं और सामाजिक न्याय

डॉ.एस.एस.यादव
समाज शस्त्र विभाग
सहायक प्राध्यापक शासकिय महाविद्यालय बुद्धनी

नारीवाद राजनैतिक आंदोलन का एक सामाजिक सिद्धांत है जो स्त्रियों के अनुभवों से जनित है। हालाकि मूल रूप से यह सामाजिक संबंधो से अनुप्रेरित है लेकिन कई स्त्रीवादी विद्वान का मुख्य जोर लैंगिक असमानता और औरतों के अधिकार इत्यादि पर ज्यादा बल देते हैं।

नारीवादी सिद्धांतो का उद्देश्य लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं कारणों को समझना तथा इसके फलस्वरूप पैदा होने वाले लैंगिक भेदभाव की राजनीति और शक्ति संतुलन के सिद्धांतो पर इसके असर की व्याख्या करना है। स्त्री विमर्श संबंधी राजनैतिक प्रचारों का जोर प्रजनन संबंधी अधिकार, घरेलू हिंसा, मातृत्व अवकाश, समान वेतन संबंधी अधिकार, यौन उत्पीड़न, भेदभाव एवं यौन हिंसापर रहता है।

स्त्रीवादी विमर्श संबंधी आदर्श का मूल कथ्य यही रहता है कि कानूनी अधिकारों का आधार लिंग न बने। आधुनिक स्त्रीवादी विमर्श की मुख्य आलोचना हमेशा से यही रही है कि इसके सिद्धांत एवं दर्शन मुख्य रूप से पश्चिमी मूल्यों एवं दर्शन पर आधारित रहे हैं। हालाकि जमीनी स्तर पर स्त्रीवादी विमर्श हर देश एवं भौगोलिक सीमाओं मे अपने स्त्र पर सक्रिय रहती हैं और हर क्षेत्र के स्त्रीवादी विमर्श की अपनी खास समस्याएँ होती हैं।

सामाजिक न्याय

एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय (social justice) की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे 'उत्तम जीवन' की अपनी संकल्पना को धरती पर उतार पाएँ। विकसित हों या विकासशील, दोनों ही तरह के देशों में राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में सामाजिक न्याय की इस अवधारणा और उससे जुड़ी अभिव्यक्तियों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। लेकिन

इसका मतलब यह नहीं है कि उसका अर्थ हमेशा सुस्पष्ट ही होता है। सिद्धांतकारों ने इस प्रत्यय का अपने-अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में भी, भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय का नारा वंचित समूहों की राजनीतिक गोलबंदी का एक प्रमुख आधार रहा है। उदारतावादी मानकीय राजनीतिक सिद्धांत में उदारतावादी-समतावाद से आगे बढ़ते हुए सामाजिक न्याय के सिद्धांतीकरण में कई आयाम जुड़ते गये हैं। मसलन, अल्पसंख्यक अधिकार, बहुसंस्कृतिवाद, मूल निवासियों के अधिकार आदि। इसी तरह, नारीवाद के दायरे में स्त्रियों के अधिकारों को ले कर भी विभिन्न स्तरों पर सिद्धांतीकरण हुआ है और स्त्री-सशक्तीकरण के मुद्दों को उनके सामाजिक न्याय से जोड़ कर देखा जाने लगा है।

यद्यपि एक विचार के रूप में विभिन्न धर्मों की बुनियादी शिक्षाओं में सामाजिक न्याय के विचार को देखा जा सकता है, लेकिन अधिकांश धर्म या सम्प्रदाय जिस व्यावहारिक रूप में सामने आये या बाद में जिस तरह उनका विकास हुआ, उनमें कई तरह के ऊँच-नीच और भेदभाव जुड़ते गये। समाज-विज्ञान में सामाजिक न्याय का विचार उत्तर-ज्ञानोदय काल में सामने आया और समय के साथ अधिकाधिक परिष्कृत होता गया। क्लासिकल उदारतावाद ने मनुष्यों पर से हर तरह की पुरानी रूढ़ियों और परम्पराओं की जकड़न को ख़त्म किया और उसे अपने मर्जी के हिसाब से जीवन जीने के लिए आज़ाद किया। इसके तहत हर मुनष्य को स्वतंत्रता देने और उसके साथ समानता का व्यवहार करने पर ज़ोर ज़रूर था, लेकिन ये सारी बातें औपचारिक स्वतंत्रता या समानता तक ही सिमटी हुई थीं। बाद में उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में कई उदारतावादियों ने राज्य के हस्तक्षेप द्वारा व्यक्तियों की आर्थिक भलाई करने और उन्हें अपनी स्वतंत्रता को उपभोग करने में समर्थ बनाने की वकालत की। कई यूटोपियाई समाजवादियों ने भी एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव न होता हो। स्पष्टत: इन सभी विचारों में सामाजिक न्याय के प्रति गहरा सरोकार था।

इसके बावजूद मार्क्स ने इन सभी विचारों की आलोचना की और ज़ोर दिया कि न्याय जैसी अवधारणा की आवश्यकता पूँजीवाद के भीतर ही होती है क्योंकि इस तरह की व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर कब्ज़ा जमाये कुछ लोग बहुसंख्यक सर्वहारा का शोषण करते हैं। उन्होंने क्रांति के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य रखा जहाँ हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करने और अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें हासिल करने की परिस्थितियाँ प्राप्त हों। लेकिन बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में मार्क्सवाद और उदारतावाद का जो व्यावहारिक रूप सामने आया, वह उनके आश्वासनों जैसा न हो कर विकृत था। मार्क्सवाद से प्रेरित रूसी क्रांति के कुछ वर्षों बाद ही स्तालिनवाद की सर्वसत्तावादी संरचनाएँ उभरने लगीं। वहीं उदारतावाद और पूँजीवाद ने आंतरिक जटिलताओं के कारण दुनिया को दो विश्व-युद्धों, महामंदी, फ़ासीवाद और नाज़ीवाद जैसी भीषणताओं में धकेल दिया।

पूँजीवाद को संकट से उबारने के लिए पूँजीवादी देशों में क्लासिकल उदारतावादी सूत्र से लेकर कींसवादी नीतियों तक हर सम्भव उपाय अपनाने की कोशिश की गयी। इस पूरे संदर्भ में सामाजिक न्याय की बातें नेपथ्य में चली गयीं या सिर्फ़ इनका दिखावे के तौर पर प्रयोग किया गया। इसी दौर में उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ चलने वाले संघर्षों में मानव-मुक्ति और समाज के कमज़ोर तबकों के हकों आदि की बातें ज़ोरदार तरीके से उठायी गयीं। ख़ास तौर पर

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सभी तबकों के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर गम्भीर बहस चली। इस बहस से ही समाज के वंचित तबकों के लिए संसद एवं नौकरियों में आरक्षण, अल्पसंख्यकों को अपनी आस्था के अनुसार अधिकार देने और अपनी भाषा का संरक्षण करने जैसे प्रावधानों पर सहमति बनी। बाद में ये सहमतियाँ भारतीय संविधान का भाग बनीं।

सामाजिक आन्दोलन

सामाजिक आन्दोलन एक प्रकार का %सामूहिक क्रिया% है। सामाजिक आन्दोलन व्यक्तियों और/या संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं जिनका ध्येय किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित होता है। दूसरे शब्दों में ये ये कोई सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, उसका विरोध करते हैं या किसी सामाजिक परिवर्तन को समाप्त कर पूर्वस्थिति में लाना चाहते हैं

आधुनिक पाश्चात्य जगत में सामाजिक आन्दोलन शिक्षा के प्रसार के द्वारा तथा उन्नीसवीं शदी में औद्योगीकरण व नगरीकरण के कारण श्रमिकों के आवागमन में वृद्धि के कारण सम्भव हुए।
आधुनिक आन्दोलन संसार भर में लोगों को जागृत करने के लिये प्रौद्योगिकी तथा अन्तरजाल का सहारा लेते हैं।

भारत के सामाजिक आन्दोलन के सबसे बड़े महानायक डॉ? बाबासाहेब आंबेडकर है। डॉ? बाबासाहेब आंबेडकर का शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन विश्व के सबसे प्रभावशाली आन्दोलनों में से एक है तथा भारत का सबसे प्रभावशाली सामाजिक आंदोलन है। बाबासाहेब का आन्दोलन भारत देश के पिछडे, गरीब, शोषित, दलित लोगों को उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक विशेषत¯ मानव अधिकार देने के लिये था, यह भारत की सबसे बडी सामाजिक क्रांति भी थी। डॉ? बाबासाहेब आंबेडकर संविधान निर्माता थे, इसलिए उन्होंने देश शोषित लोगों उनके अधिकारों के संघर्ष किया और उसमें सफलता पाई। डॉ? बाबासाहेब आंबेडकर जी के महाड़ सत्याग्रह या चवदार तालाब आंदोलन, नाशिक का कालाराम मन्दिर आंदोलन और दलित बौद्ध आंदोलन प्रसिद्ध है। विश्व के सबसे महान मानवाधिकारी आंदोलनकारीयों में डॉ? बाबासाहेब आंबेडकर जी का स्थान शिर्ष पर स्थान है।

परिचय

राजनीतिक भागीदारी के संस्थागत दायरों के बाहर परिवर्तनकामी राजनीति करने वाले आंदोलनों को सामाजिक आंदोलनों की संज्ञा दी जाती है। लम्बे समय तक सामूहिक राजनीतिक कार्रवाई करने वाली ये आंदोलनकारी संरचनाएँ नागर समाज और राजनीतिक तंत्र के बीच अनौपचारिक सूत्र का काम भी करती हैं। हालाँकि ज़्यादातर सामाजिक आंदोलन सरकारी नीति या आचरण के ख़िलाफ़ कार्यरत रहते हैं, लेकिन स्वत:स्पूर्त या असंगठित प्रतिरोध या कार्रवाई को सामाजिक आंदोलन नहीं माना जाता। इसके लिए किसी स्पष्ट नेतृत्व और एक निर्णयकारी ढाँचे का होना ज़रूरी है। आंदोलन में भाग लेने वालों के लिए किसी साझा मकसद और विचारधारा का होना भी

आवश्यक है। क्या ये ख़ूबियाँ राजनीति के औपचारिक दायरों में काम करने वाले किसी राजनीतिक दल या दबाव समूह में नहीं होतीं? दरअसल, सामाजिक आंदोलन अपने बुनियादी चरित्र में अनौपचारिक नेटवर्कों की अन्योन्यक्रिया से बनते हैं। वे ऐसे मुद्दे चुनते हैं जिन्हें औपचारिक राजनीति अपनाने से इनकार कर देती है। साथ ही वे प्रतिरोध और गोलबंदी के ग़ैर-परम्परागत रूपों का इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक आंदोलनों ने अल्पसंख्यकों, हाशियाग्रस्त समूहों और अधिकार-वंचित तबकों की राजनीति को बढ़ावा दिया है। इसी कारण से यह भी माना जाता है कि समकालीन लोकतंत्र अपने विस्तार और गहराई के लिए सामाजिक आंदोलनों का ऋणी है।

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद ग्लोबल और राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणालियों में इस परिघटना का उदय हुआ। इनके पीछे ऐसी शख़्सियतें, नेटवर्क, समूह और संगठन थे जिनका उद्देश्य औपचारिक राजनीति के दायरों के बाहर समाज, राज्य, सार्वजनिक नीतियों को जन-हित के लिहाज़ से प्रभावित करना था। पिछले साठ वर्षों में सामाजिक आंदोलनों ने राजनीतिक प्रणालियों और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया पर उल्लेखनीय असर डाला है। सारी दुनिया में पर्यावरण का आंदोलन, युद्ध विरोधी आंदोलन, असंगठित मज़दूरों के आंदोलन, स्त्री-अधिकारों के आंदोलन, वैकल्पिक यौनिकताओं के आंदोलन इस परिघटना की सफलता के प्रमाण हैं। वित्तीय पूँजी के भूमण्डलीकरण से उपजी जन-विरोधी प्रवृत्तियों के ख़िलाफ़ चल रहे आंदोलन भी इसी श्रेणी में आते हैं। सामाजिक आंदोलनों की एक ख़ूबी यह भी है कि भले ही उनकी राजनीतिक कार्रवाई में स्थानीयता या ज़मीन से जुड़े होने या ग्रासरूट्स के संबंध को अहमियत दी जाए, लेकिन वे समस्याओं और मुद्दों को उत्तरोत्तर ग्लोबल सन्दर्भों में देखते और परिभाषित करते हैं। इसी कारण से वे स्थानीय स्तर पर चलाई जा रही प्रतिरोध की कार्रवाइयों को ग्लोबल नेटवर्किंग के ज़रिये टिकाने में समर्थ हो पाते हैं। उनका नारा होता है 'थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली'। इंटरनेट की परिघटना के उभार के बाद सामाजिक आंदोलनों के लिए प्रसार, समन्वय और नेटवर्किंग की सुविधा में और बढ़ोतरी हो गयी है।

डद्वतीय विश्वयुद्ध के बाद पश्चिमी देशों में उभरे मध्य वर्ग ने स्वयं को पुराने वर्ग आधारित आंदोलनों के मुकाबले राजनीतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से विशिष्ट महसूस करते हुए सामूहिक राजनीतिक कार्रवाई के ऐसे रूपों को अपनाना पसंद किया जिनके दायरे में कहीं व्यापक किस्म के नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दे आते थे। इस ज़माने में चले कई सामाजिक आंदोलन नागरिक अधिकारों, स्त्री-अधिकारों, युद्ध का विरोध करने और पर्यावरण की हिफ़ाज़त करने के आग्रहों के इर्द-गिर्द गोलबंद हुए। साठ का दशक आते-आते इन आंदोलनों की गतिविधियाँ युरोप और उत्तरी अमेरिका में काफ़ी बढ़ गयीं। इन्हें राजनीतिक कामयाबी भी मिलने लगी। यह देख कर समाज-वैज्ञानिकों ने इस परिघटना का अध्ययन शुरू किया। सामाजिक आंदोलनों को समझने के लिए सबसे पहले मनोविज्ञान का प्रयोग किया गया। इससे आंदोलनरत लोगों, समूहों और नेटवर्कों के सामूहिक व्यवहार पर रोशनी पड़ी। दूसरी तरीका संरचनागत-प्रकार्यवादी किस्म का था। उसने यह देखने की कोशिश की कि इन आंदोलनों का सामाजिक स्थिरता पर क्या असर पड़ रहा है। मास सोसाइटी का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिकों को लगा कि सामाजिक आंदोलन निजी तनाव से जूझ रहे व्यक्तियों की अभिव्यक्तियाँ हैं। दूसरी तरफ़ संरचनागत-प्रकार्यवादी विद्वानों का

ख़याल था कि ये आंदोलन सामाजिक प्रणाली में आये तनावों का फलितार्थ हैं।

सत्तर के दशक में इस अनुसंधान ने नयी करवट बदली। इस परिवर्तन के पीछे नये छात्र आंदोलनों और उनसे निकली प्रतिरोध की कार्रवाइयों का प्रभाव था। एक नये सिद्धांत ने जन्म लिया जिसे 'रिसोर्स मोबिलाइज़ेशन' थियरी (संसाधनों की लामबंदी का सिद्धांत)? के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत ने सामाजिक आंदोलनों को एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जिसके तहत राजनीतिक उद्यमी किसी इच्छित सामाजिक परिवर्तन की ख़ातिर पहले तो संसाधनों का तर्कसंगत संचय करते हैं और फिर लक्ष्यों को वेधने के लिए संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इस सिद्धांत के पैरोकार मानते हैं कि सामाजिक आंदोलन पूरी तरह से अपनी संसाधन उपलब्ध कर पाने की क्षमता पर ही निर्भर करते हैं। ये संसाधन आर्थिक और मानवीय सहयोग जुटाने पर भी आधारित हो सकते हैं और इनका उद्गम नैतिक

सरोकारों और प्राधिकार वग़ैरह में भी हो सकता है।

सामाजिक आंदोलनों की समझ बनाने की प्रक्रिया में एक थियरी सांगठनिक व्यवहार के अध्ययन के रूप में भी विकसित हुई। उसने सामाजिक आंदोलन को किसी भी अन्य संगठित समूह की तरह समझने की चेष्टा की। आगे चल कर कई विद्वानों ने सामाजिक आंदोलनों और संस्थागत राजनीति के बीच अन्योन्यक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जिससे राजनीति को प्रक्रियाओं के रूप में समझने के परिप्रेक्ष्य का विकास हुआ। अस्सी के दशक में हुए कुछ अनुसंधानों ने वामपंथी रुझान वाले कई आंदोलनों पर ध्यान दिया। ये वामपंथी जत्थेबंदियाँ पदानुक्रम पर आधारित संगठन के बजाय क्षैतिज बनावट वाले संगठन और बारी-बारी से नेतृत्व करने या अनौपचारिक किस्म के नेतृत्व में यकीन करने वाली थीं। युरोप की ज़मीन और वहीं के परिप्रेक्ष्य के आधार पर हुए इस शोध ने संस्कृति और अस्मिता संबंधी आंदोलनों को अपनी विषय-वस्तु बनाया।? उन्होंने देखा कि पर्यावरण संबधी आंदोलन और स्त्री-अधिकारों के लिए होने वाले आंदोलन किस प्रकार प्रतिरोध के नये-अनूठे तौर-तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इस विमर्श से नव-सामाजिक आंदोलनों की थीसिस निकली। दरअसल, अस्सी और नब्बे के दौरान प्रकाश में आयी यह थीसिस वामपंथ की स्थापित समझ को चुनौती देने वाली साबित हुई। इससे पहले वामपंथी राजनीतिक कार्रवाई का मतलब वर्ग-आधारित गतिविधि के अलावा कुछ और नहीं समझा जाता था। लेकिन, जब अमेरिका में अफ़्रो- अमेरिकनों ने अपने अधिकारों के समर्थन में ब्लैक पॉवर और ब्लैक पेंथर जैसे रैडिकल और जुझारू आंदोलन चलाये; जब वियतनाम युद्ध के ख़िलाफ़ साम्राज्यवाद विरोधी मुहिमें संगठित की गयीं; जब आणुविक नि:शस्त्रीकरण के पक्ष में शांति आंदोलन चला; जब रैडिकल फ़ेमिनिज़्म ने अपनी दावेदारियाँ पेश कीं; और जब हवा और पानी के प्रदूषण के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की गयी, तो वर्ग संघर्ष को ही केंद्रीय सामाजिक अंतर्विरोध मानने वाली दृष्टि को प्रश्नांकित होना पड़ा।

इन आंदोलनों में एक विचारधारात्मक विविधता थी। इनकी ज़मीन भी एक-दूसरे से भिन्न दिख रही थी। पारम्परिक मार्क्सवादी समझ को ठुकराते हुए आंद्रे ग्रोज़, रुडोल्फ़ बाहरो, एलाँ तूरेन और युरगन हैबरमास ने अपने-अपने तरीके से दावा किया कि सामाजिक-राजनीतिक अस्मिता और राजनीतिक कार्रवाई की ख़ातिर की जाने वाली गोलबंदी के लिए वर्ग अब एक कारगर प्रत्यय नहीं रह गया है। इन विद्वानों ने नव-सामाजिक आंदोलनों को उत्तर-

औद्योगिक सामाजिक संरचनाओं की पैदाइश करार दिया। उनका कहना था कि लोकोपकारी राज्य ने शोषण के पुराने रूपों को काफ़ी-कुछ निष्प्रभावी कर दिया है। नयी परिस्थितियों में आधुनिक समाज परायेपन के नये रूपों को जन्म दे रहा है। इससे पैदा होने वाले विक्षोभ को नव- सामाजिक आंदोलन अपना केंद्र बना रहे हैं। फ़्रांसीसी समाजशास्त्री एलाँ तूरेन ने द रिटर्न ऑफ़ द एक्टर की रचना की। तूरेन ने रैडिकल रवैया अख्तियार करते हुए अपील की कि समाजशास्त्रियों को सामाजिक आंदोलनों की केवल व्याख्या तक ही सीमित न रह कर उनमें भागीदारी करते हुए उनकी गहरी पड़ताल करनी चाहिए। भूमण्डलीकरण के उभार ने सामाजिक आंदोलन संबंधी युरोपीय और अमेरिकी परिप्रेक्ष्यों के बीच मेल-मिलाप की परिस्थितियाँ बनायी हैं। अब विद्वानगण सामाजिक आंदोलन में नेटवर्कों की भूमिका पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस परिघटना और भूमण्डलीकरण-विरोधी आंदोलन के सहयोजन पर भी ख़ास ज़ोर दिया जा रहा है।

सन्दर्भ-:

1. अल्बर्टो मेलुची (1996), नोमेड्स ऑफ़ द प्रज़ेंट्स = सोशल मूवमेंट्स ऐंड द इंडिविडुअल नीड्स इन कंटेम्परेरी सोसाइटीज़, केम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, केम्ब्रिज.
2. एडर क्लॉस (1985), 'द न्यू सोशल मूवमेंट्स' = मॉरल क्रुसेड्स, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, ऑर सोशल मूवमेंट्स', सोशल रिसर्च, 52, अंक 4.
3. दोंतेला डेल पोर्ता और मारियो दानी (1999), सोशल मूवमेंट्स = ऐन इंट्रोडक्शन, ऑक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफ़र्ड.

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

Socio Economic Challenges in the path of sustainable development of the Tribal Population in Indian

Dr.Manoj Kumar Sinba,
Asstt.Prof. Economics
Govt. College Nasarullagaunj.
(Sehore), MP.

Introduction:

For generation, indigenous people worldwide have believed that any decision they make Should take into consideration the effects on future deseendants---the next secen generation.This "seventh generation" philosophy currently is garnering more attention in regard toSustainable development. Societies worldwide are addressing issues such as delerioration of The environment, diminishing natural resources energy shortages pollution, growing Populations and traffic congestion, among others.

In 1987, a United Nations commission studied the effects of development on population Worldwide and provided its definition of sustainability, which has become the most Cornmonly used definition and wholly reflects the seventh generation philosophy that many American, Indian and Alaska Natives have held for centuries:

"A sustainable society meets the need of the present without sacrificing the ability of future Generation to meet their own needs.

The World Commission on Environment and development Coneem about the lifestyle future generations will face has prompted the need to develop Sustainability planning and development in communities nationwide. Sustainable Development sometimes considered to pertain only to the environment ---also includes Societal and economic factors. In addressing sustainability, obvious issues come to mind Climate change, water conservation, waste management and land use. Less obvious, yet relevant, issue to consider that affect everday life include poverty, transportation, consumerism, human health, agriculture, housing and education.

The tribal population is an integral part of india's social fabric and has the second largest concentration after that of yhe African continent, It is more than tha total population of France and Britain and four times that of Australia. The population

of tribal communities scheduled in the conctution of india and known as Scheduled Tribes (STS) was 8.43 crore (1crore=10 millon) as per 2001 census and accounts for 8.2%of the total population, 4.26 corers are man and 4.17 corers are women, accounting for 8.01% and 8.40% respectively. They are

Scattered over all the states/UTs, except Punjab, Haryana, Delhi and the UTs of Pondicherry and Chandighar. Tribals have traditionally lived in about 15% of the country's geographical areas, minly forests, hills and undulating inaccessible terrain in plateau areas, rich in natural resources. They have lived as isolated entities for centuries, largely untouched by the socicty around them.

The seven major tribes and their Respective location are:

Social Challenges:

Tribals and their forest right:

Many tribal habitations are in the hilly and forest areas and they are dependent for majority of their activities on forests.

Forests and tribals share a symbiotic relationship. Tribals continue to live in forest areas. Some of them survive only on the collection of minor forest produce.

· The tribals are using forests form time immemorial as their source of livelihood but with the enactment of the Forest Conservation Act 1980, their rights to collect MPPs and others forest, produce has been restricted considerably.

·In view of this the National Forest Policy, 1988 stipulates that all agencies responsible for forest management should ensure that the tribal people are closely associated with the regeneration, plantation, development and harvesting of forest so as to provide them gainful employment.

·Inspite of these special safeguards, tribals continued to struggle for their survival as they face formidable problems and displacement due to environmental restoration projects, lack of development in forest villages etc.

Tribals and their displacement:

· Displacement or forced / voluntary eviction of the tribals form their national habitats and subsequent rehabilitation has become a serious problem.

· Displacement take place mainly on account of development projects, which include large irrigation dams, hydro-electric project, open cast and underground coal mines, super thermal power plants and mineral based industrial units.

· In these project, tribals lose their land not only to the project authorities bht even to non-tribal outsiders who converge into these areas and corner both land and the new economic opportunities.

· Inadequate rehabilitation of the displaced tribals will further compound their woes as they will become assetiess, unemployed and be trapped in dedt bondage and may even become destitules.

· It is a known fact that displacement has led to far reaching social and economic consequences, not to mention the simmering disturbance and extremism in most of the tribal pockets.

· Though the tribals constitute only 8.2% of the population, 40%of indias tribals have been displaced due to development projects since 1947, Tribl's right to land, forest and water have been seriously croded. Tell 1990, some right and half million tribals had been displaced on account of a mega development project or reservation of forest and national parks and protested sanctuaries. This number accounts to 55.16% of the total displaced population of the country,

· Displacement of tribals form their land amounts to violation of fifth schedule of the constitution as it deprives them of the control and ownership of natural resources and land essential for the way of life .

Atrocities against Tribals:

· Atrocities against Scheduled Castes and the Scheduled Tribals and untouchability continue unabated even today.

· High number of cases are registered under the Protection of Civil Rights Act,1955 and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act.1989

While many religious and social activists are engaged in providing education and health facilities in the tribal areas, they also have been responsible for alienating the tribals form their culture leading to degeneration of tribal life and tribal arts such

as dance, music and different types of craft.

Tribals and Their Education:

· Listeracy rate among STs is is only less than half of the general population, and that of rural tribal woman about one-fourth, High Drop out rate of nearly 80% in primary education .

· Lack of infrastructure, commitment on the part of teachers and monitoring mechanism. There of infrastructure, commitment on the need for proper medium of instruction in tribal dilalects.

Economic Challenges:

· The tribals generally live in most inhospitable and practice shifting cultivation on higher slopes and dry-land cultivation in plaints and lower slopes where Productivity and output are very low. Low- levels of agricultural yields due to non-adoption of improved agricultural methods. Lack of proper irrigation facilities, decline in soil fertility, and risks and uncertainties involving damages caused by the wild animals, pests , cyclones, droughts, etc. The growing tribal population and the declining agricultural productivity has become a serious threat to the subsistence base of the tribal communities, endangering their self- supporting food security system.

There is severe lack of suitable self-employment opportunities to the educated youth and dropouts, Lack of knowledge in taking up alternative avenues of employment other than agriculture.

· Non-availability of appropriate and suitable technology for processing college and small scale industries to supplement income .
· Supply of poor quality of seeds, pesticides and raw materials to tribal beneficiaries.
· Yestod interests, moneylenders, landlords, shopkeepers, contractors and government officials continue to expioit the tribals.
· Poor marketing infrastructure reflecting in low-income lecels to tribals.
· Coverage of ST families by National ST Finance and Development Corporation and state level Finance and Development Corporations has been grossly inadequate.
· Landiesaness is increasing amongst the Scheduled Castes and the proportion of the scheduled Caste agricultural labourers to the scheduled caste cultivators is increasing which indicates that the scheduled caste cultivators after losing

their land holidings are becoming agricultural laboures, The results are not very different for scheduled Tribal also.

- They propess small and uneconomical landhodings because of which their crop yield is less and hence they remain chronically indebted.
- Only a small percentage of the population participates in occupational activities in the secondary and lortiary scclors.
- ----------of the land in tribal areas has been legally transferred to non tribals. Tribals domand that this land should be returned to them in fact tribals had earlier enjoyed----------freedom to use forests and hunt animals Forests not only provide them ----------to build their homes but also give them fuel ,herbal medicines for curing diseases, ----------etc. Their religion

Makes them believe that many of their spirits live in trees and forests. Their folk tales often speak of the relations of human beings and the spirits. Environmental movement initiated by tribal woman 'The forest is the life of my people, the trees are like the pores in our skin, the water is like the blood that flows through us. The forest is the mother of my tribal,".(Aleta Baun, an Indonesian environment activist known in her community as mama Aleta) The winner of the 2013 Goldman Environment Prize, she represents an expanding international movement against environmental destruction belmed by humble, often poor, rural and tribal woman.

Tribal peoples are generally the best conservationists; they have managed their lands sustainably for many generations. Forcibly removing tribal peoples from their land usually results in environmental damage. Such removals are a violation of human right and should be opposed by conservationists, The cheapest and quickest way to conserve areas of high forest fire rates, and greater biodiversity, on tribal land .The world can no longer afford a conservation model that destroys tribal peoples: it damages human diversity as well as the environment. Thus a development model compatible enough to ensure the positive aspect of tribal life and culture on the one hand and removal of poverty, exploitation, development of the tribal population in india.

Referances:

1. The annual report (2007-08), ministry of rural development, govt. Of india.
2. Sharma, S.P. and Mittal, A.C.(91998). The tribal Women in india, Vol 2, Radha Publications, New Delhi.
3. Ajith Singh, Tribal Development in india, New Delhi Classical Publishing Company,1984.
4. Sharma,Brasmdeo

International Research Journal | UGC JOURNAL No. - 44299 | ISSN-0975-4431

डिजिटल मार्केटिंग और क्यौ कैसे एक अध्यान

Mrs.Pratibha Deharia
Assistant Professor of Economics
Govt. P.G. College B.H.E.L. Bhopal M.P

Digital Marketing और Internet Marketing क्या होता है? जानते है हिंदी में। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये Traditional Marketing को रिप्लेस कर रहा है। Traditional Marketing मतलब खुद के प्रोडक्ट्स को टीवी रेडियो के द्वारा advertise करना। पर अभी देखा जाये तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार सोशल मीडिया के द्वारा, ज्यादा कर रही है। क्योकि दुनिया के ज्यादातर लोग अभी उसपे एक्टिव रहते है। सोशल मीडिया पे प्रचार करने का सबसे मुख्य कारण यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगो तक उनका बिस्नेस की जानकारी पहुंचे।

Important Chapters of Digital Marketing

1.Social Media Marketing-जैसे की फेसबुक वगेरा पर कंपनियां अपने ब्रांड्स की पब्लिसिटी के लिए वीडियोज फोटोज अपलोड करती है। जिससे लोगो तक बात पहुंचे उनके प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मिले। Facebook ,YouTube ,Google+,LinkedIn,Twitter etc जैसी सोशल मीडिया साइट्स बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। जिस से वो लोगो को प्रत्येक दिन अपडेट करते है। ये साइट्स users को easily कम्यूनिकेट करने में हेल्प करती है। ये audience और कंपनी के बीच एक माध्यम का काम करते है। इन साइट्स पे लोग अपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ह्द्द1द्बद्द2ह्य देते है जो उस कंपनी को अपना बि?नेस ब?ने में मदद कर सकते है।

2.Email,Website,Mobile Application Marketing -बिज्नेस कंपनी खुद की एक पर्सनल वेबसाइट रखती है जिस पर वे हर दिन खुद का अपडेट देती रहती है। जिस से users उनके बारे में कभी भी जान सके। अपनी नयी पॉलिसीस या नए प्रोडक्ट के बारे में लोगो को ईमेल के रूप में नोटिफिकेशन्स सेंड करना। दुनिया का एक बडा भाग एंड्राइडोन यूज करता है। ऐसे में अपने बिसनेस के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना काफी फायदेमंद रहता है। और ईमेल से अपने यूजर के साथ अपना अच्छा सम्बद्ध बनाये रखते है। हर वो अपडेट अपने यूजर को ईमेल

द्वारा मिल जाते है।

3. Content Marketing -Content

मतलब की वो सब ची? जो आप एक Website या Newspaper में देखते हो जैसे की Images, Te&ts, Videos etc. इसको उपयोग में लाने की प्रमुख वजह है लोगो को आकर्षित करना।ज्यादा से ज्यादा लोगो को अपनी तरफ खीचना। बहुत साडी ब?ी ब?ी कम्पनीज इसी Strategy को अपनाती है। Content marketing को साधारण शब्दों में अर्थ है कि ऐसा Content Create करना और लोगो तक पहुंचाना जो की उनके Products से Related हो और जिससे लोग उनकी तरफ आये। इसको ये भी कह सकते है कि स्टोरी टेलिंग लेकिन वो attractive होनी चाहिए। ये बहुत सा?ी लीडिंग कम्पनीज द्वारा यूज किया जा रहा है। जैसे की Cisco,P&G,Microsoft.सरल शब्दों एक डीलर एक कस्टमर को इसका यूज करके Attract करता है।

4. Search Engine Marketing –इसको समझने के लिए एक simple उदाहरण है आपने अपनी कोई एक न्यू? वेबसाइट बनाई। लेकिन जब एक यूजर किसी टॉपिक के बारे में सर्च करे, तो क्या चान्सेस है कि गूगल के पेज पे टॉप लिंक्स में आपकी साइट होगी। जैसे आप किसी प्रोग्रामिंग या Web-development रिलेटड डाउट google करोगे तो आप पाएंगे की टॉप लिंक्समे Stackoverflow,WxSchools,geeksforgeeks मिलेंगे।
जो वेबसाइट रहती है उसको गूगल की रैंकिंग में लाने के लिए सबसे मुख्य बात है। उसका कंटेंट कैसा है? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेन्ट है Search Engine optimization (SEO).

SEO कटेंट की केटेगरी में आने के लिए उस साइट का कंटेंट और आर्टिकल ऐसा हो की वो किसी भी 10 –12 साल तक बच्चे के द्वारा भी रीड की जा सके। मतलब आर्टिकल इतना सरल हो कि को किसी को समझ में जाये। वो यूजर फ्रैडंली हो इसलिए हम देखते है की ज्यादातर बि?नेस साइट खुद की वेबसाइट के लिए SEO वाले कंटेंट राइटर को hire करते है

5. Viral Marketing–इसका मतलब इसके नाम में ही छिपा है मतलब अपने बि?नेस को Viral करना अथार्थ ज्यादा से ज्यादा लोगो तक पहुंचाना।

6. Influencer Marketing– इस मार्केटिंग टाइप का अर्थ होता है लोगो को अपनी strategies से इन्फ्लुएंस करना मतलब लोगो को अपनी तरफ आकर्षित करना।

7. Pay per Click -जब आप कोई साइट ,यूट्यूब ओपन करते हो आपने कई बार ऐड देखी होगी। कुछ साइट्स अपने कंटेंट के बीच में ये सब डालती है,**Google Ad-sense** के द्वारा इस से पैसे कमाए जा सकते। मतलब

डेवलपर को हर एक क्लिक पर कुछ अर्निंग होती है।

8. Public Relation –लोगो की आवश्यकता के अनुसार अपनी strategy में चेंज लाना ,अपना विस्तार करना द्य

9. Affiliate Marketing –कंपनी द्वारा अपने सेल्स को बड़ाने के लिए उसे किया जाता हैं जैसे कि डिस्काउंट ऑफर।

उम्मीद है ये नई जानकारी आपको अपने नए बिज्नेस में काफी मदद करेगी। और जैसे जैसे जमाना आगे बड़ रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बड़ रही है। और उन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें भी चलना होता है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिये और नए नए जानकारी लेते रहिये।

विपणन (अंग्रेज़ी= marketing) एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मार्केटिंग मिक्स (उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रोत्साहन जिन्हें प्राय: 4 Ps कहा जाता है) की योजना बनाई जाती है एवं कार्यान्वयन किया जाता है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों और संगठनों के बीच उत्पादों, सेवाओं या विचारों के विनिमय हेतु की जाती है।

विपणन को एक रचनात्मक उद्योग के रूप में देखा जाता है, जिसमें शामिल हैं विज्ञापन (advertising), वितरण (distribution) और बिक्री (selling) इसका सम्बन्ध ग्राहकों की भावी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का पूर्व विचार करने से भी है, जो प्राय: बाज़ार शोध के माध्यम से पता लगाई जाती हैं।
मूलत:, विपणन किसी संगठन को बनाने या निर्देशित करने करने की प्रक्रिया है, ताकि लोगों को सफलतापूर्वक वह उत्पाद या सेवा बेची जा सके जिसकी न केवल उन्हें ज़रूरत है बल्कि वे उसे खरीदने के इच्छुक भी हैं।
इसलिए अच्छा विपणन इस काबिल होना चाहिए कि वह उपभोक्ताओं हेतु एक प्रस्ताव या लाभों का सेट बना सके, ताकि उत्पादों या सेवाओं के माध्यम से ग्राहक को उसके पैसे का मूल्य अदा किया जा सके.
इसके विशेषज्ञ क्षेत्रों में शामिल हैं=

मार्केटिंग क्या है?

मार्केटिंग का शाब्दिक अर्थ है विपणन । किसी भी बि?नस या सर्विक को सबसे पहले उसके उत्पादक ही जानते है उसके बाद वो लोग जानते हैं जो लोग उस उत्पाद से जु? हुए हैं और जान्ने वाले लोगों का दायरा काफी सीमित होता है । उपभोक्ताओं को जब तक उस उत्पाद या सर्विस के बारे में सूचना न मिले तब तक उन्हें पता भी नहीं चलेगा की ऐसी कोई सर्विस या उत्पाद बा?र में उपलब्ध है ।
नए या पहले से मौजूद उत्पादों या सर्विस की सूचना मौखिक और लिखित प्रारूप में लक्षित उपभोक्ताओं तक पहुचने की प्रक्रिया को मार्केटिंग कहते हैं ।

डिजिटल का अभिप्राय इन्टरनेट से है, मार्केटिंग का अर्थ है विपणन । अपने व्यवसाय एवं सेवओं को इन्टरनेट (ऑनलाइन) के माध्यम से अपने ग्राहकों के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं । इस प्रक्रिया को कई खंडो में विभाजित किया जा सकता है=

ङ्क. अपने व्यवसाय एवं सेवाओं के सारांश को एक विज्ञापन में संजोना ।
2. अपने विज्ञापन को अपनी वेबसाइट या किसी अन्य ऑनलाइन समुदाय, वर्गीकृत, इत्यादि वेबसाइट में प्रकाशित करना ।
3. प्रकाशित विज्ञापन या लेख का लक्षित दर्शको / उपभोक्ताओ तक पहुचना
इन्टरनेट संभावित उपभोक्ताओं का भंडार है । इन्टरनेट मार्केटिंग के माध्यम से आपका विज्ञापन जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुचता है आपकी सफलता की प्रायिकता उतनी ही ब?ती जाती है ।

ग्राहक पर ध्यान

आजकल कई कंपनियां अपने ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनियों कि गतिविधियाँ एवं उत्पाद ग्राहकों कि मांग के अनुसार होते हैं। आम तौर पर यह तीन तरीकों से किया जाता है= ग्राहक चालित दृष्टिकोण, बाज़ार में परिवर्तन को पहचानने कि समझ और उत्पाद को अभिनव बनाने का दृष्टिकोण.
उपभोक्ता संचालित दृष्टिकोण के तहत उपभोक्ता की मांगें रणनीतिक विपणन फैसलों का निर्धारण करती हैं। कोई भी रणनीति तब तक नहीं अपनाई जाती जब तक की वह उपभोक्ता अनुसंधान परीक्षण में सफ़ल न हो जाए. एक उत्पाद का हर पहलू, जिसमें उत्पाद की प्रकृति भी शामिल है, वह भावी उपभोक्ता की ज़रूरतों से संचालित होता है। आरंभिक बिन्दु सदैव उपभोक्ता ही होता है। इसके पीछे तार्किक पहलू यह है की अनुसंधान एवं विकास कोष ऐसे उत्पाद को तैयार करने में नहीं खर्च करना चाहिए जिसे लोग खरीदना न चाहें. इतिहास गवाह है की कई उत्पाद प्रौद्योगिकी की अनोखी मिसाल होने के बावजूद बाज़ार में नहीं चले.

इस ग्राहक केंद्रित विपणन के औपचारिक दृष्टिकोण को के तौर पर जाना जाता है (समाधान, सूचना, मूल्य, पहुँच).मूलत: इस प्रणाली में ग्राहक पर फोकस करने के लिए चार क्को नए नाम और नए शब्द दिए गए हैं।
SIVA मॉडल मांग/ ग्राहक केंद्रित संस्करण प्रदान करता है, जो विपणन प्रबंधन के मशहूर yPs आपूर्ति वाले मॉडल (उत्पाद, मूल्य, स्थान, संवर्धन) का विकल्प है।

सन्दर्भः-

1. विपणन क्या है ? क्रिस न्यूटन, विपणन सहायता ऑनलाइन, 2008 .
2. विपणन मिश्रण की अवधारणा जरनल ऑफ़ एड्वरटाईजिंग रिसर्च, जून 1964 पृष्ठ 2 से ।
3. विपणन प्रबंधन रणनीतियाँ और कार्यक्रम , गिल्टीनन एट अल, मैक ग्रा हिल / इरविन, 1996
4. मिश्रण में एक ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण मौजूदा विपणन मिश्रण को 21वीं सदी में ले जा सकता है। चेकिटन एस. देव और डॉन ई. शुल्टज़, मार्केटिंग मैनेजमेंट 1.14ठ्ठ.1 जनवरी/फरवरी 2005